राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 16

गुरुवार ;

29 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

भेदाड़ी मीणा ग्राम (दौसा) में स्वीकृत एनीकट

359. **श्री मुराली लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लगातार नीचे गिरते जल स्तर को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

(2) क्या सरकार वर्षा का पानी, जो नदी/नालों के माध्यम से बहकर बेकार चला जाता है, को रोकने के लिए जगह-जगह पक्के एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा के ग्राम भेदाड़ी मीणा में सांवा नदी पर माडा योजनान्तर्गत एनीकट स्वीकृत है? यदि हां, तो सरकार एनीकट निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) प्रदेश में लगातार नीचे गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नयी परियोजनाओं के स्थान भी चिन्हित कर प्रस्ताव निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त बांधो, तालाबों, एनीकट्स एवं नहरों को दुरूस्त कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों के जल संग्रहण एवं जल

(श्री सांवर लाल)

संवर्धन कार्यों के मास्टर प्लान बनाये गये हैं जिनमें एनीकट, गंवई तालाब, सबसरफेस बैरियर, खडीन इत्यादि बनाने हेतु स्थान चिह्नित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। एनीकटों के तखमीने तैयार किये जा रहे हैं, जिनके तखमीने बनाये हैं उनकी कोढतवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार विभाग करेगा।

(3) जी हां। जिला परिषद, दौसा द्वारा वित्तीय संसाधन व स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भेदाडी मीणा में स्वीकृत एनीकट की निविदाएं पहले आमन्त्रित की जाकर उसके कार्यादेश दे दिये गये थे? यदि यह सही है तो एनीकट का कार्य क्यों नहीं हुआ? अब दोबारा निविदाएं आमन्त्रित करने से व कार्य में देरी से एनीकट की जो लागत बढेगी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिन अधिकारियों ने अपनी लापरवाही से इस एनीकट में देरी की है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने जो प्रस्तावित एनीकटों की सूची दी है उसमें मात्र 23 जिले ऐसे हैं जिनमें एनीकट प्रस्तावित हैं बाकी 9 जिलों में कोई एनीकट प्रस्तावित नहीं है, क्या उन जिलों में एनीकटों की आवश्यकता नहीं है? मेरे स्वयं के जिला दौसा के अन्दर पांच तहसील आती हैं और पूरा जिला नदी, नालों का है, पहाडी एरिया है, सब नदियों में होकर पहाडों का पानी बह कर जाता है जिसकी वजह से कटाव होते हैं तो एक भी एनीकट दौसा जिले का आपकी सूची में प्रस्तावित नहीं है। क्या दौसा जिले में एनीकटों की आवश्यकता नहीं है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पहले इनको तो सन्तुष्ट कर दूं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल कर लूं?

श्री अध्यक्ष : हेमराज मीणा। उनका भी आ जाने दीजिए।

श्री सांवर लाल : एक साथ. फिर यह मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी पहले मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर देना चाहते हैं, उन्हें देने दीजिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल किया है कि केवल 23 जिलों के सम्बन्ध में सूचना दी है तो विभाग के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के या अपने स्तर पर जो विभाग ने चिहिन्त की है, उनकी सूची है। इस वर्ष हमने बजट में 142 करोड़ रुपये इसके लिए रखे हैं, जो भी माननीय सदस्य इन जिलों के या और भी प्रस्ताव देंगे और जो गांव के लिए उपयोगी होगा, जनता के लिए जो फायदेमन्द होंगे, उन एनीकट्स को हम प्राथमिकता देकर बनायेंगे इसलिए इसमें यह संशय नहीं होना चाहिए कि यही एनीकट बनाये जायेंगे।

तखमीने इनमें सारे के सारे स्वीकृत होंगे कि नहीं होंगे, आप सबसे चर्चा करने के बाद ही हम फैसला करेंगे। तो जहां भी आवश्यक होगा, कोई भी जन-प्रतिनिधि या पंचायत स्तर से जहां से भी प्रस्ताव आयेंगे तो हम उसके ऊपर विचार करके उसको सम्मिलित करेंगे, स्वीकृत करवायेंगे।

पहला सवाल आपका है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि 62 करोड़ रुपये के लगभग का तखमीना उस एनीकट को बनाने के लिए तैयार किया गया था। उसके बाद में तत्कालीन मंत्रीजी थे शैलेन्द्रजी जोशी, वह गये और गांव वालों ने यह कहा होगा कि यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो उस आधार पर दूसरी जगह उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद में हमारे विभाग ने उनका नयी जगह का तखमीना बना कर 80 लाख रुपये के लगभग ट्रायबल एरिया डवलमेन्ट को भेज दिया है। वहां से पैसा आते ही जिला परिषद उसको सेंक्शन कर देगी और करने के बाद हम तत्काल टेण्डर करवा कर इस कार्य को करवा देंगे। बाकी पहले टेण्डर हुए थे, कार्यादेश भी दिया गया पर इस कारण से वह काम नहीं हुआ, वह मैंने आपको बता दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जिला परिषद द्वारा एनीकटों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

श्री सांवर लाल : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसके जो 62 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे और उनके टेण्डर कर दिये गये थे लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए उस समय मंत्री महोदय ने गलत जगह पर केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस एनीकट का शिलान्यास कर दिया गया।

श्री सांवर लाल : मेरे पास जो जानकारी है, बस यही तो जानना चाह रहे हो आप, इसके आगे क्या?

श्री मुरारी लाल मीणा : यह मेरी स्वयं की ग्राम पंचायत का मामला है इसलिए मेरे को इसकी पूरी जानकारी है।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले मैंने हेमराज मीणा का नाम पुकारा है, पहले हेमराज मीणा। मूल प्रश्नकर्ता के बाद (व्यवधान)

श्री समर्थ लाल : हेमराजजी तो बहुत दूर रहते हैं, यह जो सवाल है न यह मेरे इलाके से है, बांदीकुई से सम्बन्धित सवाल है। हेमराजजी तो इधर रहते हैं। (व्यवधान)...

श्री हेमराज मीणा : माननीय सदस्य, मैं राजस्थान के बाहर नहीं रहता हूं, राजस्थान में ही रहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कौन कहां रहता है, यह नहीं है, मैं नाम पुकार चुकी हूं।

श्री मुरारी लाल मीणा : जब दोबारा इसकां एस्टीमेन्ट बना तो उसकी लागत 82 लाख आयी है तो मैंने उसके लिए एक चिट्ठी भी लिख कर दे दी थी कि जो डिफरेन्स के 20 लाख हैं वह हम हमारे कोटे से उसमें जारी कर देंगे। तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि पहले तो इस एनीकट को बनवाने का श्रम करें।

दूसरा, आपने बताया कि जो प्रस्ताव पहले अन्य एनीकटों के नहीं आये. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या आप उन एनीकटों के प्रस्ताव दोबारा अधिकारियों को भेज कर जिन जिलों के प्रस्ताव नहीं आये हैं क्या वह मंगायेंगे?

श्री सांवर लाल : जो भी माननीय सदस्य मुझे या विभाग में प्रस्ताव देंगे उनके तखमीने बना कर हम उसका परीक्षण करा कर स्वीकृत करा देंगे। दूसरा, ट्रायबल एरिया डवलमेन्ट बहुत बडा फण्ड रखता है, यह मंत्रीजी हैं अब मैं इनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 लाख रुपये और एड करके 80 लाख रुपये की स्वीकृत करनी है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : ट्रायबल बैल्ट का कितना पैसा आपके पास में है?

श्री सांवर लाल : तो आप थोडा जल्दी, इसमें हम भी कोशिश करेंगे सैंक्शन जल्दी करवाकर करवा देंगे आपके इस एनीकट को।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि जिला परिषद के द्वारा एनीकटों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं, क्या सभी जिला परिषद से राजस्थान में कितने एनीकटों के प्रस्ताव आये और जिलेवार कौन-कौनसे एनीकट आपने स्वीकृत किये? क्योंकि रोजगार देने की बात सरकार कर रही है तो शायद एनीकटों के प्रस्ताव जिला परिषदों से आपके पास आ गये होंगे। कौन-कौनसे जिलों में कितने-कितने एनीकट के प्रस्ताव आपने मन्जूर करे? एक सवाल।

दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान में आपने कहा है कि मध्यम, माइनर और लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है, मैं चाहूंगा कि राजस्थान में कौनसे जिले में कौनसी तहसील में लघु, मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? यह मैं आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : अब यह तो रिकार्ड में मिल जायेगा, जब चाहो जब दे दूंगा। मैं कोई सारी सामग्री लेकर आया नहीं हूं। बाकी एनीकट के सम्बन्ध में आप चाहते हों तो पूरे 23 जिलों की सूची मैंने दी है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान का सवाल है, सारे राजस्थान में एनीकट बनेंगे और सरकार सभी रोजगार देने के लिए कमिटमेन्ट है।

श्री सांवर लाल : एनीकट के बारे में मैं बता रहा हूं न आपको। जो प्रस्ताव आये हैं जालौर से 73 एनीकट के आये हैं, एक-एक का पढ कर सुना दूं आप कहो तो, बाडमेर से 39, नागौर से 114, जोधपुर से 74, पाली से 40 और सिरोही से 73, इस प्रकार 2037 एनीकट के प्रस्ताव आये हैं। इनका परीक्षण कर रहे हैं, अभी स्वीकृति जारी नहीं की है। और माननीय सदस्य प्रस्ताव देंगे, जिला परिषद से आयेंगे उनको भी देखेंगे और जिस क्षेत्र में जो उपयोगी होगा उसकी स्वीकृति करके बनवाये जायेंगे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) **:** आदरणीय अध्यक्ष महोदय.

श्री समर्थ लाल : अध्यंक्ष महोदय, पूछ लूं सवाल आपकी आज्ञा हो तो?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) **:** मेरी आज्ञा हो गयी।

श्री समर्थ लाल : नहीं आपकी नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, तीसरे को दे दी।

श्री अध्यक्ष : नजर तो मेरी रामसिंहजी की तरफ पड गयी थी लेकिन अब आप पूछ लीजिए। आप विराज जाइये।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह भेदाडी मीणा एनीकट स्वीकृत किया था और भेदाडी मीणा, जहां पर यह एनीकट बनेगा उसके आस-पास ट्रायबल बैल्ट है। पिछली सरकार ने ट्रायबल पापुलेशन होने की वजह से इस एनीकट को नहीं बनने दिया, इसको नामन्जूर करवा दिया। यह भेदभाव पिछली सरकार ने किया था और वहां के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होने इसको चला कर इस आधार पर कैंसिल करवाया था कि इसमें केवल ट्रायबल लोगों को फायदा होगा। क्या मंत्री महोदय इसका तखमीना करके इसको दोबारा बनाने का विचार रखते हैं?

श्री सांवर लाल : मैंने तो विचार आपके पूछने से पहले ही बता दिया कि हम फटाफट बनाना चाहते हैं और केवल 20 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति होनी है जो करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, क्या यह सही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, पूछ रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नाई : क्या यह सही है कि प्रदेश के अन्दर बरसात बहुत कम होती है बूंद-बूंद पानी का उपयोग करने के लिए घर का पानी घर में टांका बनाकर, गांव का पानी नाडी और तालाब में इकट्ठा करके और खेत का पानी खेत के अन्दर और जहां भी हो सके नदी और नालों को नहीं रोक करके पानी बहता रहना चाहिए ताकि गांवों में जो कुएं हैं प्रदेश के अन्दर उनका जलस्तर ऊपर आ सके। क्या इसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, पानी बरसेगा, यह आप काहे को सोच रहे हो कि नहीं बरसेगा। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं बरसेगा तो.....

श्री रामसिंह विश्नाई : हम थे जब तो पता था अब आपके आने के बाद जरा गडबड हो गयी।

श्री सांवर लाल : मेरे आने के बाद तो बरसेगी, आप रहे पांच साल उसका असर अभी पड रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था होती है पानी की जहां आदमी को जरूरी होता है वह अपने स्तर पर भी नाडी बनाता है, करता है। आप कह रहे हो नदियों को नहीं रोकेंगे तो भाखरा नांगल बांध नहीं बनता तो बिजली आ जाती क्या यहां पर, गांधी सागर नहीं बनता तो क्या होता? इसलिए अभी तक इसके बारे में ऐसी कोई नीति सरकार ने नहीं बनाई।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मामूली सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन, श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : माइनिंग लीजेज के पिट बहुत से पडे हुए हैं, इनके लिए माइनिंग क्लोजर प्लान माइनिंग डिपार्टमेन्ट बना रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैडम मुझे भी मौका दिया करें बोलने का।

श्री अध्यक्ष : यहां कोई मैडम नहीं है, अध्यक्ष है यहां। मैडम नहीं है यहां अध्यक्ष है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आप क्यों नाराज हैं आपकी मर्जी।

कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

360. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव पूर्व में कब हुए और उसके बाद कितने वर्षो से चुनाव नहीं हुए हैं?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) राज्य की कृषि उपज मण्डियों से प्रतिवर्ष सरकार को कितनी आय होती है और इन मण्डियों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

(3) कृषि उपज मण्डी समितियों की वार्षिक आय से कितनी लागत की कितनी सडकें वर्ष 2003 से 31 मार्च, 2004 तक बनाई गई? उक्त सडकों में से कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण हैं?

(4) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी) : (1) कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव वर्ष 1974-75 में हुए इसके उपरान्त नहीं हुए।

(2) वर्ष 2003-2004 में मण्डी शुल्क से आय 160.82 करोड रुपये हुई है। राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषि विपणन सेवा के अधिकारियों सहित 3217 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(3) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों की वार्षिक आय से 5093.41 लाख रुपये की लागत से 403 सडकें 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक बनाई गई। उक्त सडकों में से 102 सडकें पूर्ण हो चुकी है, तथा 301 सडकें अपूर्ण हैं।

(4) चुनाव घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कराने के नियम और विधान बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत चुनाव करवाए जाते हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत पहले से बने हुए हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : बने हुए हैं जब ही तो पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या सरकार ने स्थाई रूप से यह मानस बना लिया है कि इन समितियों के चुनाव नहीं करवाए जाऐंगें और कानून में संशोधन कर तीसरी बार और तीसरी बार से चौथी बार इन समितियों में प्रशासक नियुक्त किये जाऐंगें। क्या नीतिगत फैसला सरकार ने स्थाई रूप से यह ले लिया है कि वह प्रशासक बनाने का जो दो टर्म तक प्रशासक आप नियुक्त कर सकते थे उसके बजाए प्रशासक को तीसरी टर्म तक बढाने के लिए भी कानून में संशोधन करने का निर्णय इस आधार पर लिया है कि इस सरकार ने स्थाई रूप से यह फैसला कर लिया?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपने तो पांच साल तक विधान सभा में घोषणा ही घोषणा की। हर शासन में घोषणा की कृषि उपज मण्डी के चुनाव करवा लिए जाऐंगे पर पांच साल में एक भी चुनाव आपने न तो सहकारी समितियों का करवाया, न कृषि उपज मण्डी का करवाया (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने कौनसा करवा लिया?

श्री भवानी सिंह राजावत : (व्यवधान) आरोप लगाने से पहले माननीय सदस्य अपने उसमें देखा करो कि आपके राज में चुनाव क्यों नहीं करवाए आपने (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अब तो चुनाव की चिन्ता हो रही है आपको (व्यवधान) इतने साल राज करते रहे जब चिन्ता नहीं की आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा : 11 साल तक भारतीय जनता पार्टी का भी राज रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत : लम्बा राज तो आपका रहा है, आपको विचार करना चाहिए था।

श्री हरिमोहन शर्मा : छदम वेश से आने के बजाए आप यह घोषणा कर दें कि इस सरकार का कोई मानस भविष्य में किसानों को अधिकार देकर के कृषि उपज मण्डियों की व्यवस्था कराने का नहीं है। आप घोषणा कर दें इस बात की।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : पहले इन दो का उत्तर आ जाए।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आए माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के सन्दर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम में चुनाव कराने के प्रावधान 12-7 में है और मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार कृषि मण्डियों के चुनाव कराने के लिए तत्पर है लेकिन मैं इस सन्दर्भ में आपको मेरी ओर से जानकारी देना चाहूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : अभी तो मना किया है आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब में तो आपने तैयारी नहीं बताई है, मना किया है।

श्री प्रभुलाल सैनी : अभी मैं आगे आ रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डियों के चुनाव 1974 और 1975 के बाद नहीं हुए। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा 23.4.02 यानि कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में रिट पिटिशन डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. 3498–2001 में सम्माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गए थे तत्कालीन सरकार को कि छह माह के अन्तर्गत इन संस्थाओं के चुनाव कराएं और यदि आश्वश्क हो तो अपने कानून में मूलभूत संशोधन भी करें। इस सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ दो चार पंक्तियों में जो निर्देश दिए हैं मैं सक्षेप में दो चार लाइनों में निवेदन करूंगा

"Consequently we allow the writ petition and direct the respondent to hold the election of the Rajasthan State Agricultural Board as well as Krishi Upaj Mandi Samiti within a period of six months from today. It will be open for the State Government to bring the amendment in the Act within the afore-said period."

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे जानकारी देना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार द्वारा एक मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया और उप समिति द्वारा दिनांक 12.8.2000 से 24.4.2001 तक आठ बैठकें इसमें नियम और उप नियम बनाने के लिए आयोजित की गयी। उन समितियों में पांच माननीय सदस्यों को शामिल किया। बनवारीलालजी बैरवा उप मुख्य मंत्री, श्री खेतसिंह राठौड विधि मंत्री, श्री परसादीलाल मीणा सहकारिता मंत्री, श्री रामकिशन वर्मा, कृषि राज्य मंत्री और गोविन्दसिंहजी गुर्जर कृषि मंत्री। इनके द्वारा आठ बैठकें आयोजित की गयी तो आठ में से पांच बैठकें इनके द्वारा स्थगित कर दी गयी। उसमें कोई भी निर्णय राज्य सरकार ने अब तक नहीं लिया।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

इसके आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में विभाग के द्वारा उसका पूरा ज्ञापन बना लिया है। मंत्रीमण्डल में विचाराधीन है, ज्योंहि मंत्रीमण्डल में इस पर निर्णय हो जाएगा, चुनाव की अगली कार्यवाही किया जाना सम्भवं हो सकेगा।

श्री संयम लोढ़ा : हमारी भगवती बांचते रहोगे या कितने महीने में करवाओगे यह तो बता दो। एक साल में, दो साल में, चार साल बाकी हैं चार साल में?

श्री अध्यक्ष : मिस्टर संयम लोढा, स्थान ग्रहण करें।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आपके कृषि उपज मण्डी की जानकारी चाहूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने ठीक है शीघ्र ही कानून बनाकर चुनाव कराने की कोई समयावधि निश्चित कर दें कि हम छह महीने में करवा देंगे, तीन महीने में करवा देंगे दस महीने में करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों तीनों के साथ जवाब दीजिएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी : यह विषय कैबीनेट का है। ज्योंहि कैबीनेट में तय होगा शीघ्र ही चुनाव करा दिए जाएँगे।

श्री संयम लोढ़ा : जोइंट है, आप भी तो उसके पार्ट हो।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर संयम लोढ़ा, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। श्री भरत सिंह।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है कि..........

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया औरों को भी पूछने दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : पूछ रहा हूं ना मैं। जो सडक स्वीकार की गयी थी 1 अप्रैल 2003 से 21 मार्च 2004 तक...उनमें से 301 सडकें अधूरी रहने का क्या कारण है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

नम्बर दो, कृषि उपज मण्डी की, प्रश्न संख्या दो में मैंने पूछा था कि कृषि उपज मण्डियों से प्रतिवर्ष सरकार को कितनी आय होती है और आपने जवाब दिया वर्ष 2003-04 में केवल मण्डी शुल्क से आय का। मैंने सम्पूर्ण आय का पूछा था, आपने मण्डी शुल्क वाली आय ही इसमें लिखी है तो कितनी आय है इसकी आप पूरी राशि मुझे बतायें।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न नम्बर तीन में लिखा है। आपने देखा नहीं ठीक से...

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तीन में लिखा है पूरा इन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं लिखा है साहब।

श्री अध्यक्ष : लिखा है तीन में, आप पढिये। आप जरा तीन का जवाब पढिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां। तीसरा जो है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों की वार्षिक आय से लिखा है। सडकों का स्वीकृति, वार्षिक आय मण्डी शुल्क के अलावा कितनी है, यह नहीं लिखा। मेरे दूसरे प्रश्न में था, यह तो इन्होंने वार्षिक आय से इतने करोड रुपये की जो स्वीकृतियां जारी की हैं यह लिखा है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आय लिखी है ना। आपने आय ही तो पूछी।

श्री हरिमोहन शर्मा : आय पूछ रहा हूं एक साल की। मण्डी शुल्क की आय बतायी और वह नहीं बतायी।

तीसरा, मेरा था कि सडकें वर्ष 2003 से 31 मार्च, 2004 तक, माननीय मंत्री महोदय आपने और विभाग ने इस प्रश्न को पढा ही नहीं। इसमें आपने लिखा है सडकें 1 अप्रैल, 2003 से। मैंने तो 1 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की मांगी है। आपने इनफोर्मेशन ही नहीं दी। इन तीनों बातों को आप बतायें।

श्री अध्यक्ष : औरों के प्रश्न भी आ रहे हैं। भरत सिंहजी। उनको भी पूछने दें। आप बिराजें। पूछ लेने दो। इन्हें पूछ लेने दीजिये।

श्री नारायण सिंह : इनके जवाब आ जाएं।

श्री अध्यक्ष : सब आ जायेंगे, सक्षम हैं मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

कृषि उपज मण्डियों का गठन किसान को मण्डी में उपज ले जाकर बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिये किया गया था। मेरा प्रश्न है आपसे क्या हमारे प्रदेश की जो मण्डियों है, खास करके छोटी मंडियां उन कृषि मण्डियों में बुनियादी सुविधा भी पूरी है या नहीं...

श्री अध्यक्ष : यह आपका अलग से प्रश्न है।

श्री भरत सिंह : प्रश्न यह है इन्होंने अपने उत्तर में बताया 50 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च होना। कृषि उपज मण्डी की 160 करोड़ रुपये की आय में से 50 करोड़ रुपया हम सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। हमारी कृषि उपज मण्डियो में बुनियादी सुविधा, यहां तक कि कोटा की भागाशाह मण्डी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भामाशाह मण्डी प्रदेश की सबसे बडी कृषि उपज मण्डी है। 13 करोड की वार्षिक आय है, क्या उसमें बुनियादी सुविधा जैसे पीने का पानी, काश्तकारो के लिये बैठने को छाया। यार्ड के अन्दर, खुले के अन्दर माल बेचते हैं किसान, फसल गीली हो जाती है उनके लिये छाया की व्यवस्था, क्या बुनियादी व्यवस्था भी आपने पूरी कर दी है? अगर नहीं की है तो क्या सरकार अन्य कार्यो पर पैसा खर्च कर रही है बुनियादी सुविधाओं पर नहीं कर रही है?

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कृषि उपहार योजना लागू करी। उसके तहत 160 करोड़ रुपये के ऊपर कृषि उपहार योजना के तहत कूपन मिलने चाहिये थे क्या आपने किसानों को वह कृषि उपहार कूपन वितरण किये? आपने दस प्रतिशत कूपन भी वितरण नहीं किये। किसानों के हित में जो चीज होनी चाहिये वह नहीं हो रही है और किसान...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भरत सिंह : प्रश्न किसानों के हित की प्राथमिकता का है या अन्य विभागों को आपने जो राशि दी है उसको आपने प्राथमिकता प्रदान की है।

क्या यह सही है आपने कृषि विपणन का पैसा इन्दिरा गांधी नहर को

(श्री भरत सिंह)

ट्रान्सफर कर दिया, क्या यह सही है कृषि उपज मण्डी का पैसा विद्युत विभाग को ट्रान्सफर कर दिया, क्या यह सही है कि बुनियादी सुविधाओं के लिये किसान वंचित रहेंगे और आज तक मण्डियों में बुनियादी सुविधा से वह वंचित हैं?

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके तो जवाब जाने दीजिये। मिस्टर गुप्ता, इनके जवाब आने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि मण्डियों का क्षेणीकरण कब हुआ था।

दूसरा, आपने जो आय दी है उसमें आपकी जो श्रेणियां हैं विशिष्ट श्रेणी, ए श्रेणी, ब, स, द, यह श्रेणीवार आय कितनी है।

आपने मण्डियों का जो वर्गीकरण कर रखा है वह मण्डियों से प्राप्त आय के आधार पर कर रखा है कि दो करोड़ रुपये होगी तो विशिष्ट श्रेणी में होगी। पिछले कुछ वर्षो में अकाल के कारण मण्डियों में आय में कुछ कमी हुई है उसके आधार पर श्रेणियों में क्या फर्क आया है? यह सुधार आप कब तक कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : हां आप भी पूछ लीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जयपुर की चांदपोल अनाज मण्डी का उदघाटन माननीय अशोक गहलोत द्वारा बिना आबंटन के कर दिया गया, क्या यह सही है?

दूसरा प्रश्न यह है कि जयपुर की चांदपोल अनाज मण्डी को आप कब तक शिफ्ट करने का विचार रखते हैं और आवंटन की प्रक्रिया कब तक है? व्यापारी गये ही नहीं और अशोकजी गहलोत ने उदघाटन कर दिया, क्या यह बात सही है। उदघाटन करने का बडा शौक था, पत्थर लगाने का शौक था, इस तरह क्या कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : बहुत अच्छा लगा.........(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से सम्बन्धित है...

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्न एक साथ रखेंगे, मंत्रीजी भूल जायेंगे। जवाब दे देने दो पहले फिर पूछ लेना।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : इनकी याददाश्त ठीक है। आप तो...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : इसी में है। मंत्रीजी से मेरा एक ही क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है ही और मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : हां पूछने दीजिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय मंत्रीजी, कृषि उपज मंडी समिति भीनमाल की तरफ से करीब 15 रोड़ बनीं। जिनमें रानीवाडा विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी में सिर्फ चार किलोमीटर, भीनमाल में 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और सांचोर में 10 किलोमीटर, कृषि मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें आपके क्या मापदण्ड हैं और क्या आपने नीति निर्धारित की है। जो मण्डी शुल्क हम लोग भीनमाल मंडी में देते हैं हमारे सिर्फ 4 किलोमीटर और बाकी जगह भीनमाल में 50 किलोमीटर, क्या प्रक्रिया आप अपनाते हैं, कृपा करके बताने का कष्ट करें।

श्री रामसिंह विश्नाई : अध्यक्ष महोदय, आपको एक डायरेक्शन देना पडेगा। क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : तो आप डायरेक्शन देंगे?

श्री रामसिंह विश्नाई : आपको देना पडेगा।

श्री अध्यक्ष : आप आसन को देंगे डायरेक्शन? देते हैं ना आप...

श्री रामसिंह विश्नाई : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आप इनको डायरेक्शन दें। क्या यह सही है प्रदेश के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बनाती है, मार्केटिंग बोर्ड सडक बनाता है, नगर पालिका सड़क बनाती है, कल विधान सभा सड़क बनायेगी, सही है क्या यह? इसके ऊपर प्रशासनिक खर्चा कितना होता है। एक जगह खर्चा होना चाहिये। मार्केटिंग बोर्ड के पैसों को मार्केटिंग बोर्ड जहां डायरेक्शन देगा वहां सड़क बने, यह तो समझ में आता है लेकिन जगह-जगह सब लोगों ने सड़कें बनानें का जो मानस बनाया है इसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं? आप इनको डायरेक्शन दें कि एक जगह एक ही के मार्फत करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 74-75 से लेकर आज तक चुनाव नहीं होने से इन कृषि उपज मण्डियों का ध्येय जो किसान के हित सुरक्षित करने के लिये था तो क्या मंत्रीजी, यह सुरक्षित हुए हैं?

आपने जैसा कहा है कि नियमों को केबिनेट में पास करने के बाद हम शीघ्र करायेंगे। केबिनेट का निर्णय होने के बाद आप निश्चित समय सीमा की घोषणा कर रहे हैं कि मंत्रीमण्डल का निर्णय होने के बाद छह महीने के अन्दर चुनाव हो जायेंगे। वरना तो यही हालत रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यापारी का हित सर्व हो रहा है और किसान जिसको प्रमुख लाभ देने के लिये मंत्री का था, उसका चुनाव नहीं करवाकर इनका अहित हुआ है।

जितने भी कृषक विश्रामगृह हैं उनमें तमाम कर्मचारी, राजस्थान की तमाम मण्डियों में आज क्या किसान उसमें विश्राम कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें आप । प्रश्न पूछों आप तो मंत्रीजी से। प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछें इसकी भी एक सीमा है। वह अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं आगे वाले प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं।

चौ. विनोद कुमार : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह...अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे दें मंत्रीजी। नैक्सट क्वेश्चन पुकारूंगी। आप जवाब दीजिये। जवाब दीजिये आप।

चौ. विनोद कुमार : एक मिनट। क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डियों...

श्री अध्यक्ष : कई और लोग हैं तो कंफयूज हो जायेंगे आप। जाने दीजिये उनका जवाब। वह कंफयूज हो जायेंगे। जवाब तो आने दो।

चौ. विनोद कुमार : एक मिनट अध्यक्ष महोदय। जो ए श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों हैं उनका पैसा कृषि विपणन बोर्ड में जमा होता है...

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय. जो नियमित खडे होकर बोलते हैं उनको तो आप इजाजत देते हैं और हमको नहीं। हम भी काफी टाइम से यहां पर खडे हैं।

चौ. विनोद कुमार : और यह गलत है...(व्यवधान) जिस काश्तकार का पैसा है उसी उपज मण्डी में पैसा लगना चाहिये...(व्यवधान)

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : हमारी तरफ आप देखते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी पुछ लीजिये क्या आपको पूछना है।

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, पूछे कहां से। यह तो आप पूछने दोगे तब पूछें ना। आसन अनुमति दे तब ही तो पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.डी. देवल।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि विषणन बोर्ड के कर्मचारियों की आयु 58 से 60 वर्ष कर दी लेकिन कृषि उपज मण्डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आयु नहीं की है उसके लिये सरकार कब तक काम कर रही है और कब उनकी आयु बढा रही है? नहीं बढायी तो वह कर्मचारी काम नहीं करेंगे और आपकी सब नीतियां फेल हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, अब आप जवाब दें।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : पेन्शन अगर नहीं मिलेगी तो नहीं बढायी जाये...

श्री सी.डी. देवल : अभी वह जवाब देंगे ना उस सवाल पर...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, अब आप जवाब दें...(व्यवधान) मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में मौका दूंगी।

श्री प्रभुलाल सैनी : मूल प्रश्न के...

श्री अध्यक्ष : आपको जिन जिनके याद-याद हैं, दे दीजिये जवाब उनके।

श्री प्रभुलाल सैनी : सारे दूंगा...

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी : जितने भी हैं ना मैं पूरे का जवाब दूंगा।

मूल प्रश्न के जवाब में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा...

आपने कहा कि जो सड़कें स्वीकृत हुई थी उनके अलावा और कितनी सड़कें स्वीकृत हुई इसके बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य कृषकों के प्रति और कृषि उपज मण्डी के प्रति इतने अच्छे भाव रखकर विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात पर भी आपको विचार करना आवश्यक है। कृपया सुनें। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 191 करोड़ रुपये की सडकें कृषि उपज मण्डी मार्केटिंग बोर्ड ने पैसा नहीं होते हुए भी स्वीकृत की थी और उसमें 1392 ऐसी सड़कें थी जो मिसिंग लिंक और विशेष सड़कों के रूप में स्वीकृत हुई। उन सड़कों पर 3996 किमी. सड़कें बनानी थी, उनके साथ में सी.एम.डी. श्रेणी में 99 सडकें 760 लाख की लम्बाई 253X34 किलोमीटर की एम.डी.एफ. में स्वीकृत हुई। इन सडकों पर जितना पैसा बोर्ड के पास था उतना खर्चा हुआ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : फेल गयी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं टोके, बीच में व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप जवाब सुनिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, जवाब सुनेंगे और पूछेगें...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : आप हमारी सुनिये, मार्ग दृष्टा हैं आप, सुनिये। अब तक 98 करोड़ रुपये के कार्य हो चुके हैं और उनके भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है। मण्डी समितियां और हमारे बोर्ड के पास ज्यों-ज्यों पैसा आयेगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं पूर्ववर्ती सरकार की ओर से की गयी समस्त सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हो गयी सब बात, नेकस्ट क्वेश्चन...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : श्रेणीकरण और आय. अकाल से प्रभावित मण्डियों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आश्वस्त कर दिया कि सारी...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : चांदपोल अनाज मण्डी का जो बिना आबंटन के उदघाटन कर दिया उसके बारे में मेरा प्रश्न है...(व्यवधान) बिना आबंटन के अशोक गहलोतजी ने...(व्यवधान)

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बार कह देते हो बहुत है, बार-बार क्या कहते हो... (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : आपकी बात सुनेंगे...(व्यवधान) मण्डियों का श्रेणीकरण आय के आधार पर किया जाता है। मैं आपको जानकरी देना चाहूंगा कि 2000 में मण्डियों का श्रेणीकरण उनकी आय के आधार पर किया गया है और 2004 में फिर से राज्य सरकार मण्डियों के श्रेणीकरण के बारे में गुणात्मक विवेचन करके शीघ्र फिर से करने जा रही है। उन मानदण्डों के अन्तर्गत अगर मण्डी आती है तो श्रेणीकरण किया जायेगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चार वर्ष के अकाल में आय कम हुई है उसमें श्रेणीकरण में फर्क पड़ा है क्या...(व्यवधान) पहले जो श्रेणीवार मण्डियां हैं उसकी आय...(व्यवधान) जानकारी देने का कष्ट करें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जो आपकी श्रेणियां हैं इनकी आय अकाल के कारण फर्क पडा है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने कहा है पूर्ववर्ती सरकार ने 191 करोड़ पैसा बचा होते हुए भी स्वीकृत कर दीं। आपने जान-बूझकर 1.4.2004 को आपके पास 92 करोड़ रुपये अकाउन्ट में जमा होने के बावजूद शिफ्ट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिये, भाषण नहीं...(व्यवधान) नेकस्ट क्वेश्चन।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। माननीय

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अशोकजी गहलोत ने चांदपोल की अनाज मण्डी का बिना आवंटन करे उदघाटन कर दिया (व्यवधान) मेरे प्रश्न का, उस पत्थर का क्या होगा...(व्यवधान) बिना आबंटन के चले गये, माननीय मंत्री महोदय बतायें...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आबंटन से पहले चुनाव का लाभ लेने के लिए चले गये...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : चांदपोल में जायेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मि. गुप्ता बैठें।

एक माननीय सदस्य : कहां से पकड लाये यह आप?

श्री मोहन लाल गुप्ता : बिना आबंटन के चुनाव का लाभ लेने के लिए वहां चले गये और व्यापरियों को धोखा दिया गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैकस्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सरकार कर रही है, यह कृपया जवाब दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी, स्थान ग्रहण करें। लक्ष्मीनारायण बैरवा...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : उन्हें जवाब देने दें...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह भी टूट गयी, उनकी जांच करायें माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : कह तो दिया कि सारी बनवा देंगे, कह तो दिया । लक्ष्मीनारायण बैरवा। और क्या चाहते हैं आप ।

प्रश्न संख्या-361

(स्थगित)

फागी में नवीन महाविद्यालय

362. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी की तहसील फागी एवं चाकसू

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

में कालेज शिक्षा का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नया कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फागी की तहसील फागी तथा चाकसू में शिक्षा का पूर्व वर्षों में अभाव रहा है। लेकिन इन क्षेत्रों में इस सत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं-

नाम तहसील	कालेज का नाम	संचालन संस्था का नाम
फागी	सेंट जेवियर कालेज, फागी	सोसायटी फोर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रूट मैनेजमेंट, टैगोर मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।
फागी	भारतीय विद्यापीठ, गोपालपुरा डाबच (फागी)	भारतीय सेवा सदन समिति डाबच गोपालपुरा (फागी)
चाकसू	महारानी पदमावती गर्ल्स कालेज, चाकसू	आशा शिक्षा समिति विश्वविद्यालयपुरी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
चाकसू	सन्त रामपाल दास महाविद्यालय, चाकसू	प्रज्ञा अकादमी शिक्षा समिति शांति निकेतन कालोनी, किसान मार्ग, जयपुर
चाकसू	जी. आर. महाविद्यालय, चाकसू	बृज मेवात शिक्षण संस्थान, जयपुर

विभाग की वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रावधान नहीं है। साधनों की उपलब्धता होने पर ही राज्य सरकार विचार कर सकती है।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र फागी में तहसील फागी और चाकसू दोनों ही 60 किमी. दूरी पर पडते हैं। यहां पर अभी स्कूलों से 1000-1200 लडके और लडकियां पढकर निकलते हैं। आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं। लडके तो फिर भी आ सकते हैं लेकिन बालिकाएं न तो कोई यातायात के साधन हैं, जो बैठकर आ सकती हैं और ना ही कोई रैगुलर बसें चलती हैं जिससे जयपुर से आवागमन हो सकता है। लडके तो फिर भी आ सकते हैं लेकिन लडकियों का बसों में बैठकर या ट्रकों में बैठकर आना बडा मुश्किल है। इसलिये बारहवीं कक्षा के बाद इलाके की लडकियां आगे की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। गरीब किसान और गरीब लोग वहां रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तहसील का फागी और चाकसू में...।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें आप। मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह विद्यायल खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। वास्तविकता यह है कि यह छोटी-छोटी कोटडियों में, कमरो में महाविद्यालय खोल दिये जिसमें बच्चे-बच्चियां पढ नहीं सकते और ना वहां का शिक्षा का स्तर ऐसा होगा जैसा महाविद्यालयों में होना चाहिए। संसाधनों के बारे में आपने लिखा है कि अभी संसाधन नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि अगली साल हो जायें। अगली साल में संसाधन नहीं हैं तो 2007 में हो जायें, जब भी हो जायें तो आप चाकसू और फागी को वरीयता की सूची में रखें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें प्रश्न। आप प्रश्न पूछिये। भाषण देने खडे हो जाते हैं आप।

श्री रामसिंह विश्नाई : आने-जाने का साधन नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई प्रश्न...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार कब तक संसाधन जुटाने का प्रयास करेगी और कब तक महाविद्यालय खोल देगी। साथ में मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फागी विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय का खुद का भी क्षेत्र पडता है। जो चाकसू लगा हुआ है। आप विधान सभा में क्वेश्चन तो नहीं उठा सकते लेकिन इसके लिये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप महाविद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले बताया था कि राज्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में ऐसे सात सब डिवीजनल हैडक्वार्टर हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कालेज नहीं है। तीन जिला हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की सरकारी कांलेज नहीं है। राजस्थान में कुल महाविद्यालयों की संख्या 738 है, राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 116 है जिसमें कन्याओं की संख्या 339, निजी महाविद्यालयों की संख्या राज्य में 622 है। अब सवाल यह है कि आसपास नहीं है। वहां फागी और चाकसू के पास निवाई में भी है वनस्थली विद्यापीठ लडकियों का, जहां पर आप पढी हैं।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल नजदीक में ही है और इधर जयपुर में भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुरानी स्मृतियां ताजा हो गयीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर लालसोट में भी उनके पास है। लेकिन फिर भी लडकियों के जितने कालेज खुले हैं जहां तक प्राइवेट का आपने बताया कि छोटी-छोटी कोटडियों में खुल गये हैं, मैंने आदेश दिये हैं, निश्चित रूप से कमरों की साइज तय की है। उनकी जमीन का तय किया है, यू.जी.सी. के आधार पर लेक्चरर और प्रोफेसर लेने का तय किया है। इसमें कोई भी महाविद्यालय अगर इन शर्तों का पालन नहीं करे तो 6 महीने में उनका अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिलकुल निरस्त कर दिया जायेगा और अगले साल संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य सरकार जितने स्थानों पर गर्ल्स कालेज खोल सकती हैं उसमें आपका भी विचार किया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कालेज खोलने के लिए मानदण्ड आपने क्या-क्या तय किये हैं, बताने का कष्ट करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मानदण्ड हैं, संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे ज्योंहि संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे त्योंहि कर देंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा : हम अगर भवन बनाकर के आपकों दें। मंत्री महोदय अगर कन्या महाविद्यालय के लिए...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर भवन बनाकर देंगे कन्या महाविद्यालय के लिए तो थोडी बहुत हम भी मदद कर पायेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको किसने पुकारा?

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

363. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या सरकार "खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खादी और ग्रामोद्योग (श्री चुन्नीलाल धाकड़) : खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में योजनाएं पूर्व से ही संचालित हैं। "ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम" अन्तर्गत इकाईयां ग्रामीण क्षेत्र में लगाई जा सकती हैं। जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जन को तथा महिलाओं व अन्य आरक्षित वर्गो को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) देने का प्रावधान है। राज्य सरकार के आयोजना मद अन्तर्गत स्वीकृत "विधवा एवं परित्यक्ता महिला स्वरोजगार योजना" के तहत भी राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने हेतु विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में खादी उत्पादन में महिलाओं को खादी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कताई-बुनाई का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

श्री जीतराम : माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मार्जिन मनी योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी इकाईयां लगाई जाएंगी । दूसरा, मार्जिन मनी योजना का बजट कितना है? तीसरा, मेरे टोंक जिले में कितनी इकाईयां लगाई जानी हैं? कितनी लगाई गई और लक्ष्य क्या है?

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि टोंक जिले में इस वर्ष कितनी संख्या में इकाईयां लगाई गई? 25 इकाईयां प्रस्तावित हैं और मार्जिन मनी 25 लाख रुपये और 500 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रावधान है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि विधवा एवं परित्यक्ता महिला स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान में वर्ष 2004-05 में अब तक कितनी महिलाओं को ग्रामोद्योग लगाने के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 महीने हो गए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आते हैं तो मेरा दोष नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : मंत्रीजी सवाल से सम्बन्धित ही जवाब देंगे, आपका सवाल अलग से है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, इनके पास 2002 के आंकडे ही नही है, रेडी ओन आंकड़े हैं। इनकी सरकार ने भी कुछ किया क्या ? (व्यवधान) कितनी महिलाओं को रोजगार दिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुमत के बल पर हमको दबाना चाहते हैं। (व्यवधान) आप फैसला दीजिए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न पढ़ कर सुनाऊं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, कृपया स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, इस प्रश्न को मैं आपको पढकर सुनाती हूं। "क्या सरकार "खादी और ग्रामाद्योग बोर्ड" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं तो क्यों ?" प्रश्न केवल इतना है। फिर आप यह पूछ बैठे कि कितनी रजिस्ट्रीकृत हुई है? आपने यह पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सरकार ने जो नीति बनाई है, मंत्रीजी ने अपने जवाब में उसका जिक्र किया है। वह उससे सम्बन्धित ही पूछा है कि राजस्थान में अभी तक इस साल में कितनी महिलाओं को ऋण स्वीकृत किए, इससे ज्यादा क्या पूछा है अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने तो पूछा कि रजिस्ट्रीकृत कितनी हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : आप बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा : यह व्यवस्था आसन देगा, यह अधिकार आपको नहीं दिया है। (व्यवधान) बैठ जाइए, आसन पैरों पर है और आप व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : पिछले पांच साल में कांग्रेस के राज में कितने तबादले हुए वह मैं पूछ लेता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप पूरे पांच साल-पांच साल का रोना रोते रहो, पूरे पांच साल निकल जाएंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने जो अन्याय किया है, वह कोई कर नहीं सकता।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से, उसी के अनुदान से जन सेवा मण्डल, पावना में संचालित है लेकिन उसमें घाटों और घोटालों की जांच हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन क्या उनको हटाकर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने का मंत्रीजी विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। यह प्रश्न बिलकुल ही अलग है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : जो संस्थाएं/संघ घोटाला कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कराकर उनको नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे? खादी एवं ग्रामोद्योग से सम्बन्धित मामला है और मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कराइए मामले की।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिलेवेंट पूछा है और माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह प्रश्न अलग है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लोढा साहब ने पूछा उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूं कि विधवा एवं परित्यक्ता महिला स्वरोजगार योजना में

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

जानकारी राजस्थान खादी ग्रामाद्योग बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 392, दिनांक 17.1.2004 में दी गई है जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस योजनान्तर्गत 2002-03 में 25 लाख रुपये, 2003-04 में 25 लाख रुपये ग्रामाद्योग बोर्ड को राज्य सरकार से प्राप्त हुए। वर्ष 2003-04 में आवंटित बजट राशि 100 लाख रुपये में से 75 लाख रुपये की राशि अभी भी फ्रीज्ड है, प्राप्त राशि जिलों को आबंटित की जा चुकी है। अभी तक 14 इकाईयों में 5.72 लाख रुपये का ऋण वितरण हो चुका है। वर्ष 2004-05 में इस योजना में 50 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। वाह। नैक्स्ट क्वेश्चन । राकेश मेघवाल (अनुपस्थित)

श्री संयम लोढ़ा : आपने राजस्थान की विधवा और परित्यकता महिलाओं के लिए 50 लाख रुपये का बजट रखा है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने तो फर्जी आकंड़े दिए। (व्यवधान) आप कितने सही थे? कांग्रेस सरकार में कितने हुए? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्र शेखर बेद। आपको क्वेश्चन नहीं पूछना?

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने पैसे दिए गए ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : प्रश्न संख्या 70.

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : यह बता दिया न वर्ष 2003-04 में 25 लाख रुपये।

श्री अध्यक्ष : आपका क्वेश्चन है 365.

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया न। बैठ जाओ मंत्रीजी, आप तो बैठो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी। (व्यवधान) वह 364 वाले. ही इज एब्सेंट। 364 अब्सेंट, 365 (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : तारांकित प्रश्न संख्या 365.

श्री अध्यक्ष : 365 है आपका। हां. जवाब दें।

प्रश्न संख्या-364

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अन्धता निवारण कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि

365. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षो में अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कोई धनराशि का प्रावधान रखा गया था, यदि हां, तो कितनी, क्या यह भी सही है कि उक्त में से कुछ राशि व्यय नहीं की गई? यदि हां, तो व्यय नहीं की गई राशि का वर्षवार विवरण एवं कारण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कार्य को करने की इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि देकर बजट राशि एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उपलब्ध धनराशि से राज्य के सभी केटरेक्ट की बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज भारत सरकार/गैर सरकारी संस्थाओं से मिलकर कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जी हां। गत 3 वर्षो में अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजना भिन्न एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अनुमोदित बजट प्रावधान, संशोधित प्रावधान, वास्तविक व्यय तथा अन्तर की सूचना मय कारण के वर्षवार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को मोतियाबिन्द नेत्र आपरेशन हेतु 400/- रुपये व आई.ओ.एल. सहित आपरेशन हेतु 600/- रुपये प्रति नेत्र आपरेशन की सहायता (प्रोत्साहन राशि) के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

गत तीन वर्षो के लक्ष्य व उपलब्धि निम्नानुसार है-

(डा. दिगम्बर सिंह)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2001-02	2,10,000	1,96.835	93.73
2002-03	2,20,000	1,88,747	85.79
2003-04	2,20,000	2,26,747	103,10

(3) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण का कार्यक्रम का संचालन केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। यह कार्य स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी कराया जा रहा है। प्रति आपरेशन (नेत्र) 400 व 600 रुपये (आई.ओ.एल.) की सहायता भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। राज्य सरकार स्वयं/स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से केटरेक्ट से ग्रसत व्यक्तियों का इलाज करने का विचार रखती है, परन्तु यह सतत प्रक्रिया है जो चरणबद्व रूप से क्रियान्वित की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, आज राज्य में 9 लाख 31 हजार अन्धे पेशेन्ट हैं और 7 लाख 31 हजार पेशेन्ट तकरीबन केटरेक्ट से ग्रसित हैं, तो यह 7 लाख 31 हजार का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। प्रश्न नम्बर एक।

प्रश्न नम्बर दो, आपकी मोबाइल सर्जिकल यूनिट द्वारा जो आपरेशन किये जाते हैं उसके अन्दर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोगाम आलरेडी चल रहा है तो मेरा पूछना है मोबाइल सर्जिकल यूनिट से अन्धता के केटरेक्ट के पेशेन्ट के आपरेशन क्यों किये जाते हैं? क्योंकि मोबाइल सर्जिकल यूनिट में तो दूसरे आपरेशन होने चाहिए। एक तो प्रोगाम चल रहा है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोगाम, उसके अन्तर्गत आप मर्जी चाहे जितने आपरेशन कर सकते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से उसकी एड आती है। आपने बताया पहले 400 रुपये, आई.ओ.एल. लगाने के बाद 600 रुपये आपको केन्द्र सरकार से मिलते हैं तो फिर मोबाइल सर्जिकल यूनिट से आपेरशन क्यों करवाते हैं? अगर आप मोबाइल सर्जिकल यूनिट कराने वाले आपरेशन की लिस्ट देखेंगे तो ज्ञान होगा इनमें करीब-करीब 40 से 50 परसेन्ट केटरेक्ट के किये गये। जब एक प्रोगाम आलरेडी आपका चल रहा है तो मोबाइल सर्जिकल यूनिट से वो क्यों कराये जा रहे हैं?

डा. दिगम्बर सिंह : सबसे पहले आप अपनी सूचना को थोडा-सा करेक्ट करें। जितना नम्बर आप केटरेक्ट का बतातें हैं, 1995 में सर्वे हुआ था केटरेक्ट का. यह बात सही है टोटल जो ब्लाइंडनेस है उसमें से केटरेक्ट की वजह से जो प्रिवेलेंस है ब्लाइंडनेस का वह अधिक है, टोटल केसेज का 0.77 परसेन्ट केटरेक्ट की वजह से ही होता है। जो नम्बर आप बता रहे हैं यह 95 के सर्वे के बाद ज़ितना मैंने बताया कि कितने आपरेशन हम कर चुके है। चूंकि ब्लाइंडनेस क़ेटरेक्ट की वजह से होता है यह एक सतत प्रक्रिया है। हम मानते हैं, राजस्थान में हर साल करीब 16 हजार केटरेक्ट के पेशेन्ट होते हैं। उम्र बढती है आदमी के बाल साफ होते हैं, आदमी के पेशाब में रूकावट शुरू हो जाती है उसके साथ-साथ आंख से दिखना कम हो जाता है, तो यह तो ससत् प्रक्रिया है और इसलिए एवरेजली करीब 16 हजार केटरेक्ट के पेशेन्ट राजस्थान में, हम मानते हैं, हर साल होते हैं और जिस तरह से हमारा एचीवमेन्ट है हम निश्चित रूप से आपको कह सकते हैं अगले साल में, आने वाले समय में हमने करीब तीन लाख का टार्गेट रखा है और उसमें हम अपने इस परसेन्टेज को बहुत कम लेकर आयेंगे, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात आपने मोबाइल सर्जिकल कैम्प्स की कही है। मेडिकल सर्जिकल कैम्पप्स मल्टीपरपज कैम्प होता है, यह बैद साहब आप खुद भी जानते होगें उसमें आंख का आपरेशन न करें इससे जनता को फायदा होने वाला नहीं है। उसमें सभी तरह के आपरेशन होते हैं उसमें सारे सर्जिकल आपरेशन होते हैं उसमें साथ-साथ आंख के भी आपरेशन होते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं हम तो उसमें एडिशन ही कर रहे हैं, मोबाइल सर्जिकल कैम्प में उसको हम एड कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई की बात मैं नहीं मानता । इससे जनता को लाभ होने वाला है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा निवेदन यह है, मैं बिलकुल एक्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है जब आप मोबाइल सर्जिकल कैम्प में दूसरे आपरेशन कर सकते हैं और इसमें यूनियन गवर्नमेन्ट से आपको हंडेड परसेन्ट पैसा मिल रहा है 600 रुपये प्रति आपरेशन तो सारे के सारे इसमें क्यों नहीं करते?

नम्बर दो, आप यह देखिए आपने खुद ने कहा कि कितने पेशेन्ट प्रति साल बढ रहे हैं? इस हिसाब से तो यह 20 साल तक पूरा नहीं होगा और मैं आपसे निवेदन करूं एक विधान सभा क्षेत्र में 1300 आपरेशन प्रति एम.एल.ए. एक साल के अन्दर केटरेक्ट के करवा देता है तो आने वाले तीन साल के अन्दर आप यह कह सकेंगे कि राजस्थान में केटरेक्ट का बैकलाग बिलकुल खतम हो गया है। इसके लिए सरकार की कोई योजना है या नहीं है? है तो वह किस तरह है यही मैं जानना चाह रहा हूं और क्या

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

हम यह कोशिश कर रहे हैं जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है इसमें ज्यादा धन ऊपर से आ जाए, वो कभी मना नहीं करते. आप चाहे जितने आपरेशन कर रहे हैं उसके चार गुना भी करेंगे तो वे मना नहीं करेंगे। तो अपने यहां ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने की आपकी कोई योजना है या नहीं?

डा. दिगम्बर सिंह : अपने यहां ऐसा नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अपन ऐसा ही कर रहे हैं और ऐसा ही करने की योजना है क्योंकि यह योजना भी हमारी (व्यवधान) हमारा तो लक्ष्य जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं और इसमें नहीं करने का कोई प्रावधान नहीं है, हम तो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी बहुत प्रोत्साहन इस बात के लिए दे रहे हैं केवल गवर्नमेन्ट सेक्टर पर डिपेंडेट न होकर हम प्राइवेट सेक्टर पर भी जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी प्रोत्साहन के रूप में हम दे रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से जो स्वयंसेवी संस्थाएं है उनका काम बहुत सन्तोषजनक है। उनके काफी केटरेक्ट के मामलें में, क्योंकि मैं अपने जिले में भी देखता हूं बाकी जिलों में भी देखते हैं हर साल कितने कैम्प अपन लोग कराते हैं और कितनी सेवा मरीज की स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बार प्राइवेट हमने करीब 3 लाख केसेज के आपरेशन का रखा है और इसको हंड्रेड परसेन्टर से ज्यादा एचीव करके निश्चित रूप से केटरेक्ट की रेट कम लाएंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक लास्ट सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका एक स्थगित प्रश्न है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : लास्ट पूछ रहा हूं इसी से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका ही एक स्थगित प्रश्न है। आप चाहे तो उसे पूछ लें। प्रश्न संख्या 110 है। 15 जुलाई का स्थगित प्रश्न है। आप देखिए 110 ।

डा. चन्द्रशेखर बैद : प्रश्न संख्या 110.

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है। आपका स्थगित प्रश्न है, 15 जुलाई का स्थगित किया हुआ है। (व्यवधान) डाइग्नोस्टिक केन्द्रों का है। आज 110 पर है। आज का 110 माना जाएगा। 110 है।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तैयार होकर नहीं आये।

एक माननीय सदस्य : पहले नेक्स्ट कवेश्चन आएगा उसके बाद में इनका जवाब आएगा।

श्री अमराराम (धोद): ये तो उत्तर उतने ही लेकर आते हैं जितने इनको दिये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की जनता देख् रही है इस सरकार को। क्या सरकार है? यह क्या सरकार है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न का उत्तर नहीं, (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : मैं जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें, जवाब दे रहे हैं वों। (व्यवधान) आप तमाशा बता रहे हैं।

श्री अमराराम : (धोद) अध्यक्ष महोदय, असलियत बात यह है कि मंत्री महोदय उत्तर लेकर ही नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, आप उनका उत्तर सुनें।

डा. दिगम्बर सिंह : नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं आपका, आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब सुनिए।

डा. दिगम्बर सिंह : ऐसा है चिकित्सा से सम्बन्धित आप रात भर डिबेट कर लें मुझे दिक्कत नहीं है। प्रश्न कोई भी हो उसका भी कोई फर्क नहीं पडेगा। आप सुनें जरा, जवाब तो सुन लें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15 जुलाई, 2004)

निजी डाइग्नोस्टिक केन्द्रों द्वारा की जा रही जांचों की गुणवत्ता

110. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) राज्य में विभिन्न निजी संस्थाएं जो एक्स-रे. सोनोग्राफी एवं मेडीकल जांच का कार्य करती हैं उसके लिए मेडीकल स्टेण्डर्ड के अनुसार गुणवत्ता जांच करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा जांच आदि के लिए आवश्यक उपकरण आदि रखने हेतु कोई मानदण्ड निश्चित हैं? यदि हां, तो उनका विवरण एवं अब तक की गई मोनिटरिंग के निष्कर्ष सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसी संस्थाओं के लिए चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा जांच के लिए नियमानुसार कोई दर निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या ऐसे निर्देशों की पालना उक्त संस्थाओं द्वारा की जा रही है एवं उसकी सुनिश्चितता के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसी संस्थाओं द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सही एवं मेडीकल स्टेण्डर्ड के अनुसार न हो तो उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जी नहीं।

(2) चिकित्सा जांच सम्बन्धी उपकरणों में केवल सोनोग्राफी मशीन रखने के मानदण्ड निर्धारित हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार ने इस विषय में कोई नियम नहीं बनायें हैं।

(4) ऐसी निजी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के विषय में राज्य सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके (व्यवधान) काफी लोगों के पास यह सवाल नहीं है, मैं एक मिनट पढकर सुना देता हूं। क्या राज्य के विभिन्न (व्यवधान) आप देखिए कि कोई मापदण्ड अपने आज तक निर्धारित नहीं हैं। अपने यहां कोई मापदण्ड नहीं है कि जगह-जगह जो प्राइवेट डाइग्नोस्टिक सेन्टर खुल रहे हैं उनमें जो जांच हो रही हैं वह जांच सही हो रही है या नहीं हो रही. सरकार

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

का उसके ऊपर कोई नियन्त्रण भी नहीं है, नम्बर वन। नम्बर टू, वह जांच के कितने पैसे लेते हैं इसके ऊपर भी सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। तीसरा, उनके पास ठीक तरह के उपकरण हैं या नहीं हैं और उनकी सही रिपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रहा है उसमें भी सरकार का उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार आगे आने वाले समय में कोई ऐसी नीति बनाना चाहती है जिससे प्राइवेट डाइग्नोस्टिक लैब्स के ऊपर आपका अंकुश हो सके? उनका जो मूल्य निर्धारण करते हैं डिफरेन्ट टैस्ट का उसके ऊपर आपका कोई अंकुश हो सके और यह जांच कर सकें कि फलां डाइग्नोस्टिक लैब लगी हुई है उसमें काम्पीटेंट डाक्टर है या नहीं, टेक्निशियन है या नहीं और उस मरीज को जो रिपोर्ट मिल रही है जिसके आधार पर उसका ट्रीटमेन्ट होगा सही या गलत, वह उसको रिपोर्ट सही तरीके से मिल रही है या नहीं?

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस तरह का अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं है और मेरे ख्याल से पिछली सरकार ने, अगर बैद साहब पिछली बार आ जाते तो इसमें कोई सुधार आप करवा सकते थे परन्तु मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : केन्द्र में जो सरकार थी उसके लिए कह रहे हैं क्या आप? (व्यवधान) क्लिक एस्टेब्लिशमैंट एक्ट के नाम से पहले कोई प्रावधान करने की कोशिश की थी देश में, अब वह पता नहीं किस स्थिति में है परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार जल्दी ही इस मामले में कोई प्रावधान अभी तैयार कर रही है और अगर केन्द्र सरकार ने प्रावधान तय कर दिया तो निश्चित रूप से राज्य में हम सबसे पहले लागू करेंगे। मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी इसका पक्षधर हूं कि जितने भी लैब्स खुले हैं।

एक माननीय सदस्य : आप इसके पक्षधर हो फिर लफड़ा क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह : वह तो आमने सामने का मामला हो गया नहीं तो दोनों पक्षधर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यह चाहता हूं कि प्राइवेट हास्पिटल्स हों, चाहे प्राइवेट डाइग्नोस्टिक लैब्स हों मनमाने तरीके से जो पैसा वसूल करते हैं और आज आपको भी ताज्जुब होगा कि प्राइवेट हास्पिटल्स में भी ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, शहर का मरीज तो आज भी सिफारिश से ही सही, चाहे

(डा. दिगम्बर सिंह)

कैसे भी सही, सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पसन्द करता है पर ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति आज किसी भी नर्सिंग होम में चले जाएं, किसी भी लैब में चले जाएं, अगर लाइन मिलेगी तो गांव के किसान की, गरीब की लाइन आपको वहां मिलेगी। मैं भी चाहता हूं मेरी भी पीडा है कि इन पर भी कोई कण्ट्रोल सरकार का होना चाहिए और बहुत आवश्यक है कि डाइग्नोस्टिक लैब्स हैं उनमें कोई एजुकेटेड क्वालिफाइड आदमी वहां बैठे। अभी तक की स्थिति में तो आप सही कह रहे हैं कि अपन कुछ नहीं कह सकते। माइक्रोस्कोप में जो लैब्स को देख रहा है वह कितना क्वालिफाइड है, कितना क्वालिफाइड नहीं है मैं नहीं जानता। केवल एक सोनोग्राफी के लिए एक्ट बना है वह भी सैक्स डिटरमिनेशन को लेकर, इसके अलावा किसी के ऊपर कोई प्रावधान अभी तक नहीं है परन्तु अगर केन्द्र सरकार इसको लाती है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका स्वागत करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको तो आप भी बना सकते हो, केन्द्र बनाये नहीं बनाये। अगर आप यह मानते हो कि गरीब आदमी के, गांव के लोगों के साथ उपचार में अन्याय हो रहा है और वहां योग्य चिकित्साकर्मी नहीं हैं और पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं तो आप खुद ही बना लीजिए, केन्द्र की आड क्यों ले रहे हैं, यह तो स्टेट मैटर है, केन्द्र सरकार क्या करेगी?

डा. दिगम्बर सिंह : मैं तो माननीय सदस्य यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप केन्द्र सरकार का मत डालिए (व्यवधान) आप खुद अगर करना चाहते हैं तो You should prepare the Act.

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक 361 का प्रश्न स्थगित हुआ है, तीसरा नम्बर ही था, इस सत्र में जवाब दिला दें, इन्स्ट्रक्शन दे दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आपदा प्रश्न स्थगित प्रश्न है तो अगल टर्न के ऊपर उसका जवाब दे दिया जाएगा, आपको मैंने लिख दिया है।

श्री सी.डी. देवल : इस सत्र में ही दिला दें साहब।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में आपका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री सी. डी. देवल : थैंक यू।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा को वर्तमान सत्रान्त की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 29 जून, 2004 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम (धोद) एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अपहरण की घटनाएं बढ़ने एवं उन पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिमोहन शर्मा एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया को टालते हुए जनप्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संयम लोढ़ा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा दंगों से सम्बन्धित मुकदमों को वापस लेने में कथित भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति नवलगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा समिति के सदस्य को कथित जातिसूचक गालियां देने के सम्बन्ध में।.

(5) श्री हेमराज मीणा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला बारां में गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यो की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से गोगुन्दा में दिनांक 16.7.2004 को एक ड्राइवर के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सभी प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अस्वीकार किये जाते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : सी.आई. है वह एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, मुझे जो सूचित करना है वह सूचित मैं कर रही हूं, वह सूचना आप सुनें।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

(1) श्री कान्ती प्रसाद मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कतिपय गांवों के कृषि काश्त भूमि के खातेदारी हक स्थानान्तरण सुविधा देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर पंचायत समिति के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शालाओं के अधूरे कमरों के कार्य को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही तहसील के अणगौर ग्राम के भीमराम मेघवाल की असामयिक मौत के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से रायपुर तहसील मुख्यालय में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुरेश मीणा. सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों की भूमि के अवैध कब्जों को हटाकर भौतिक कब्जा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से शिक्षाकर्मियों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री खुशवीर सिंह जोजावर सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के सम्बन्ध में।

(8) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाडा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से कोटपूतली के जनाना अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से नावां विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(11) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार के मात्रीकूण्डिया बांध के डेड स्टोरेज पानी को आरक्षित रखने के सम्बन्ध में।

(12) श्री बीरूसिंह राठौड, सदस्य की ओर से जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना के वासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने की रोक को हटवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढने की अनुमति होगी।

जो चार पर्चियां प्राप्त हुई हैं।

(1) श्री संयम लोढा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, महावीर जयन्ती पर शराब की दुकानें खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बाबूलाल खराडी, मानसी वाकल बांध विस्थापितों की पेटे काश्त व 50 प्रतिशत सिंचाई हेतु पानी का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, छतरगढ विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर स्थित भूदान यज्ञ बोर्ड के आबंटी काश्तकारों की समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री बाबूलाल नागर दूदू की ग्राम पंचायत बोराज में अनुसूचित जाति की महिला सरपंच श्रीमती बादामी देवी को राजनीति द्वेषता से निलम्बित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को चार-चार मिनट तक बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान) 295

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की सरकार ने जिन लोगों के मकान जलाये गये, अनके घरों पर हमले किये गये और ऐसे संगीन अपराधों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमें वापस लेने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना के सम्बन्ध में...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मुकदमें थे वो मुकदमें वापस ले लिये गये और अल्पसंख्यक समुदाय जो मुकदमा दर्ज था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : क्या ऐसा सम्भव नहीं है कि आसन विराजें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठे, आप स्थान ग्रहण करें पहले। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपका 295 है, आपकी पर्ची भी है, आपंका स्थगन प्रस्ताव भी है। तीनों चीजों में आपने अपना नाम दिया है और उसके उपरान्त भी आप बिना नियमों के चाहे जब खड़े होकर चाहे जो कुछ बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सदस्यों को प्रताड़ित करना चाहिए। यह अध्यक्ष की कार्यवाही को बार-बार...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा सकता है। दिनांक 3.4.1973 को एक माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : स्थगन प्रस्ताव को जब आप हाउस में रिजैक्ट करें, यह आपका काम है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय. सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य यह बोल रहे हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार हुआ है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसको चर्चा में लिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। इसमें पूर्व कि मैं 295 के बारे में आपको पढने की अनुमति दूं, मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि सदन का यह प्रांगण किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं हो सकता कि कोई एक ही व्यक्ति खडा होकर के हर इश्चू पर, हर बात पर बोलने लग जाए। इस प्रांगण में सबका समान अधिकार है सबको बराबर बोलने का मौका मिलेगा लेकिन एक ही सदस्य बार-बार हर बात पर उठकर खडा हो जाए , में समझती हूं कि यह भी उचित नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नियमों के तहत अपनी बात कर रहे हैं। (व्यवधान) और नियमों में मुझे बोलने का अधिकार भी दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक सदस्य आदत से मजबूर है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : लेकिन इस विधान सभा की गरिमा को...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारी कांग्रेस पार्टी अपराध में है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके राज में जितने दंगे करवाये...(व्यवधान) इतिहास है उनका। (व्यवधान) अब आप क्या बात करते हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब तक कांग्रेस के समय 18 हजार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर दुर्भावनावश मुकदमें किये जाते हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, किसी के ऊपर भी हो।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

एक माननीय सदस्य : X X X

श्री भवानी सिंह राजावत : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

मोहम्मद माहिर आजाद : X X X

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप सुनिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री अमराराम : X X X

डा. सी. पी. जोशी : X X X

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। नहीं, पहले आप मुझे बोलने देंगे उसके बाद बात होगी बोलने की किसी की। (व्यवधान) माननीय धोद से आने वाले सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मुझे बडे अफसोस के साथ जो लोक सभा के प्रथम स्पीकर थे मावलंकर जी, उनका कुछ वहां पर डिसीजन दिया हुआ है, जो निर्णय दिया हुआ है, मैं दो लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं उसके बाद आपको कोई बात करनी हो मैं उसकी अनुमति दूंगी। वर्ष 1952 में इन्होंने रूलिंग दी थी। कोट किया है-

"Mavalankar believed that the Speaker's word in the House must have due significance and the rulings from the Chair must be obeyed by the members unfalteringly. About the Speaker's powers over the members, he said-

अब सुनिये-"I have already noted before that none of his decisions can be challenged even though he may be wrong. But apart from this, he exercises

(श्री अध्यक्ष)

a very effective power of control because of the rule that only that member can put a question or can speak who is called upon by the Speaker to do so."

मैं समझती हूं कि अंग्रेजी में समझ गये होंगे लेकिन जो नहीं समझे हैं, मैं उनको हिन्दी में भी इसका मतलब बता देती हूं। इसका मतलब यह है कि चेयर से जो भी व्यवस्था दे दी गई उसको कोई मैम्बर चैलेन्ज नहीं कर सकता है चाहे वह गलत हो। चाहे स्पीकर की रूलिंग बिलकुल गलत हो लेकिन उसे चैलेन्ज नहीं दिया जा सकता, न बोल सकता और वही मैम्बर बोलेगा जिसका नाम अध्यक्ष ने पुकारा हो, उसके अलावा दूसरा नहीं बोलेगा। इसलिए उसके बाद भी, और हाउस डिस-आर्डर में हो जाए तो इस हाउस को...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : X X X

श्री अध्यक्ष : ...पावर का मतलब...(व्यवधान) बात करते हो...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब मैं यह समझूं कि आज आप यह बिलकुल तय करके आये हैं कि आपको इसी तरीके से अव्यवस्था फैलानी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री जुबेर खान : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री कांती प्रसाद मीणा. 295 पढ़ेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : X X X

श्री जुबेर खान : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री जुबेर खान : X X X

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री जुबेर खान : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री जुबेर खान : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। नो नो। गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : X X X

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाह रहा हूं कि केसेज विदड्रा करने का काम कोई मैंने पहली बार शुरू नहीं किया है। हर सरकार के समय में केसेज को विदड्रा किया गया है। विदड्राअल की जो प्रकिया है, जिला प्रशासन से उसकी सूचना आती है, हमारे यहां पर विभाग उसका एनेलेसिस करता है, फिर उसके बाद राय बनकर हमारे पास आती है, उसके बाद में न्यायालय में जाने के बाद, स्वीकृति मिलने के बाद ही केस विदड्रा होता है। अब तक इस सरकार के आने के बाद केवल 122 केस विदड्रा हुए हैं, 68... (व्यवधान) एक मिनट, मैं कोई चीज छिपा नहीं रहा हूं। 122 केस विदड्रा हुए हैं, 68 केस जो विदड्रा होने के लिए आये थे, उन 68 केस को हमने निरस्त किया है, 68 केस अभी भी विचाराधीन हैं इसके पहले की सरकार ने भी पांच साल में, हमने तो यह सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही केस विदड्रा किया है, पूर्व सरकार ने एक सूची बनाकर एक साथ सारे के सारे केस बिना प्रक्रिया के विदड्रा किये गये हैं, जो हमनें नहीं किया है, यह ध्यान होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अमराराम (धोद) **:** X X X

श्री ओम बिरला : X X X

श्री हरिमोहन शर्मा : X X X

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री भवानी सिंह राजावत : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

श्री भवानी सिंह राजावत : X X X

श्री हरिमोहन शर्मा : X X X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अमराराम (धोद) **:** X X X

श्री हरिमोहन शर्मा : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप हार्ट पेशेन्ट हैं, क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं? आप हृदय रोगी हैं, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी बडी वैल-विशर हूं। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । नवलगढ से आने वाली माननीय सदस्या, क्या बात है, क्या बात है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री अध्यक्ष : आसन की बात सुनें आप । आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** X X X

श्री अध्यक्ष : Nobody will be allowed. Nobody will be allowed. Nobody will be allowed. No No.

आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर मिस्टर नागर। (व्यवधान) नवलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : आप यूं ही अपने गले को जोर से तकलीफ दे रही हैं। यूं ही अपने को तकलीफ दे रही हैं। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे मैं यह उम्मीद नहीं करती हूं।

श्री अमराराम (धोद) : X X X

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री अध्यक्ष :...और जब फेफडे बिलकुल फट जाये, तब बताना। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री अध्यक्ष : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो, अभी व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं उठाया जा सकता, फिर भी उन्होंने जो बात कही है, उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है...कि यह स्पीकर की मर्जी पर निर्भर करता है। स्पीकर समय किसी

(श्री अध्य...
को बोलने के लिए दे या नहीं बोलने का दे। ...
दे, नहीं चाहे तो नहीं बोलने ...
पढकर सुना दूं। आई केन कोट।

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री अध्यक्ष : हां सुनाती हूं, सुनाती हूं। आपको सुना रही हूं। आप सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री सी. डी. देवल : X X X

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा : X X X

श्री अध्यक्ष : The Speaker can refuse to call upon a member to put a question...(interruption)...Unless the members be have properly. वह स्पीकर की मर्जी की बात है। यदि मेम्बर प्रोपरली बिहेव नहीं करता है, नहीं बोलने दे उसको। यह उसका राइट है। स्पीकर का राइट है।

श्री अमराराम (धोद) : X X X (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री अमराराम (धोद) : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री अ...

श्री अशोव...

श्री अमराराम...

डा. बुलाकीदास...

व्यवस्था देती हैं हमारे शिरोध...
उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर...
3.4.1978 के अस्वीकृत स्थगन प्रस्त...
दिया जा सकता है, श्री ईश्वर चन्द्र, सदर...
जाने की व्यवस्था दिये जाने के बावजूद...
करने पर एक अन्य सदस्य ने व्यवस्था का प्र...
स्वीकार कर दिया कि उसमें कोई वजन नहीं...
... बाद भी यह उसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं,
... प्रावधान नहीं है कि इस तरह से डबल डिबे...
...र्चा होने के पक्ष में दलीलें दीं। इस पर अ...
... जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह ठीक...
... के अन्तर्गत है, जो उन्होंने कहा, वैसे है... ध्यान
... रही है कि ऐसे प्रश्नों पर भी अपने वि... होनी चाहिए
... दिया जावे। विरोध पक्ष में बैठकर व्यक्त करने के ... पन्द्रह वर्ष की

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री ओम बिरला : X X X

श्री सी. डी. देवल : X X X

श्री मांगीलाल गरासिया : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन

श्री रामनारा

श्री म

श्रीमती प्र

श्री अध्यक्ष :

व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य
स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्र

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

परम्पराओं का मुझे भी अनुभव हो चुका है, यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने हेतु विपक्ष का सहयोग प्राप्त किया जावे। विपक्ष का सहयोग प्राप्त करने के लिए और कोई अन्य चारा नहीं सिवाये इसके कि माननीय सदस्यों को मौका दिया जावे, अपने विचार व्यक्त करने का ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से ढंग से चल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है, आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं कि जब-जब सदन में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है, जिन-जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उनको दो-दो मिनट बोलने का मौका दिया जाता है। आज राजस्थान में इतनी भयंकर समस्या किसी की हो, जातिसूचक गालियां दी जावें, कोई मास्का तोडने के मुकदमों में, छह मुकदमों में पांच मुकदमे विथड्रा कर ले और माइनोरिटी का मुकदमा जो है, वह माइनोरिटी कम्युनिटी का मुकदमा दर्ज न करें, ऐसे मामलों में यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे और जो शांतिपूर्वक चयनित शिक्षक वहां स्टेच्यू सर्किल पर बैठे रहे उनके सिर फोड दिये जायें, अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया जाय, ऐसे मामलों में भी यदि सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाय, स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा तो हम यहां विपक्ष में किसलिए बैठे हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पुरानी परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए जो स्थगन प्रस्ताव आपने अस्वीकृत किये हैं उन पर दो-दो, तीन-तीन मिनट का मौका माननीय सदस्यों को देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : यदि स्थगन प्रस्ताव इतना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक मिनट आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहले हमारी बात सुन लें, फिर इनकी बात सुन लें। अभी कुछ दिन पूर्व भी आपने निर्ण[illegible] दिया. आपने स्वयं यहां पर स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देते हुए दो मिनट बोलने [illegible] ...जाजत दी, इसी सत्र में कुछ दिन पूर्व...

...ंगी मैं बताऊंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, 78 के अंदर जिस रूलिंग का हवाला प्रतिपक्ष के नेता ने दिया है, 78 के अंदर उस वर्ष अध्यक्ष थे महारावल लक्ष्मणसिंहजी। उन्होंने यह कहा है कि मैं पन्द्रह वर्ष विपक्ष में बैठकर आज इस कुर्सी पर बैठा हूं। आज हमारे पास, विपक्ष के पास सिवाय अपने, बाकी एक्ट करना, नहीं करना सरकार के हाथ में है। सरकार एक्ट करे, हम तो खाली कहकर रह जायेंगे। हम सरकार को उसके ऊपर एक्ट करने के लिए बाध्य तो कर नहीं सकते । जो भी नीति चाहे, जो भी प्रशासनिक कदम चाहे, लेकिन अगर आज हम जनता की समस्याओं को, वह भी ज्वलंत समस्या हो, अब इसी पर मैं आपसे, जैसे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, कि आप एक ही केस में क्रास केस हों, आप पांच के केस वापिस ले लें, एक का नहीं लें, आपकी मर्जी कि आप नहीं ले लेकिन आपका बिलकुल प्योरली डिस्क्रिशन है, आप लें या नहीं लें, आपकी इच्छा, लेकिन हमारे कहने से भी अगर आप रोकना चाहें यहां पर, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। कृपया आप केस की गम्भीरता को देखते हुए, हर स्थगन प्रस्ताव की गम्भीरता को देखते हुए निर्णय लें तो यहां शांति बढती जायेगी, दो मिनट, तीन मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त हो जायेगा सारा मामला, सरकार एक्ट करे, न करे, उनकी इच्छा है लेकिन अब कहने से भी यहां रहेंगे, उसी से अव्यवस्था फैलती है, सदन के अंदर लोग अपनी कहते हैं। यही बात मैं आपसे कहकर पुनः अपील करता हूं कि कृपया आप अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करके बोलने की व्यवस्था दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बोलने की अनुपति किसको दें किसको नहीं दें यह सर्वाधिकार आपके पास है और अध्यक्ष महोदय आप साक्षी रही हैं पिछले चालीस साल तक इस गरिमामय सदन की सदस्य रही हैं। वर्ष 1990 से मैं भी इस सदन में सदस्य हूं 1992 के बाद चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो कभी भी स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति मिली हो तो आप रिकार्ड में देख लें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ...(व्यवधान) आप विराजिये न...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सत्ता पक्ष दे ही नहीं सकता स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब इधर से प्रतिपक्ष वाले बोले तो ये कोई नहीं बोले और इनके खड़े होते ही आप बोलने लगे। यह तो कोई तरीका नहीं है आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजिये न।

श्री अमराराम (धोद) : सत्ता पक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नाम पुकारा मैंने इनका और आप बोलने खडे हो गये। माननीय राजाखेडा से आने वाले... सुनिये आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजिये न। विराजिये कामरेड।

श्री अध्यक्ष : जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो कोई नही बोला राजाखेडा से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए तो कोई नहीं बोला और इनके खडे होते ही आप पांच जने खड़े हो गये। यह क्या बात हुई? यह कौन सा तरीका है? उनको भी सुन लीजिये।

डा. सी. पी. जोशी :...(व्यवधान) आप तो सत्य बोलिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को इतना मालूम है सत्ता पक्ष के लोग स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं इतना ज्ञान मुझे भी है। विराजिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : अभी क्या कहा आपने दिखवा लो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विरोध का कोई स्थगन प्रस्ताव आज तक स्वीकार नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन यह किया था चाहे सत्ता उस पक्ष की रही हो...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सुनें तो सही इनको।

श्री अध्यक्ष : आप मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन यह किया था कि सत्ता चाहे इस पक्ष की रही हो, सत्ता चाहे उस पक्ष की रही हो। 1992 के बाद इस सदन में स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति नहीं दी गयी और उस वक्त पर्ची सिस्टम इसलिए इन्ट्रोडयूस किया गया था।

श्री अध्यक्ष : हां इसलिये इन्ट्रोडयूस हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि स्थगन प्रस्तावों पर, बहुत से स्थगन प्रस्ताव आते थे फिर दो मिनट की बजाय उसमें काफी समय आया करते थे. फिर यह तय हुआ कि इस तरह के सामूहिक विषय जो...।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल यही बात है यही मैं कहने वाली हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...जो निश्चित तौर पर सदन में आने चाहिए उस वक्त पर्ची सिस्टम इन्ट्रोडयूस किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आप खुद विराजे थे जब उधर, तब कितनी बार ये अभी गये हैं सरकार 7 महीने पहले आयी है इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत में एक बार भी स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति हमें मिली हो तो आप बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी कह लीजिये क्योंकि आपको तो कहना है ही कहिये आप भी कहिये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सदन में जो बात प्रतिपक्ष के नेता ने उठायी है और हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने यह बिलकुल मैं समझता हूं असत्य कह रहे हैं। वर्ष 1993 से मैं भी हूं आप भी 40 साल से है स्थगन प्रस्ताव जब भी रिजेक्ट किया जाता है बहुत सी दफा व्यवस्थाएं पहले इसी आसन से, आपके इस आसन पर आने के बाद भी रही हैं। आप भी चुरू से आने वाले माननीय सदस्य पांच साल में स्थगन प्रस्तावों पर रिजेक्ट होने के बाद 2-2 मिनट हमेशा बोलते रहे हैं और आज कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था ही नही है। पर्ची का तो केवल यह है अध्यक्ष महोदय, आपने दिया है मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि कुछ ऐसे स्थगन प्रस्ताव होते हैं जिनमें आप बोलने की अनुमति नहीं देते लेकिन आप लिस्ट करके ये चार जो स्थगन प्रस्ताव आये हैं और आपने व्यवस्था दी है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव भी है, 295 भी है, पर्ची भी है लेकिन मेरा तो आपसे निवेदन है कि नवलगढ से आने वाली माननीय सदस्या ने शायद चुनकर आने के बाद-पहला स्थगन प्रस्ताव दिया है। अमराराम ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है ऐसी अपरहण की घटनाओं के बारे में दिया है अमराराम तो रोज नही देता। आज अमराराम की न पर्ची है।

श्री अध्यक्ष : बोल लिये आप? आप बोल लिये?

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि स्थगन प्रस्तावों पर दोनों व्यवस्थाएं रही हैं लेकिन केवल आप यह व्यवस्था दें कि सिरोही से

(श्री अमराराम)

आने वाले माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव भी है फर्स्ट में उनका नाम बोला जाता है इसलिये मेरा तो आपसे निवेदन है जो आपने व्यवस्था दी है।

उस पर पुनर्विचार करें और जो गम्भीर प्रकृति के जो मामले हैं उनमें आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि वो इतनी महत्वपूर्ण घटना हो कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित करके उस पर चर्चा की जाए और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी पूर्व की सारी व्यवस्थाएं भी जब स्थगन प्रस्ताव कभी-कभी कोई महीने में एक महीने असेम्बली चलती थी तो मुश्किल से कोई एक या दो बार आता था और इसलिए उस समय दो मिनट, तीन मिनट का समय बोलने के लिए मिला करता था। स्थगत प्रस्ताव को आपने तो पर्ची की तरह से कर लिया। एक दिन के अन्दर 6 प्रस्ताव ले आये स्थगन प्रस्ताव। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह सही बात है कि स्थगन प्रस्ताव सत्ता पक्ष कभी नहीं देता है क्योंकि उसके देने का मतलब यह है कि अपनी सत्ता, अपनी सरकार के प्रति एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाना, उसके खिलाफ एक तरीके से कुछ कहना। वो केवल अधिकार है प्रतिपक्ष को लेकिन विपक्ष को भी महत्व तो समझना चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण इस तरह के सवाल आते हैं वहां दो-दो मिनट का समय मैंने भी दिया है, इसी सत्र में दिया है लेकिन उनकी नेचर, इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपने प्रश्न उठाया है वो कितनी गम्भीर प्रकृति का है वो विषय कितना गम्भीर है। ये इस तरह के प्रस्ताव दिये जाते हैं, खुद गृह मंत्री ने खडे होकर के संयम लोढ़ाजी का प्रस्ताव था, उसके बारे में खुद उन्होने कह दिया अपनी तरफ से खड़ा होकर कह दिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि सरकार की यह जिम्मेदारी है इसलिए उन्होने कह, दिया लेकिन यदि इस तरीके से एक-एक दिन के अन्दर 6-6, 8-8 आपने तो स्थगन प्रस्ताव को पर्ची समझ लिया। स्थगन प्रस्ताव के महत्व को समझिये आप कि स्थगन प्रस्ताव का महत्व क्या होता है... (व्यवधान) ...नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। मेरी व्यवस्था है। आप पहले मेरी व्यवस्था सुनिये इसलिए यदि कोई इतना महत्वपूर्ण विषय हो कि जिस पर दो मिनट का समय दिया जाना समुचित है तो निश्चित तौर से दिया भी है और आगे भी दूंगी लेकिन यह कोई मतलब नहीं है कि छोटे-छोटे विषय लेकर के और स्थगन प्रस्ताव के जरिये आप सदन के अन्दर 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक बोलते रहे और आगे का बिजनस जो है उसके लिए रात के 10 और 12 बजे तक इतना

(श्री अध्यक्ष)

समय होता जाए इसलिए मैंने इनको अस्वीकृत किया है और इसलिए बोलने का समय नहीं दिया है। यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, विषय आएगा तो समय दो मिनट नहीं चार मिनट भी दूंगी, पांच मिनट भी दूंगी इसलिए मैं मजबूर हूं और इस बारे में मैं अपनी व्यवस्था नहीं बदल सकती।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक महिला की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो...

श्री अध्यक्ष : महिला-बहिला कुछ नहीं होती है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : आप महत्वपूर्ण किसे मानती हैं? वो क्राइटेरिया बता दो।

श्री अध्यक्ष : अब श्री कांतिप्रसाद मीणा अपना 295 पढ़ेंगे।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अनुसूचित जाति की जनप्रतिनिधि की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो उसे बी.डी.ओ. वापस गालियां दें और आप महत्वपूर्ण ही नहीं मानें।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दे दी है यदि इस व्यवस्था को आपको नहीं स्वीकार करना है तो मत स्वीकार करिये आप। मैं अपनी व्यवस्था दे चुकी हूं। श्री कांतिप्रसाद मीणा।

श्री अमराराम (धोद) : सीकर जिला, कभी सीकर बंद हुआ, गंगानगर बंद हो गया। अपहरण करके मर्डर कर दिया और जिन्होने मर्डर किया...(व्यवधान)...

श्रीमती प्रतिभा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की जन प्रतिनिधि जिसकी एफ.आई.आर दर्ज नहीं हो और आप उसे महत्वपूर्ण ही न माने।

श्री अमराराम (धोद) : मुस्तगीस के साथ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय...(व्यवधान)...उनका मर्डर हो जाए...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है...

श्री अध्यक्ष : आपको समय दिया तो मुख्य सचेतकजी को भी बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा एक निवेदन है कि जो आपने व्यवस्था दी है उसके उपरान्त भी यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत हो तो हमेशा व्यवस्था यह रही है कि बजाय सारे सदन की कार्यवाही को रोकने के...।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : जो जवाब है वो बता दो न वो क्यों छिपाती है सरकार?

श्री महावीर प्रसाद जैन :...अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में मिला जा सकता है, अपनी शिकायत को वहां पर दर्ज करवाया जा सकता है। मान लो अध्यक्ष महोदय संतुष्ट नहीं हैं आप और ये कोई माननीय...(व्यवधान)...

श्रीमती प्रतिभा सिंह : आपसे कहां, मैं अध्यक्षजी से अनुमति मांग रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी फिर ये क्या व्यवस्था दे रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब ये बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके ऊपर नियम-कायदे लागू नहीं होते कुछ भी? माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों पर हमला करने वाले को...(व्यवधान)...और इनका मुसलमानों पर आरोप है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है?...(व्यवधान) फिर आप क्या कह रहे हैं?...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की कार्यवाही नहीं रोक सकते आप। आप अकेले नहीं हो 200 माननीय सदस्य हैं उनके भी अपने अधिकार हैं...(व्यवधान)... यदि आप असंतुष्ट हैं तो चैम्बर में जाकर मिलें। सदन की कार्यवाही (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको ज्यादा ज्ञान है क्या? आप अपना ज्ञान बता रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको ज्ञान जमीनें खाने का है। आपके पास कोई ज्ञान नहीं है...(व्यवधान)...आपको ज्ञान सिर्फ जमीनें खाने का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन की व्यवस्था के बाद आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कैसे सरकार की जमीन खायी जा सकती है आपको ज्ञान इसका है। आपको ज्ञान केवल इसका है...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप हमेशा अव्यवस्था फैलाते हो यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके और किया जा सकता है, यह ज्ञान है आपको केवल।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) ... हां सब ठीक है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल यह ज्ञान है और मैं पेश कर सकता हूं केवल यह ज्ञान है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मोशन ले आओ यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा सदस्य होकर के...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी की व्यवस्था के बाद में रोज खडे होकर के अपना ज्ञान बधारते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और सरकारी जमीनों पर आपके नाम से जो अतिक्रमण करते हैं यह ज्ञान है आपको...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय गृह मंत्रीजी, क्या आपने 5 केस वापस लिये वैसे ही वो छठी एफ.आई.आर. वापस लेने का विचार रखते हो क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये एफ.आई.आर. थी उनमें 5 एफ.आई.आर से सम्बन्धित मुकदमे विदड्रा कर लिये जो माइनोरिटी के ऊपर मुकदमा है क्या उसको भी विदड्रा करने का विचार रखते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : करोड़ो रूपयों की जमीनों पर कब्जा किया है यह ज्ञान है आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वो एक केस है उसको भी आप विदड्रा करने का विचार रखते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

मोहम्मद माहिर आजाद : X X X

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

मोहम्मद माहिर आजाद : X X X

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री संयम लोढ़ा : X X X

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी और उस व्यवस्था को...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे ध्यान में कोई आप विषय लायेंगे तो जैसे पूर्व में सारे जितने भी केस विथड्रा किये वह गुणावगुण के आधार पर किये, देख कर किये, पूरी प्रकिया करके किये। आप अगर कोई बात ध्यान में लायेंगे और अगर इसी प्रक्रिया में होकर गुणावगुण के आधार पर वह विथड्रा करने के लायक होंगे तो जरूर होगा। इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता केवल आपके मन में अंतर है तो मैं कुछ कह नहीं सकता।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कन्वीक्शन से यह जुडा हुआ है। एक केस फास्ट ट्रेक करके कन्वीक्ट कर दिया उसको आपने विथड्रा कर लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है हम कुछ कर भी दे तो कोर्ट इसको कभी विथड्रा नहीं करती और जब तक कोर्ट विथड्रा नहीं करते केस विथड्रा हो ही नहीं सकता और अन्तिम रूप से कोर्ट ही विथड्रा करती है।

श्री ओम बिरला : अन्तिम रूप से कोर्ट ही विथड्रा करती है जोशी साहब। सरकार अगर विथड्रा कर ले तो कोर्ट विथड्रा करती है, सरकार अन्तिम नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय गृह मंत्रीजी, आप यह चैक कर लें कि आपने गुणावगुण के आधार पर फैसला किया है तो आप यह चैक कर लें कि उनका कन्वीक्शन हुआ है। उस कन्वीक्शन के केस को तो विथड्रा करने का रिकमंड नहीं किया आपने. यह तो चैक कर सकते हैं आप। आप रिकार्ड में बोल दो. हम पूछ रहे हैं

(डा. सी. पी. जोशी)

कि जिस किसी व्यक्ति का फास्ट ट्रेक पर कन्वीक्शन हुआ क्या सरकार ने उस केस को भी विथड्रा करने का रिकमंड किया, यह चैक करके बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह तो बात ही अलग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने यहां विषय एकदम तुरन्त उठाया मेरे पास इस समय रिकार्ड उपलब्ध नहीं है पर मैं अपनी जानकारी के हिसाब से जिसमें कोई सजा हो गई हो उस केस को विथड्रा करने का सवाल होता ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह रहे हो कि अभी उठाया है, कल पूरे स्थगन में एक एक केस नम्बर, एफ.आई.आर. नम्बर सब लिखकर पूरी डिटेल दी हुई है आपको। आपको उसकी सूचना मिल गई होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप मुझे जानकारी देंगे इस प्रकार के पर्टीकूलर केस के बारे में तो मैं निश्चित रूप से उसको निकाल कर पूरा देखूगां देखने के बाद ही मैं सही जवाब देने की स्थिति में हूं। इस समय, एटरेंडम मेरे पास न तो उसका कोई रिकार्ड है न मैं उसके बारे में कोई जानकारी रखता हूं। मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कान्ती प्रसाद मीणा ।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के बाद, जो आसन से एक बार व्यवस्था दी जाती है उस पर पुनर्विचार नहीं होता है। अब नहीं सुनूंगी मैं। मैं व्यवस्था दे चुकी हूं, व्यवस्था नहीं सुनूंगी मैं। गलत बात,। श्री कान्तिप्रसाद मीणा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : महिला का प्रश्न नहीं है, यह सवाल व्यवस्था का है। किसी महिला पुरूष का सवाल नहीं है व्यवस्था का सवाल है, बिलकुल नहीं सुनूंगी। अंकित नहीं हो. अंकित नहीं हो।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री कान्तिप्रसाद मीणा (अनुपस्थित)। श्री नाथूराम अहारी।

श्री हेमराज मीणा : X X X

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, व्यवस्था के विपरीत मैं कुछ नहीं सुनूंगी मैं व्यवस्था दे चुकी हूं। पैरवी करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी। श्री नाथूराम अहारी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : You do not want to read? श्री संयम लोढ़ा।

श्री नाथूराम अहारी : मैं बोल रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हाउस को तो आर्डर में लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका मैंने नाम पुकारा आपने पढ़ना शुरू नहीं किया मैं क्या करूं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

डूंगरपुर पंचायत समिति की शालाओं के अधूरे कमरों का निर्माण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर पंचायत समिति में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शालाओं के अधूरे कमरों के कार्य को पूर्ण करने हेतु क्रमांक शिविरा/प्रार/सा.पु./डी.3100/2003-04/55 दिनांक 2.1.2004 द्वारा 3,30,000 रुपये मंजूर होने के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 2.1.2004 को कार्यालय निदेशक शिक्षा, राज. बीकानेर द्वारा पंचायत

(श्री नाथूराम अहारी)

डूंगरपुर के रा.उ.प्रा. विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के कमरों की दुरस्ती करने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत किये ।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : आप कल पर्ची दीजिए, या 295 दीजिए । मैं आज नहीं सुनूंगी, मैं व्यवस्था दे चुकी हूं, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : किसी और नियम में आइए आप, स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : X X X

श्री नाथूराम अहारी :...उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर को दिया था यह कार्य मार्च में पूरा करना है। उस अनुसार विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई और निम्न प्रकार से रकम स्वीकृत की गई। रा.उ.प्रा.वि. मांडवा 1.50 लाख, नया डेरा 30 हजार, समोता 50, उ.प्रा.वि. खजुरिया 50 एवं नराणिया 50 हजार की स्वीकृति दी गई। ठेकेदारों ने मार्च में ही कार्य पूरा कर लिया लेकिन आज दिन तक उसका पेमेंट नहीं आया है।

मेरा शिक्षा मंत्री और सरकार से निवेदन है कि यह गम्भीर समस्या है अत: इस राकश का तुरन्त पेमेंट कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढा।

अणगौर ग्राम के सिरोही के भीमाराम मेघवाल की असामयिक मौत के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत अणगोर के भीमाराम मेघवाल की असामयिक मौत के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, सिरोही तहसील के अणगौर ग्राम के भीमाराम मेघवाल की असामयिक मृत्यु के मामले में भारी उचित कार्यवाही न होने से सिरोही जिले के मेघवाल समाज में नाराजगी है। इस सम्बन्ध में सिरोही पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेघवाल समाज के हजारों लोगों ने मंगलवार को सिरोही में प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। मैंने भी बुधवार को गृह मंत्रीजी से व्यक्तिगत मिलकर मेघवाल समाज के लोगों के सम्बन्ध में अवगत कराया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिये सिरोही पुलिस को निर्देश प्रदान करें जिससे पीडित पक्ष को न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 23 तारीख को ही जिसने झाड-फुंक करने के लिये अपने यहां बुलाया, बच्चा वहां दम घुटने से मरा उसको गिरफतार कर लिया है। आगे की कार्यवाही चल रही है। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था जिस दिन आपने विषय खडा किया था।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों ने परसों पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है उसको 304 में गिरफ्तार किया है।

श्री अध्यक्ष : क्या करते हैं आप लोग बीच में खडे हो जाते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है.........

श्री अध्यक्ष : आपको कितना महत्व देते हैं गृह मंत्रीजी कि आपकी हर बात पर खडे होकर जवाब देते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : बड़ी कृपा है, अध्यक्ष महोदय, आपकी भी कृपा है और उनकी भी कृपा है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गिरफ्तारी हुई 304 में, उसके तीन दिन बाद परसों मेघवाल समाज के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ पूरे जिले के मेघवाल समाज के लोगों में भारी असंतोष है। हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है और जिसके खिलाफ करवाया है उन

(श्री संयम लोढ़ा)

सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मात्र एक व्यक्ति को 304 में गिरफ्तार किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें और निष्पक्ष कार्यवाही करवाएं जिससें पीडित पक्ष को पूरा न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष : 295 का भी जवाब उन्होंने तो एक मिनट में दे दिया।

श्री सी. डी. देवल : आप कहते हैं मेरी तरफ ध्यान नहीं जाता, आज आपकी तरफ बार-बार ध्यान जा रहा है।

रायपुर तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर इस ओर बहुत कम पडती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत तहसील रायपुर जिला पाली के मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने एवं ग्राम चण्डावल मे उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष राज्य के अधिकांश तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय खोले गये। किन्तु तहसील रायपुर जिला पाली के मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नहीं खोला गया है। रायपुर तहसील में 36 पंचायत हैं और वर्तमान उपखण्ड कार्यालय जैतारण से बहुत अधिक दूरी पर है। अत: रायपुर तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोला जाये ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके।

रायपुर तहसील में पूर्व में सेंदडा में उप तहसील चल नहीं रही थी सारे मकानात बने हुए हैं लेकिन उसे बन्द कर दिया है। रायपुर तहसील मगरा क्षेत्र में आई हुई है। बाबरा सुमेल, प्रतापगढ इत्यादि गांव बहुत दूर हैं जिससे काश्तकारों को दिन प्रतिदिन के कार्यों में बहुत परेशानी होती है। अत: सेंदडा में शीघ्र उप तहसील खोली जावे। ताकि बाबरा, सुमेल, प्रतापगढ, रातडिया, सेंदडा, झाला की चौकी, गिरी बूटीवाल इत्यादि ग्राम पंचायत के लोग आसानी से राजस्व सम्बन्धित कार्य आराम से निपटा सके।

विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष बगडी में उप तहसील खोली गयी। इस उप तहसील का मुख्यालय चण्डावल होना चाहिये, क्योंकि चण्डावल, अटबडा और

(श्री सी. डी. देवल)

गुडाबींजा के बीच में आया हुआ है जिस कारण काश्तकारों को चण्डावल में ही फायदा है बगडी आखिरी किनारे पर है इसलिए काश्तकारों को बडी परेशानी का सामना करना पडता है। बगडी उप तहसील के करीब-करीब सभी सरपंचों ने भी बगडी उप तहसील का मुख्यालय चण्डावल करने के लिए निवेदन किया है, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत: या तो बगड़ी उपतहसील का मुख्यालय चुण्डावल कर दिया जावे, यदि सम्भव नहीं हो तो साण्डिया, बोयल, छीतरिया, अटबडा चण्डावल, बासना, गुडावच्छराज, मुरडावा, करमावास पट्टा इत्यादि गांवों को पुन: सोजत तहसील में डाल दिया जावे, ताकि इन गांवो के काश्तकारों को आने-जाने में ज्यादा सुविधा रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा।

अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जे

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि स्वतंत्रता के 57 वर्ष बाद भी राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचारों का सिलसिला रूका नहीं है। सामन्तवादी एवं मनुवादी ताकतें आज भी विभिन्न तरीकों से दलित तथा आदिवासी वर्गो पर अत्याचार कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में लागू होने के बाद भी इस अधिनियम की कडाई से पालना नहीं हो रही है। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति की हजारों हैक्टर भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि उपखण्ड अधिकारी तथा पुलिस वृत्ताधिकारी इन वर्गो की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर इनका भौतिक कब्जा दिलाएंगे लेकिन अधिकारियों द्वारा इस नियम की पालना नहीं हो रही है। अधिनियम लागू होने के बाद कितनी भूमि पर दलितों तथा आदिवासियों को कब्जा दिलाया गया तथा जिन अधिकारियों ने इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई? दलित एवं आदिवासियों की कितनी भूमि पर अब भी अवैध कब्जा है इसकी जानकारी राज्य के सभी जिला कलक्टरों से ली जावे, उसे हटाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? एस.सी., एस.टी. एक्ट का औचित्य क्या है जब इसके उपबन्धों की पालना ही नहीं हो रही है। अत: उक्त प्रकरण पर प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत जांच करवाकर न्याय दिलाने की व्यवस्था दिलावें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर घटना घटित हो रही है।

श्री अध्यक्ष : 295 के बीच में क्या कर रहे हैं?

श्री हेमराज मीणा : आप मेरा 295 पूरा होने दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा अर्ज करना यह है कि सदन में सरकारी मुख्य सचेतक चुपचाप बैठ जाएं और मुझे तो आपसे प्रोटक्शन चाहिए। (व्यवधान) चुपचाप शब्द हटाने का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बात करते हैं। श्री हेमराज मीणा। आप, स्थान ग्रहण करें।

शिक्षा कर्मियों को वरिष्ठता का लाभ एवं तृतीय वेतन श्रृंखला दिलाने बाबत

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवदेन है कि शिक्षा कर्मी 18 वर्षो से क्षेत्र में कार्यरत हैं। योजनानुसार 8-10 वर्ष पूर्ण करने के बाद शिक्षा कर्मियों को वरिष्ठता का लाभ (तृतीय वेतन श्रृंखला) देना निश्चित है। यह लाभ पूर्व में कुछ शिक्षा कर्मियों को दिया गया है। राजस्थान में 163 एवं शाहाबाद पंचायत समिति में 8 शिक्षाकर्मी वरिष्ठता का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद शिक्षा कर्मियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है। क्षेत्र में शिक्षाकर्मी 18 वर्षो से कार्य कर रहे हैं। अधिकतर शिक्षाकर्मी वरिष्ठता के लाभ के हकदार हैं लेकिन सरकार एवं शिक्षाकर्मी बोर्ड की शोषणपूर्ण नीतियों के कारण शिक्षाकर्मियों की आर्थिक एवं मानसिक स्थिति दयनीय बन रही है। 1800 रुपये पर कार्यरत हैं। योजना के अनुसार शिक्षाकर्मियों का वेतन प्रतिवर्ष बढ़ाना तय है लेकिन 1988 से आज तक वेतन नहीं बढाया गया। जबकि 4 वर्षो से कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का मानदेय 2800 रुपये मासिक है। वर्तमान में डी.पी.सी. की बैठक में शिक्षाकर्मियों का मानदेय मात्र 2000 रुपये बढाना निश्चित किया है जबकि 1998 से शिक्षाकर्मियों का वेतन 1800 रुपये था । यह शिक्षाकर्मीयों तृतीय वेतन श्रृंखला के हकदार है। अत: श्रीमान् से निवेदन है कि शिक्षाकर्मियों को वरिष्ठता का लाभ व तृतीय वेतन श्रृंखला दिलवाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

खारची विधान सभा क्षेत्र की 12 पंचायतों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में, जो कि सबसे पिछडा क्षेत्र है, जिसमें 12 पंचायतें पहाडी क्षेत्र में स्थित हैं, वहां आबादी बिखरी हुई है, सड़क व यातायात के साधन बिलकुल नहीं हैं। ऐसे गांवों में चिकित्सा सुविधा सरकार को उपलब्ध करानी चाहिये। वहां पर ए.एन.एम. सब-सेण्टर खोले जाने चाहिए। जैसे बंसोर, सिंचीयावार, आसन जोधवन, कांकलावास, गुडा देवदान, गुडा सूरसिंह पी.एच.क्यू., तथा सिरीयारी जहां पर पी.एच.क्यू. की सख्त आवश्यकता है, वहां पर जैन धर्म का बहुत बडा तीर्थ स्थान है, वहां रोजाना 5-7 हजार लोग दर्शन करने आते हैं। खिलाडा गांव में एक करोड़ रुपये की लागत का भवन दानदाता द्वारा बना हुआ है। वहां पी.एच.क्यू. तो है लेकिन एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की आवश्यकता है। महिला चिकित्सक का पद सृजित करना चाहिए तथा मारवाड जंक्शन में सी.एच.सी. है जहां एस.एम.ओ. का पद रिक्त है, साथ ही तीन डाक्टर के भी पद रिक्त पडे हैं। बांता पी.एच.सी. में डाक्टर का लम्बे समय से पद रिक्त पडा है जहां कुछ दिन पहले दो महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गयी थी। दांभली पी.एच.सी. में डाक्टर का पद रिक्त पडा है। जनता में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से भारी रोष व्याप्त है।

साथ ही बासनी जोजावर के होम्योपैथिक चिकित्सालय को डाक्टर सहित हवामहल में स्थानान्तरित कर दिया गया। डाक्टर साहब जाना चाह रहे थे हवामहल में और हमारा चिकित्सालय भी वहां स्थानान्तरित कर दिया गया है तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह चिकित्सालय वापस मेरे विधान सभा क्षेत्र वासनी जोजावर में लाया जाए। डाक्टर साहब अपने स्थान पर आना चाह रहे थे जयपुर में तो वह चिकित्सालय सहित डाक्टर का स्थानान्तरण जयपुर में कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप 295 के अलावा भी बोलने लगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : यह अन्याय हुआ, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि डाक्टर ऐसे हैं जो चिकित्सालय सहित जाते हैं। पूर्व में तो सुना था कि हनुमान पहाड लेकर चले गये लेकिन ये तो चिकित्सालय भी लेकर चले जाते हैं, ऐसे डाक्टर भी है, उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

बांसवाड़ा जिले के रिक्त अध्यापकों के पदों को भरे जाने विषयक

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बांसवाडा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षो से निरक्षरता के कलंक को मिटाने के लिए राज्य सरकारों ने साक्षरता आन्दोलन के माध्यम से करोड़ों रुपया फूंक दिया। दूसरी ओर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय से लेकर सीनियर माध्यमिक विद्यालयों तक में अध्यापकों के पद जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। पिछली सरकार ने भी अतिथि अध्यापकों के माध्यम से पांच साल निकाल दिये। आपकी सरकार ने भी अतिथि अध्यापक लगाने की मंशा जाहिर की है। हमें यह महसूस हो रहा है कि गरीब आदिवासी माता-पिता गाढी कमाई से बालक के बौद्धिक विकास के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा में आगे आएं। आज स्थिति यह है कि छात्रों के पास न तो पुस्तकें हैं न विद्यालय में बैठने का कमरा है, न शिक्षक हैं, तो आखिर इन गरीब छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। राज्य सरकार गरीब छात्रों की ओर गम्भीर क्यों नहीं है।

मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो अध्यापक शहरी कस्बों में एक-एक स्थान पर 15 साल से जमे हुये हैं, छात्र संख्या के अनुपात से अधिक अध्यापक जहां भी लगे हों, अविलम्ब जांच कर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों के लम्बे समय से रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

कोटपूतली जनाना अस्पताल में गायनोकोलोजिस्ट का पदस्थापन विषयक

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली के जनाना अस्पताल में जब से पोस्टमार्टम सेण्टर को खतम किया गया है तब से वहां के चिंकित्सक और उनसे सम्बन्धित स्टाफ को हटा देने के कारण प्रसूति महिलाओं को बडी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल में गायनोकोलोजिस्ट की कमी व पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल की हालत दयनीय हो गयी है। प्रसूति महिलाओं को प्रसूति के समय तथा प्रसूति के बाद चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने के कारण महिला रोगियों को अत्यधिक पीडा का सामना करना पड रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जनाना अस्पताल कोटपूतली में गायनोकोलोजिस्ट चिकित्सक तथा चिकित्सा सहायक स्टाफ की शीघ्र नियुक्ति कर महिला रोगियों को राहत पहुंचाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली सिटी डिस्पेंसरी में पिछली सरकार के समय चिकित्सक लगाने कें निर्देश दिये गये थे लेकिन वे निर्देश तात्कालिक थे जिसके कारण कोटपूतली के भगवानदास मोरीजावाला अस्पताल से कुछ समय के लिए डेपुटेशन पर चिकित्सक लगा दिया गया और कुछ समय बाद इस व्यवस्था को हटा लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि कोटपूतली कस्बे की आबादी 60 हजार से ज्यादा है इसको ध्यान में रखते हुए कोटपूतली सिटी डिस्पेंसरी में एक चिकित्सक और स्टाफ स्थाई रूप से लगाने का कष्ट करें ताकि कस्बे के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिस्पेंसरी 50 वर्ष पूर्व से बनी हुई है और इसका लाभ वृद्व लोगों, बच्चों और कस्बे के निवासियों को मिलता रहा है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कोटपूतली सिटी डिस्पेंसरी में चिकित्सक मय स्टाफ तथा महिला चिकित्सालय में गायनोकोलोजिस्ट व स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र कर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीशचन्द्र कुमावत।

नावां विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निवारण बाबत

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : अध्यक्ष महोदय, नावां विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, ग्राम पांचवा की मौजूदा आबादी करीब 4000 है। इसी प्रकार इस पंचायत के ग्राम भैरूपुरा की आबादी 1000 व मूनपूरा की आबादी 1100 है। इस प्रकार इस पंचायत की कुल आबादी 6000 है परन्तु ग्राम पांचवा में पीने के पानी की भयंकर किल्लत है। यहां पर प्रधान मंत्री घोषणा के तहत हैण्डपम्प हेतु विधायक कोटे से 10 प्रतिशत राशि भी स्वीकृत कर दी गयी थी वह हैण्डपम्प अभी तक नहीं बनवाये गये हैं। यहां की जल संवर्द्धन योजना रुपये 73.50 लाख की प्रस्तावित कर जयपुर मुख्यालय में स्वीकृति हेतु भेजी गई थी वो भी अभी स्वीकृत नहीं की गई है। इस कारण भयंकर पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार ग्राम रेवासा-दलेलपुरा जिसकी वर्तमान आबादी लगभग 2500 है, वहां पर निर्मित ओपन वैल में पानी की आवक समाप्त हो गई है। उन्हें गहरा कर 200 मीटर हारिजेन्टल बोर कराया जाना प्रस्तावित किया गया था व पम्प-सैट अधिक हैड का प्रस्तावित था। इस कार्य पर अनुमानित लागत 2.50 लाख रुपये थी जिसका प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय को ग्रीष्मकाल. 2004 आपात व्यवस्था में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था परन्तु वहां के कुओं में यह कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। जिससे वहां पर पानी की किल्लत हो रही है।

इसी प्रकार प्रधान मंत्री घोषणा के तहत अन्य स्थानों पर भी विधायक कोटे से 10 प्रतिशत राशि जमा करवायी जाकर जहां-जहां हैंण्डपम्प स्वीकृत कराये गये हैण्डपम्प अभी तक नहीं बनवाये गये हैं। ग्राम-राजलिया में भी हैण्डपम्प का कार्य

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

अधूरा पडा है। ग्राम–भूणी में चारणो की ढाणी में विधायक कोटे से पाइप लाइन डाली गई परन्तु उसे जलस्रोत से जोडकर अभी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम–सरदारपुरा, ग्राम-भूणी में गुर्जरो की ढाणी के पास स्थित राजीव गांधी पाठशाला के पास तथा ग्राम पांचवा में बावड़ी के पास ट्यूबवैल बनाया जाकर ग्राम पंचायत भूणी की चारणों की ढ़ाणी व गुर्जरों की ढाणी तथा सरदारपुरा व बीजापुरा में पीने के पानी की समस्या का हल किया जा सकता है। प्रधान मंत्री घोषणा के तहत विधायक कोटे की राशि सम्मिलित कराते हुए जो हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे उन हैण्डपम्पों का काम एक ऐसे ठेकेदार को दे रखा है जो वतर्मान सरकार का विरोधी है। इस कारण जो हैण्डपम्प लोक सभा चुनावों से पहले निर्माण करवाये जाने थे जानबूझकर उसमें विलम्ब किया गया तथा गर्मी का पूरा समय सरकार को बदनाम करने की नीयत से यूं ही पास कर दिया व अब भी इन हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। इस कारण इन्हें ब्लेक लिस्टेड किया जाना चाहिए तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अन्य व्यवस्था कर इन हैण्डपम्पों का निर्माण शीघ्र करवाये।

वर्तमान में अकाल जैसी स्थिति बन रही है। यदि समय रहते समर-कंटिजेंसी में नये ट्यूबबैलों व हैण्डपम्पों का निर्माण नहीं करवाया गया तो पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचेगी। जो ट्यूबवैल जैसे– शेषमां का बास व दोलतपुरा ग्राम पंचायत, अडकसर में पूर्व में स्वीकृत थे, उनमें विद्युत कनेक्शन, पम्पसैट इत्यादि लगाकर शीघ्र इन्हें जनोपयोगी बनाया जाए।

मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये कार्य शीघ्र करवाये जाए, ऐसा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल जीनगर।

मात्री कुडिया बांध (गंगरार) के डेडस्टोरेज पानी को आरक्षित किये जाने बाबत

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

महोदय, विधान सभा क्षेत्र गंगरार में स्थित मेवाड का तीर्थ मात्री-कूण्डिया में सिंचाई विभाग द्वारा बनास नदी में मात्री कूण्डिया बांध बनाया गया है। पिछले सालों से अकाल पडने के कारण इस बांध में पानी नहीं आ रहा है। बांध भरने पर कुछ पानी दरीबा माइन्स को ले जाने का अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है। बांध में जीरो लेबल के बाद डेड स्टोरेज पानी को ले जाने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। डेड स्टोरज पानी का उपयोग मवेशियों, जंगली जानवरों, पशु-पक्षियों के काम आता है। लेकिन दरीबा माइन्स द्वारा डेड स्टोरेज पानी को भी पम्पसैट लगाकर ले जाने का प्रयास किया जाता रहा है।

अत: मेरा निवेदन है कि मात्री कूण्डिया बांध के डेड स्टोरेज पानी को आरक्षित रखवाने का आदेश प्रदान कराये ताकि क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर बीरूसिंह राठौड़।

पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर में पीने के पानी की समस्या

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क, जयपुर की कुल 11618 बीघा भूमि पर पृथ्वीराज नगर योजना है। इसमें से 4169 बीघा भूमि पर पूर्ण निर्माण किया जा चुका है एवं 3290 बीघा भूमि पर आंशिक निर्माण है। इस प्रकार लगभग 7459 बीघा भूमि पर 114 आवासीय कालोनीज बसी हुई हैं। इन कालोनीज में लाखों की संख्या में सभी वर्ग के नागरिक निवास करते आ रहे हैं। मनुष्य के जीवन की मूल आधारभूत आवश्यकता पेयजल पृथ्वीराज नगर वासियों को उपलब्ध नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में नवीन निर्माण पर रोक लगायी हुई है। लेकिन नोडल विभाग जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी सार्वजनिक सूचना के बिन्दु नम्बर-10 में सम्बन्धित विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को यह निर्देशित किया है कि-"उक्त योजना में किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं हो इस हेतु प्रभावी कार्यवाही करें।" जैसे नये निर्माण के अस्थाई कनेक्शन/पानी/बिजली के लिए जारी नहीं किये जाए। इसकी आड में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पृथ्वीराज नगर में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रहा है।

अत: इस उल्लेख प्रस्ताव के जरिए मांग करता हूं कि पृथ्वीराज नगर की 20-25 वर्षो से बसी हुई घनी आबादी क्षेत्र की 114 आवासीय कालोनीज के बाशिंदों को, जो घोर पेयजल संकट से जुझ रहे हैं, सरकार द्वारा उन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जाए। नोडल अधिकारी के निर्देशों की पुन: समीक्षा की जाए। माननीय राजस्थान उच्च

(13.15 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

न्यायालय द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी गतिवधियों पर रोक लगाई गई है। जीवन आधार पेयजल पर रोक लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पृथ्वीराज नगर योजना में रहने वाला आम नागरिक हो चाहे किसी अपूव्ड कांलोनी में रहने वाला हो, जीवन की आधारभूत आवश्यकता पेयजल सभी का अधिकार बनता है। उक्त क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने में यदि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अवहेलना का आभास होता है तो पेयजल उपलब्ध करवाने बावत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से आवश्यक दिशा– निर्देश हेतु राज्य सरकार की ओर से निवेदन/प्रार्थना की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

धार्मिक पर्वों पर शराब की दुकानें खोलने का निर्णय

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल राजस्थान में जब सूखा पडा हुआ था तब एक यात्रा निकली। इस बात के लिए कि उस सूखे में कमल कैसे खिलाया जाए? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर में चुनाव हुए और सूखा पीडित इस जनता ने कमल को तो खिला दिया पर कमल खिलाने के बाद इन आठ महीनों में राजस्थान की जनता को क्या मिला ? उपाध्यक्ष महोदय. जो रूद्राभिषेक मंदिरों में होता है इस सरकार ने उसको मुद्राभिषेक में बदल दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान महावीर जिन्होने पूरे हिन्दुस्तान को उस समय अपनी देशना दी तब यह

(श्री संयम लोढ़ा)

समाज अराजकता से जल रहा था और उन्होंने जातिविहिन समाज की कल्पना को साकार करने के लिए एक सोच और विचार दिया।

श्री मदन दिलावर : भगवान महावीर के प्रवचन हो रहे हैं क्या यहां?

श्री संयम लोढ़ा : उस भगवान महावीर के जन्म दिवस पर हमारे आज तो (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से वरिष्ठ हैं और आपका लम्बा अनुभव है।

इन 55 वर्षो के स्वाधीनता के शासन में एक नीति बनाई जिसमें इस बात की कोशिश की कि हमारे धर्म और संस्कृति को आगे कैसे बढाया जाये, धर्म और संस्कृति के मूल्यों से नई पीढी को कैसे जोडा जाए? समाज में उन मुल्यों की स्थापना के लिये प्रयास कैसे किया जाये लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने महावीर जयन्ती पर शराब की दुकाने बन्द रहती थीं, वह शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया, इस सरकार ने किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण, जिन का नाम देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सम्मान से लिया जाता है और– कर्मण्र्येवाधिकारस्ते मा. फलेषु कदाचन जैसा दर्शन न केवल भारतीय समाज को बल्कि पूरी दुनिया को दिया और हमारा राजस्थान मीरा का प्रेम, मीरा की गाथा और उनकी किंबदंतियां, पूरे राजस्थान का गौरव है और इस सरकार ने इन भगवान श्रीकृष्ण के जन्म दिवस पर जन्माष्टमी पर 55 साल में जो शराब की दुकारे वंद रहा करती थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने वह शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान शिव, जिनकी वेशभूषा हिन्दुस्तान के लोगों के लिये एक अलग आकर्षण रखती है, हिन्दुस्तान का आम आदमी उनके कृतित्व में, उनके व्यक्तिगत में खुद को साकार रूप से ढूढंने की कोशिश करता है। शिवरात्रि के अवसर पर शराब की दुकाने बंद हुआ करती थी... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX है, साहब। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने शिवरात्रि पर वह शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया और इस मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम पिछले डेढ दशक के अंदर. जिस भगवान श्री राम का नाम लेकर "जय श्रीराम" के नारे लगाकर सत्ता की ऊचाइयों को छूने की जिस पार्टी ने कोशिश की है, आज उसी पार्टी

(श्री संयम लोढ़ा)

की सरकार ने राजस्थान में अपनी सरकार बनने पर रामनवमी पर शराब की दुकाने खोलने का फैसला किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवदेन करना चाहता हूं राज. आता है, राज जाता है।...लेकिन धर्म और संस्कृति हमारे प्राण हैं।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय सीमा तय है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन +++ सरकार के आने के बाद इस बार यह फिर भी उम्मीद थी कि राजस्थान के अन्दर अच्छा जमाना आयेगा। लेकिन ऐसे धर्म विरोधी काम किये, इन्होंने ऐसे +++ काम किये, यह भगवान की पूजा कराने जाते हैं बरसात के लिये...(व्यवधान) राजस्थान की मुख्य मंत्री धर्म नहीं करती, +++ और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में बरसात नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने चार मिनट का समय दिया है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : जो +++ शब्द बोला है उसे कार्यवाही से निकाला जाये।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (भारी व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) और आज ऐसी बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : +++ शब्द का यूज कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम तो चाहते हैं शराब नहीं बने। राजस्थान का कोई व्यक्ति कभी भी नहीं पीये। किसी भी दिन नहीं पीये। हम चाहते हैं शराबबन्दी हो। कोई नहीं पीये शराब।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : शराब के ठेकेदारों से प्लान बनाकर राजस्थान में शराब... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को एक स्पेसिफिक सब्जैक्ट पर बोलने की अनुमति दी है और आप बोलते-बोलते मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर यह कह दें कि वह +++। वह शब्द कार्यवाही से निकाला जाये और समय सीमा तय की जाये।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अगर वह +++ नहीं करती हैं तो इन धार्मिक पर्वो पर शराब की दुकाने खोलने का फैसला क्यों किया आपने?...(व्यवधान) क्यों किया आपने?...(व्यवधान) क्यों किया यह फैसला?...(व्यवधान) रामनवमी पर आपने शराब की दुकाने खोलने का फैसला क्यों किया? महावीर जयन्ती पर आपने शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया, जन्माष्टमी पर आपने शराब की दुकान खोलने का फैसला किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्सपंज करें। यह सदन का दुरुपयोग है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : ...(व्यवधान) दलालों की सरकार रही है आपकी। (व्यवधान) शराब के ठेकेदारों की सरकार रही है आपकी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ शब्द को एक्सपंज किया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य +++ हैं। इनको समाज कल्याण विभाग में मेन्टल रिटार्डेड होम में भेज दिया जाये। मैं सम्भाल लूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले खुद को तो सम्भाल लो आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां, सम्भाल लूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अपने आपको सम्भाल लो पहले। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपको भी सम्भाल लूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : +++ आप दूसरे को क्या सम्भालेंगे?...(व्यवधान)...आप तो खुद +++ हो। आप दूसरों को क्या सम्भालेंगे? (व्यवधान) पहले अपनी खुद की स्थिति सम्भालो आप। +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे यहां +++ होम है और मेरे अधीनस्थ है। मैं ऐसे लोगों को, सबको सम्भालता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : +++ (व्यवधान) +++...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : किसी भी सदस्य ने नहीं बोले इतने घटिया शब्द तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : वह जो सब्जैक्ट पर्ची पर लिखा है वह उसी विषय पर बोलें अगर कोई माननीय सदस्य दूसरे विषय को बदलता है तो उनको बोलने की अनुमति बन्द की जाये और उनको बिठाया जाये।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी पर्ची के माध्यम से जो विषय आपने उठाने का समय दिया है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं उसी पर बोल रहा हूं...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आपका समय चार मिनट का था। आपने सात मिनट भाषण दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर आप इस प्रकार के बीच में... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप टाइम कीपर हो क्या, टाइम कीपर? यह आसन का काम है। यह आपका काम नहीं है। यह टाइम देख लो, घड़ी देख लो... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : हां, हमारा काम है।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : गलतबयानी हम लोग नहीं चलने देंगे।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टाइम देखना आसन का काम है। आप टाइम कीपर नहीं हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : दो सौ पचास शब्द हो चुके। चार मिनट से सात मिनट हो गये और क्या बोलोंगे? बाकी लोगों के बोलने के लिये टाइम नहीं है क्या?... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाषण दे रहे हैं,...(व्यवधान) अब तो +++ बाकी रह गया। कुछ तो +++ करो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : धर्म के रास्ते पर चलो नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : शराब ठेकेदारों की सरकार रही है आपकी। +++ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टाइम देखना माननीय उपाध्यक्षजी का और आसन का काम है। माननीय संसदीय सचिव महोदय, यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप टाइम कीपर या क्लास मोनीटर नहीं हैं। यह आसन का काम है।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सदन का दुरूपयोग करते हैं।...(व्यवधान)...गलत आरोप लगाते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अपनी जाकर बोलिये।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सरकार आपकी रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले थी और फिर आयेगी।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : इसमें दोनो के मंत्री आपके हैं।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम केन्द्र में बैठे हैं।...(व्यवधान) और फिर आयेगी...(व्यवधान) हम केन्द्र में बैठे हैं।...(व्यवधान)...और यहां भी फिर आयेंगे, दुबारा आयेंगे...(व्यवधान) बहुत जल्दी आयेंगे।...(व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : माहिर साहब सपना देखो। सपना दुबारा आने का...(व्यवधान) बिल्ली के भाग का छींका टूट गया था पहले।...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, जैसा आपका टूट गया था। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : मन के लड्डू खूब खाये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ज्यादा समय तक राज हमने किया। ज्यादा समय...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : तभी तो राजस्थान भ्रष्टाचार में आकण्ठ में डूबा। (व्यवधान) आपके कारण। आपके राज में भ्रष्टाचारियों को पैदा किया। (व्यवधान) इस कारण से हुआ है।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल क्या हो गया इसमें। टाइम देख रहे हैं। आपके मन की बात कहें। (व्यवधान) अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते जाओ, दलितों पर अत्याचार करो और +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको बिठाओ, साहब। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : जुल्म और अत्याचार का इतिहास भरा पड़ा है आपके राज का, माहिर साहब, जगह-जगह राजस्थान की जनता कह रही है।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आप ही कहते थे कि कांग्रेस +++ है। दलालों की सरकार है।...(व्यवधान) आपने कहा, आपने।...(व्यवधान) रखें क्या सदन के पटल पर...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) **:** इस पार्टी के लिये इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम भी कहेंगे कि बीजेपी सरकर के वक्त में एन.डी.ए. की सरकार में 9 हजार करोड़ के ऊपर के घोटाले भी हुए हैं।...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आपके टाइम के घोटालों की भी जांच हो रही है। इसकी भी जांच हो रही है लेकिन इसको लेकर क्यों कटुता पैदा करें हम आपस में...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप ऐसा करेंगे, हम आपकी नेता को नहीं बोलने देंगे। आप संसदीय सचिव होकर ऐसा कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : यह तो स्वच्छ डिबेट है, डिबेट पर...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आरोप लगा रहे हैं। यह मुख्य मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) मुख्य मंत्री पर आपके सदस्य ने आरोप लगाया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो आप आरोप का खण्डन कर दें।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सदन का गलत उपयोग किया...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप व्यवधान पैदा कर रहे हो?...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : यह सदन की स्वच्छ परम्परा है। (व्यवधान) नेता को क्यों बीच में लाते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो मांग करते हैं शराब बन्द कर दो और आप रामनवमी पर शराब बिकवा रहे हो, रामनवमी पर शराब। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : हमारे राज में वैध रूप से शराब बिक रही है। आपके राज में अवैध शराब बिकती थी।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मांस की दुकान तो बन्द, मांस की दुकान तो बन्द और शराब खुले रामनवमी पर शराब बिकवा रहे हो। महावीर जयन्ती पर शराब बिकवा रहे हो।...(व्यवधान) आप ठेकेदारों की मेहरबानी पर यहां आये हो...(व्यवधान)... ठेकेदारों के हितों की रक्षा कर रहे हो, दारू के ठेकेदारों की रक्षा कर रहे हो।...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : जनता के आशीर्वाद से आये हैं, ठेकेदारों की मेहरबानी से चुनकर नहीं आते...(भारी व्यवधान)...यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, कर लेंगे, फैसला हो जायेगा...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : राजस्थान में आपकी पार्टी के कारनामों के कारण विधान सभा में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप अपनी सीट पर जाकर बोलें, सीट पर जाएं। यह सदन नियमों से चलता है, ऐसे नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आप कैसी बात कर रहे हैं, ठेकेदार और दलाल हमें चुन कर भेजते हैं क्या?...(व्यवधान) जनता चुन कर भेजती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, यस, उनके पैसे से आये हो।

श्री भवानी सिंह राजावत : जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठेकेदार, दलाल नहीं चुनते।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनके पैसे से आये हो आप।...(व्यवधान)...अगर हिम्मत है तो, बिरलाजी, शराब बन्द कराओ, एक मिनट में पता पड़ जायेगा। राजस्थान में शराबबन्दी लागू करवाओ, हिम्मत है तो करवाओ आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दारू बिकवा रहे हो। रामनवमी पर दारू बिकवा रहे हो आप, शिवरात्रि पर शराब बिकवा रहे हो, जन्माष्टमी पर शराब बिकवा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : मांस की दुकान तो बन्द और शराब बिकेगी और इसको आप जायज ठहरा रहे हो। आपने यह अक्ता खतम करने का, यह सूखा दिवस खतम करने का पैसा लिया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो व्यवस्था करें आप। सदन में क्या व्यवस्था है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको मांस की दुकान की ज्यादा चिंता है कि शराब की है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों दखलंदाजी करते हैं? वो आप से ज्यादा सक्षम हैं अपनी बात रखने के लिए। आपको उनकी वकालत करने की क्या आवश्यकता है, वो आपसे ज्यादा सक्षम हैं। नहीं, बीच में आप मत कीजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आसन की व्यवस्था दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं कर रहे व्यवस्था।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह कह रहे हैं चार मिनट हो गये, पांच मिनट हो गये, यह आसन का काम है, यह इनका काम नहीं है। यह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नहीं बोल रहे, माननीय सदस्य. आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवण कुमार : मैं यही कहना चाहता हूं कि यह व्यर्थ का समय जाया कर रहे हैं, कोई फायदा मिल रहा है क्या? यह बताइये। आपका सदस्य खड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काहे के लिए, आप छोड़ो।

श्री श्रवण कुमार : मैं जानता हूं यह बात...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : इसमें क्या गलत बोला है?

श्री श्रवण कुमार : अब कोई आदमी खड़ा रहता है, आप उधर से खड़े हो जाते हैं तो समय जाया करने से कोई फायदा है क्या?

एक माननीय सदस्य : अपोजिशन कई दफे ऐसे शब्द काम में ले लेता है जिससे सदन में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झण्डाबरदार होने का जो विचारधारा दावा करती है और उस विचारधारा के लोग जिस सरकार में बैठे हुए हों वह सरकार इस भारतीय संस्कृति के महान पर्वो, महान त्यौहारों रामनवमी, जन्माष्टमी, महावीर जयन्ती और शिवरात्रि जैसे पर्व पर शराब की दुकानें खोलने का फैसला करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। राठौड़ साहब का तो ठीक है लेकिन कटारिया साहब जैसा समाजसेवी जो उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल प्रहरी राजस्थान में हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वे इस सरकार में कैसे बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राठौड़ साहब पर कैसे आरोप लगा रहे हो? (व्यवधान) गलत आरोप लगाते रहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : जिस सरकार में उनके जैसा व्यक्ति है वह सरकार ऐसे

(श्री संयम लोढ़ा)

फैसले कि आधार पर ले रही है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल है। आने वाली पीढ़ी को संदेश देने से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे तुरन्त आज इस बात की घोषणा करें कि जो गलत फैसला उनकी सरकार ने लिया है शराब ठेकेदारों के दबाव में, शराब माफिया के दबाव में...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आप कब से संस्कृति के पुजारी हो गये?

श्री संयम लोढ़ा : वह फैसला यह सरकार निरस्त करेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को नया संदेश देगी।

मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं इस सरकार पर...

श्री भवानी सिंह राजावत : सरकार जो भी करेगी जन भावनाओं का आदर करते हुए करेगी, आपके कहने पर नहीं करेगी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो पढ़ रहा हूं यह उधार की शायरी नहीं है। उधार की नहीं है, मेरी खुद की है- "सुबह मन्दिर शाम को मयखाना, यह है इस सरकार का पैमाना, भूखे लोग गरीब की थाली में नहीं है खाना, क्योंकि आपको वापस नही है आना।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल खराड़ी।

मानसीवाकल योजना के 50% पानी को झाड़ोल को दिये जाने की मांग

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फलासियां की झाड़ोल में मानसीवाकल बांध पर चर्चा करूंगा। मानसीवाकल बांध उदयपुर जिले को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में योजना बनी थी और 2002 को काम चालू करवाया. जिस समय तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत की थी और आज विपक्ष में बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय. मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उदयपुर जिले को पानी मिलना चाहिए. मिले यह उस क्षेत्र की जनता की

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

सहानुभूति है और होनी चाहिए। किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस क्षेत्र का पानी हो और उस क्षेत्र की जनता को एक भी बून्द पानी नहीं मिले और दूसरे को पानी मिल जाए, इससे और क्या कुकृत्य हो सकता है, जो इन्होंने करके दिखाया। जिस समय मानसीवाकल बांध योजना बनी थी तब उस समय महामहिम उपराष्ट्रपति, भैरोंसिंहजी सत्ता में थे। उस समय हमारी बातचीत हुई थी कि इस क्षेत्र का हक भी बनता है, इनको भी पानी मिले। यह योजना बन रही थी लेकिन इन्होंने सत्ता में आते ही एक तरफा निर्णय करके एक बून्द का भी हकदार उन लोगों को नहीं रखा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक ही नहीं, वे लोग अपने पानी के हक में शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन लोगों को डण्डे के बल पर आतंकित किया, भय का माहौल बना करके उस बांध का निर्माण शुरू करवाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं तीन गांव डूब में आये हैं और तीन गांवों के 322 परिवार भी बेघरबार हुए हैं। अभी इस समय बरसात आयेगी, पानी भरेगा वह न तो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। ऐसा पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। आज कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता यह बात कहते हैं, गांव, गरीब और किसान की चिन्ता की बात करते हैं, उनके हितों की चिन्ता करते हैं, बहुत हितैषी हो रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं होना चाहिए लेकिन इनके कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। इसका यह जीता-जागता उदाहरण है। उन लोगों के साथ इस तरह से आज हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं आपके मार्फत, सदन के मार्फत यह मांग करता हूं कि उस मानसीवाकल के पानी का 50 परसेंट हिस्सा झाड़ौल की जनता को मिले। ऐसी व्यवस्था संवेदनशील सरकार करे। यह मेरी मांग है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं जो क्षेत्र उस डूब में आये हैं, कुछ लोगों ने मुआवजा ले लिया है. कुछ लोग बाकी रहे है, उन लोगों की मांग है कि अब जमीन कहीं नहीं है, जहां पर भी जमीन अलाट की है वहां पर या तो भाटे हैं या कहीं नदी है या कहीं पर सड़क है, ऐसी जमीन अलाट की है। कहीं पर भी देखा नहीं की वास्तव में जमीन खेती योग्य है या वहां पर घर बसा कर रह सकेंगे. ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों की मांग है मुआवजा मिले. जो पैसा बैंक में पड़ा है वह पैसा ब्याज सहित उन लोगों को मिले। ऐसी मेरी सदन के मार्फत. आपके मार्फत सरकार से मांग है।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

एक मेरा निवेदन है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं और जब पानी भरता है और खेत खाली होते हैं उन पर खेती करने का पेटा काश्त का उन्हीं को हक दिया जाए. यह मैं सदन के मार्फत मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है कि जिन लोगों पर तत्कालीन सरकार ने इस प्रकार का मुकदमा लगाया है, ऐसे कम से कम 39 लोग हैं और उन लोगों पर मुकदमें में क्या-क्या धारा लगायी है, शायद वे इतने बड़े अपराधी नहीं हो सकते। उन पर जो मुकदमा लगा, वह निवेदन करना चाह रहा हूं। दिनांक 2/02 मुकदमा दर्ज, अधिनियम आई.पी. 3, पी.पी. एक्ट की धारा 147, 442, 52, 323, 341, 336, 429 और 139...

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के मार्फत आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकार की यह धारा लगी, यह सरकार वापस ले, ऐसी मेरी सरकार से मांग है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, उस डूबत क्षेत्र में एक बहुत प्राचीन मन्दिर है। अभी मन्दिरों की बात हो रही थी। उस क्षेत्र में एक बहुत पुराना 470 वर्ष पुराना मन्दिर है चन्द्रेश्वर महादेव, वहां की जनता की आस्था का केन्द्र है, वहां की जनता चाहती है कि यह स्थान यहां पर स्थापित रहे, इसको दूसरी जगह स्थापित न किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार की मंशा थी इस महादेव को यहां से दूसरी जगह स्थापित करके वहां पर मन्दिर बनाया जाए। जनता की इच्छा है कि एक तरफ तो मगरी है और एक तरफ थोड़ा बहुत पानी आता है। उन लोगों की इच्छा है कि जैसे गालियाकोट में माही बांध के अन्दर एक मस्जिद डूबत में आ रही थी, जिसको परकोटा बनाकर के बचाया गया और वह वहां की आस्था का केन्द्र बना। ऐसी ही उन लोगों की मांग है वहां पर भी चारदीवारी हो तो वह स्थाई रूप से रह सकता है। ऐसी मेरी सदन से मांग है। पूर्व में इसका सर्वे भी हुआ, इसका एस्टीमेट भी बना है तो मेरी सदन के मार्फत मांग है कि उस मन्दिर को यथास्थिति रखा जाए और चारों तरफ चार दीवारी करके परकोटा किया जाए तो एक पर्यटक स्थल बन सकता है। वहां की जनता की श्रद्धा और आस्था का केन्द्र है वह यथा स्थान पर रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं निवेदन करना चाह रहा था सिंचाई पर. वह भी मेरे उसमें है। हमारे कोटडा और झाड़ोल में काफी नाले हैं और बरसात भी होती है लेकिन वहां का पानी सारा का सारा बहकर गुजरात चला जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं. यह आशा और विश्वास रखता हूं कि उस पानी को छोटे

एनीकट और बांधों के मार्फत रोककर अगर खेतों में ले जाया जाए तो वहां की जनता अपने खेतों में धान पैदा करके कभी भी किसी की मोहताज नहीं होगी। यह मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, बस दो शब्द कहकर मैं समाप्त करूंगा। मेरी यही विनती है कि मेरी इन मांगों पर सरकार गम्भीरता से विचार करके कोई निर्णय ले। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

छतरगढ़ तहसील के भूदाली गांवों में भूमि आबंटन की समस्या बाबत

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन्त विनोवा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आन्दोलन के फलस्वरूप भूदान यज्ञ बोर्ड की राजस्थान में स्थापना की गयी थी। तहसील छतरगढ़ जो कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का भाग है, देश का सबसे बड़ा भूदान का भू-भाग इस तहसील में स्थित है। लगभग 1 लाख, 42 हजार, 392 बीघा भूमि भूदान के अन्तर्गत छतरगढ़ तहसील में स्थित है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूदान बोर्ड की स्थापना सन्त विनोवा भावे की जिस सोच को लेकर, जिन पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी थी, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराई जाए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विगत वर्षों में भूदान बोर्ड द्वारा समय-समय पर कार्य किया गया और भूमिहीनों की भूमि आबंटित भी की गयी लेकिन इसका दुखद पक्ष यह है कि वर्ष 1961 में तहसीलदार बीकानेर द्वारा भूदान बोर्ड के हक में जिस भूमि की पुष्टि की गयी वह भूमि अभी तक भी जमाबन्दी में बोर्ड के नाम पर अमल दरामद नहीं की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि का आबंटन हुआ, समय-समय पर बोर्ड के अध्यक्ष बदलते रहे, कभी-कभी ऐसी भी स्थिति रही कि अध्यक्ष की सीधी नियुक्ति न होकर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किन्हीं ने कार्य किया और संचालक मण्डल के सदस्य भी नियुक्त होते रहे। जब-जब जो-जो इन पदों पर रहे उन्होंने अपने चहेते लोगों की भूमि आबंटित करने का प्रयास किया और किया भी पात्र व्यक्ति को नजरअन्दाज करके

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अपात्र व्यक्तियों को भी भूमि आबंटित की गयी। चाहे उसके अन्दर इन्कम टैक्स पेई हों, चाहे नाबालिग हो और चाहे संचालक मण्डल सदस्यों के परिवारजन हों। उपाध्यक्ष महोदय, समय के साथ-साथ स्थितियों में परिवर्तन आया। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के 33 गांवों को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना करने के नाम गैर आबाद किया गया। उनमें से अनेकों काश्तकारों को, लगभग 290 से ज्यादा काश्तकारों को, क्योंकि वह भूमिहीन हो चुके थे, इसी तहसील छत्तरगढ़ में भूदान यज्ञ बोर्ड की ओर से भी भूमि आबंटित की गयी जो कि लगभग 11,789 बीघा भूमि होती थी। एक ओर उन काश्तकारों को जो कि बेघर हो चुके थे, उनको यहां भूमि दी गयी वहीं दूसरी ओर उनमें से अनेकों काश्तकारों की भूमि को दूसरे को भी आबंटित कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के आम काश्तकार इस बात से पीड़ित हैं कि एक तो दोहरा आबंटन वहां है। उसके साथ-साथ दूसरी समस्या यह है कि राजस्व रिकार्ड में आज तक, क्योंकि भूदान बोर्ड के नाम पर भूमि का अंकन नहीं हुआ इसलिए भूमि का वास्तविक हक उनका नहीं बन पाता है। इसी कारण समय-समय पर जब कभी भी काश्तकारों द्वारा अगर चाहा जाता है कि शिड्यूल बैंक और सहकारी बैंकों द्वारा कोई मध्यकालीन या दीर्घकालीन लोन किया जाए तो वह भी उनको उस राशि के नहीं मिल पाते जिस राशि की उनकी हैसियत होती है।

इसी के साथ-साथ पूर्व में वर्ष 1994 में तत्कालीन भूदान बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उनके और उनके संचालक मण्डल द्वारा जो भूमि आबंटित की गयी उसके ऊपर भी प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। अनेकों अपात्र व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गयी है। मैं इस वक्त यही निवेदन करना चाहता हूं चूंकि आज का समय ऐसा समय है, हो सकता है आने वो समय फिर मानसून हम पर मेहरबान हो और बरसात हो। निश्चित रूप से अगर इस इलाके में बरसात हुई तो बरसात होने के साथ-साथ जो खुशी किसान के चेहरे पर आनी चाहिए उससे ज्यादा इस इलाके के किसानों के चेहरे पर भय झलकता है। उसका एक मात्र कारण यही है कि चूंकि डबल आबंटन है यहां पर भूमि का काश्तकार आपस में कब्जे को लेकर झगड़ते हैं। पूर्व में भी अनेकों फौजदारी और दीवानी मुकदमें इसको लेकर के चल रहे हैं और यहां तक कि हत्याएं भी हुई हैं।

आज मैं निवेदन करना चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर प्रयास करते हुए स्थान-स्थान पर हर ग्राम में जहां पर भी भूदान की भूमि है, शिविर लगाए और इस बात की जानकारी की कि कौन वास्तव में पात्र है और कौन अपात्र है लेकिन उनके द्वारा

27.8.2002 को जो राजस्व सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उस बैठक में लिए गए निर्णय को आज दिन तक लागू नहीं किया गया है और काश्तकारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मैं इस ओर यही निवेदन करना चाहूंगा कि समय-समय पर, जब भी यह बात उठती है और इसके समाधान की बात आती है तो एक नई कमेटी बना दी जाती है। वर्तमान में भी मेरी जानकारी के हिसाब से सम्भागीय आयुक्त बीकानेर की अध्यक्षता में एक कमेटी और बना दी गयी है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह इस क्षेत्र की गम्भीरतम समस्या है। इस समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान करने का कष्ट करें जिससे आम किसान के हित में कोई निर्णय हो सके। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्व मंत्री महोदय, बिराजमान हैं अगर दो शब्द आप फरमा दें तो मेरे को इसके अन्दर बहुत सहूलियत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर समस्या बता देना। वह बहुत सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे।

श्री बाबूलाल नागर।

बैराज (दूदू) ग्राम पंचायत की अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंच के विरुद्ध और बेबुनियाद आक्षेप

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं... अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। अनुसूचित जनजाति के जो भी जन प्रतिनिधि पंचायत में चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, ढूंढ-ढूंढ कर राजनीतिक विद्वेषतावश उनको निलम्बित करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू की ग्राम पंचायत बोराज एक अनपढ़ महिला सरपंच अनुसूचित जाति की बिदामी देवी, मात्र हस्ताक्षर करना जिसको

(श्री बाबूलाल नागर)

आता है। पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था से बिदामी देवी को ग्राम पंचायत बोराज की सरपंच बनने का सौभाग्य मिला। उससे पहले वहां लगातार 25-30 साल तक एक ठाकुर साहब सरपंच थे। जिस दिन से सरपंच बनी, मैं कोई इस मामले में यह नहीं कहना चाह रहा कि खाली इस सरकार से ही हुई है हमारी चाहे पूर्व सरकार भी रही है लेकिन उसका दुर्भाग्य रहा, उसके खिलाफ दो बार शिकायत की गयी।

एक शिकायत इस बात की आयी कि उसने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगायी, दुकानों का कार्य निर्धारित नक्शे अनुसार नहीं कराया। इसकी जांच सम्भागीय आयुक्त ने जिला कलक्टर, जयपुर के माध्यम से करायी और जिला कलक्टर, जयपुर ने इसमें दोष मुक्त कर दिया और सम्भागीय आयुक्त ने 22-8-2003 को इसको दोषमुक्त कर दिया और आरोप को ड्राप कर दिया गया।

दूसरा आरोप जो इस सरपंच के खिलाफ लगाया गया उसमें ग्राम पंचायत द्वारा वन विभाग को जमीन दी गयी। पांच साल तक वन विभाग ने उसमें पौधे लगाये। उसके बाद वापस पंचायत को वह पौधे दे दिये। पंचायत की कोरम ने फैसला किया कि जो पेड़ सूख गये हैं इनकी छंगाई के लिये पंचायत द्वारा टेंडर किये जाएं और उस पर जो पैसा आता है वह पंचायत के कोष में जमा कराया जाए। उस अनपढ़ सरपंच ने टेंडर किया, पंचायत की कोरम के अनुसार कार्यवाही की, एक तो यह आरोप लगाया गया।

दूसरा अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में कि सरपंच है और जमीन पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया।आज तक उस सरपंच के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कोई 90ए की कार्यवाही नहीं की गयी, सरपंच और उसके परिवार के किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं। जिला परिषद जयपुर से पंचायत राज विभाग ने इसके बारे में जांच करवायी। जिला परिषद जयपुर ने 6.9.2003 को प्रकरण की जांच वापस विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू से करायी गयी जिसके अनुसार शिकायत में अंकित आरोप निराधार हैं। सरपंच के विरूद्ध कोई आरोप साहबत होना नहीं पाया गया, निष्कर्ष स्वरूप जो शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत बोराज श्रीमती बिदामी देवी के विरूद्ध की गयी, शिकायत की तथ्यात्मक विस्तृत जांच से कोई आरोप साबित नहीं होने से आरोप मुक्त किया जाकर कार्यवाही प्रकरण ड्राप किये जाने की सिफारिश के साथ प्रतिवेदन मय टिप्पणी सेवा में प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद जयपुर द्वारा जांच की गयी। जांच मुक्त करने की सिफारिश की गयी। पंचायत विभाग ने, पंचायत राज मंत्रीजी ने या इनके

(श्री बाबूलाल नागर)

अधिकारियों ने वह दलित समाज की सरपंच थी और यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी के बोराज इकाई के अध्यक्ष ने की थी। उस सरपंच को 8 जुलाई, 2004 को पंचायत राज विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया। निलम्बित भी यह कहकर किया गया क्योंकि बिदामी देवी सरपंच पद पर रहते हुए उक्त करायी जा रही जांच को प्रभावित नहीं कर सके, जिसकी जांच 6.9.2003 को हो गयी। स्पष्ट रूप से जिला परिषद के अतिरिक्त सी.ओ. ने यह कहा है कि कोई आरोप नहीं बनते, यह बेकसूर है और इसको ड्राप कर दिया जाये।

मेरा आपसे आग्रह है, मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। अनुसूचित जाति की महिला है, बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ती हैं और बड़ी मुश्किल से सरपंच बनती है। अनुसूचित जाति में वैसे ही पढ़ी लिखी महिला नहीं मिल पाती।

मेरा आपसे आग्रह है, पंचायत राज मंत्रीजी यहां बैठे हैं। इस निलम्बन को आप वापस निरस्त करें, इसको वापस बहाल करें। पूरे एरिये में अनुसूचित जाति के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। मैं दावे से कह सकता हूं आरक्षण की व्यवस्था कर दी जायेगी तो भी कोई महिला सरपंच दुबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। पंचायत राज विभाग ने कहा है कि स्पष्ट जांच नहीं आयी है, मैं तथ्य से एक-एक चीज आपको पढ़कर बता सकता हूं। वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जांच की उसमें स्पष्ट लिखा है...

श्री उपाध्यक्ष : आ गयी बात। सारांश आ गया आपका। नयी शिकायत हो गयी होगी, नये आरोप हो गये होंगे उसके अलावा दो।...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावा दो जांच हुई। दोनों में विकास अधिकारी, जिला परिषद, कलक्टर, सम्भागीय आयुक्त, उसको बरी किया गया है। एक जांच में तो फाइल दाखिल दफ्तर कर दी गयी। दूसरी जांच में दुर्भाग्य रहा कि जिला परिषद ने जांच करने के बाद पंचायत राज में उस फाइल को ड्राप नहीं किया, खाली वह पैंडिंग रही। यह उस शिड्यूल कास्ट की महिला सरपंच का दुर्भाग्य रहा कि वह पैंडिंग थी और उसका लाभ लिया। इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा इस तरह किया गया तो बहुत बड़ा अन्याय होगा अनुसूचित जाति की महिला सरपंच के साथ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी...

श्री बाबूलाल नागर : मेरा आपसे आग्रह है माननीय मंत्रीजी इसके बारे में बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा विस्तृत. विस्तार के साथ बता दिया है आपने इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्षजी, कोई अनरिप्लाईड चला जाये. सरकार के पास इसकी सूचना तो होती नहीं है, इसका जवाब कैसे दें।

श्री बाबूलाल नागर : तो आप कोई व्यवस्था करें। चार मिनट बोलने के लिये कहते हैं...

श्री अमराराम (धोद) **:** बुरा इससे ज्यादा क्या होगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप बिराज जाओ। आप बैठो ना।

श्री अमराराम (धोद) **:** सदन की नेता...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती बिदामी देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत बोराज के सस्पेंशन आदेश को लेकर अभी चर्चा की है और ध्यान आकर्षित किया है। इसमें दो बिन्दु उठाये हैं।

भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और अधिकतर लोगों के साथ...

श्री बाबूलाल नागर : मैंने कहा पहले भी। कहा है मैंने भारतीय जनता पार्टी से पहले भी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनका जवाब सुन लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही एम.एल.ए. थे, इनका राज था।

श्री कालूलाल गुर्जर : मेरी भी तो सुन लो। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विभिन्न पदों पर बैठे हुए जन प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति के है उनको सस्पेण्ड किया जा रहा है, टर्मीनेट किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनके चार वर्ष के शासनकाल में क्योंकि 2000 से, अधिक संतान और भ्रष्टाचार के यह दोनों प्रकरण हमारे सामने आने लगे थे। 2001-02. 2002-03. 2003-04 इन चार सालों में इनके कार्यकाल में 1287 लोगों को इन्होंने सस्पेण्ड किया। उसमें एस.सी.. एस.टी. सब शामिल हैं। मुझे मालूम नहीं था कि यह महिला एस.सी. की है. मेरे पास एस.सी. का अलग आंकड़ा नहीं है। यह अब ध्यान में आया है. बाकी वह भी मैं...(व्यवधान) आप सुन लो पहले।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, जबकि हमने 1.4.2004 से 30.6 तक केवल मात्र दस आदमियों को सस्पेण्ड किया।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा 38, 39 के तहत उसके अलावा धारा 19क के प्रकरण में इनके कार्यालय में 296 लोगों को इन्होंने सस्पेण्ड किया और भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद अभी 1.4...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में क्या हुआ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि बोराज की सरपंच, उसके खिलाफ आप खाली किसी की शिकायत हो जाये और उसके रहते हुए जांच हो नहीं पायेगी और उसको आप सस्पेण्ड कर दें। उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है...(व्यवधान) मंत्री महोदय, खाली शिकायत तो किसी के खिलाफ भी हो सकती है...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित करेगी (व्यवधान) पूरे राजस्थान के सरपंचों को मार दें आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनने की क्षमता रखें। वह इस बात पर आ रहे हैं... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : इसी तरह से धारा 19 है, इनके यहां 296 सस्पेण्ड हुए, हमने केवल 6 किये। इनके यहां पर...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं...(व्यवधान) माननीय सदस्य मैं वह दे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : चालान की कापी नहीं है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल आरोप लगा सकते हो...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : काहे का आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभियोजन की स्वीकृति 186 में दी है, हमारे टाइम में केवल 65 में...(व्यवधान) दूसरा जो आपने मेन मुद्दा रखा। उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको जवाब देना है तो माननीय सदस्य को दें। आप जवाब देना चाहते हैं तो इनको दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : पहले आप सुन लें जवाब...(व्यवधान) श्रीमती बादाम देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत बोराज, पंचायत समिति दूदू...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दलित वर्ग के हैं। माननीय मंत्रीजी उसमें तो लिखा रहता है कि दलित वर्ग की हैं। आपको यही पता नहीं है कि वह दलित वर्ग की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नहीं सुनना चाहते ना, मंत्रीजी बैठ जायें, आप नहीं सुनना चाहते...(व्यवधान) मंत्रीजी, बैठ जायें, नहीं सुनना चाहें तो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे को बैठ जायें...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : इस सरपंच के खिलाफ उप वन संरक्षक जयपुर से जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ है कि वन विभाग के पेड़ों को, बिना वन विभाग की सहमति के नीलाम कर दिया और खसरा नम्बर 2549/1 साढ़े चार बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। यह रिपोर्ट प्रमाणित होने के बाद आदेश क्रमांक 5006 दिनांक 23.11.2002 को इस सरपंच को निलम्बित किया गया और इनके शासनकाल में किया गया। इनके द्वारा जांच करायी गयी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां दोष आ रहा है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ऐसा है मंत्री महोदय, 8 जुलाई, 2004 को आपने सस्पेण्ड किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर : आपकी असत्य बात कैसे सुनेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप बैठें, आप पहले सुनें।

श्री बाबूलाल नागर : आपने कहा कि इस महिला ने अतिक्रमण कर लिया। मैं शपथ से कह सकता हूं कि इस महिला के खिलाफ एक भी चार्ज नहीं है कि इन्होंने अतिक्रमण कर लिया हो...(व्यवधान) अतिक्रमण का नोटिस जारी नहीं हुआ... (व्यवधान) इनका नाम रिकार्ड में आया हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर : किसी सदस्य के साथ अगर कोई अतिक्रमण किया हो, किसी सदस्य के खिलाफ, आप बता दें...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा एप्लीकेशन देने पर दिनांक 7.12.2002 को रिइन्सटेट करते हुए इनकी सरकार के टाइम में उसकी दुबारा

जांच करने के लिए आदेश दिये गये। चूंकि यह रिइन्सटीट हो गया और कांग्रेस पार्टी की थी इसलिए जान-बूझकर उन फाइलों को दबाकर जांच को प्रभावित किया गया और उस पर कोई जांच रिपोर्ट नहीं आने दी। अभी हमारे पास पत्रावली आयी कि यह जांच लम्बे टाइम से पैण्डिग हैं और यह जांच को प्रभावित कर रही है इसलिए हमने निलम्बित करके जांच रिपोर्ट मंगायी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वह निर्दोष हो जायेगी तो वापस रिइन्सटेट हो जायेगी। अगर दोषी पायी गयी तो बर्खास्त कर दिया जायेगा, अभी निलम्बित हुई हैं फिर बर्खास्त हो जायेगी...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जिस पेज में सी.ई.ओ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पर्ची का मामला है। उस पर बहस का कोई प्रश्न नहीं है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जानकारी दी है उनको मैं आपके माध्यम से कोट करना चाहता हूं कि 6.9.2003 को उपरोक्त प्रकरण की जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति दूदू से करायी गयी जिसके अनुसार शिकायत में किये आरोप निराधार हैं। सरपंच के विरूद्ध कोई आरोप इसमें साबित होना नहीं पाया गया है। निष्कर्ष स्वरूप सरपंच ग्राम पंचायत बोराज श्रीमती बादाम देवी के खिलाफ की गयी तथ्यात्मक एवं विस्तृत जांच से आरोप साबित नहीं होने से आरोप मुक्त किया जाकर कार्यवाही प्रकरण ड्राप करने की सिफारिश के साथ मूल जांच प्रतिवेदन मय टिप्पणी उन्हें कार्यवाही हेतु सेवायें प्रेषित है...(व्यवधान) यह अनुसूचित जाति की सरपंच के साथ किया गया अन्याय है। इसलिए माननीय मंत्रीजी को हस्तक्षेप करके उसको वापस बहाल किया जाना चाहिए...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : यह सितम्बर महीने की जांच है माननीय सदस्य और यह नवम्बर महीने में सस्पैंड हुई है। सितम्बर के बाद अक्टूबर, नवम्बर दुबारा और हुई है जांच और उसके अन्दर दोषी माना है। आपकी पत्रावली है और आपके राज का सवाल है। हमने नहीं की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 2003 का है। आपने 2002 का बताया है। मैंने 2003 को बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता, प्रतिपक्ष आप बिराजें...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप अनुसूचित जाति की सरपंच के ऊपर अन्याय कर रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंट रहे हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 2002 में किया वह क्या था...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 2003 में है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 2002 में किया यह क्या था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 2002 में किया वह क्या था।

श्री कालूलाल गुर्जर : जांच जो भी कराई यह इन्होंने करायी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह निर्दोष थी तो क्यों सस्पैंड किया...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : निलम्बित नहीं किया...(व्यवधान) उसको निलम्बित नहीं किया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्यों सस्पैंड किया उसको?...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अनुसूचित जाति की महिला सरपंच को सस्पैंड करके लोकतंत्र का गला घोंट है इसकी हम निन्दा करते हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 2001, 2002 सबमें आया है।

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, 6.9.2003 के बाद आपके पास क्या तथ्य हैं कि आपको सस्पैंड करना पड़ गया? आप तो यह बतायें कि जो जिला परिषद् के सी.ई.ओ. की जांच आयी थी।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ चुका है, फिर मौका मिलेगा...(व्यवधान) आप जवाब देंगे, बाद में यह केस डिसाइड करेंगे। कोई फाइनल थोड़े ही हुआ है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2004

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : करायें पास।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : पास करायें...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप ऐसा करें. उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था. एक मिनट सुन लें।

श्री जुबेर खान : आप पारण पर बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन लें...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सदन में यह परम्परा रही है कि फाइनैंस बिल पर... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कैसे रोकेंगे, मालूम है नहीं...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : विष्णु मोदी और इनका है। माननीय सदस्य जो राजाखेड़ा से आते हैं उनका कोई अमेण्डमेन्ट नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बिना सुने मिस्टर मोदी, आप बिना सुने, आप नहीं बोलना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप नहीं बोलना चाहें तो पारण की स्टेज पर तो हरेक को बोलने का हक है। यही मैं कह रहा हूं कि आप पारण की बात ले लीजिये। उसके बाद बहस शुरू हो जायेगी।

श्री विष्णु मोदी : पारित ही कराइये ना सीधे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हां पक्ष जीता है, हां पक्ष जीता है। आप वोटिंग करायें...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वोटिंग करायें, उपाध्यक्ष महोदय, विदड्रा करेंगे हम... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह क्या करते हैं, माननीय संसदीय मंत्री महोदय।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, हम विदड्रा करेंगे कि हम अपना वापस लेते हैं फिर सदन अलाउ करे।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, चलिये।

श्री जुबेर खान : आप हमको अलाऊ करें। हम अपना अमेण्डमेन्ट विदड्रा करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह विदड्रा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया को समझिये, हम विदड्रा करना चाहते हैं। फिर आप उस पर वोट करा लीजिये। हमने जो हमारा अमेण्डमेन्ट दिया हैं, हमारी बातचीत हो गयी, हम उसको विदड्रा करना चाहते हैं। आप इस पर वोट करा रहे हैं। वोट कराना चाहें तो फिर हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विदड्रा कराना चाह रहे हैं तो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : रखा ही नहीं प्रस्ताव...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : रखा है। कैसे नहीं रखा...(व्यवधान) जनमत जानने का है। हम उसको पास ही नहीं कर रहे।

श्री जुबेर खान : विदड्रा करना पड़ेगा इसको।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आवाज ही नहीं आती है। उपाध्यक्ष महोदय, पास से बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने प्रस्ताव रखा ही नहीं, आपने जब रखा ही नहीं तो विदड्रा क्या करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव तो रख छोड़ा है,...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 7 कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 2004

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 पारित किया जाए। (व्यवधान) श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में यहां फाइनेंस बिल पेश किया। मैं यहां पर फाइनेंस बिल के स्कोप के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कौल एण्ड शकधर ने जो कमेण्ट्री की है, उसके ऊपर इसका स्कोप भी काफी वाइड कर दिया है। कुछ लोगों को यह भ्रांति रहती है कि सिर्फ टैक्नीशियन प्रपोजल्स के ऊपर ही फाइनेंस बिल के अन्दर चर्चा हो सकती है। ओवर आल पोलिसीज आफ द गवर्नमेन्ट, इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। इसलिए मैं उन बातों की बात करूं तो उसमें मुझे कई दफा टोका टोकी होने लगती है कि आप अपने स्कोप से बाहर जा रहे हैं, स्कोप के भीतर नहीं हैं तो उस बात को मैं पूर्व में ही निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वैसे बजट के ऊपर और एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर काफी विस्तार से इस सदन में चर्चा हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एप्रोप्रिएशन बिल और जनरल बजट पर भी काफी विस्तार से यहां पर जवाब दिया। मैं आज उससे थोड़ा हटकर, राजनीति से थोड़ा हटकर, क्योंकि हमेशा यही रहा है कि आपकी सरकार ने यह किया, हमने यह किया, आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है।

आज सारे देश के बैकग्राउण्ड के अंदर अपने राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखना पड़ेगा। यह चिंता का विषय है, कल अपने भी स्वयं ने माना था कि परिस्थितियां कठिन है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयत्न रहेगा सर्टेन चीजों को करने का, गोल को अचीव करने का, मैं उस संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक आपदाओं का बदकिस्मती से जोर रहा है। पिछले 40 सालों का आप उठाकर देखें...

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : प्रकोप रहा है।

श्री प्रद्यम्न सिंह : हां, मैं वही कह रहा हूं। मेरा निवेदन यह है समर्थ लालजी, हैड मास्टर साहब। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर उस प्रकोप के कारण, राज्य की विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमें आगे की ओर कदम उठाने पड़ेंगे।

जहां तक कर्जे का सवाल था, आपने जवाब दिया, आप कहें कि आपके वक्त में ज्यादा था, हम कहें कि हमने परिसम्पत्तियों का निर्माण किया। सारी परिस्थितियां बदली हुई है। 1990 तक राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी। 1990 के बाद से राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी। 1990 के बाद से राज्यों की वित्तीय स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। कॉफिन के अंदर आखिरी कील का काम किया फिफ्थ पे-कमीशन ने। इस बात को राज्यों ने बहुत जोरों से हर फोरम पर, राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने और राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उठाया। फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राज्यों के ऊपर जो भार पड़ा वह भारत सरकार वाले हमेशा कल्पना करके चलते हैं कि राज्य सरकारों का मानना जरूरी नहीं है, आप हमारे पास क्यों आते हैं?

क्या यह सम्भव है? आज काम की स्थितियां चाहे केन्द्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सिमिलर परिस्थितियों के अंदर उनको काम करना पड़ता है। आज तनख्वाह और पैंशन पेटे जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर बहुत बोझ आया। यह मैं नहीं कर रहा, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, जितने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े इकोनोमिक वीकलीज हैं, सबने इसे इसका मूल कारण दिया है। आज उसकी वज़ह से राज्यों के सामने बड़ी विपरीत परिस्थिति है। राजस्थान के अंदर अकाल की मार ऊपर से आपको और झेलनी पड़ रही है। बड़ी अच्छी बात है, जब हमको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे निश्चित रूप से कि पे-कमीशन ने डाउन साइजिंग आफ द एस्टेब्लिशमेंट आफ द गवर्नमेंट स्टाफ, वह आप कर नहीं सकते। यू आर नोट इन ए पोजीशन टू टर्मिनेट एनी वन। नए रिक्रूटमेंट कर आप बैन लगाने की स्थिति में नहीं क्योंकि असेंसियल सर्विसेज राज्यों को मेनटेन करनी पड़ती है। चाहे शिक्षा विभाग हो, मेडिकल हो, पुलिस हो, यह मैंने प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन पंतजी से भी कहा था कि इसको कम करे। मैंने कहा कि आप राज्यों की स्कूलों की कल्पना करें कि बिना अध्यापककों के स्कूल, बिना पैरा मेडिकल स्टाफ और डाक्टर्स के अस्पताल कैसे चलेंगे? ला एण्ड आर्डर राज्यों को मेनटेन करना पड़ता है। पुलिस फोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट आज नहीं हो तो काम कैसे चलेगा ? अब उसका कोई जवाब नहीं। भारत सरकार तो अफोर्ड कर सकती है। भारत सरकार मिलिटरी में भर्ती करती है तो अपन उनको रोक नहीं सकते, दूसरे महकमें और हैं जिनमें वह कदम उठा सकते हैं लेकिन राज्यों के दायित्व ज्यादा हैं और आमदनी कम और केन्द्र के दायित्व कम है और आमदनी ज्यादा। असेंसियल सर्विसेज राज्यों को मेनटेन करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में डाउन साइजिंग आप करने की स्थिति में नहीं, पोलिटिकल कम्पलशन।

आज हिन्दुस्तान के नौजवान के अंदर, इसमें राजस्थान का नौजवान भी अछूता नहीं है, नौकरी की मांग करता है, नौकरी की संख्या, आप बार-बार कहते हैं, हम भी एम्प्लायमेंट की बात कहते थे। हमने जब 1200 के लगाए तो आलोचना हुई कि यह तो बंधुआ मजदूर से भी बहुत बुरी हालत है। आप उनको मिनियम वेज भी नहीं दे रहे हैं। हमने उनको बढ़ाया, 2000 रुपये साल किया, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है।

आपने भी कंसोलिडट पे पर लगाया है लोगों को क्योंकि आपने आकर के रेगुलर वेज लोगों को दिया हो, वह भी आप देने की स्थिति में नहीं थे। हमने लगाए उस पर आपने उधम मचाया।

अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन इश्यूज पर पोलिटिकल पार्टीज अगर आम सहमति नहीं बनाएगें तो इस देश की समस्याओं का निदान होने वाला नहीं है। नौकरियों की बात पर मैं बाद में आऊंगा। हमने आपस की राजनीति के चलते परिवार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नियोजन के काम को पलीता लगा दिया. यह राजनीति की भेंट चढ़ गया परिवार नियोजन कार्यक्रम। माननीय राठौड़ साहब और कटारिया साहब को याद होगा कि मैं जब जवाब दे रहा था. आज जो महामहिम उप राष्ट्रपति हैं तब प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने बजट में परिवार नियोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया. इसमें कहीं दर्शाया नहीं गया है। मैं आज उस सारे जवाब को तो नहीं दोहराना चाहता लेकिन आज यह कार्यक्रम राजनीति की बलि चढ़ गया है। सब कहते हैं कि राजी खुशी कोई कराए तो कराए, राज्य कोई प्रचार नहीं कर सकता, राज्य कोई जोर जबर्दस्ती नहीं कर सकता. इन्सेंटिव दिए जाते थे, वह इन्सेंटिव बंद हो गए।

आज देश की मूल समस्याओं में एक यह बढ़ती हुई आबादी है। कहां से देंगे आप नौकरियां? नौकरी की समस्या इससे जुड़ी हुई है। आप लोग और हम लोग रोजगार की बात करते हैं। मैं आपकी मजबूरियों को समझ रहा हूं। आपने एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है। लोग यह मानकर चल रहे हैं कि एक लाख नौकरियां मिलेगी, यह सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया है पर मन में आप सब जानते हैं. यह बहस का विषय है, लोगों को नौकरी चाहिए, आप कहां से देंगे एक लाख लोगों को नौकरी एक लाख लोगों को नौकरी देने का मतलब है मुख्य मंत्रजी कि आपको 700 करोड़ रुपये हर साल चाहिए। आप नौकरी देंगे तो कहां से विकास का पैसा आएगा, कहां से विकास के काम होंगे? नहीं कर सकते आप। हम नहीं कर पाये। हमने बहुत मुश्किल से कंसोलिडेटेड पे के ऊपर परमानेंट 30 हजार लोगों को लगाया, कंसोलिडेटेड पे के ऊपर लगाया. पैराटीचर्स को लगाया, 80 हजार आदमी लगाये। आपकी वेकेंसीज बढ़ गई. हमने गेस्ट फैकल्टी से भरी क्योंकि हमारी स्थिति उस वक्त ज्यादा खराब थी। आप कहेंगे कि नहीं। अब आप कहो तो क्या है राज्यों के ऊपर कर्ज का बोझ हिन्दुस्तान के अंदर 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया। उपाध्यक्ष महोदय. 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा राज्यों के ऊपर है। केन्द्र सरकार के ऊपर करीब 13 लाख करोड़ रुपये का है. 12 लाख करोड़ कुछ है, एक्जेक्ट फीगर मुझे याद नहीं हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर राज्यों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। केन्द्र सरकार को आराम है रिजर्व बैंक है कोई ओवर ड्राफ्ट की उनकी सीमा नहीं है लिमिट नहीं है और रिपेमेंट का कोई टाइम आपने नहीं दिया तो कर्ज बढ़ गया उतना। यहां रिपेमेंट नहीं किया तो आप का पेमेंट रूक जायेगा। वेज एंड मींस की सीमा की आप इस्तेमाल कर ले. कल यहां पर टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य डा. नाथू सिंह जी हैं नहीं, (व्यवधान) दूसर फाइनेशियल एक्सपर्ट हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने कल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कहा था कि हम ओवर ड्राफ्ट में नहीं रहे, हमारी सरकार नहीं रही. बहुत खुशी की बात है, आप नहीं रहे, मैं बधाई देता हूं आप नहीं रहे, आपकी सरकार नहीं रही. लेकिन अब मैं असली बात बता दूगां तो आप नाराज हो जायेंगे। कैसे नहीं रहे आप? (व्यवधान) देखिएं, मुझे बोलने दीजिए, जितना आप मुझे टोकेंगे मैं बोलता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिए, आप कुछ कर लीजिए, उनकी भी मजबूरी है वो आपको मंत्री नहीं बना पाएंगे, मुझे तो बोल लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कमाण्डर साहब, पहली बार आप प्रभावशाली भाषण दे रहे हैं, पहली बार। बहुत वर्षों के बाद पहली बार आप सारगर्भित और प्रभावशाली भाषण दे रहे हैं इसलिए देओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप हमेशा ही देते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थैंक्यू वैरी मच। आपका सर्टिफिकेट मुख्यमंत्रीजी के काम तो मेरे आयेगा नहीं, कि मैं इसको पेश कर दूं ले जाकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां राज्यों की यह स्थिति हो, यह विडम्बना है, मैं आपको परिवार नियोजन की बात कर रहा था। आप सबको मालूम है, विस्तार में नहीं जाना चाहता। आज आप कोई कदम उठाओ हम आपकी टांग खीचें। हमने उठाया तो आपने हमारी सरकार ही गिरा दी 1977 के अंदर। इस प्रकार की डिसइंफार्मेशन कैम्पेन चला कि यहां महिला मुख्यमंत्री है, मैं कह भी नहीं सकता, यहां पर लेकिन लोगों में तरह-तरह की भ्रांतियां फैलायी गई और पलीता लग गया और सरकार चली गई। अब किसके लिए करना शुरू हुआ? आपकी सरकार भी आई, उसके बाद 20 साल पुरानी (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने लोगों को जेलों में डाल दिया, लोगों के अधिकार खत्म करने के सारे हिन्दुस्तान को जेलखाना बनाने से, उसके लिए आपकी पार्टी ने सारे देश से भी क्षमा मांगी है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है तिवारी जी (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद हो तो चरण सिंहजी ने कहा था कि परिवार नियोजन 1977 में मुझे याद है, मैं भी कहता था कांग्रेस का राज

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाएगा, मैं कांग्रेस में था क्योंकि मैं देखता था कोर्ट के अंदर मैं वकालत करता था, क्या लोगों की स्थिति थी. बात सही है. पर चरणसिंह जी ने कहा कि हमारा राज आया तो हम कानून बना देंगे, दो से ज्यादा बच्चे होंगे ही नहीं। एक बार यह स्टेटमेंट दिया फिर जनता पार्टी के लोगों ने कहा चरण सिंह जी आपने यह क्या स्टेटमेन्ट दे दिया, अपनी सरकार तो इसी से बनेगी और आपने वह स्टेटमेन्ट दे दिया, अपनी कभी सरकार नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने दूसरे दिन फिर स्टेटमेन्ट बदला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जबर्दस्ती की मामला (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने वही कहा कि यह कहते ही राजनीति शुरू हो जाएगी।

फिर मैं कहूं कि आपकी 80 में ही सराकार चली गई तीन साल बाद। मैंने वही कहा। इसलिए इसको यहीं छोडिए। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं हम लोग कांग्रेस शसित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जब प्रधानमंत्रीजी से मिले थे, मुझे भी मीटिंग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने, आदरणीय वाजपेयी जी हम लोगों को बहुत गौर से सुना था. उनकी पूर मंत्रिमंडल की टीम थी उस वक्त उनके भी खुद के विचार यह थे कि आज कुछ ऐसे आम मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजनैतिक दलों के अंदर आम सहमति होना बहुत आवश्यक है। (व्यवधान) मैं आपसे वही कर रहा हूं। ये सब चीजें प्रांत के अंदर अगर यहां कुछ मुद्दों के अंदर शुरूआत कर सकें. मेरे निजी विचार हैं मेरी पार्टी के विचार नहीं कर रहा हूं। मैं आज इसलिए कर रहा था कि राजनीति से हटकर आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा अब कुछ मुद्दों पर आपको करना पड़ेगा एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैण्ड्स।परिवार नियोजन की बात मैंने आपसे कही. स्टेट के फाइनेंसेज को संभालने की बात है, अब उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं. हम आप किस प्रकार सहयोग ले सकते हैं यह भी एक सोचने का विषय है क्योंकि जिस गति से राज्यों के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं संभव नहीं है। पांच हजार (व्यवधान) यहां आपने डेब्ट स्वैप की बात की। कितना आप डेब्ट स्लेब कर लेंगे. जितना बचाओगे उससे आप नीचे नहीं जा रहे हो। थोड़ा-बहुत बचाओगे आप। उसके अंदर उतना कर्जा बढ़ जायेगा। इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत सरकार से हम लोगों ने बार-बार मुख्यमंत्रियों ने कहा . बार बार वित्त मंत्रियों ने कहा आप इसको ब्लॉक लोन के अंदर कन्वर्ट करके रि-शिड्यल कर दीजिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और एक साथ एक झटके के अंदर आप ब्याज को कम करें तब जाकर काम चलेगा। बार बार सुनते है दिल्ली वाले इस मामले में, क्योंकि राज्यों की लॉबी एक तरफ है केन्द्र सरकार एक तरफ है। सारे राज्यों की एक ही मांग है पार्टी लाइन से हटते हुए कि इसको करे। क्योंकि अब राजनीति के अंदर आप करे, हम करे तो हमको दिक्कत थी, आप थे तो आपको दिक्कत थी, आज आप है कल कौन दुसरे आयें। कुछ पता नहीं, फिर वो की वो दिक्कत है। तो इसका अन्त कहां होगा? इसका अन्त तो कहीं होगा नहीं और जब तक आप इसका अन्त नहीं करोगे तो काम चलेगा नहीं। आज जमाना अच्छा हो गया, देश की जी.डी.पी. बढ़ गयी, टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ गया, आपको भी पैसा ज्यादा मिल गया, आप कृपया बता दीजिएगा कि इस साल के अंदर भारत सरकार के बजट एस्टीमेंट से राज्यों को कितना ज्यादा पैसा टैक्स कलेक्शन के तहत मिला आपके शेयर का? निश्चित रूप से ज्यादा मिला है और इस साल की उन्होंने जो बार्योसी दिखायी है जिसके तहत आपने प्लान साइज को बढ़ाने की बात की है कि में प्लान साइज 7 हजार करोड़ रुपये के ऊपर ले जाऊंगी, बहुत खुशी की बात है, राज्यों का विकास हो, हमें कहा ऐतराज है। राजनीति के अंदर विकास तो अब सैकण्डरी रह गया, किस चीज के ऊपर राजनीति दलों को वोट मिलते है इसका कोई पता ही नहीं है। जनता की नब्ज को पहचानना आज बहुत टेड़ी खीर हो गयी है। आज जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है इसका पता लगाना मुश्किल है। विकास कितना हुआ, विकास को किसी ने नहीं पूछा। मैं राज्यों के नाम नहीं लेना चाहता जहां-जहां इस समस्या का सामना करना पड़ा, आपको ज्यादा शेयर मिला, आप कृपया बता दें। आपने एक बात और कहीं।आपके शासन में टैक्स कलेक्शन के अंदर राजस्थान में पिछले चार महीनों में निश्चित रूप से आपने प्रयत्न किये होगें, मैं यह नहीं कहता, हर सरकार का प्रयत्न रहता है, लेकिन आप यह कहें कि खाली आपके एफर्ट से हुआ, आप उठाकर देख लीजिए आप सेटिस्फेक्शन के लिए, आप यहां जवाब ही मत दीजिएगा क्योंकि आप भ्रांति में नहीं रहीएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आखिर के चार महीने में लास्ट क्वार्टर के अंदर हर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और हर स्टेट का बढ़ता है। आप निकलवा लीजिए पिछले चार सालों का। 10 साल के निकलवा लीजिए आप। आपके सामने फीगर आ जायेगें माननीय मुख्य मंत्रीजी की हमने कोई तीन की तेरह कर दी। दीस इज एवरी ईयर। दिवाली आयी और अकाल नहीं था, अकाल के बाद भी देखिए परचेजिंग पावर निश्चित रूप से बढ़ती है। जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे कन्जम्पशन ज्यादा होगा, टैक्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रिशीप्ट्स ज्यादा आएंगी। ये बढ़ा. अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम. शायद मुझे लगता है चार साल के अंदर या पांच साल के अंदर पहली दफा आपके बजट एस्टीमेंट, आपके सेल्स टैक्स की आपने एचीव किये। आपको बधाई, आपके महकमे को बधाई। (व्यवधान) मैं नहीं लेना चाहता, आप ही लें। आप ले बड़ी अच्छी बात है। हमने तो नवम्बर में छोड़ दिया, दिसम्बर में चुनाव हो गया। आपको बधाई, आपके महकमे को, आपके अधिकारियों को बधाई, लेकिन आप चार साल का देख लें। फिर एक बात और। मैं अलोचना के वश नहीं कह रहा हूं, हर सरकार की नीति अलग-अलग होती है।

हमने पिछले चार साल के अन्दर जब मैं आया, मैंने एडवांसेज लेना बन्द कर दिया कि हम एडवांस टैक्स नहीं वसूल करेंगे, एडवांस टैक्स नहीं लेंगे। जब यह अप्रैल, मई, जून में ही रिफ्लेक्शन जाएगा उसके बाद यह भी पता लगा लीजिए, जवाब देना लाजिमी भी नहीं है, कतई जवाब मत दीजिए कि एडवांस टैक्स कितना लिया, नहीं लिया, बड़ी खुशी की बात है लेकिन निश्चित है आप देख लीजिए, for your consumption and for your satisfaction, कि आपने एडवांस टैक्स कितना लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अब आप अपनी मशीनरी को तैयार कर लीजिए, भारत सरकार ने जो प्लान साइज को 10 हजार करोड़ से बढ़ाया है, निश्चित रूप से आपने उस चीज का ध्यान रखा होगा क्योंकि स्टेट शेयर तो मिलने वाला ही है स्टेट को 10 हजार करोड़ रुपये निश्चित रूप से मिलेगा, वह आपका प्लेन में रिफुलेक्ट होगा, आपका प्लेन साइज बढ़ेगा और आपने निश्चित रूप से ध्यान रखा हुआ है आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कि प्लेन साइज बढ़ेगी उसका एडवांटेज आप लें क्योंकि आज जो योजनाएं है, कभी-कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी अपने आप में तैयार नहीं रहते हैं। तो, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने रेजीडेंट कमीशनर के आफिस को दिल्ली के अन्दर स्ट्रांग करें। You must make it very strong there.

क्योंकि जब तक आप मिनिस्ट्री के अन्दर चक्कर नहीं लगाएंगे, आपके राज्य को पैसा मिलने वाला है नहीं। वहां पर खाली अपने जो कमिटेड आदमी हैं, जिनका कमिटमेंट हो. दिल्ली में रहना चाहते हों. आप सुविधा दीजिए उनको. हमने भी कुछ सुविधाएं दी थीं लेकिन आप उनको बढ़ा दीजिए। वहां पर जाएं. बातचीत करें. आपके बैकवर्ड स्टेट का 25 हजार करोड़ का प्लेन है. पांच साल के अन्दर पूरा होगा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह, आप उसका एडवांटेज लीजिए, आपने बजट में इन चीजों को जरूर कंसीडरेशन में रखा होगा वरना आप अपनी रेवेन्यू के बूते के ऊपर 7 हजार करोड़ रुपये का प्लेन बना लें, इसकों मैं कतई मानने कों तैयार नहीं हूं, फिर आपकी नीयत अच्छी है, मैं उम्मीद करता हूं कि प्लानिंग कमीशन आपके रिसोर्सेज को मानते हुए यह 7 हजार करोड़ के आपके एन्युअल प्लेन को मंजूरी देगा लेकिन आप इसका ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट हुए हैं, आपके जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इनकम्पलीट पड़े हुए हैं उसके तहत उन्होंने पैसा अलग रखा है तो आज मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन योजनाओं के तहत, जो भारत सरकार ने योजनाएं घोषित की हैं, जो स्कीम्स घोषित की हैं, आप कहते थे कि केन्द्र का पैसा है, आपका पैसा है, वाह, आपका अपना हक है, हमारा हक है स्टेट को प्राप्त करने का, यहां कहते थे, पता नहीं कौन कौन कहते थे कि आप तो केन्द्र के सामने कटोरा लेकर घूमते है, अब आप क्या तसला लेकर घूमेंगे? वहां ज्यादा मिलने वाला है, न तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप अपनी मशीनरी को गियर-अप करें माननीय मुख्य मंत्री जी. They should take advantage of the schemes which have already been announced in the Union Budget.

अपना हिस्सा है, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है, केन्द्र सरकार मदद करती है और आपकी एप्रोच ठीक है, हमने भी कभी नहीं कहा, हमने आलोचना की जब हमारी फरियाद को, हमारी दरख्वास्त को उन्होंने नहीं सुना। मैंने कितने ही चक्कर लगाए, तिवाड़ी जी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने कई चक्कर लगाए, हमारी आउटस्टैंडिग जो डयूज हैं, जो बकायात हैं वह हमको मिलना चाहिए, वह हमको दीजिए, नहीं मिला। (व्यवधान) अब ठीक है ना, हां वो स्थिति थी, आपकी बहुत अच्छी है, आपको जाते ही कह दिया कि आप ले जाइये, हिसाब होता रहेगा। आपकी साख बढ़िया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने जेठ जी के भरोसे बेटी पैदा की थी क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी साख बहुत अच्छी है, हमारी साख तो खराब थी। राज्य को रुपया देने के बाद गबन के दायरे में आ जाती भारत सरकार कि रुपया गबन करा दिया या मिसयूज हो गया। मिसयूज के दायरे में भारत सरकार आ जाती अगर राज्य को रुपया दे देती, यू आर लक्की, आप गई, आपको पैसा मिला क्योंकि आपको, बहुत संभव है, मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से मिला था एक दफे, मैंने कहा आप आंधप्रदेश को यह दे रहे हैं तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा साहब ने मुझे यह कहा, just belive me, what I am saying.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि आप आंध्रप्रदेश की मिसाल मत दिया करें प्रद्युम्न सिंह जी. ठीक है. मजबूरी थी. हम समझते थे कि हम दूसरे स्टेट्स के एट पार वह रखना चाहते थे हमको. मैं यह भी नहीं कहता कि कहीं उन्होंने जबरदस्ती हमारी टांग खींची हो, हम जब-जब तकलीफ में आये. हमको एडवांसेज दी. उन्होंने बेल आउट किया है, जो बात है वह सही है क्योंकि मैं आपसे यहां गप्प लगाऊं तो आपके पास रेकार्ड है सारा का सारा, आप कल कहोगे कि, आपको देखिये इस वक्त दिया उन्होंने हमको, एडवांस दे देते थे, हमारे डिवोल्यूशन का शेयर है हमारा वह हमको एक महीने का एडवांस दिया और बेल आउट किया नहीं. पेमेंट बन्द हो जाते। हमको संतोष यह रहता था कि हमारा रिजर्व बैंक में टर्न पेमेंट बन्द नहीं हुआ. कभी ट्रेजरी में हमारी वह नौबत नहीं आई, कई प्रांतों में नौबत आ गई कि हमारे चैक सिकरे नहीं. वह स्थिति नहीं आई, हमारे सब चैक सिकरते चले गये।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपकी जो टैंथ प्लेन आपने 9 हजार करोड़ का बनाया है, इसकी योजना का बजट अकाल होने के बावजूद, अकाल की कठिनाई होने के बावजूद आप इस टैंथ प्लेन को इस 7 हजार करोड़ के टारगेट को पूरा कर सकेंगे। भारत सरकार की जो-जो योजनाएं घोषित की हैं, अब नाइंथ प्लेन के ऊपर कल बहुत से भाषण दिये यहां, रामगंजमण्डी से सम्मानित सदस्य आते हैं और आपने राज्यपाल से कहलवा दिया आप उन अधिकारियों को, kindly take action against these officers. जिन्होंने बजट प्लेन के ऊपर यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहलवा दिया कि नाइंथ प्लेन पूरा नहीं हुआ। अब आप सुन लीजिए। बिलकुल सही है कि 27650 करोड़ का आपने नाइंथ प्लेन बनाया. यहां बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी सम्माननीय कटानिया जी ने नेता प्रतिपक्ष. एवं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कई और लोगों ने भी इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया था। आप रेकार्ड देख लें. फिर यह बात यहां खतम ही हो जाएगी। बार बार नहीं आएगी। आप एड्थ प्लेन में देख लीजिए कितना बढ़ा, सारे राज्यों के फीगर मैंने दिये थे, मुझे एक्जेक्ट फीगर याद नहीं है। नाइंथ प्लेन के बारे में आपने जो रिसोर्सेज की परिकल्पना की थी. आप जिन रिसोर्सेज को मानकर चले थे. इन रिसोर्सेज के आने के बाद हम 27650 करोड़ के प्लेन की पूर्ति कर लेंगे, आपका केलकुलेशन ही गलत निकला। उसके अन्दर एक्स्ट्रनल एडेड के तहत जो आपको पैसा मिला था आपने रफली 5700 करोड़ रुपये की कल्पना की थी जिसके तहत आपको मिला 930 या 970. roughly round about 950 croroes.

फिर सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के बात चली थी कि स्टेट को ट्रांसफर कर दी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जाएंगी जो कि शायद घोषणा अब हुई है जाकर। अब घोषणा हुई है उस पर भी आपको एडवांटेज मिलेगा प्लेन के अन्दर, आपका प्लेन साइज के अन्दर वह भी रिफ्लेक्शन आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह स्कीम तो हमेशा प्लेन में जुड़ी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है मेरा आप निवेदन सुनें राजेन्द्र जी, वह प्लेन क्या था। The contribution made by the State is part of the Plan. There is a distinction. The entire money does not go to the plan. वही ही सिर्फ हिस्सा है जो राज्य अपना हिस्सा देता है। आप पूछ लें, मैं कोई यह नहीं कहता, मैं गलत हो सकता हूं सही कर दें, राज्य का जो हिस्सा होता है कि जो राज्य अपना हिस्सा देता है, सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत वह प्लेन का पार्ट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास इतनी फेवरेबल स्थितियां हैं और आप प्लेन को पूरा करें। इस अकाल के बावजूद आपके अकाल के अन्दर आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। (व्यवधान) बात सुन लें महावीर जी, नहीं बोलने का तो बोले। मैं कोई ऐसी बात तो कह नहीं रहा हूं, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फालतू की बात कर रहा हूं?

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तो आदत है बोलने की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके काम का नहीं है। (व्यवधान) गंभीरता से लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इतनी फेवरबेल कंडीशन है राज्य सरकार के अन्दर, अपने टैंथ प्लान को पूरा करें कि इस अकाल के बावजूद, अकाल के अन्दर, आप देखें हमारे संग कठिनाई...

श्री विष्णु मोदी : वह टाइम निकल गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, निकल गया, निकल गया।

श्री विष्णु मोदी : निकल गया, जो नतीजा आना चाहिए था वह आ गया। आप इधर आ गये, हम उधर आ गये। तो अब इसमें पांच साल की यह राम कहानी कहां से सुनेंगे। बहुत हो गया साहब। बहुत ज्ञानवर्द्धन हो गया, बहुत हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठ जाइये। सीधे ही कह दें मुख्य मंत्रीजी को कोई जरूरी काम है. सीधे ही कह दो. मुझे कहां एतराज है। पर्सनल कंसीडरेशन तो हर मैम्बर को होता है। I am sorry. I was not aware of this fact. I will conclude now. मैं सिर्फ आपको कुछ टैक्स प्रपोजल का... नहीं. आपको जाना है, आप पधारें मैं बाद में कभी.. You have to go. जवाब भी देना है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपके पास मसाला खतम हो गया, नहीं तो फिर बोलो-बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास मसाला खत्म नहीं हुआ। राजेन्द्र जी, मेरे पास मसाला खतम नहीं हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : वो जब कन्क्लूड कर रहे हैं फिर आप, यह धौलपुर का मामला है, आप बीच में क्यों आते हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे संग कितनी तकलीफ हुई, किन परिस्थितियों में हमको काम करना पड़ा। भारत सरकार के दो साल तो, कल एक बात आपने कही कि आपका वित्तीय प्रबन्धन अच्छा रहा और आपको इंसेंटिव मनी मिला। दो दफे हमको भी मिला था, एक दफे तो निश्चित मिला था हमको, आप चैक करा लीजियेगा। एक दफा हमको भी मिला था। अब मिला क्या था? नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी हमको बाकी तो हमने कोई तीन की तेरह करी नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सब स्टेट को मिली थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सब स्टेटस को मिली थी. हमको भी मिली थी। मैं कह रहा हूं न आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको कोई आपके वित्तीय प्रबन्धन के कारण मिली हो वो नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं खुद कह क्या रहा हूं. आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो कि हमने कोई तीन की तेरह नहीं की थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एक एम.ओ.यू. साइन करके आये थे केन्द्रीय सरकार के साथ कि नौकरी घटाने की बात, क्या-क्या कह करके आये थे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं अगर कहूं कि भारत सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा हो गई इसलिए आपका रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया तौ मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं आपसे? मैंने तो यह नहीं कहा, हमने कुछ इसमें नहीं की थी, नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी राज्यों को उसमें राजस्थान को भी मिली थी। उसमें भी कंडीशन लगाई थी बाद में, कुछ रुपया रख लिया था उन्होंने कि हम उसके बाद अगर आपका वित्तीय प्रबन्ध ठीक रहा तो हम देंगे और एक साल हमको उसमें भी मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड करुंगा। मैं खाली मुख्य मंत्री जी को कुछ टैक्सप्रपोजल की विसंगतियों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और भी मुझे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आपकी सिविल सर्विसेज के बारे में भी बात करनी थी, मुझे कुछ आपको सुझाव देने थे लेकिन आपको जाना है, मैं एक बात आपसे निवेदन कर रहा था नाइंथ प्लान की जो मैंने बात की, इसके बारे में चर्चा हुई, नाइंथ प्लान पीरियड के वक्त ही आपने आक्ट्राय समाप्त की और लाटरी समाप्त की और कहा कि आक्ट्राय के पेटे हम 10 प्रतिशत नगरपालिकाओं को अनुदार देंगे जो भी उनकी राशि हुआ करती थी, कहीं वो 10 प्रतिशत बाद में थी, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया था उस वक्त और 50 करोड़ रुपये की आपने लाटरी बंद की। 400 करोड़ यह हो गया साल का, पांच साल में 2 हजार करोड़। एक्सटर्नली एडेड जो फण्ड्स आने थे वो आपके आये नहीं, सी.एस.एस. आपको ट्रांसफर हुई नहीं। साथ में आपने उसके अन्दर, सारे कागजात मौजूद हैं, आप उस वक्त यह मानकर चले थे कि आपको सैण्ट्रल के फण्ड्स में से डिवोल्यूशन मिलेगा, पर्सेंटवाइज बढ़ेगा वह बढ़ा नहीं तो आपने उन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नाइंथ प्लान की सीमा तय कर दी इसलिए वह पूरा नहीं हो सकता, उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। बार-बार यह दर्शाने की कोशिश की गई, यहां पर कहा गया, मैं खाली मुख्यमंत्रीजी की जानकारी के लिए कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं इसको आप चैक करा लें...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सारे सदन की जानकारी में आयेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पहले भी कहा तिवाड़ी जी, बदकिस्मती से हमें आपका सान्निध्य नहीं मिला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह धौलपुर का मामला अकेले में नहीं। (व्यवधान) हम सब जानकारी ले रहे है, हम सब सुनना बन्द कर दें?

श्री प्रद्युम्न सिंह : धौलपुर का अकेले क्या. आप छोडो इन बातों को, हां सुन रहा है सारा सदन. मैं कह रहा हूं, आप जवाब ही मत दीजिएगा. आप खाली संतुष्ट हो जाइयेगा कि जो मैं कह रहा हूं, क्यों-कि मैं आपको सुना चुका हूं, आप पर तो कोई असर नहीं मेरे बातों का और बार-बार आप इन बातों को कहते हैं, आप बार-बार इन बातों को कहते हैं, मैंने दो साल लगातार जवाब दिया है आपको और डिटेल में जवाब दिया लेकिन आपके ऊपर कोई असर है नहीं इसका। ये एक बात को, एक झूठ को 20 दफे बोलो तो सब सच मान बैठे है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लान की बात नहीं है। अब सिविल सर्विसेज के बारे में मैं आपसे दो मिनट में कह देता हूं। सिविल सर्विसेज के मामले को भी काडर रिव्यू को पूरे को रिव्यू करना चाहिए। आपका पुलिस का हो, आई.ए.एस. का हो, सुपर हैवी स्ट्रक्चर। ऊपर की आपकी काफी कठिनाई आ रही है। आपने कहा कि प्रिसिंपल सैक्टरी बना दिये, तीन महकमा, कभी 25 साल हुए और आपने प्रिसिंपल सैक्रेटरी नहीं बनाया, मुंह फुला हुआ है। रोज चीफ सैक्रेटरी से मिल रहे है, रोज आपसे से मिल रहे है, और मंत्रियों से मिल रहे है कि उस स्टेट में तो यह हो गया, फलां स्टेटस में यह हो गया, हमारे यहा कुछ नहीं हुआ, आज आपका ऊपर का ढांचा बहुत हैवी होता जा रहा है। कई जगह तो आपकी नौबत यह आ रही है कि आपकी स्पेशल सैक्रेटरी की जो पोस्ट थी वहां आपको सैक्रेटरी लगाने पड़ रहे है, कई डायरेक्टर की पोस्ट थी वहां कमिश्नर कर को सुपर टाइम के अफसरों को लगाना पड़ रहे है क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। आपके बोर्ड आफ रेवेन्यू में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कभी तैयार नहीं है, कभी तैयार नहीं हुआ, कोई यह नहीं की आपके वक्त में तैयार नहीं है। अजमेर का नाम लिया तो लोगों को तकलीफ। पुलिस में हाल क्या है? फलां प्रान्त में यह लो दूसरी आप बंगाल में देखे, बंगाल में 19-20 वर्ष से पहले सुपर टाइम मिलने का सवाल नहीं है। दो चार प्रान्त है क्योंकि इसका तो आपको कोई बन्दोबस्त करना पड़ेगा। हमने भी कोशिश नहीं की, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यह तो पॉलिटीकल लीड़रशिप को तय करना है। आप सिविल सर्विस के ऊपर छोड़ देगें तो सब के वेस्टडे इंटरेस्ट है। सारे के सारे के लोगों वेस्टडे इंटरेस्ट है वो कभी इसके ऊपर निर्णय नहीं लेगें। सब से पहले फला राज्य में यह था, फलां राज्य में यह है, फलां राज्य में यह है यह ले आयेंगे. अब काम नहीं है। मैं बिल्कुल विरूद्ध था जब आई.जी. रेन्ज लगाये गये। मैं बिल्कुल खिलाफ था कि आई.जी रेंज नहीं लगाया जाये. डी.आई. जी रेंज ही रहने चाहिए थे लेकिन मेरी नहीं चली। अपने विचार थे. अपने विचार प्रकट कर दिये। नहीं मानी गई. कोई जरूरी थोड़े...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने नियमों की धज्जी उड़ाई। डी.आई .जी ही रेंज में रहने चाहिए थे, आपने आई.जी.लगाकर इतना बड़ा एक एस.पी. की जगह आप डी.आई.जी., डी.आई.जी. का आई.ज़ी. करना क्या चाहते हो? मतलब सारी पुलिस व्यवस्था को नकार रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां बैठे हुए थे, यहां बैठे-बैठे लोग, हमारे पास काम नहीं है, अब डी.आई.जी के पास काम नहीं है। तभी मैंनें शुरू में कहा तिवाड़ी जी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री सुन्दर लाल : डी.आई.जी को तो आपने उप सरपंच बना दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब आर.ए.एस. , आर.पी.एस. का आप ले लीजिए। एक निर्णय हमने लिया था, पता नहीं उसकी क्रियान्विति हुई या नहीं हुई, मेरा आपसे निवेदन है कि यह आर.ए.एस., आर.पी.एस. के प्रमोशन के अन्दर जितना लिटिगेशन हो रहा है, सब की जड़ के अन्दर मैरिट फार्मूला है। मैरिट की आड़ में मैरिट-मैरिट जो काम करने वाला है उसका क्या होगा, 2-4 होगें काम करने वाले बाकी सब खुशामदी होंगे। शैतान से शैतान, निकम्मे से निकम्मे की आउटस्टेंडिंग ले लीजिए और भले आदमी को नहीं मिलेगी क्योंकि रोज हाजिरी दे रहा है जाकर, सवेरे घर पर खड़ा हुआ है अफसर के यहां कि हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। अब ए.सी.आर. लिखने का वक्त आया, बढ़िया ए.सी.आर. लिख गई और ले गये लोग। अब यह सारा लिटिगेशन जो आंपका चल रहा है यह मैरिट की वजह से चल रहा है। हमने निर्णय लिया था, उस सब-कमेटी का मैं चेयरमैन था कि we should do away with this formula, और उसमें तय हो गया था, आदेश निकले या नहीं निकलें, आप देख लें अगर आप संतुष्ट हैं, हर सरकार की अपनी-अपनी नीति होती है उस वक्त तय किया था कि इस मैरिट फार्मूलें को आप हटा दीजिये। मैरिट की आड़ के अन्दर मैरिट का प्लेसमेंट कहां हो, मैरिट का प्लेसमेंट कहां हो, ऊपर से गवर्नमेंट आफ इण्डिया का केच-अप का सिद्धान्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट का केच अप का सिद्धान्त आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसको लेकर के सारी विसंगति फैली इसलिए मैंने निर्णय किया था तो उस वक्त भी 2-3 राय थी...

राय हालांकि भिन्न हो सकती है। मंत्रिमण्डल की होती है अधिकारियों की होती है, कुछ अधिकारी, बडे अधिकारी चाहते थे we should carry on with this merit formula.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कुछ लोग बाद में आये कि नहीं, इसको खतम कीजिये तो मेरा आपसे निवेदेन है कि इसको एग्जामिन करके we should do away .

इससे सारे आपके लिटिगेशन भविष्य में समाप्त हो जायेंगें। इसको आप देख लें क्योंकि आम तौर पर जो ए.सी.आर लिखी जाती है, किस आधार पर लिखी जाती है? 90 प्रतिशत तो खुशामद के आधार पर और आपकी 10 प्रतिशत लिखी जाती है एफिशियंसी के आधार पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने वित्त मंत्री की हैसियत से केलकुलेशन कराया था, क्या, कि जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो कोर्ट में हमारे खिलाफ जाते हैं, उनसे केस लड़ने में आपका कितना पैसा खर्च होता है? एक और बहुत बड़ी समस्या है स्टेट के सामने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने वही कहा। और फ्रस्टेशन, जो आर.ए.एस अधिकारी के अन्दर इतना है कि पोस्ट आइडेंटिफाई की गई की कुछ पोस्ट इनको ये दो जिससे कि इनके जो एलिजेबल लोग हैं, उनको उन पोस्टों पर लगा देंगे जिससे उनकी जो कठिनाई हैं,उनकी दिक्कत दूर हो। लेकिन आखिर में जब तक आई.ए.एस. नहीं बने, हरेक की इच्छा होती है, प्रमोशन नहीं मिले आई.ए.एस. आई.पी.एस. के अन्दर तो दिक्कत आती है। मैं आखिरी में आपको कुछ टैक्स प्रपोजल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्रीजी, कुछ तो आपने वेट के बारे में कहा, मैं आपसे वेट से ही शुरू करना चाहूंगा। आपने कहा कि आम सहमति बनेगी। चूंकि आप; शायद एक भी मीटिंग में मुख्यमंत्री आम तौर पर जाते नहीं है...

श्री विष्णु मोदी : मैं गया था उस मीटिंग में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वेट की मीटिंग में you are not in government. तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेट की मीटिंग में आपको जाने का शायद मौका नहीं मिला व्यस्तता के कारण लेकिन अब यह लग रहा है, आपके जसवन्त सिंह जी बहुत ही कौन थे, यशवन्त सिन्हा जी भी बहुत कौन थे और जसवन्त सिंह जी ने तो मेरे सामने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा अपना रिजर्वेशन दिखाया था, आप उस समय के अधिकारियों से पूछ लीजिय, उन्होंने उस पर नाराजगी जाहिर की थी। यशवन्त सिन्हा साहब के वक्त में यह इम्पावर्ड कमेटी बनी थी और वही की वही बात दोहराई थी उन्होंने, मिस्टर चिदम्बर ने कि वेट लागू होगा। हालांकि व्यापारियों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की तरफ से, खास तौर से फुटकर व्यापारियों की तरफ से, छोटे व्यापारियों की तरफ से वेट का बड़ा विरोध है और दिल्ली के अन्दर हुआ। दिल्ली राजधानी है। दिल्ली के ट्रेडर्स नहीं चाहते थे कि वेट लगे क्योंकि दिल्ली के अन्दर सैल्स टैक्स का बहुत बड़ा लीकेज है, मैं उसे घपला नहीं कहूंगा, लीकेज कह दीजिये, वहां पर सैल्स टैक्स का बहुत बड़ा लीकेज है और अकेला दिल्ली उत्तर भारत के बहुत सारे प्रांतों को गुडस और माल के अन्दर सप्लाई करता है तो वहां हमारी पार्टी विरोध में है, आपकी पार्टी विरोध में है। चुनाव थे असेम्बली के, उसके बाद पार्लियामेंट थी लेकिन अब जो हालात नजर आ रहे हैं, उसमें वेट लगेगा और आपको वेट की तैयारी करानी पड़ेगी लेकिन हमको नुकसान होगा, यह मैं आपको आज कह देता हूं। जो डवलप्ड स्टेटस हैं, मैंने पहले भी कहा, पुन: दोहरा रहा हूं, वे नहीं चाहते हैं कि सी.एस.टी. एट ए स्टाक समाप्त हो और इसको आप गहराई से देखें, हमारे अधिकारियों ने मैंने देखा है, उस समय जो अधिकारी थे। अगर सी.एस.टी समाप्त नहीं हुई माननीय मुख्य मंत्रीजी तो राजस्थान के हितों पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आप you kindly fight it out क्योंकि वहां उसको देख लें। वहां न कोई पार्टी है, न कोई राजनैतिक दल है। सबको अपने स्टेट का ध्यान है वहां पर। सारे के सारे लोग अपने स्टेट के आधार पर बात करते हैं वहां पर। बड़े ताज्जुब की बात है उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से I succeeded in forming a group of non-developed states, of under-developed states.

मैंने कहा, मैं कह रहा हूं खा जायेंगे हमको। हमारे अधिकारियों ने जब यह बात हमारे नोलेज में लाई, मैंने कहा कि वह खा जायेंगे डवलप्ड स्टेट। हमारे यहां के उद्योग शिफ्ट हो जायेंगे तो आप इसको कृपया ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको जाना तो पड़ेगा अंतोगत्वा मीटिंग के अन्दर, क्योंकि जितना सीनियर आदमी जाता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आप अपने जूनियर मिनिस्टर को ले जाएं he will also learn there. तो यह ठीक नहीं है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगी।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अपने खाने-पीने की चीजों के ऊपर, तेल के ऊपर जो टैक्स राउंड-अप किया है, यह जो चार प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर दिया, एडिबल आयल के ऊपर, वेजिटेबल रिफाइन्ड आयल के ऊपर आपने पांच प्रतिशत कर दिया। अब सीमेंट के ऊपर दाम बढ़ेगे। पेंट्स और वार्निश के ऊपर दाम बढ़ेगे। हालांकि चाहे वह कितना ही हो, मार्जिनल हो। कारपेट्स पर जनरल रेट आपने 10.5 प्रतिशत को 12 प्रतिशत कर दिया। उसमें जनरल रेट में भी बहुत सारी कमोडिटी आती है। आपकी शायद मंशा थी नहीं थी राउंड अप करने की और 14 से 15 स्लैब्स आपने कर दिये क्योंकि वह कंसेप्ट के खिलाफ थे। वह मैं आगे बताऊंगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा. अब मैं आगे कहूंगा. फ्लोर रेट का भी कंसेप्ट. बमुश्किल फ्लोर रेट टैक्स की नौबत तब आई जबकि राज्यों के बीच में टैक्स वार शुरू हो गया था। आपने चार प्रतिशत की. मैंने तीन प्रतिशत की। तीन प्रतिशत की या दो प्रतिशत की। एक तरह का टैक्स वार चल रहा था। स्टेट के अन्दर तो बमुश्किल to all credit to Dr. Shivdas Gupta and Yashwant Shinha Saheb, उन्होंने कहा कि आज स्टेट के अन्दर जो आम सहमति बनी है, इसका वायोलेशन करेगा, उसकी 25 प्रतिशत प्लान-एड के अन्दर कटौती की जाएगी और यह तय हो गया और उसके तहत पांडिचेरी में भी काट दी गई और बिहार को नोटिस टिका दिया है that they are new following the concept. डयू डेट के ऊपर उन्होंने फ्लोर रेट मानी नहीं। तो आपको वह भी ध्यान में रखना पड़ेगा चाहे कितना ही प्रेशर आये।

मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने भी एक कम्पोजिशन स्कीम की थी गोल्ड के ऊपर और बड़ा व्यापार यहां पर बढ़ा था, लोग बहुत खुश थे और हमारी शिकायत हुई, आखिर में लड़ते-लड़ते टालते-टालते कुछ लोभ– लालच आ रहा था कि चार– पांच करोड़ साल का आ रहा था, एक-एक पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वित्त मंत्री को और साथ में इतने सारे लोग आ रहे थे, एक तरह से सर्विस सैक्टर बढ़ रहा था, इतने सारे लोग उससे जुड़ रहे थे लेकिन वहां शिकायत हुई। दिल्ली वालों ने हरियाणा वालों ने दबाके शिकायत राजस्थान की, की ओर हमसे कहा कि आप नोटिफिकेशन की कापी एडवांस में भिजवा दीजिये, चैक-अप कर लें। नोटिफिकेशन की कापी एडवांस में भेज दीजिये। अगर आपने नहीं भेजा तो हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हमने नोटिफिकेशन की कापी एडवांस में भेज दी।

आपने खली के ऊपर, हमने टैक्स माफ कर दिया क्योंकि किसानों की चीज थी, हां पशु आहार है, अकाल था, माफ किया, चलाते रहे उसको लेकिन फिर शिकायत हुई, शिकायत हुई तो फिर उसको विदड्रा किया। आपने कर दिया, हमें तो खुशी है आपने कर दिया लेकिन एक स्टेज के बाद एकं स्टेट ने फ्लोर रेट का वायोलेशन करना शुरू किया तो अंत कहां होगा

The whole system will collapse. जो कि बड़ी मुश्किल से बना है। 18 प्रतिशत गुड्स के ऊपर आम सहमति देश में बन चुकी है और एन्फोर्स कर दी लोगों ने। एन्फोर्समेंट की रेट्स यह आपने किया. मुझे मालूम है. अकाल था. किसानों की मांग थी. चारों तरफ से मांग थी. आयल मिल वालों की मांग होती है उसके अन्दर कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उनकी खली आराम से बिकती रहे। खास तौर से हमारे धौलपुर-भरतपुर में दिक्कत थी. लेकिन यह है।

आखिर में मैं आपसे एक बात कहूं. आपने महंगी शराब सस्ती कर दी. टैक्स कम दिया। विदेशी शराब जो थी, आपकी जो स्लैब थी. आन– लाटरी, कोई आवश्यकता नहीं थी रेट कम करने की। यह किसलिए किया था। इसका मूल मकसद यह था इनका कि कभी आन-लाइन लाटरी स्टेट में शुरू होतो कानून यह कहेगा कि आप दूसरे स्टेट की लाटरी को अंपने स्टैट के अन्दर चलने से रोक नहीं पायेंगे। यह डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा इसलिए इसके ऊपर हैवी सैल्स टैक्स लगा दीजिये और सैल्स टैक्स लगाकर यह आमदनी आपको उस लाटरी से मिलती रहेगी। यह सोल परबज था। फोरेन लीकर whe consume it? Either riceh people or फाइव स्टार, सुपर फाइव स्टार होटल्स के अन्दर उसको आपने यह चूंकि 34.5 प्रतिशत था. इसको आप 20 प्रतिशत पर ले आये। देखा नहीं किसी ने क्योंकि रेट कम दी, स्लैब को कम कर दिया। इस स्लैब को ले आओ 20 प्रतिशत के ऊपर, इसके इम्प्लीकेशन्स क्या है. लोग तो आपको टैक्स देने की स्थिति के अन्दर हैं। एक तरफ घी-तेल महंगा हो रहा है और विदेशी शराब सस्ती हो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी तो आप एप्रोक्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं, अभी तो फाइनेंस बिल बाकी है। मुझे लग रहा है। कि आप एप्रोक्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मैं यही बोल रहा हूं, यह फाइनेंस बिल का हिस्सा ही है। नहीं नहीं, यह फाइनेंस बिल का ही हिस्सा है। मैं आगे टैक्सेशन पर आ गया था।

इम्पोर्टेड सैंट. इम्पोर्टेड सैंट की रेट थी,वह करीब-करीब. परफयूम की रेट थी. 28.75 प्रतिशत, यह 20 प्रतिशत के ऊपर आ गई।

आर्म्स एण्ड कम्यूनिशन , यह आपकी थी 33 प्रतिशत. वह 20 प्रतिशत के ऊपर आ गई...

कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जो वर्ग टैक्स देने की स्थिति के अंदर था. जिसको घूमने आना है वह आयेगा. कोई यह सोचकर राजस्थान नहीं आयेगा फाइव स्टार होटल के अंदर रहने वाला कि यहां शराब महंगी मिलती है तो इसलिए मैं राजस्थान नहीं जाऊंगा। जिसको राजविलास में रहना है. राजविलास में रहने आयेगा. फाइव स्टार होटल में जिसको रहना है वह रहने आयेगा। तो मैं तो आपका खाली ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो लोग बाहर नहीं पीते हैं, वह फाइव स्टार में जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक चीज, आप कुछ क्लियरिफिकेशन अपने डिपार्टमेंट से ले ली जियेगा। वूलन यार्न के ऊपर दो परसेंट का आपने टैक्स रखा है, जनरल रहेगी इसके ऊपर दो परसेंट में ही रहेगा। आपके खाली महकमे के अधिकारी देख लें, नहीं तो लिटिगेशन बढ़ेगा, आपको प्राब्लम आने वाली है। टैक्सटाइल कम्पोजीशन विदडान, अब यह इसमें जनरल रेट है क्योंकि एडीशनल एक्साइज डयूटी जिसके ऊपर है वह क्या टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा नहीं, आप निकाल दी जियेगा, आपके पास लोग रिप्रजेंटेशन लेकर आयेंगे, आपकी परेशानी बढ़ेगी और लोगों में कन्फयूजन होगा तो इसको भी आप क्लियर कर दी जियेगा। अच्छा,एक चीज आपके यहां ध्यान में नहीं रही, आपके अफसरों की जल्दी के अन्दर। काटन यार्न, यह आपके डिक्लयर्ड कमोडिटी है और डिक्लियर्ड कमोडिटी पर चार परसेंट से ज्यादा आपका टैक्स हो नहीं सकता, आपने पांच परसेंट कर दिया, आप इसको भी दिखवा लें कि how has it happened. That requires the attention of the department. और सही हो जायेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो कहीं गलतियों हो जाती है लेकिन मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं अब capital goods. Setting-up of an industry. Existing industries are also mentioned.

आपने खाली दिया है अपने बजट भाषण के अंदर कि सैंटिग आफ ए न्यू इण्डस्ट्री, उसमें केपिटल गुडस पर आपने राहत दी है, अब उसमें नोटिफिकेशन में एग्जिस्टिंग वर्ड्स आ गया या दोनों की छूट है तो बड़ी खुशी की बात है, आप दोनों का दे दें। आप दोनों की छूट को देना चाहती है, दोनों को दे दें कहा दिक्कत रही है इसके अंदर। There is nothing wrong.

तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इनगट्स के ऊपर जो टैक्स लगाया, कल शायद आपने उसको विडड्रा किया है जहां तक मेरा ख्याल है, अच्छा किया आपने किया। कोयले पर आपके विसंगति थी, कोयले पर आपने करा, वह प्राब्लम थी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। ट्रांसफार्मर्स एण्ड एपीआर जो आपके हैं, यह भी कैपिटल गुड्स का पार्ट हैं प्लांट एण्ड मशीनरी। अब आपने इसके ऊपर एन्ट्री टैक्स लगा दिया। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इन चीजों को आप देख लें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सी.पी साहब की तो स्पीड बहुत तेज है और आपकी बहुत धीरे है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये. हर मौके का भाषण अलग-अलग होता है। आपके तो लग रही है क्या। यह आपने ग्रेन्युट्स के ऊपर प्वाइंट फाइव, आधा परसेंट आपने किया. अब इसको अगर आप. उसकी एक ही इण्डस्ट्री है राजस्थान के अंदर वित्त मंत्रीजी. अगर आप इसको एबालिश कर दें तो जितनी बड़ी कम्पनी हैं उनके डिपो खुल जायेंगे और आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। आपकी रेवेन्यू में इतना जबरदस्त इजाफा होगा। इसको आप देख लें, तो यही मेरा आपसे निवेदन है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अंदर मेरा एक आपसे लीगली है, इसको लीगली एग्जामिन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, आपने जनरेटेड ड्यूटी इसके ऊपर लगा दी। As per the supreme Court decision, electricity is not a raw material, Elecricity is not a raw material. But it is used.

यह कैजम्प्शन तो है नहीं, यह तो यूज की जाती है अपनी इण्डस्ट्रीज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत आपको इसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसे आप एग्जामिन करा लें। मेरे प्वाइंट्स और भी थे, काफी कह लिये, एक दो ही छूटे हैं, ज्यादा छूटे नहीं हैं, तो आपने मेरी बात गौर से सुनी, आप इस पर जो भी आवश्यक मुनासिब कदम उठाना चाहें, उठायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत धन्यवाद। कला साहब बोलेंगे?

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मुझे कोट करके दो बात कही है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके साथ. जी, मान गया।

डा. एन.एस.गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा है कि आंकड़े गलत दे रहे हैं..

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, यह नहीं कहा। आंकड़े देने के बारे में मैंने यह नहीं कहा कि गलत दिये हैं। कल यह कहा था। आंकड़े तो, आप तो विशेषज्ञ हैं इसके. आप आंकड़े गलत कैसे दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपने जो कहा है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आन रिकार्ड लाना चाहता हूं इनकी बात को।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगी।

डा. एन. एस. गुर्जर : इन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग में..

श्री सुन्दर लाल : उपाध्यक्ष जी, एक नम्बर का बुद्धिजीवी है, दो नम्बर के मोहनजी, यह दो ही हैं बुद्धिजीवी, और तो बाकी तो यों ही बैठे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : बिराज जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : गुर्जर साहब, छोड़ो इसको।

डा. एन. एस. गुर्जर : राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग में आप टैन्थ फाइनेंस का मसौदा तय करके आये, उसके जितने पैरामीटर्स उनमें पूरे नहीं दिये जिसके कारण आपका एन्युयल प्लान 5800 से 4200 पर लाकर खड़ा कर दिया तो उन्होंने नहीं माना। नहीं माना और नाइन्थ फाइव ईयर प्लान के ऊपर टेन्थ फाइव ईयर प्लान में जिन-जिन स्टेटस का पैसा बढ़ा, राजस्थान कितना प्रतिशत बढ़ा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र, यह कितने प्रतिशत बढ़ा, बतायें आप आंकड़े।

श्री उपाध्यक्ष : यह, इनके ध्यान में हैं, कई बार कह दिया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके मुख्यमंत्रीजी हैं, आप उनसे पूछिये, ऐसा है मेरे पास तो रेकार्ड है नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरे पास है, मैं बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुर्जर साहब।

डा. एन.एस. गुर्जर : सबसे कम राजस्थान, सबसे नीचे राजस्थान है सारे स्टेटस में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री उत्तर देंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने अभी जो चर्चा में हिस्सा लेकर अपनी बात को रखा है उसके लिए तो एक तो मैं धन्यवाद उनको देना चाहूंगी पर उससे यह क्लियर निकल रहा है कि it was like looking for a needle in a haystack. और इसलिए मुझे खुशी है कि बहुत ढूंढने के बाद आप कुछ-कुछ बातों को निकाल कर ला सके हो, जिन चीजों के ऊपर मैं पूरी तरह से गौर करूंगी क्योंकि हो सकता है कि इतने बड़े, इतना यूजफुल बजट प्रजेंट करने के बाद भी कोई-कोई ऐसा हिस्सा उसमें बच जायेगा जिसमें हमने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कुछ चीज मिस कर ली हो। मैं तो समझती हूं कि यह तो मेरे लिये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्व वित्त मंत्री की हैसियत रखने वाली माननीय सदस्य ने इतने गौर से इस पूरे बजट को देखकर कुछ-कुछ बातें मेरे सामने रखीं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि जहां भी उसको ट्रिम करने की जरूरत हो या उसको फाईन टयून करने की जरूरत हो, उसमें हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी। मैं यह कहना चाहूंगी आपको कि आपने शुरूआत ही जो स्टेटसमैन लाइक वचनों से किया। हम भी मानते हैं कि कई-कई ऐसी चीजों होती हैं जिनके ऊपर पोलिटिक्स नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, जिन चीजों को आज सहमति बनाकर आगे ले जाना चाहिए और मैं समझती हूं कि पिछले पांच साल का राज था, उसमें जो विपक्ष में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने भी बड़े होकर यह प्ली जरूर रखी होगी। उन्होंने भी यह बात रखी होगीं कि कोई-कोई ऐसी बातें हैं जिनको अपने को साथ मिलकर सुलझाना या सहमति लाने की जरूरत हो। मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूं क्योंकि आपने बहुत इम्पोर्टेन्ट प्वाइंट्स को उजागर किया, फैमिली प्लानिंग की बात रखी और मैं समझती हूं कि तब अगर नहीं कर सके तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अब अपने करने की कोशिश करेंगे, उसकी हिस्ट्री तो अपने शुरूआत तो की है राबी-व्यास के अंदर और उसके लिए मैंने बारम्बार, पूरे सदन को धन्यवाद दिया और में आज भी समझती हूं कि जैसी-जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, राजस्थान के अंदर ही नहीं, दूसरे स्टेटस के अंदर भी, यह देखने को हम सब को मिल रहा है कि अब पोलिटिक्स कहीं किसी हद तक छोड़ना पड़ेगा और किसी हद तक राजस्थान की या अपने स्टेट के हित को पहले ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनानी होगी और उनमें से एक इश्यू यह इश्यू आपका फैमिलि प्लानिंग का जरूर है। हम किसी से कम्पीटीशन में नहीं हैं। And that's why I am open to all suggestiongs. I keep saying और मैं भी आज भी कह रही हूं सब लोगों को कि जरूरी है कि इश्यूज जब आते हैं उन इश्यूज को हम लोगों को मिलकर सुलझाने की जरूरत है।

मैं तो मानती हूं, मैंने पहले ही दिन माना था, अपने बजट पर भी माना था कि सेंटर और स्टेट, इनके बीच में कंटीन्यूटी तो रखनी ही है। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूं कि जो स्टेट का शेयर है, जो बजट के अंदर अपने को अपना वह करना है, वह करन जरूरी होगा और स्टेट के शेयर को पे-अप करना जरूरी होगा तभी सेंटर का पूरी तरह से डवटेलिंग स्कीम्स के अंदर होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जिसमें शायद आप लोग थोड़ा सा पीछे रहें और इसलिये यह जनता के सामने भी निकल कर आया और हम लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके सामने भी यह निकल कर आया कि ऐसा लगता था कि आप बारबांर अपना स्टेटमेंट देते थे तो ऐसा लगता था कि आप किसी के सामने हाथ जोड़ कर गिडगिड़ा रहे हो कि हमें भी मदद करें जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी स्थिति में थी, जानती थी राजस्थान की परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं, आपको खाली जाने की जरूरत थी और वो आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। चाहे आंध्रप्रदेश की स्थिति अलग हो, चाहे किसी और स्टेट की स्थिति अलग हो यह जरूर है कि आपको उन्होंने मदद करने में कोताही नहीं बरती I thank you for having mentioned it.

मैं तो तसला लेकर नहीं जाऊंगी मुझे पूरा विश्वास है कि जिस रिश्ते को हम लोगों ने कायम किया है ओवर पालिटिक्स उस रिश्ते को निभाते हुए और राजस्थान के हितों को आगे रखते हुए हम पैसा लाने में सक्षम रहेंगे। हमने जिस प्लान को इतना बड़ा बनाया, आपने 7031 करोड़ का प्लान जो हमने आपके सामने रखा उसको कहा आपने कि किस तरीके से आप लोग वित्त पोषित करोगे। आपने बड़े यूजफूल सजेशंन मेरे को दिये जो इन्कंपलीट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो बैकवर्ड स्टेट के लिए पैसा है, जो सेन्टर के अन्दर प्लानिंग होकर जो पैसा अलग-अलग स्कीम्स के अन्दर रखा जा सकता है उसको किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करें, उसका आपने हमारे सामने मंत्र भी रखा। हमारी कोशिश होगी कि रेजीडेंट कमिश्नर के आफिस को हम स्ट्रेन्थन कर और पहल करके, ज्यादा पहल करके वो जो पैसा वहां दिल्ली के अन्दर है, जिसके ऊपर हमने भी एक्सरसाइज की है, उसे जितना ज्यादा से ज्यादा हम यहां ला सकें उसको लाने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए मैं जो आपने बातें रेज की हैं, जैसे एम्लोयमेंट की है और आपने यह कहा है यह कहां से कैसे होगा मैंने उसको बजट के अन्दर रखा हुआ है तो मैं नहीं समझती कि उसको दुहाराने की जरूरत है।

इसी तरीके से वैट प्रणाली के बारे में आपने बात की है आपने कहा है कि सी.एस.टी. समाप्त जब तक नहीं होगा तब तक लोगों को कठिनाई होगी, I completely agree with you. और में तो यह कह रही हूं कि no State is an island. सब लोगों को साथ में मिल कर चलना पड़ेगा। कंसेंस तो बनानी होगी एट द सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेबल और में तो यह कहना चाहूंगी कि जब तक केन्द्रीय सरकार को हम वेट लागू करने नहीं देंगे, जब तक सी.एस.टी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा और जब तक जो राजस्व नुकसान है उसकी भरपाई नहीं होगी तब तक तो हमारे स्टेट में यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लागू होना, मैं समझती हूं कि मुश्किल है। आपने यह कहा कि ब्लाक लोन्स की बात ऋणों को रिशिड्यूल्ड करके ब्लाक लोन्स में बदलने की काफी समय से यह मांग चली आ रही है और इतना ही कहूंगी कि केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्दर हमने इस विषय को रखा हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसमें हमें अनुकूल प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी मिलेगा। जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंटेज आफ रेवेन्यू रिसीट्स की बात है, आपने कहा कि इंसेटिव मनी एट ओवर 5 प्रतिशत जनता से मिला है हमारी तो कोशिश है कि मैं तो मानती हूं कि ड्राप इन दी ओशन है परन्तु यदि डेब्ट स्वेप से ड्राप इन दी ओशन हुआ अगर इंसेंटिव मनी से ड्रोप इन दी ओशन ही तो ओशन बनाता है और अगर थोड़ा सा हिस्सा उसमें से भी हम इसको आफसेट कर सकते हैं तो उसको ऑफसेट करना हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है और इसलिए यह 2004-05 के अन्दर हम स्टेट का इंसेटिव का पैसा हमें मिलेगा। मैं समझती हूं कि इससे कुछ तो हमको इससे मिलेगा। इसी तरीके से मार्केट बोरोइंग्स का आपने प्रश्न हमारे सामने प्रश्न रखा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी 2002-03 के अन्दर जिस तरीके से 732 करोड़ रुपये आपकी सरकार को मिला, हम 530 करोड़ रुपये उसमें ला सके हैं और कर संग्रहण में गत वर्ष हमने शासन की बागडोर संभाली थी तब 7 प्रतिशत की वृद्धि दर थी और चार महीने के अन्दर इसको 15.8 की वृद्धि दर पर ला दिया है। तो मैं समझती हूं कि कुछ तो ठीक किया ही होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा है न आपको बधाई दी है आपको। मैंने बधाई दी है।

श्रीमती वसन्धुरा राजे : आई एग्री, आपने बधाई दी। अब यहां सब लोग यह सोचेंगे और कहते ही हैं कि यह कहीं संभाग की बात नहीं हो पर इसलिए छूटते ही मैंने आपको धन्यवाद दिया और यह कहा कि I am honored that a former Finance Minister has taken the trouble of going through my entire Budget.

मैं पूरा जो बजट है विद द फाइनल टूथ कोम को जो उसमें से आपने निकाला है मैं समझती हूं उसमें हमें नुकसान नहीं फायदा ही होगा इसलिए आइवेल्कम इट और अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगी there are lots of proposals that will probably come up.

अपने टैक्स के बारे में भी हमारे सामने कई बातें रखी और आपने यह भी मेरे को कहा ये जो बुलियन का जो शिफ्ट हुआ है गुजरात के अन्दर ट्रेड हमारा पूरा का पूरा आप जानते हो कि बुलेटिन का ट्रेड गुजरात में चला गया था और जो रूल्स होते हैं, अतिंम दा ने तो बहुत यानी सख्ती से जरूर किया है पर जो रूल्स होते हैं दे आर मेन्ट टू

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बी. लागू सब पर लागू हो तो तब तो बात बने। अब यहां राजस्थान तो लागू कर लें और गुजरात लागू न करे और पूरा राजस्थान का ट्रेड गुजरात के अंदर चला जाये तो या तो सेन्टर में जो बाडी हैं वो एक रूल सब के लिए लगाये और अगर वह लागू नहीं कर पा रही हैं तो फिर राजस्थान को अपने हितों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और वो हमने ने किया और हम बुलियन और ज्वैलरी के ट्रेड को वापस यहां लाना चाहते है इसलिए यह कंपोजिशन स्कीम को लाएं है और कंपोजिशन स्कीम से में यह बताना चाहूंगी आपको कि गुजरात के अंदर हलचल मची हुई है और एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. और दूसरे जो इंडस्ट्रियल बैंक वगैरह वो इस बुलियन ट्रेड के लिए आगे आएं जरूरी है । मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। सब माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि मैंने सोचा था कि विस्तार से सब लोगों ने कल अपनी अपनी बातें रखी है, जो बची-खुची थी, इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उसको आपने भी फलैग कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहुती हूं पर मोटा-मोटा मेरे को यह फील हुआ है, जो भी बजट अपना बना है उससे ज्यादातर राजस्थान की जनता खुश रहेंगी। माननीय सदस्य बैर से यहां आ गये हैं। मैं अपनी बात से थोड़ा डिवीएट होते हुए इतना सा कहना चाहूंगी कि कल उन्होंने कहा था कि मन्दिरों में जाना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, बरसात तो आती नहीं है, कल रात को मैं आपको यह कहना चाहूंगी दो घंटे अच्छी बरसात हुई शायद हमारी बात उसने भी मान ली, हमारी इज्जत भी रख ली। मैं इतना सा कहना चाहूंगी कि सब लोगों ने आज और कल बड़े विस्तार से चर्चा की है उसके लिए मैं आप सब को धन्यावाद देना चाहूंगी और मैं विश्वास करूंगी कि सब लोग मिल कर इस विधेयक को पास करेंगे, सब का साथ होगा, सब का सहयोग होगा और आप सब को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान के हितों की जब भी बात होगी उन बातों के ऊपर सहयोग के साथ हम लोग सब को साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपको सब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पूरे सदन को जिन्होंने इस काम के अन्दर अपना सहयोग दिया है। सब लोगों ने अपनी चर्चा में हिस्सा लिया है और बड़े यूजफल सजेशंस हम लोगों को दिये है उसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को पारित किया जाएं?

(स्वीकृत)

विधेयक पर विचार राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक , 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पर कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ... (व्यवधान).. थर्ड रीडिंग में आ जाइये न। आपका संशोधन थर्ड रीडिंग में...(व्यवधान)...

डा. सी. पी.जोशी : ...(व्यवधान)...क्वेरी कर लेते। क्वेरी बाद में आप मान लेते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो एक ही बात है।एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

अब बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से दो-तीन एक्सप्लेनेशन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले खण्डश:। खण्डश: विचार।

खण्ड-2 व 3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व तीन स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाये।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट 94 के सैक्शन 79 में अमेंडमेंट किया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं सैक्शन-1 में जहां कमिश्नर वर्ड लिखा था उसकी जगह आपने यहां पर जो अमेंडमेट किया उसमें "where the State Govt..."क्या आवश्यकता पड़ी? अब आलरेडी कमिश्नर एम्पावर्ड था तब आपने उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ सब्सी ट्यूट किया। मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे कारण क्या था। दूसरा 79 एक्ट में आलरेडी प्रोविजन था सैक्सश 4 में "The contractor shall not collect tax on the goods under sub-section (1) exceeding the amount of tax leviable the room under the provisions of the Act" जब आलरेडी इस सैक्शन 4 में यह प्रोविजन था कि कांट्रेक्टर एक्सेसं पेमेंट नहीं ले सकता है। अब आप यह बिल ला रहे है उसमें यह लिखा है कि..

" where a contractor violates the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any officer not below the rank of Assistant commercial Taxes Officer authorized by the Commissioner, Shall after affording an appertuhity of being heard, direct that such contractor shall pay by way of penalty, in addition to the amount of excess tax collected, a sum equal to double the amount of excess tax collected by him or any other person on his behalf." इसका मतलब जो 79 एक्ट का प्रोविजन था उस एक्ट में यह प्रोविजन होते हुए भी कि

(डा. सी. पी. जोशी)

यह फिक्स आमाउंट से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकेगा. कलेक्ट होता रहा और कलेक्ट होने के कारण सैक्शन 5 में कमिश्नर को यह पावर थी। अब आप इस पावर को विथड्रा कर के स्टेट गवर्नमेंट को ले रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर पैनेल्टी डबल कर इसकी छुट्टी करना चाहते हैं। अच्छा यह होता कि वह प्राइवेट कांट्रेक्टर आपके इस कांट्रेक्ट की कंडिशन को वाइलेट कर रहा है, उसके सम्बन्ध में पैनेल्टी का प्रोविजन करते। सैक्शन में पहले ही प्रोविजन था, आज भी प्रोविजन है। इसका मतलब आप इस टेंडेंसी को, जिस टेंडेसी के आधार पर वह कांट्रेक्टर लोगों से ज्यादा पैसा एकत्रित कर सके, उस टेंडेंसी को हम रोकना हीं नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, दोनों चीजें समझाने की आवश्यकता है कि जब कमिश्नर एम्पावर्ड था तो स्टेट गवर्नमेंट को हम एम्पावर्ड क्यों करना चाहते है। क्या कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई अंतर है। इसका मतलब यह है कि हम पालिटिकल इंटरपेश को स्कोप देना चाहते हैं, लेटीट्यूड देना चाहते हैं। एक कमिश्नर जो इंडिपेंडेट काम करता है अब पोलोटिकल आधार पर करेगा। क्योंकि कांट्रेन होगा1 अध्यक्ष महोदय, इसमें कांट्रेक्ट शब्द लिखा है इसको किस तरीके का बिल्डिंग स्टोन का करना है, मार्बल का, ग्रेनाइट का जितने भी आपके कांट्रेक्ट होंगे उस कांट्रेक्ट में वाइलेशन के आधार को कमिश्नर डिटरमाइन नहीं करेगा पोलेटिक लीडरशिम डिटरमाइन करेगी इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं पहले यह स्पष्ट करें कि क्या कारण थे जिसमें कमिश्नर जो एम्पावर्ड था. वह सब काम ठीक ढंग से कर रहा था, आपका कलेक्शन ठीक ढंग से हो रहा था, पैनल्टी का क्लाज उसके पास एम्पावर करने का अधिकार था तब सरकार को ऐसी क्या स्थिति बनी जिससे हम कमिश्नर की कम्पीटेंज को नहीं मानते हुए पोलोटिक्स पावर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एक नई परम्परा इस विधान सभा में यह सदन प्रारम्भ करना चाह रहा है Political masters will determin कि पैनेल्टी कितनी होगी, कितनी छूट मिलेगी, कितनी व्यवस्था होगी. चैक पोस्ट कहां होगी. चैक पोस्ट का निर्धारण कहां करेंगे. यह एक कमिश्नर जो सेल्स टैक्स विभाग का आपका अधिकारी है, जिसके इनपुट के आधार पर यह फैसला करते हैं, उस इनपुट को तो हमने छोड़ दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करायेगी कि यहां चैक पोस्ट बनेगा. यहां चैक पोस्ट नहीं बनेगा। यह निर्धारित करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे सरकार की मंशा राजनीतिक इंटरपेस करने की है या इसके पीछे टैक्स कलेक्शन को बढ़ाकर हमारे

(डा. सी. पी. जोशी)

रेवेन्यू को जनरेट करने की है। इन दोनों के बीच क्या स्थिति बनी उसको स्पष्ट करें तब अपनी बात आगे कह सकें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा के आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है जब कमिश्नर एम्पावर्ड था, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें 13 अरब 17 करोड़ रुपये अवसूल ही रहे है, इस बात को वह क्यों भूल जाते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अभी भी स्टेट गवर्नमेंट थोड़े ही कलेक्ट करती है, मंत्री कलेक्ट नहीं करता है, कलेक्ट तो कमिश्नर ही करेगा। कभी भी सरकार के पोलोटिकल मास्टर कलेक्ट नहीं करते, पोलोटिकल मास्टर वह पालिसी बनाते हैं, कलेक्शन करने का काम तो सरकार का जो तंत्र है वही करता है। यह काम तो कमिश्नर ही कर रहा था। मंत्री थोड़ ही कलेक्ट करेगा। इस लिए मैं समझता हूं इसके पीछे कोई अच्छे कारण रहे होंगे तो समझाइए कि यह क्या कारण है जिस कारण से हम इस पावर को स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहते हैं और हमारा जो टैक्स कलेक्शन का काम है वह ठीक ढंग से ही हो सकेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, एक तो हमें यह आपको जो क्लाज है इसको समझने की आवश्यकता है कि कांट्रेक्टर आपकी टर्म्स और कंडिशन का वाइलेशन करके जनता से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। आज लोगों को तकलीफ है, लोगों को मालूम नहीं है। आपका टाइम निकल जाता है उसके बाद भी उसका कांट्रेक्ट बढ़ता जा रहा है, मनमानी की जा रही है। उसको डिसप्ले किया जा रहा है, यह शिकायतें आपके पास नहीं जा रही हैं लेकिन आज भी साधारण आदमी, गांव का आदमी नहीं जानता है कांट्रेक्ट की कंडिशन नहीं जानता है और कांट्रेक्टर के आदमी मारकूट कर उन आदमियों से पैसे ले रहे हैं, उसकी रसीद भी नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको ठीक ढंग से करने के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी मंत्री जी कि आप इसके साथ राइट टू इन्फोरमेशन एड करते, सूचना के अधिकार का क्लाज इसमें रखी। लोगों को मालूम पड़ना चाहिये जो कांट्रेक्ट आपने दिया है उस कांट्रेक्ट की टर्म्स एण्ड कंडिशन क्या हैं। यदि लोगों को यह मालूम होता, यह उसका अधिकार होता कि मुझे मालूम पड़ सके कि यह आदमी मेरे से कलेक्शन कर रहा है उस कलेक्शन के आधार क्या है, सरकार ने क्या नियम बनाये हैं, यह सूचना यदि जनता को मालूम होती तो आपका फेयर कलेक्शन होता, कांट्रेक्टर की मनमानी नहीं होती। इस अमेंडमेंट में यह लाने की आवश्कयता थी कि सैल्स टैक्स के इस क्लाज में हम राइट टू इन्फोरमेशन का अधिकार देते हैं जिससे कोई भी आदमी

(डा. सी. पी. जोशी)

उसके साथ अन्याय नहीं कर सके। यह काम तो हमने किया नहीं। हमने उसके बजाय यह काम किया है कि सरकार यह डिसिजन करेगी मैं समझता हूं बैटर रेवेन्यू कलेक्शन के संबंध में यह विचार ठीक हो सकता है लेकिन यह विचार आगे जाकर कहां से इस पोलोटिकल इंटरवेंस को रोकेगा इस सम्बन्ध में आपको अपनी राय व्यक्त करनी चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो में यह जो टैक्स कलेक्शन के ठेके दिये जाते है उसके खिलाफ हूं। सरकार अपने आपको वेलफेयर स्टेट कहती है, तो वेलफेयर स्टेट में सबसे पहले कर्तव्य यह है कि वह टैक्स खुद वसूल करें और इससे ठेके देने की नौबत ही नहीं आये। आज परीपाटी क्या हो गयी है कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में इस तरह के ठेके देने की प्रवृत्ति शुरू हो गयी है जो मैं समझता हूं किसी भी एक अच्छे राज्य के लिए कोई अच्छी परम्परा नहीं है। सर्वप्रथम तो मेरा इसी पर एतराज है कि इस तरह के ठेके नहीं दिये जाने चाहिए। या तो हम यह बात देखने के लिए तैयार है हमारा तंत्र ही कमजोर हो गया, कि हम टैक्स वसूल नहीं कर पाते है इसलिए ठेका देते है और ऐसी स्थिति में कि यह क्या परिस्थितियां बनी जो कि आपकी इसमें अमेंडमेंट 79 में लाना पड़ा1 वह क्या परिस्थितिया थी और यह अमेंडमेंट क्या लाया जा रहा है वह सारी बातें जब सामने होगी तब उसके बाद कोई सुझाव जो भी उसमें एतराज होगा. उसके बाद हम इस चर्चा में भाग लेगें।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि धारा 79 में जो संशोधन आप लाने जा रहे है हाइकोर्ट ने आपके खिलाफ आदेश जारी किया। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से बताया यह प्रथा ही गलत है कि सरकार ठेकेदारों के जरिए इस प्रकार से टैक्स वसूल करें। फिर बहुत सारा अमला जो हमारे पास सेल्स टैक्स विभाग का है वह क्या काम करेगा। हमारे पास सेल्स टैक्स विभाग में हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी है, उनके रहते हुए हम एक व्यक्ति को अधिकार दे दे कि ये सारे का सारा विक्रय कर वसूल करें ऐसी स्थिति में हाइकोर्ट जिस मामले को इल्लीगल बता दिया उसको लीगल

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करने के लिए आप यह सारी कार्यवाही कर रहे है और में खास तौर से कहना चाहूंगा कि इसमें अवैध वसूली हो रही है, एक टोल टैक्स का माफीया डवलप हो रहा है और मनमानी वसूलियां हो रही है जिससे राज्य में आंतक, भय, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है।

दूसरा बिन्दु नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन करना चाहूंगा, आपने अधिकार कमिश्नर से लेकर अपने पास ले लिये। मिनिस्टर को इतनी फुरसत नहीं रहती है कि इन कामों को डे टू डे देखे। ये सारे का सारा काम कमिश्नर को दिया जाना चाहिए ताकि टैक्स का रिलाइजेंशन हो सके। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि टैक्स का रिलाइजेंशन नहीं हुआ, यह बहुत लचर तर्क है। टैक्स का रिलाइजेंशन नहीं होने के कारण सरकार ने अपने पास पावर रख लिये। यह उचित नहीं है। यह पावर कमिशनर्स को दिये जाने चाहिए और साथ-साथ सरकार को टोल टैक्स की वसूली के ठेके के माध्यम से वसूल करने की प्रथा को खतम करना चाहिए। मैं एन्ट्री टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा, हम एन्ट्री टैक्स लेते है व्यवहारियों की किताबों के आधार पर। बहुत से ऐसे व्यापार है, जैसे मैं उदाहरण के तौर एक ही व्यापार बताना चाहता हूं, गुटके का व्यापार। 16 प्रतिशत बिक्री कर है उसके ऊपर। गुटके के व्यापार प्राय 2 नम्बर के धन्धे से होता है। तो ऐसी स्थिति में आप एन्ट्री टैक्स यदि जहां ट्रक ने एन्टर किया है सामान ने प्रवेश किया है, वही पर यदि आप उसका ध्यान नहीं करेंगे तो एन्ट्री टैक्स में भयंकर चोरी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त राज्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां विक्रय कर कि वसूली करीब-करीब 4 हजार करोड़ की है एक वर्ष में और लगभग इतने करकी चोरी हो रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है इस सम्बन्ध में क्या काम किया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने टैक्स इवेजन को रोकने के एण्टी इवेजन डिविजन को मजबूत किया और उन्होंने बहुत से जगह छापे डालकर, मैं आपको बताना चाहूंगा, संगम ट्रांसपोर्ट पर छापा डाला था 40 लाख की पैनल्टी वसूल की थी, सत्या ट्रेडिंग 22 लाख, किराणा स्टोर, सिघांना साढ़े 21 लाख और गुटको के व्यापारियों पर एण्टी इवेजन की जो रेड पड़ी उसमें 56 लाख वसूल किये। राठी टोर के ऊपर टैक्स की 18 करोड़ की मांग क्रियेट की और मार्बल डीलर्स. आमेठ के ऊपर 26 लाख की मांग निकाली और यह पैसे वसूल किये। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं. माननीय वित्त राज्य मंत्री जी आपके वक्त

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में, हमारे वक्त में सरसों के तेल से सम्बन्धित विजय सोलवेक्स में साढ़े 82 करोड़ रुपये टर्नओवर पर टैक्स चोरी जो हुई थी.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहा ले गये, आप कहां पर ले गये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : थर्ड रीडिंग के ऊपर पूरे डिपार्टमेंट पर बोल सकते हैं, आपको मालूम नहीं है। मैं धारा 79 पर बोल चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भाग्यशाली है, ऐसे विद्वान प्रतिपक्ष के नेता,जय हो आपकी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको इतना ही पता नहीं है, आप अपने स्थान से बोले। आप जैसे विद्वान पर हमको गर्व करना चाहिए कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपको यही पता नहीं है, कहां से बोलना चाहिए और मेरे को करेक्ट कर रहे है, आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप गुरू हैं, इसलिये आपको प्रणाम कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : विजय सोलवेक्स पर छापा तो मार दिये लेकिन टैक्स कितना लगाया, यह बता दो आप तो...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बता रहो हूं अभी बैठो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : बता दो, अलवर की है। हम उधर बैठे थे तब यह विजय सोलबेक्स के छापा पड़ा था और हमने प्रतिपक्ष के रूप में वहो जब बैठे थे (व्यवधान) उसके बाद छापा पडा और छापा पडने के बाद में उसका कुछ नहीं बिगडा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यही मामला मैं बता रहा हूं ...(व्यवधान) साढ़े 82 करोड के...(व्यवधान)।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने यह लगाया...(व्यवधान) उसको देखो आप तो।और आपके इनमें जितना टैक्स उसको भी नोट कर लो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजिये। (व्यवधान) टैक्स चोरी जो जांच में पायी गयी इसमें आयुक्त ने वहां पर 10 करोड़ रुपये की डिमाण्ड निकाली और उस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो रही थी कि आपकी गवर्नमेन्ट आ गयी। मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्या कार्यवाही की। (व्यवधान) +++ हम तो हाथ जोड़कर आपसे यह निवेदन करते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : +++ असंसदीय है, यह शब्द निकाल दिया जाए। +++ शब्द एक्सपंज किया जाए।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, बिना मतलब यहां भी क्यों ऐसा कह रहे हो। एक साल पहले निकला नहीं था, साल भर में आपने कार्यवाही नहीं की उसका सारा पैसा छोड दिया और वह मंडा हुआ हिसाब भी छोड दिया। आप थोडा अपने रेकार्ड से बोलो और अफसर बैठे हैं उनसे पहले पूछ लीजिए कि कब उसके पैसे छोडे और अलवर में ही है विजय सोलबेक्स और हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं, विजय सोलबेक्स को। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजिये। अध्यक्ष महोदय खास बात यह हुई कि जिस अधिकारी ने जांच की, उसी अधिकारी से जांच करवायी गयी जिसने गडबड की । उसी से जांच करवायी है और उसकी कोई जांच नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि पूरी जांच की जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। आपकी सरकार ने क्या किया। आपकी सरकार ने बी. के. गोयल, असिस्टेंट कमिशनर को प्रमोशन दिया, जिसके ऊपर ए.सी.डी. के मामले चल रहे थे। हरिमोहन गुप्ता की 16 सी.सी. में कार्यवाही चल रही थी, उसको आपने प्रमोशन दिया और बी.के. गोयल को, जो मामले में जांच कर रहा था उस जांच को, इसी ने एक तरह से सारे मामले को रफा दफा कर दिया, इसी का प्रमोशन कर दिया। इस प्रकार से कुल मिलाकर सेल्स टैक्स की यदि बेहतर वसूली करनी है तो खास तौर से, जो एक तो ट्रांसपोटर्स हैं, गुटके के व्यापारी है, मणिहारी के व्यापारी हैं, किराने के व्यापारी हैं और जो खास तौर से सरिये बनाने वाले हैं जहां पर टैक्स इबेजन भारी मात्रा में होता है उनके लिये एक तो इफेक्टिव तौर पर काम करना होगा। जो हमारा बकाया कर है बिक्रिकर, उसकी बेहतर वसूली के लिये कार्य करना होगा। कितने वर्षो में, कितनी फर्मों में कितना कितना पैसा वसूल करना बाकी है उसकी बेहतर वसूली के लिये आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। एण्ट्री टैक्स जिन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जिन्सों के ऊपर लगता है, वह व्यवहारी की बुक्स के आधार पर नहीं बल्कि जहां एण्ट्री होती है वहां पर यदि आप करेंगे तो टैक्स इबेजन को रोक पाएंगे। इसके अलावा मैं खास तौर से आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। कि सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी लोग अच्छा काम करते हैं उन लोगों को 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवधि नहीं करके जो ईमानदार अफसर हैं, जो चरित्रमान अफसर हैं उनको तबज्जोह देनी चाहिए और एण्ट्री इवेजन डिवीजन को इफेक्टिव बनाना चाहिए तब जाकर हमारा सैल टैक्स डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम कर पायेगा। मैं पुनः आपके माध्यम से वित्त राज्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि धारा 79 में जहां एक ओर राज्य सरकार पावर्स ले रही है, उसी प्रकार जो ठेकेदार अनियमितताएं करते है, ठेकेदारों द्वारा जो पुलिस के पावर इस्तेमाल किये जाते हैं, उसके ऊपर रोक लगाने कि लिये उपलब्ध लाना चाहिए ताकि उनका माफिया बनाने का जो तरीका है, उसके ऊपर रोक लगायी जा सके ।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। लेंग्वेज आप देखें। ओरीजनल एक्ट में लिखा है...It is in the interest of the State,

और जो अमेंडमेंट आप ला रहे, माननीय मंत्रीजी उसमें लिखा है

It is in Public interest.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ओरीजनल एक्ट है उसमें यह लिखा हुआ है कि "Where the commissioner is of the view that without establishing a departmental check post, it is in the interest of the state...."यह ओरीजनल एक्ट था, स्टेट, राज्य के हित में। उसको करके हम क्या रख रहे हैं अब..."State Government is of the opinion that without establishing a departmental check post, it is in public interest..."

अब मुझे माननीय मंत्री महोदय बतायें कि ओरीजनल एक्ट में है उसमें है स्टेट का इंटरेस्ट, राज्य का हित है। अब आप इस राज्य के कोष में पैसा जमा हां, राज्य के शब्द को हटाकर पब्लिक इंटरेस्ट रख रहे हैं। यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड्स लिखने के पीछे क्या मंशा है, कृपया इसको भी स्पष्ट करें। यह अमेंडमेंट में आपने मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : डा.एन.एस. गुर्जर।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाया गया है, अभी नाथद्वारा से आने वाने माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा बिन्दु उठाया, स्टेट इंटरेस्ट एण्ड पब्लिक इंटरेस्ट। यह लिखा हुआ तो इंग्लिश में अलग अलग है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अन्तर है। स्टेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट एक ही होता है। स्टेट पब्लिक से ही बनती है लोकतंत्र में। इसलिये कोई भी कलेक्शन होगा, वह कलेक्शन होगा, अब पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेट कोई भी कदम उठाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में उठाते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह अलग बात है।

डा. एन. एस. गुर्जर : वह अलग बात होती है तो क्या है, इसमें क्या बात हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : Hon'ble Nathusinghji, there is difference between public interest and State interest.

डा.एन.एस. गुर्जर : केवल स्टेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट लिख दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नाथूसिंहजी, पब्लिक और स्टेट में बहुत फर्क है। पब्लिक और स्टेट में फर्क है। अपना-अपना इण्टरप्रिटिशन का फर्क है।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप मुझे सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि आप कोई भी.....

डा. सी. पी. जोशी : कोई बात तो मंत्रीजी को रखने दीजिए। वे जवाब दे देंगे, आप क्यों कर रहे हैं। आप अपनी बात कहिये।

डा.एन. एस. गुर्जर : अच्छा, चलिये, वे देंगे। (व्यवधान)

इसके माध्यम से केवल इतना किया गया है कि ठेकेदार कलेक्शन करते हैं जो वह उनके पास ज्यादा ले जाते थे, अब इसमें इसके द्वारा यह कर दिया गया कि स्टेट में जमा होगा, वह पैसा सारा का सारा, ज्यादा वह नहीं ले जा सकेंगे। उसके बाद जितना तय किया गया है उतना तो उनको जमा कराना ही पडेगा। लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो वह भी स्टेट में जमा होगा। व्यवधान एक मिनट, सुन लीजिए कंसेप्ट ही बदल गया। लेकिन इसमें अध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि यह आज तक जो अनुभव रहा है स्टेट का, यह ठेके पर क्यों दिया जाने लगा है, चाहे बजरी का ठेका हो, चाहे यह सैल्स टैक्स का है?

डा. सी. पी. जोशी : सारी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। स्टेट का फंक्शन था रेवेन्यू कलेक्शन करना। इसलिये सेल्स टैक्स के एम्पलायी रखे थे। इसलिये वड्‌र्स स्टेट लिखा हुआ था। It was the duty of the State. इसलिये इसके अन्दर कामर्शियल टैक्सेज डिपार्टमेंट में एम्पलायी रखे, यह इनका काम था।

इसलिये इनके काम को हम निकाल कर पब्लिक के नाम पर कोट्रेक्ट पर देना चाहतें है। यह बात कहनी चाहिये। आप बात उल्टी कर रहे है। हमको The moment the State, तो आपका जो एस्टेब्लिशमैंट डिपार्टमेंट है सेल्स टैक्स का, जिसकी डयूटी थी सेल्स कलेक्ट करे, उस डिपार्टमेंट को बाइड- अप करना पडेगा। यह बांइड अप नहीं करके आप काम करवाना चाहते हो। जनता पर तो टैक्स का बोझ लगा रखा है कि एस्टेब्लिशमैंट डिपार्टमेंट रहेगा, सेल्स टैक्स का डिपार्टमेंट रहेगा, माइन्स का डिपार्टमेंट रहेगा, और उनकी तनख्वाह भी मिलेगी। यह पैसा देंगे हम लेकिन पब्लिक इन्टरेस्ट में कांट्रेक्टर को हम इकट्ठा करने के लिए कहेंगे। यह अमेंडमैंट शायद आप इसमें करना चाहते हैं बाकी It was the name of the business. इसको आप क्लियर कर लें। मंत्रीजी, यह मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, यह सेल्स का.... व्यवधान एक मिनट, आप बोल लेना।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि...व्यवधान एक सैकण्ड, सेल्स टैक्स अमेंडमैंट से सम्बन्धित नहीं?

श्री अध्यक्ष : आपने दोनों काम कर दिये। आपने मंत्री का भी काम कर दिया और सदस्य का भी कर दिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं कमी का नहीं कहता हूं कि यह सेल्स टैक्स की बनिस्वत सरकार को अमेंडमैंट लाना चाहिये, इसमें सेल्स टैक्स में। आपका आना चाहिये। यह स्टेट से पब्लिक वर्ड्स करके सेल्स टैक्स में जो अमेंडमैंट कर रहे हैं यह कांस्टीट्यूशन का वायलेशन है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिना कांस्टीट्यूशन अमेंडमैंट किये हुए स्टेट इण्टरेस्ट की जगह पब्लिक इण्टरेस्ट शब्द जो ला रहे हैं, यह आपका जो बिल है वह नल एण्ड वाइड है। पहले आप इसमें आइये। सरकार लेकर आये कि हम इस चीज को इसमें करना चाहते हैं और फिर आप इसके साथ आए तब तो यह ठीक है बाकी आप इसमें कुछ देखे ही नहीं, कोई आदमी स्टेट की जगह पर पब्लिक लिख लें और नाथूसिंह जी जैसे पी.एच.डी, एलएल.बी और एलएल.एम किये हुए कहते हैं कि स्टेट और पब्लिक एक है। मैं समझता हूं कि इतना बडा अपराध को जाएगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं व्यवधान

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने ऐसा नहीं कहा कि स्टेट और पब्लिक एक है।

डा. सी. पी. जोशी : कृपया स्टेट और पब्लिक दोनों चीजों पर ध्यान रखें।

डा. एन. एस. गुर्जर : विधान सभा में आप यह नहीं कहें। गलत तरह से यह पेश कर रहें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : State is different. इसको करेक्ट कर लें पहले।

डा. एन. एस. गुर्जर :माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं उनको यही मालूम नहीं है। यह मैंने बोला कुछ है और आप कह रहे हैं कुछ। स्टेट और पब्लिक एक ही है, ऐसा नहीं कहा बल्कि स्टेट इण्डरेस्ट और पब्लिक इण्डरेस्ट और पब्लिक इण्डरेस्ट एक है, मैंने यह कहा है।

डा. सी.पी. जोशी : मैंने यह नहीं कहा। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : स्टेट और पब्लिक एक है, यह नहीं कहा है मैंने, स्टेट अलग है और पब्लिक अलग है यह बात तो हुई, इस बात से तो आम

(डा. एन. एस. गुर्जर)

आदमी भी सहमत है लेकिन पब्लिक इण्टरेस्ट और स्टेट इण्टरेस्ट एक ही होता है, अलग-अलग नहीं होता है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह रेवेन्यू कलेक्शन का अमेंडमेंट है, रेवेन्यू कलेक्शन का...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अलग अलग नहीं होते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : स्टेट का काम था कि सेल्स टैक्स हमने लगा रखा है तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करे। व्यवधान इसमें आप पब्लिक इण्टरेस्ट के नाम से नहीं कर सकते। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बीच बीच में, अध्यक्ष महोदय, कितनी बार खडे होंगे बोलने के लिए? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से नहीं कर सकते। आप सारे कांस्टीट्यूशन को इस तरह से करना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : वह कितनी बार में अपनी बात पूरी कहिये?

डा. सी. पी. जोशी : आप पूरी कहियें।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह कितनी बार में अपनी बात पूरी करेंगे?

डा. सी. पी. जोशी : जितनी बार आप कन्फ्यूज करेंगे, उतनी बार।

डा. एन. एस. गुर्जर : कितनी बार खडे हो गये। यह बार-बार, जैसे स्प्रिंग लगी हो, खड़े हो जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो विद्वानों के बीच में असहाय हो जाता है आसन तो।

डा. एन. एस. गुर्जर : लेकिन, I am in possession of the floor of the House. मैंने आपका ध्यान आकर्षित कर रखा है। आपने मुझे परमिशन दी हुई है। वे चाहे जब बीच में खडे होकर इण्टरप्ट करने लग जाते हैं। मैं तो नहीं कर रहा हूं उनको। देखो जब वे बोले तब तक मैं नहीं खडा हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनका नाम नहीं लेते।

डा. एन. एस. गुर्जर : इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप एक सदस्य जब बोले तो दूसरा इण्टरप्ट करें पूछने के लिए करें तो उनकी इजाजत से करें तब तो आप परमिट करिये वरना आप चाहे जब चाहे जब बीच में खडे होकर कोई भी किसी के बीच में बोलने के लिए खडे हो जांएगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं।

डा. एन. एस गुर्जर : यह कोई डिबेट का तरीका? (व्यवधान)

(समय: 15.45 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप अपने स्थान से बोलिये। हमको नियम सिखाते हो, खुद तो, आप कम से कम नियमों का पालन करो, अपनी जगह से तो बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति : डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको आप। **एक माननीय सदस्य** : इनको क्या कह रहे हो आप?

डा. एन.एस.गुर्जर : सभापति महोदय, यह इसलिये लाया गया कि अगर कलेक्शन पूरा होता रहता है जमा होता रहता है स्टेट को और इसकी टैक्स की चोरी नहीं होती तो यह अमेंडमेंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ठेके पर देने की आवश्कता थी। चाहे सेल्स टैक्स के ठेका है, चाहे आपके बजरी के, ईंधन माइन्स के, जो कलेक्शन का ठेका है, माइन्स का उसमें भी जहां रेवेन्यू उनकी, आप देखो उठाकर कि जब गवर्नमैंट के एम्पालाइज या जो गवर्नमैंट डिपार्टमेंट कलेक्शन करते थे उस समय कितना कलेक्शन होता था और जब ठेकों पर दिये जाने लगा तो तब उनका कलेक्शन कितना बढ गया? आप भी उस समय सदन में बैठकर माननीय सदस्य यही बात कहते थे कि टैक्स की चोरी हो हैं। इस टैक्स रेवेन्यू को बढाने के लिए जब से ठेके पर दिये जाने लगा तब से हर चीज को देख लीजिए। इसमें टैक्स का कलेक्शन बढता

(डा. एन. एस. गुर्जर)

गया और आज भी बढ़ गया। आज माइनिंग का 60 टैक्स की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा हो, मिली भगत से काम हो रहा है, करोड़ रूपये हो गया। एक जमाना था जब माइनिंग से केवल 150 से 200 करोड़ रूपये या 130 करोड़ रूपये के आस पास आपको कलेक्शन होता था। यह एक मिनट व्यवधान और इस तरह से टैक्स का देखिये, सेल्स टैक्स का देखिये कि सेल्स टैक्स से पहले जिन नाकों पर, एक-एक बजरी का ठेका नाको ही ले लीजिए आप। फोर एगमल रोक का नया उसमें पहले जब डिपार्टमेंट कलेक्शन करता था तो कितना कलेक्शन करता था और अब कलेक्शन होता है ठेके पर, एक कम्पीटेटिव बिड होती है और बिड के आधार पर यह जो...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नाथूसिंहजी, कलेक्शन बढा है यह तो मान लिया लेकिन जो गुण्डागर्दी जो दादागीरी और जो बदमाशी वहां पर हो रही है वह टालरेबल नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं वही कह रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : सूनिये न। वह जो एक्सेस अमाउंट वसूल करते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : Let me come to that point.

श्री हरिमोहन शर्मा : और उस पैसे को वसूल कर लेते हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : Let me come to that point.

श्री हरिमोहन शर्मा : उससे स्टेट को तो कोई फायदा नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : Let me come to that point.

यह सही है कि कलेक्शन बढ़ा है और इसके आज ग्लोबलाइजेशन का जो कन्सेप्ट है उस ग्लोबलाइजेशन के कन्सेप्ट के अन्तर्गत ही आपने लिब्रलाइजेशन, केन्द्र सरकार, लिब्रलाइजेशन का मतलब क्या? मुझे यह बता

(डा. एन. एस. गुर्जर)

दीजिए। क्या जितने भी यह उपक्रम हैं, उनका प्रोइवेटाइजेशन किया क्यों जा रहा ? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार है दिल्ली में। आपके चिदम्बरम साहब को कहिये कि वे नहीं करें, उनका लिब्रलाइजेशन नहीं करे। कांट्रेक्ट पर नहीं दे। आप पुछिये उनको जाकर कि चिदम्बरम साहब, क्यों कर रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहनसिंहजी ने यह थ्योरी क्यों दी? आपके समय में 1992 में यह शुरू क्यों हुआ? नरसिंह रावजी ने शुरू किया। इसलिये सभापति महोदय, कलेक्शन बढता है। इसलिये गवर्नमैंट का कलेक्शन बढाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमैंट के ऊपर एक तरफ लायबिलिटि कम हो, उसकी चिन्ता कम हो बेस्ट गवर्नमैंट के लिए कहा भी गया है जितनी कम गवर्नमैंट सिकुड कर रखेगी अपने आपको उतनी की अच्छी गवर्नमैंट मानी जाती है। हर चीज में, समाज के हर मामले में दखल देने लग जाएगी सरकार, उस सरकार को अच्छी सरकार की श्रेणी में नहीं कहा जाता है। यह अच्छी गवर्नमैंट का कंसेप्ट है लेकिन इसमें जो एक दिक्कत आ रही है, वह यह है, सभापति महोदय, कि यह जो टैक्स वसूल किया जाता है, कई बार जितने भी नाके हैं, उनके ऊपर माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि वहां पर गुण्डागर्दी होती है। वहां पर ज्यादा पैसा लेते हैं और रसीद कम की देते है। वहां पर माफिया है, उन्होंने कैद कर लिया। कई बार ट्रकों का जाम लग जाता है रोड्स के ऊपर तो इस चीज को रोकने के लिए इसमें आपने कोई प्रोजेक्ट किया होता कि अगर इस तरह कोई करेगा, ज्यादा टैक्स लेकर कम की रसीद देगा यह माफिया बन गये, इनको कैसे रोका जाए? यह जो गुण्डागर्दी करवाते हैं उनको कैसे रोका जाए, इस तरह का प्रोजेक्ट इस एक्ट में, इस अमेंडमैंट में नहीं है। इस तरह की चीज होनी चाहिये इसलिये यह जो लाये हैं मैं तो समझता हूं कि यह तो पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसलिये पब्लिक इंटरेस्ट शब्द इसमें लिखा है लेकिन इसके साथ-साथ यह जो इसके निगेटिव आस्पैक्ट्स हैं उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? उसके बारे में भी बतायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो...

श्री सभापति : अब बहुत माननीय सदस्य बोल लिये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे अपनी बात को रखेंगे। हमने हमारा अमेंडमैंट दिया है, आप रोक सकते हैं क्या हमको? अपनी बात कहने का मौका है पूरा।

श्री सभापति : प्रेम से बात करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर कही कि साहब खनिज से आपकी आय बढी है तो खाने भी बढी हैं। लाइसेंस भी बढे हैं इसलिये उसकी व्यवस्था को देखना चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन दिनों सरिस्का में आ गये अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश।

श्री विष्णु मोदी : कम हो गयी है। यह तो जो किया है उससे बढी है। यह तो सिस्टम किया है, उससे बढी है। पहले कम हो गयी थी।

डा. एन.एस. गुर्जर : XXX सारी, माननीय सदस्य। (व्यवधान) 92 से ही कम हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो विक्रय कर संशोधन विधेयक, 2004 के अन्दर आप 1995 में...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : XXX शब्द मैंने वापस ले लिया। दोनों तरफ से बोले जा रहे थे तो बीच में मैं भी बोल गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो धारा 1979 में जो संशोधन ला रहे हैं। 1979 में आप यह जो संशोधन ला रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य न कहा कि पहले तो सरकार की मंशा क्या है? आप यह क्यों ला रहे हैं आप इससे क्या चाहते हैं? यह आप जरा कृपया, इसमें बतायें। दूसरा मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं माननीय राज्य वित्त मंत्रीजी से कि आपका सेल्स टैक्स का जो आर्गेनाइजेशन है, जो आपका स्ट्रक्चर है, आप उसको डिमोलिश करेंगे क्या? आपने टैक्स वसूलने के लिए अलग बना रखा है, उसके सुपरवीजन के लिए अलग बना रखा

है, आपने उसकी मानिटरिंग के लिये अलग बना रखा है। बिजिलैंस अलग बना रखा है, यह सब क्या नाकारा साबित हो गया। इससे आप कोई कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आज स्थिति यह है कि यहां रामगढ रोड के ऊपर पशु हटवाडा भरता है, चैनपुरा में। हमारे मेवात के आकर, दूसरी जगह के लोग भी वहां पर, पशु पालक आते है। पर्ची काटता है ठेकेदार, उत्तर प्रदेश की। वह कहता है कि भाई, मैं तो नगर ले जा रहा हूं, कामां ले जा रहा हूं, रामगढ ले जा रहा हूं तो कहते हैं कि नहीं, साहब अगर आउट आफ द स्टेट जाए तो उसका ज्यादा टैक्स है और विद इन द स्टेट जाए तो उसका कम है तो चाहे कहीं भी ले जाओ आप, पर्ची वहीं की काटकर पैसे ज्यादा ले रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। वह पशु पालकों के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं? आप कहीं भी टोल टैक्स पर चले जाएं, पहले मंशा यह रहती थी कि जब ठेकेदार का समय समाप्त हो जाता था और सरकार के अधिकारियों के पास या विभाग के पास उसका ठेका आ जाता था तो विभाग के लोग आधों को पैसे देकर जाने देते थे और आधों को छोड देते थे। उसके बाद ठेकेदार तर्क देता था कि साहब, इसका इतने टाइम का आप एवरेज निकाल ठेका दे दें। यह बात सही है कि जब से प्राइवेट सैक्टर के अन्दर आपने यह सारी चीजों को दिया है, देने से आपका रेवेन्यू लीजिए और उस एवरेज के दिमाग से कलेक्शन बढ सकता है।

आपका सैल्स टैक्स बढ सकता है लेकिन वह जबरन वसूल करके बढ रहा है। उसका जितना भार आम आदमी पर पड रहा है उतना टैक्स आपके सरकारी खजाने में जमा नहीं हो रहा है। सरकार को उसका नुकसान हो रहा है। इसके सुधारने के लिये आप क्या करना चाहते है? आपका जो आलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है क्या आप उसको डिमोलिश करना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं इस सारी व्यवस्था में? वह भी बरकरार रहेगा और ठेकेदार ही यह काम करेगा यानि तनख्वाहें भी चलती रहेंगी और भत्ते भी चलते रहेंगे और सुविधाएं भी चलती रहेंगी और काम भी प्राइवेट एजेन्सी करेगी और वह वहां दादागिरी भी करेगी और आतंक भी मचाएगी। जो दोहरी व्यवस्था आप लागू करना चाहते है यह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सुझाव है कि इसमें खामियां हैं। ऐसी क्या जल्दी आ रही है कि इसको आप ला रहे हैं। इसको पहले आप जनमत जानने देते। लोगों के व्यूज इसके ऊपर लेते। जो इसमें प्रभावित लोग हैं उनमें लेते,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जनता से लेते। दूसरे आर्गनाइजेशन हैं उनके लेते और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भी संघ बने हुए हैं उनके व्यूज भी आप लेते कि वह इस सम्बन्ध में अपनी क्या राय देते हैं इसके बाद आप इस तरीके का संशोधन यहां लाते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसलिये पहले सरकार की मंशा क्या है, आप कमिश्नर से हटाकर सरकार को पावर क्यों लेना चाहते हो। यहां टोडारायसिंह से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कह दिया कि पब्लिक का इन्टरेस्ट एक है......व्यवधान

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, आप टोडारायसिंह से आने वाले माननीय विधायक के लिये इस तरह से सरकास्टिक वे में नहीं बोलेंगे। यह बिलकुल ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल ठीक नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बोला? आप इससे ज्यादा कुछ कहलवाना चाहते हो तो भी नहीं कहूंगा। वह मेरे मित्र हैं और एल.एल.एम में मेरे क्लास फलो हैं।

डा. सी. पी जोशी : वह विद्वान हैं। यह खुद विद्वान हैं। वह पीएच.डी.एल.एल.एम हैं यह नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, जो मैंनें कहा उससे अगर आप ज्यादा उनके बारे में कहलवाना चाहते हो तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य एलएलएम में मेरे क्लास फैलो हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं नाथूसिंह जी विद्वान जी विद्वान हैं, विष्णु जी बुद्विजीवी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी एम.काम. में मेरे क्लास फैलो थे। आप तो कम से कम बैठ जाइये, मेरी बात का समर्थन कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक निवेदन करना चाहूंगा विद्वान कौन है सदन में, इसकी डिग्री देने का एक मात्र अधिकार सुन्दरलालजी को है तो सुन्दरलाल जी जिसको डिग्री दें उसको विद्वान मानें।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुन्दरलालजी तो मुझे देंगे।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : ऐसे डिग्री नहीं मिलती जो ऐसे ही खडा हो जाए, वह तो मैं फैसला करूंगा आपके पास फैसला ही नहीं है। यह तो विद्वान का फैसला सुन्दरलाल देगा, कोई और नहीं देगा।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह ठीक बात है। झुन्झुनूं जिले की स्थिति यह है कि ऐसे आदमी को सुन्दरलाल कहें, झुन्झुनूं में तो सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा, आपसे छिपा नहीं हो सकता। इसलिये आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था। एक वहां पर भीख मांगता है उसका नाम भी किरोडीमल है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी विराजमान हैं, वित्त राज्य मंत्राजी भी विराजमान हैं, मैं इनमें यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं? किस आधार पर यह टैक्स बढ़ेगा यह जिस तरीके से आतंक और गैर-कानूनी कार्यवाही हो रही है, रूकेगी? जनता टैक्स दे इसमें हमको कोई एतराज नहीं है। एक वैलफेयर स्टेट में टैक्स आना चाहिये। अगर टैक्स नहीं आयेगा तो आपकी वैलफेयर स्कीम बन्द हो जाएगी। इसलिए हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन टैक्स गलत तरीके से वसूल किया जाए, नाजायज तरीके से वसूल किया जाए, गलत हाथों से वसूल किया जाए इसके हम पक्षधर नहीं हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें सम्बन्धित अध्यादेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है और सरकार को इसे पारित करना ही है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को जनादेश किस लिये मिला? किस आधार पर राजस्थान की जनता से इस सरकार ने जनादेश प्राप्त किया? राजस्थान की जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि हम राजस्थान में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक वातावरण बनाया गया और जनादेश लिया गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, क्या राज्य सरकार के इस विधेयक से यह परिलक्षित होता है...(व्यवधान) बहुत अच्छा होता कि सरकार अपनी आन्तरिक कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करती। बहुत अच्छा होता जो शासन में कमियां रही हैं, हमारी आन्तरिक कमजोरियां है, उनको दूर करने की कोशिश करती। अब यह लिखा

(श्री संयम लोढ़ा)

है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में इस विधेयक को लाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन का कारण और माध्यम बनेगा यह विधेयक, जैसा कि पिछले सात-आठ-दस दिन में भी यह चर्चा हुई है कि इस ठेका पद्वति के माध्यम से नागरिकों के अधिकार का किस रूप में हनन होता है, यह हम सब लोग जानते हैं और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासन में चुंगी का काम ठेकों पर देने का भी हुआ था वह प्रयोग किस रूप में रहा, उसके क्या प्रभाव रहे? इसको सारा सदन जानता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठेका पद्वति, जिसको आगे बढाने का काम सरकार कर रही है, इससे नागरिकों की स्वतन्त्रता का हनन होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय सभापतिजी, प्रस्तावित संशोधन विधेयक से पूर्व राजस्थान कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 के अन्तर्गत आकस्मिक वस्तुओं जैसे भवन निर्माण कि लिये काम आने वाला पत्थर, गिट्टी, बजरी आदि एवं पशुधन पर ठेके के आधार पर कर संग्रहण किये जाने की व्यवस्था थी। ठेका देने से पूर्व आयुक्त वाणिज्य कर विभाग द्वारा ठेके के सम्बन्ध में आरक्षित राशि तय की जाती थी। तत्पश्चात ठेका राशि के लिये निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तो के अनुसार नीलामी आयोजित की जाकर ठेके के सम्बन्ध में बोली लगाई जाती थी। जिस बोलीदाता की बोली अधिकतम होती थी उस पर विचार कर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग द्वारा ठेका स्वीकृत किया जाता था। ठेकेदार द्वारा कर की वसूली करने से पहले राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध का निष्पादन करना होता था। ठेकेदार इस अनुबन्ध के अधीन रहते हुए निर्धारण कर दर से कर की वसूली करता था तथा मासिक किश्तों के रूप में पूर्व निर्धारित ठेका राशि जमा कराता था। ठेकेदार द्वारा वसूल की गयी कर राशि स्वीकृत ठेका राशि जमा अधिक अथवा कम भी हो सकती थी। दोनों परिस्थितियों में ठेकेदार द्वारा राजकोष में पूर्व निर्धारित राशि ही जमा कराई जाती थी। कर की वसूली की समस्त व्यवस्था ठेकेदार द्वारा ही

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

की जाती थी तथा विभाग द्वारा अधिकृत रसीदों के आधार पर ठेकेदार कर वसूल कर सकता था। ठेके के दौरान वसूली गयी कर राशि ठेका राशि से ज्यादा अधिक होती थी तो ठेकेदार की जिम्मेदारी केवल ठेका राशि जमा कराने तक ही सीमित रहती थी। ठेका राशि से अधिक राशि ठेकेदार द्वारा अपने पास रख ली जाती थी। यह व्यवस्था वर्ष 1993-94 तक थी।

इसके पश्चात् डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 2721/2003 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 की सवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसके सम्बन्ध में दिये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 3.7.2003 में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या राज्य सरकार द्वारा इस तरह दिये जाने वाले ठेके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 एवं अनुच्छेद 266 में की गयी व्यवस्था के अनुकूल है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जनता से वसूल किये आने वाला पैसा कंसोलिडेटेड फण्ड में जमा होना चाहिये। सामयिक ठेंको के ठेकेदार द्वारा वसूल की गयी कर की समस्त राशि राजकोष में जमा नहीं कराई जाती थी। इसमें से केवल ठेका राशि ही राजकोष में जमा कराई जाती थी। राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक, 2004 के माध्यम से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 को संशोधित कर यह प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है कि ठेकेदार द्वारा जनता से एकत्रित की गयी समस्त राशि राजकोष में जमा कराई जाये एवं ठेकेदार को टैक्स कलेक्शन चार्जेज, जो माह के अन्त में उसे दिया जावे। इस व्यवस्था से ठेकों के माध्यम से कर एकत्रित किये जाने की प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के उपरान्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नये ठेके नहीं छोडे जा सकते थे अतः राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 में यह संशोधन राजस्व हानि को रोके जाने एवं ठेके प्रक्रिया को पुनः विधिवत रूप से प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक है।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, इसमें कुछ है ही नहीं, पास कराओ। (व्यवधान) एक यहां अमेण्डमेन्ट आ गया, अब उसमें आप क्यों सदन का समय लगा रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, एक बात।

श्री सभापति : माननीय हरिमोहनजी, नो नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा करने दो मंत्रीजी को।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि क्या कारण था कि इसमें कमिश्नर को इससे ज्यादा पावरफुल बनाया है। सैक्शन-79 को हाइकोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इसमें एक आपत्ति का बिन्दु था कि सबोर्डिनेट आथोरिटी को टैक्सेशन का अधिकार नहीं देना चाहिये इसलिये सैल्स टैक्स कमिश्नर की जगह स्टेट गवर्नमेन्ट को शक्तियां दी गयीं। रूल 56 (बी) में पूरी शक्तियां सी.सी.टी. को दी गयी हैं।

श्री सभापति : आप पूरी बात सुनो तो सही।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्यों द्वारा एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि जनता से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा कर की उगाही कर ठेकेदार अगर टर्म एण्ड कण्डीशंस का वायलेशन करता है तो नियम 56 (बी) में प्रावधान है कि कान्ट्रेक्ट खारिज कर दिया जायेगा।

ठेकेदारों के माध्यम से कर संगहण कोई नयी प्रक्रिया नहीं है, यह पूर्ववर्ती आपकी सरकार में भी ठेके के माध्यम से ही केजुअल कमोडिटी पर संग्रहण किया जा रहा था। सुन लीजिए मेरी बात। पुरानी व्यवस्था में ठेके की बोली राशि ठेकेदार द्वारा जमा करायी जाती थी, नवीन व्यवस्थाओं में सम्पूर्ण कर की एककित्र राशि ठेकेदार जमा कराने के लिए बाध्य है और उसके लिए उसको एवज में सर्विस चार्जेज देय होंगे।

दूसरा, इसके अलावा प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने उठाया था टैक्स इवेजन और आपने कुछ अधिकारियों के नाम भी लिये थे। हालांकि मैं इस पवित्र सदन में अपने मुंह से उन अधिकारियों के नाम, आपके द्वारा भी उन अधिकारियों को जो शह दी गयी थी, उनके नाम मेरे पास भी हैं, मैं इस पवित्र सदन में उनका नाम नहीं लेना चाहता। इसके साथ धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, एक बात है।

डा. सी. सी. जोशी : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री जीवाराम चौधरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि बाहर जोरदार जमकर बारिश हो रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बारिश हो रही है, जोधपुर में पत्रकारों पर लाठियां बरसायी जा रही हैं। राजस्थान पत्रिका और नवज्योति के पत्रकार आई.सी.यू. में भर्ती हो गये हैं। वहां लाठी बरस रही हैं जोधपुर में।

डा. सी.पी. जोशी : बिल पास करना सीखो, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। बिल पास करना सीखो, यह काम है मोटा।

श्री जीवाराम चौधरी : मैं तो खुशखबरी देना चाह रहा था, बाहर बढिया बारिश हो रही है। कमाल करते हो, क्या यह खुशी की बात नहीं है? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, दो क्वेरी है मेरी और कोई बात नहीं है। यह अमेण्डमेन्ट लाये हैं हाइकोर्ट के फैसले के कारण और हाइकोर्ट ने यह कहा है कि यह जो आपने व्यवस्था की है वह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। यह हाइकोर्ट का फैसला है। उस हाइकोर्ट के फैसले....

श्री वीरेन्द्र मीणा : पहले वाली व्यवस्था संवैधानिक, उसकी उल्लंघन थी।

डा. सी. पी. जोशी : यही है। 94 का जो आपका एक्ट है, जिसके अन्तर्गत आप व्यवस्था कर रहे थे, उस व्यवस्था पर लोग वहां पर कोर्ट में गये और उस व्यवस्था के जो क्लाज 79 से लगा कर के अमेण्डमेन्ट किये उस सम्बन्ध में कोर्ट ने यह कहा कि आप जो कान्ट्रेक्टर को यह पैसा कलेक्शन का काम दे रहे हो जिससे कंसोलिडेटेड फण्ड में नहीं आ रहा है, यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। यह कोर्ट का जजमेंट था। उस कोर्ट के जजमेंट में आप उठा कर देख लें, आपके ओरिजिनल में धारा-4 और आपके अभी जो चार हैं उसमें क्या अन्तर है। चार में आपने यह लिख रखा है

"The Contractor shall not collect tax on the goods under sub-sectuib (1) exceeding...."

(डा. सी. पी. जोशी)

यह का यह आपने रिपीट कर दिया इसमें। आपने पांच में क्या कर दिया खाली कि जो पैनल्टी है उसमें उसको छूट तो दे रखी है पर उसकी पैनल्टी डबल कर दी। यही प्रोविजन किया है उसमें कि उसकी पैनल्टी डबल कर देंगे। यह प्रोसीजरल चीज नहीं है। आप तो खाली यह बता दें कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिस संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत आज वह कान्ट्रेक्टर पूरा पैसा जमा करा दे और बाद में पैसा लेता रहेगा लोगों के बीच में, यह व्यवस्था भी उसका उल्लंघन है। हमने व्यवस्था इसलिये की स्टेट सब्जैक्ट को कि जो डिपार्टमेन्ट हमने बनाये हैं, रूल्स आफ बिजनस बनाये हैं हमने, उस रूल्स आफ बिजनस के अन्तर्गत सरकार का यह उत्तरदायित्व है संविधान के अन्दर व्यवस्था के अन्तर्गत कि सरकार जनता से कलक्ट करके कंसोलिडेटेड फण्ड में जमा करायेंगी। आप इस व्यवस्था को बदलना चाहें बदल सकते हैं कोई तकलीफ नहीं है लेकिन इस व्यवस्था को बदलने के लिए यह अमेण्डमेन्ट सफिशिएंट नहीं है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको कानून में, संविधान में संशोधन लाना चाहिये और फिर करना चाहिये।

इसलिये मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह हेस्ट में कर रहे हैं, इसको करने से परपज सर्व नहीं होगा फिर कांस्टिट्युशनल में वे लोग जायेंगे उसमें, फिर यह नलीफाई हो जायेगा इसलिये जो गवर्नमेंट का फंक्शन है कि हम जो स्टेट है उसको पब्लिक सब्जेक्ट लिखकर आप उस चीज को भी मीट आउट नहीं कर पायेंगे।

इसलिये, मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यंग मंत्री हैं, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, जवाब इन्होने अच्छा दिया, उसका भी धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह बेसिक क्वेश्चन है कि सरकार जिस काम के लिए बनी है, जिस काम के लिए संविधान में व्यवस्था है, रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम सरकार का काम है इसलिये हमने अलग अलग डिपार्टमेन्ट बनाये हैं। उस व्यवस्था को यदि आपको बदलना है तो मेहरबानी करके, मेहरबानी करके आप कांस्टिट्युशनल अमेण्डमेन्ट लाकर प्रेसीडेन्ट की असेंट लीजिए फिर इसको मूव करिये तब तो आपकी व्यवस्था पुख्ता व्यवस्था होगी। यह आप जो टेम्पेरेरी व्यवस्था कर रहे हैं इस व्यवस्था से इसका स्थायी इन्तजाम नहीं होगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आप तात्कालिक व्यवस्था करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन इसके बारे में भी

(डा. सी. पी. जोशी)

सदन में चिन्ता व्यक्त की जानी चाहिये और मुख्य मंत्रीजी को इसके बारे में कोई. व्यू लेना चाहिये कि क्या हम बिना संविधान में परिवर्तन किये हुए इस तरह की व्यवस्था करके संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। इसको जरूर देख लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि...

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, जिस हाइकोर्ट ने इस पालिसी को अगेंस्ट दी कांस्टिट्यूशन माना और उस आधार पर आप यह अमेण्डमेन्ट लेकर के आये। मेरा इस सरकार से, वित्त मंत्रीजी से, वित्त राज्य मंत्रीजी से एक प्रश्न है कि जो एग्जिस्टिंग कान्ट्रैक्ट आपने दिये हुए हैं वर्तमान में और उसमें वो ही पालिसी है जो पहले वाली है, उन एग्जिस्टिंग कान्ट्रैक्ट का क्या हाल होगा? उनको क्या आप कांस्टिट्युशनल मानते रहेंगे इस फैसले के बाद भी या उनको एग्जिस्टिंग कान्ट्रैक्ट को आप खतम करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से कोई कानून आया है क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हाइकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि यह अगेंस्ट दी कास्टिट्यूशन है तो एग्जिस्टिंग कान्ट्रैंक्ट का क्या होगा, यह बताओ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : रेट्रोस्पेक्टिव डेट से स्टोन और मार्बल के ऊपर सैल्स टैक्स माफ किया है, कल ही किया है, घोषणा की है मुख्य मंत्रीजी ने। कल आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से स्टोन और मार्बल के ऊपर सैल्स टैक्स माफ किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से नहीं है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विराजिये, संसदीय कार्य मंत्री महोदय। जो एग्जिस्टिंग कान्ट्रैक्ट...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : देश का कोई भी अर्थशास्त्री उसको अच्छा नहीं मानता। यह बहुत बुरा है रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से टैक्स को माफ करना...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : रेट्रोस्पेक्टिव डेट में जो कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा है वह वहां पर परचेज टैक्स था वो आज तक कभी वसूला ही नहीं गया... (व्यवधान) और वह परचेज टैक्स तो दोहरी व्यवस्था थी, उन्होंने तो उल्टा उसका सरलीकरण किया है और वह टैक्स कभी वसूला ही नहीं गया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप एक साथ दो-तीन मैम्बर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वह बात दूसरी है। जो एक्जिस्टिंग कान्ट्रैक्ट है, जो कान्ट्रैक्ट दे रखे हैं और एक्सेस अमाउंट वो अपने पास रोकेंगे, जो उन्होने मैक्सिमम प्राइज पर कान्ट्रैक्ट लिया है उनके लिए भी तो यही पालिसी है न। अब वह उस पैसे को अपने पास रख रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला हो गया, अगेंस्ट कांस्टिट्युशनल माना गया है तो उन कान्ट्रैक्ट के मामले में गवर्नमेन्ट की क्या नीति रहेगी?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, वित्त राज्य मंत्रीजी, आपके स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टिव में कहीं आपने हाइकोर्ट का रैफरेंस नहीं दिया है। आप देख लीजिए और बता दीजिए अगर इसमें दिया हो तो आपने... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता दिया न। व्यवधान

मोहम्मद माहिर आजाद : आज आप यह कह रहे हैं कि यह लाने की जरूरत इसलिये पडी कि हाइकोर्ट ने फैसला दे दिया था लेकिन स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टिव के अन्दर...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया इसलिये मंत्रीजी ने बताया है कि जरूरी नहीं है कि इसमें राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेन्ट का उसमें आब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत थी। कतई जरूरत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर लेने की जरूरत क्यों पडी?

श्री विष्णु मोदी : यह तो आप ही के दल के नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक, 2004 हो पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया गया।

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, राज्य वित्त मंत्री महोदय जो राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 लाए हैं तो मैंने इसमें अमेण्डमेन्ट दिया है। इसमें कुछ कमियां हैं इसलिये इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाडी : विचारार्थ जानने का प्रस्ताव तो लाने दो। अभी उन्होने प्रस्ताव किया है, उनको हां नां करने दो उसके बाद बोलना आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई जरूरी नहीं है पहले बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्वीकृति तो होने दो सदन से।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहली स्टेज पर बोल सकते हैं।

श्री सभापति : पहले बोलेंगे यह।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 आया है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं

(श्री जुबेर खान)

निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं के लिए जिस तरह से कृषि भूमि के लिए हाफ रेट कर दिया था रजिस्ट्री कराने के लिए उससे यह फायदा हुआ। तहसीलों में हम देखते आए हैं जहां महिलाएं गांवो में ही काम करती थीं, लोग उनको तहसीलों में लेकर आते हैं उससे रजिस्ट्रियां बढ़ी हैं। पहले जो लोग नहीं कराते थे वह भी लोग रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम करा रहे हैं। इसके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं जब आपने बजट में 11 परसेंट से 8 परसेंट कर दिया तो महिलाओं के लिए यह पांच परसेंट की जगह चार परसेंट करना चाहिये था, उनके लिए आधा होना चाहिये था।

दूसरा, मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें कहा है कि 11 परसेंट इममूवेबल प्रोपर्टी के ऊपर है, मकानों के ऊपर और इस तरह की, इसको भी अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रियां कराएं, खाली एग्रीमैण्ट के आधार, पावर आफ अटार्नी के आधार पर या वसीयत के आधार पर लोग मकानों में ना बैठें, अगर आप चाहते हैं लोग लीगल तरीके से रजिस्ट्री कराएं तो इसको भी आप 11 परसेंट से घटा कर 8 परसेंट करिए। मैं आपको कह सकता हूं कि इससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलैक्ट होगा।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाम्प ड्यूटी, आजकल आपके शिड्यूल बना हुआ है, डी.एल.सी. रेट बनी हुई है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा अलवर में मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया जब बना था वहां नई-नई इण्डस्ट्रीज आई थीं, लीलैंड आई थी, राठी टोर आई थी, वहां भारी कीमत थी प्लाट्स की और जमीन की। वह तय हो गया, अब वह इण्डस्ट्रियल एरिया उजड गया। आज रूग्ण इकाइयों को कोई खरीदने आता है तो जितने पैसे में उस प्लाट को खरीदते हैं उससे ज्यादा की स्टाम्प ड्यूटी लगती है इसलिये वहां कोई खरीद नहीं पाता है। इसी तरह से अलवर से जो दिल्ली हाई-वे था, जो पहले पुराना रामगढ से होता हुआ जाता था, उस पर यह सही है कि अच्छी वैल्यू थी, भारी कीमतें थीं लेकिन जबसे भिवाडी वाला अलवर का हाई-वे बना है उस पर कोई वैल्यू नहीं रही और आज जो दस साल पहले के रेट थे स्टाम्प ड्यूटी के उन पर हर साल पन्द्रह प्रतिशत बढाते जा रहे हैं। वह गलत है। इसको तर्कसंगत किया जाना चाहिये।

(श्री जुबेर खान)

इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर बना था। यूनियन नम्बर एक थी अलवर की पूरे हिन्दूस्तान में ट्रांसपोर्ट नगर में, कई-कई लाख के प्रिमियम पर दुकानें मिलती थीं। आज जितनी स्टाम्प ड्यूटी, जब सरकार यह कहती है कि इसकी स्टाम्प ड्यूटी इतनी लगेगी और लोग कह रहे हैं कि इसमें आधी रेट से सरकार हमसे ले-ले तो यह सरासर गलत है। यह इसमें आना चाहिये।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यह प्रोवीजन लाकर, खास तौर से अगर आप यह समझते हैं कि अमेण्डमेन्ट को स्वीकार नहीं करे भी तो आप माननीय जिलाधीश महोदय को कहिए कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वहां प्रैक्टिकली क्या वैल्यू होनी चाहिये, माननीय जिलाधीश महोदय रिकमण्ड करें क्योंकि यह कानून ऐसा है कि डी.आई.जी. स्टाम्प ने प्रपोजल बनाकर भेज दिया अमेण्डमेन्ट के लिए उनको कोई चैंज नहीं कर सकता। तो जब आप यह कहते हैं कि आप हर चीज को चाहे सैल्स टैक्स हो, चाहे ड्यूटीज हों, तर्कसंगत करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है इससे गांव के किसान और आम आदमी जुडे हुए हैं। आप इन स्टाम्प ड्यूटीज को भी तर्कसंगत करवाइये।

मैं यहां यह नहीं कहना चाहता कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाए, स्टाम्प ड्यूटी ली जाए लेकिन जो बाजार मूल्य आज की तारीख में उस कृषि भूमि का या कामर्शियल भूमि का या भवन का, उस आधार पर लिया जाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये मैंने कहा है कि यह अधूरा बिल है, आपकी मंशा के अनुसार जैसा आपने बार-बार कहा, भाषण में भी कहा और बजट में भी कहा और आप यह चाहती हैं कि इसमें महिलाओं के लिए ग्यारह प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत यह भी हो, कृषि में भी हो इसलिए दुबारा से इसको ड्राफ्ट किया जाए और जनमत जानने कि लिए इसको परिचालित किया जाए। यही निवेदन मैं सभापति महोदय, करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं हालांकि बाजार दर से उसकी रजिस्ट्री की तय करने के लिए कमेटियां जिला स्तर पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बनी हुई हैं और उसके माननीय सदस्य भी सब जिलों में मैम्बर हैं लेकिन वह कमेटी को रेट बढाने का ही अधिकार है कि आप हर साल जब भी मीटिंग हो दस पर्सेण्ट उसकी कीमत बढाने का प्रस्ताव आता है, घटाने का नहीं आता है। पांच साल प्रदेश में लगातार अकाल पडने के कारण, जमीनों में पैदा नहीं होने से जमीनों की रेट घट गयी और आज वह रेट वह की वह है। मेरा कस्बा गोपालगढ है वहां के सैंकडों किसानों की स्थिति यह है कि वहां जमीन आप खरीदें तो आपको अस्सी हजार, सत्तर हजार रूपये बीघा मिल जाएगी लेकिन सरकार ने वहां की रजिस्ट्री की रेट दो लाख रुपये बीघा कर रखी है, यानि आप लोगों तो आपको दो हजार रुपयें के स्टाम्प उसके अन्दर लगाने पड़ेंगे, उसकी रजिस्ट्री उस रेट से ही करानी पड़ेगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको तर्कसंगत बनाएं। सभी माननीय सदस्य इस चीज से सहमत होंगे कि जो बाजार रेट है, आपकी सरकार जब जमीन लेवे, एक्वायर करे, चाहे सडक के लिएं करे चाहे और किसी सरकारी काम के लिए करे तब तो आप उसका मुआवजा दो अलग रेट से और आपने रजिस्ट्री के लिए जो उसकी स्टाम्प के लिए रेट लगा रखी है वह रेट अलग लगा रखी है।

उन रेटो में जमीन आसमान का फर्क है इसलिये उसको तर्कसंगत बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए। पहले ऐसा होता था कि जहां जिस कीमत की रजिस्ट्री तीन-चार होती थीं हमेशा उसका एवरेज निकाल लिया जाता था लेकिन जब से आपने यह कमेटी बना दी है इस कमेटी के बनाने के बाद अब जिला कलक्टर भी असहाय हैं। हमने पिछली बार मीटिंग हुई उसमें जिला कलक्टरों को और जो कमेटी में आपके ए.डी.एम स्टाम्प होता है वह भी मैम्बर सचिव होता है, हमने वहां प्रस्ताव किया कि आज स्थिति यह हो रही है वहां के लोगों की, काफी परेशान हो रहे हैं और उससे कई लोग जब रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको रेवेन्यू का नुकसान होता है।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज यह जो राजस्थान स्टाम्प विधेयक लाए हैं, इस विधेयक को तर्कसंगत बनाएं और इसको व्यवहारिकता देने के लिए पहले जनमत जानने के लिए परिचालित करने का काम करें। इसको बहुमत के आधार पर जल्दबाजी में आप पास नहीं करें।

इसमें हम लोग प्रभावित हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग यहां नहीं बोल रहे हों लेकिन बाहर हमको जरूर कहते हैं कि जो रेट तय कर रखी है यह बहुत गलत है और लोग इसमें पिस रहे हैं। इसलिये इसको व्यवहारिक और तर्कसंगत बनाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपने एग्रीमेंट टू सैल के लिए, पहले केवल हन्ड्रेड रूपीज के स्टाम्प पर जो एग्रीमेंट टू सैल का डाक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया जाता था उसमें आपने तीन पर्सेण्ट स्टाम्प ड्यूटी लगाकर के इतना बढा दिया। मेरा तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि 100 रूपये के स्टाम्प पर सारी सम्पत्ति का एग्रीमेंट टू सैल पहले जब रजिस्टर्स होता था तो तत्काल उस पर तीन प्रतिशत ड्यूटी बढ़ाना बहुत एक्सेस है। इसलिये इसको कम किया जाना चाहिये।

दूसरी मेरा आपसे अनुरोध यह है कि यह सही है कि डी.एल.सी. हर जगह बनी हुई है, उसमें पब्लिक रीप्रजेन्टेटिव उसके मैम्बर भी हैं। लेकिन यह भी सही है कि डी.एल.सी. का काम हर साल उस मीटिंग में उस रेट को बढाना ही है और जन-प्रतिनिधि वहां पर कोई आरग्यूमेंट भी करें और कहें भी सही तो भी वह बात नहीं मानी जाती है और अधिकारी यह कहते हैं कि हमको तो दस पर्सेन्ट पन्द्रह पर्सेन्ट इसमें बढ़ाना ही है तो फिर उन जन प्रतिनिधियों की भागीदारी का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

(समय : 16.18 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध और निवेदन यह है कि अगर जन प्रतिनिधि डी.एल.सी. की मीटिंग में जाते हैं और उनको आपने अधिकृत किया है तो उनकी भावनाओं के हिसाब से ही उन अधिकारियों को फैसला करना चाहिये क्योंकि वह लोकल स्थिति से वाकिफ हैं। वह यह जानते हैं कि किस स्थान की रेट क्या है। वह इस बात को जानते हैं कि किस नेशनल हाई-वे पर क्या रेट चल रही है, किस जगह पर क्या चल रही है, शहर में क्या हैं।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

एग्रीकल्चर लैण्ड को जब गवर्नमैंट एक्वायर करती है तो वह रेट उसकी तय करती है विदिन दी सिटी एग्रीकल्चर के हिसाब से और अगर उस एग्रीकल्चर लेण्ड का कोई प्लाट की रजिस्ट्री कराने जाए तो उसके स्टाम्प की वैल्यू वह स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है उस प्लाट की पर स्क्वायर फीट कीमत जो उस एरिया के लिए फिक्स कर रखी है तो गवर्नमैंट भी या तो उस हिसाब से मुआवजा दे किसान को, गवर्नमैंट तो उस हिसाब से मुआवजा देती नहीं है गवर्नमैंट के कामर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उन्होने कैटेगरीज कर रखी हैं...

और जो पुराने शहर हैं उनके पुराने मौहल्लों की जो कीमत है वह इतनी हाई स्टैंडर्ड पर फिक्स है कि वहां पर रहने वाले मकान चौथाई रेट पर भी बेचकर निकलते हैं। जैसे उदाहरण कि लिये बूंदी है। बूंदी में बालचन्दपाड़ा एक ऐसा मौहल्ला है जहां पहले स्टेट के महल थे और सब बातें थीं। आज वहां की जो दर है वह बीस हजार और पच्चीस हजार में दो कमरों का बना हुआ है, आदमी छोडकर देने को तैयार हैं लेकिन वहां की जो रजिस्ट्री की रेट है वह इस मार्केट के हिसाब से पुरानी सिविल लाइन्स की है। इन सब बातों पर विचार करके इन सब बातों को तर्कसंगत किया जाना चाहिये और इसीलिये इस विधेयक को जनमत के लिये परिचालित किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो संयम लोढ़ा का नाम है...

डा. सी. पी. जोशी : मेरा भी नाम है। मेरा नाम नजर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपका आयेगा जब आपका भी नाम पुकारा जायेगा। पुकारा जायेगा समय आने पर...

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके डर से पहले ही...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ां : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो यह राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 जो सरकार लायी है इसका प्रयोजन सिर्फ इतना है कि 1998 का जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम लागू नहीं किया जा सका और इसलिये लागू नहीं किया जा सका कि 1952 के अधिनियम में जो संशोधन किये गये थे उनको इस 1998 के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था और उनको इसमें शामिल करने के लिये सरकार यह विधेयक लायी है।

(श्री संयम लोढ़ा)

मेरा यह मानना है कि इस विधेयक को लाने के समय माननीय वित्त राज्य मंत्रीजी ने यह भली भांति विचार नहीं किया कि हम राजस्थान की जनता को और किस रूप में बेहतर लाभान्वित कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वित्त राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले हमारे एक माननीय सदस्य का चयन किया लेकिन आपके चयन का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी मिले इस पर आपने उचित रूप से विचार नहीं किया। बहुत अच्छा होता इस विधेयक के अन्दर आप यह प्रस्ताव लाते कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि और जनजाति के व्यक्ति की भूमि उसी वर्ग के लोग खरीदते हैं, आप उनको राहत प्रदान करते, उनके लिये प्रतिशत में कमी करते और वह प्रस्ताव आप लेकर आते जिससे राजस्थान का अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग व्यापक रूप से लाभान्वित होता।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रावधान को चूंकि इसमें शामिल नहीं किया गया है और इसको करने की आवश्यकता है । यह जो राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक लाया गया है इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

सूचना

श्री रणवीर सिंह गुढा सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व कि मैं अगले बक्ता का नाम पुकारूं, मैं सदन को सूचित करना चाहती हूं कि अभियोग संख्या 157/4 धारा 147, 332, 353, 379 आई.पी.सी. एण्ड श्री पी.डी.पी.पी. एक्ट इत्यादि थाना उदयपुरवाटी झुंझुनूं के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह गुढा, विधायक विधान सभा क्षेत्र गुढा को दिनांक 29.7.2004 को गिरफ्तार कर लिया है और थाना विधान सभा पर रख गया है।

माननीय श्री रामनारायण मीणा-(अनुपस्थित)।

डा. एन.एस. गुर्जर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक, 2004

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो संशोधन आया है, समर्थन करता हूं। अच्छा है और बधाई देता हूं मुख्य मंत्रीजी को। 1982 में माननीय शिवचरण जी माथुर जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होने एग्रीमेंट टू सेल हो पहली बार कानूनी जामा पहना दिया। अध्यक्ष महोदय, उस कारण राजस्थान को स्टाम्प ड्यूटी में इतना नुकसान हुआ कि लोग केवल एग्रीमेंट टू सेल करके लाखों करोड़ों का सरकार को चूना लगा रहे हैं हर साल। बार-बार सदन में मांग उठी कि एग्रीमेंट टू सेल में जो कानूनी शक्तियां हैं इनको समाप्त किया जावे और स्टाम्प ड्यूटी में कोई न कोई परिवर्तन लाया जाये।

मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यं मत्रीजी को, विशेष रूप से महिलाओं के लिये उन्होंने कुछ स्टाम्प ड्यूटी में कमी की है लेकिन इसके साथ-साथ जैसा 50 परसेंट कम की है, इसका कुछ और सरलीकरण किया जाना चाहिये। जिस तरह से मांग हो रही है आज सैटलमेंट डिपार्टमेंट को समाप्त किया जाये। सब लोग मांग कर रहे हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार का रेवेन्यू बचेगा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कम होगा। इसी तरह से मैं सुझाव देना चाहता हूं सरकार को कि इसमें तो आप नहीं लाये लेकिन आर्डिनेंस निकाल दें, विधान सभा अभी चल रही है इसमें ले जायें।

यह जो रजिस्ट्रार्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स जगह-जगह जो लगा रखे हैं उनकी जो पावर्स हैं वह आप तहसीलदार को दे दीजिये। क्योंकि तहसीलदार को मालूम है कौनसी जमीन कहां है, क्या रेट है और क्या है और जो तय करते है माननीय सदस्यों ने कहा वह सही है कि जितनी रेट ओरिजनल वहां है, बढाने की शक्ति तो आपने दे रखी है। अगर बढ़ाने की शक्ति दे रखी है तो घटाने की शक्ति भी होनी चाहिये। अब कमेटी बनायी इसलिये कि रेट कितनी होनी चाहिये तो एक तरफा नहीं चल सकता। या तो कम ही कम कर सकते हो या ज्यादा ही ज्यादा कर सकते हो तो कानून के अन्दर एक यह विषमता रह गयी है। अब यह कमी पहले से है, इसमें कमी आ गयी तो इसको ठीक किया जाना चाहिये था। इसमें नहीं है तो आप इसको आगे लाइये और ठीक करें। तहसीलदार को आपने दे रखे हैं वह बहुत अच्छा है लेकिन यह असिसटेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के, सब समाप्त करिये इनकी दुकारदारी । वहां

(डा. एन. एस. गुर्जर)

करप्शन होता है और आप जिस दिन रजिस्ट्री पुटअप करते हैं, यह कानून लाये हैं जिसको चाहते हैं यह लोग पैसा दे देते हैं। तुरन्त रजिस्ट्री कर देते हैं। यह कोई आज से नहीं है, पहले से चला आ रहा है सिस्टम। तो कहीं न कहीं हमें उस सिस्टम को तोडकर उसमें कुछ सुधार लाना पडेगा...

श्री हरिमोहन शर्मा : ट्वेंटी फोर आवर्स में करना पड़ेगा। आप ट्वेंटी फोर आवर्स में ही लाना।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं ना।

तो क्या-क्या सुधार हो सकते हैं इन चीजों में। एक साथ बैठकर आप यह लाये, बहुत अच्छा किया आपने। कुछ तो सुधार हुआ लेकिन और क्या सुधार हो सकते हैं उनके बारें में विचार करके इस तरह के सुधार लाइये ताकि जनंता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री जुबेर खान : आपने प्रस्ताव दिया है जनमत जानने का और समर्थन कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने समर्थन कर दिया ना। उसको ले लिया वापस। क्या जनमत जानने.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। मावली से आने वाले सदस्य, मैंने नाम पुकारा है सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं आपकी अनुमति से ही तो कह रहा था कि तहसीलदार भी है लेकिन वहां सब रजिस्ट्रार को पावर केवल शहरों में है.....

श्री अध्यक्ष : आपका तो कोई अमेंडमेंट था ही नहीं......(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अलवर में सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार भी है। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। बहुत सी तहसील ऐसी हैं जिसमें तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार भी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 जो लाया गया है मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा हूं।

एक बात के बारे में वैसे तो मेरे पूर्व वक्ता ने भी कह दिया कि स्थायीवार सम्पत्तियां जितनी भी हैं उनका बाजार में मूल्य जो तय हुआ है उस पर 11 प्रतिशत की जो स्टाम्प ड्यूटी लगायी गयी है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूगां कि इसको भी 11 प्रतिशत की बजाय 8 प्रतिशत रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त हो पायेगा।

महिलाओं के मामले में आपने स्टाम्प ड्यूटी कम करने की जो सिफारिश की है बजट के अन्दर यह सराहनीय है, स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं इसमें काफी रेवेन्यू का कलेक्शन होना शुरू हो गया है। कुछ जगह जैसा अभी हमारे सम्माननीय एन.एस. गुर्जर साहब बोल रहे थे, शांतिलालजी चपलोत बोल रहे थे, जुबेर खान जी बोल रहे थे, कि जगह ऐसी हैं जहां पर तहसीलदार भी हैं और सब रजिस्ट्रार भी हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि डी.एल.सी. से तय की गयी जो रेट है, अब जिस प्रकार से उसमें हर साल, दो साल, तीन साल में 30 प्रतिशत की जो बढ़ोतरी की जाती रही है वहां पर बैठने वाले अधिकारी, उनको जो लागू करने का अधिकार है, अपने तरीके से करते हैं। वह जहां चाहते हैं उसकी छूट दे देते हैं। जहां नहीं चाहते हैं उसकी छूट नहीं देते। बहुत सारी जगह तो इस प्रकार की हैं अगर कोई भूखण्ड बेचा जा रहा है उसमें पूरी बिल्डिंग बन गयी है और उसका बेचान हुआ है। पूरी बिल्डिंग और उस लैंड की कीमत दोनों आंककर रजिस्ट्री कर दी गयी है। उसी के बराबर में दूसरा भवन बना हुआ है और उसमें जमीन है लेकिन वहां बिना भूमि शामिल किये ही, उसकी कीमत शामिल किये बिना रजिस्ट्री कर दी गयी है। तो यह इतना बडा करप्शन है। इस तरीके से जो अधिकार दिया गया है उसमें इतना बडा करप्शन है जिससे आम आदमी लुट रहा है आज।

बरसात हो नहीं पा रही है और गांवों के अन्दर जमीनों की कीमत जो

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

डेढ दो लाख रूपये बीघा तक हो गयी थी वह आज वापस 60, 70, 80 और 90,000 पर आकर के टिक गयी है। आज काश्तकार वह जमीन बेचना चाहता है, पुरानी कीमत उसको मिल नहीं रही है, वर्तमान कीमत के हिसाब से उसकी जमीन बिकती है। फिर भी स्टाम्प ड्यूटी जो डी.एल.सी. के द्वारा तय रेट है उसके आधार पर उसको देनी पडती है। इसलियें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में अगर कुछ थोडा सा और संशोधन इसमें रखा जाये या दुबारा आप किसी और माध्यम से इसको सदन में लायें तो मैं समझता हूं कि आम आदमी और किसानों को इसका लाभ मिल पायेगा।

आंशिक रूप से अगर किसी भूखण्ड पर कोई छोटा निर्माण हुआ जो अपूरित बना है, कम्पलीट नहीं है, किसी पर पट्टी नहीं है, चारदीवारी बनाकर छोड दिया। उस अधूरे को भी पूरे कंस्ट्रक्शन में शामिल कर लिया गया है।

जिस प्रकार से उसकी कीमत डी.एल.सी. द्वारा जो तय होती है उससे भी ज्यादा लगा दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी.एल.सी. कलक्टर लेवल पर जो तय की जाती है, उसमें जिस प्रकार आए साल कुछ प्रतिशत के हिसाब से बढाने का जो रखा गया है, क्षेत्र की वास्तविक कीमत के आधार पर जो भूमि का मूल्य है, उस वास्तविक मूल्य के आधार पर, वहां का सर्वे करवाता है वहां का तहसीलदार और वहां का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसकी आपको राय दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि अगर उसके अनुसार डी.एल.सी. की रेट तय की जाए तो यह जनहित में उचित होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी है और महिलाओं को आगे आने का जिस प्रकार से मौका दिया है, राजस्थान में अगर सबसे बड़ा क्राइसिस था तो यही था कि शादी होने के बाद जब पति के घर पत्नी आती है तो उसको सार्वजनिक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। उसका प्रोपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता, पति के मरने के बाद ही उसको प्रोपर्टी में अधिकार मिल पाता है। लेकिन आपने स्टैम्प ड्यूटी में कमी करके लोगों को यह महसूस करा दिया और इस बात की तरफ प्रेरित किया कि यदि आप वास्तव में जमीन की रजिस्ट्री में स्टैम्प ड्यूटी की छूट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पत्नी के नाम, अपनी बच्ची के नाम, अपने बेटे की, बहु के नाम, किसी भी महिला के नाम से वह सम्पत्ति की जाए। यह एक बहुत बडा उपहार राजस्थान की महिलाओं को आपने दिया है जो स्वागत योग्य है।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

मैं इसी के साथ निवेदन करता हूं कि आपने जो यह प्रस्ताव पेश किए, बिलकुल सही है, प्रस्ताव वापस लेता हूं, इस निवेदन के साथ कि मेरे जो सुझाव हैं उन पर आप ध्यान देंगे, राजस्थान के हित में हो तो उनको अन्य किसी माध्यम से लेकर आएंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंट आफ आब्जेक्ट्स में दो बातें लिखी हैं। एक तो लिखा है,

It was considered appropriate that the Rajasthan Stamp Act, 1998 should be brought into force equipped with the provisions introduced in the Indian /Stamp Act, 1899 during the aforesaid period. Therefore amendments on the lines of the amendments introduced during the a foresaid period in the Indian Stamp Act, 1899 including certain other minor amendments were proposed to be made in the Rajasthan Stamp Act.

पहले वाले पार्ट में तो मुझे कोई चर्चा नहीं करनी लेकिन माइनर चेंज जो किया है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है, Insertion of new section 9-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999. After section 9 and before section 10 of the principal Act, the following new section shall be inserted namely-

I don't think ki.........यह इण्डियन स्टैम्प एक्ट में लिखा है, 9-ए क्या लिखता है, अध्यक्ष महोदय, Power to reduce or remit penalty or interest.

अध्यक्ष महोदय, अभी से इसको देखा जाना चाहिये कि माइनर अमेंडमेंट है कि मेजर अमेंडमेन्ट है। The State Govt. if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may, by notification published in the Official Gazette, reduce or remit the penalty or interest or both imposed or chargeable under this Act.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : बहुत माइनर ही है।

डा. सी. पी जोशी : बहुत माइनर है, बहुत माइनर है, हां, बहुत ही छोटा है। करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी खा ली, माफ ही तो करना है, कोई बड़ा काम थोड़े करना है। बहुत छोटा काम करना है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : बालाजी इण्डस्ट्री को...(व्यवधान)

डा. सी. पी जोशी : हम तो आपकी इण्डस्ट्री को भी कर देंगे, चिन्ता क्यों करते हों। सुनों तो सही आप। आपको पूरी तरह से उधर भेज दिया फिर भी समझ में नहीं आया? पूरी की पूरी तरह आपको उधर भेज दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा?

अध्यक्ष महोदय, यह 9-ए, एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट पावर लेना चाहती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पोलिटिकल पार्टियों के चुनाव के आधार पर जीतकर आती है, हम पोलिटिशियन हैं, हम पोलिटिशियन डिस्क्रिशन यूज करते हैं। डिसिक्रशन यूज करने का पावर जो अभी भी नहीं था, इण्डियन स्टैम्प एक्ट में भी नहीं है, वह राजस्थान गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में लेना चाहती है।

हम अपना डिस्क्रिशन यूज करना चाहते हैं, अच्छा होता, पावर आप लें कोई तकलीफ नहीं पर पावर का आधार क्या होगा, उसकी एक क्लाज लिख देते कि हम इनको क्या एक्जम्प्शन देंगे, क्या पेनेल्टी देंगे । वह लोगों को राइट टू इन्फोर्मेशन होना चाहिये। आपका जमाना आ गया, दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, चुनी हुई सरकार देगी, हमें तकलीफ नहीं लेकिन देने के लिए आपका आधार क्या होगा, उन आधारों का भी एक क्लाज में आप वर्णन कर देते तथा एक क्लाज डाल देते कि जो पेनेल्टी है, उसमें छूट देंगे उसके आधार ये होंगे तब तो निश्चित तौर पर जनता को यह महसूस होता कि ट्रांसपेरेंट मैनर्स से हम अपने अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यदि हम ट्रांसपेरेंट वे में नहीं लेते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोशीजी, भाषण बहुत जोरों से दे रहे हैं परन्तु यह कर्म आपका किया हुआ है। यह राजस्थान वित्त विधेयक अधिनियम, 2000 के अन्दर आपने इण्ट्रोड्यूस पहले कर दिया था। यह आपके समय आया हुआ है हम तो इसको इनकोरपोरेट करते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अच्छा है, हमारे खुद के कर्म विष्णुजी याद दिला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप अपनी सरकार को, उस समय तो आप बड़ी मेजें थपथपा रहे थे, जब आपको पारित करना था, अब चार्ज कर रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी : क्या तकलीफ है? व्यवधान मैं ऐसे काम नहीं करता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देखो तो सही। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपकी सरकार का पास किया हुआ है, आपके पास हो तो राजस्थान वित्त अधिनियम, 2000 मंगवा कर देख लें। उसके अन्दर 9-ए आपने इंसर्ट किया था।

डा. सी. पी. जोशी : अच्छा हमें कोई तकलीफ नहीं, हमने किया तो आप क्यों उसको फालो कर रहे हैं। आप कह दो न कि जो गिना रहे हैं विष्णु मोदी जी वही करने के लिए आप ला रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं कि आपकी सरकार ने यह किया पांच साल में, यह बेइमानी हुई, फलानी बेइमानी लेकिन यह बेइमानी आप क्यों करना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सारे बुरे कर्म नहीं किए थे, कुछ अच्छे कर्म भी किए।

डा. सी. पी. जोशी : यह अच्छे कर्म हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी सरकार में कुछ भले आदमी थे आपके जैसे।

डा. सी. पी. जोशी : यह आप जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी सरकार में कुछ ढंग के आदमी थे आप जैसे जिन्होने अडाप्ट नहीं किया।

डा. सी. पी. जोशी : यह अधिकार लेकर हम डिस्क्रिशन यूज करना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तक आपने जिस अधिकार का यूज किया।

श्री विष्णु मोदी : राज्य हित में करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : राज्य हित में तो विष्णुजी मोदी आपको मालूम है, राज्य हित की बात तो आपको मालूम है, राज आए तो राजनीति की बात कर रहें हैं। राज्य हित और राजनीति में अन्तर है, यह अन्तर करना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : इसका मतलब है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : महावीरजी, पहले आप सुनिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जिसको लेना चाहते थे उसको आप क्यों लेना चाहते हैं?

डा. सी. पी. जोशी : कोई तकलीफ नहीं है। आप नहीं लेना चाहते है, हमने बेइमानी करने के लिए लिया, आप तो ईमानदारी करने के लिए मत लेते। ईमानदारी का खाना बता दीजिए, आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम होगा कि बडे-बडे होटलों के अन्दर जब स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाते हैं तो जो कंसट्रक्टेड एरिया है उसकी पैराफरी में लैण्ड यूज आती है उसकी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। स्टैम्प ड्यूटी लगती है केवल मात्र उस बिल्डिंग के अन्दर, आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी विलास होटल, उदयपुर जब बिक़ी तो केवल मात्र कंसट्रक्टेड एरिया था उसी के पैसे का वेल्यू किया गया जो लैण्ड उसके साथ जुडी हुई थी उसका वेल्यूएशन नहीं किया गया। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि आपको डिस्क्रिशन लेने का अधिकार है हमें कोई तकलीफ नहीं है, चुनी हुई सरकार को पूरी ताकत है, पूरे नियम और कानून बनाकर ले लेकिन हमारा एप्रिहेंशन है। अच्छा होगा कि सरकार जो पावर ले रही है, जो बिल ला रही है तो सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, हमने नहीं किया, गलती की होगी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप यह बिल बना रहे हैं। बिल बनाने के बाद आप जनता के बीच में जाकर यह कह सकें कि हम जो पेनेल्टी लगाएंगे, हम जो छूट देंगे उसका आधार क्या होगा, उन आधारों का यदि इसमें वर्णन कर लेते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ठीक काम होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 199. प्रिंसीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रिंसीपल एक्ट में लिखा है

In Article 5, after the existing clause (b) and before the existing clause (c), the following clauses shall be inserted, namely-

If relating to purchase or sale of an immovable property when possession is neither given nor agreed to be given.

(डा. सी. पी. जोशी)

अच्छा किया आपने, सेल टू एग्रीमेंट का किया, कोई तकलीफ नहीं लेकिन आगे क्या लिखा है। बी.बी.बी में लिखा है, (bbb) if relating to secure the repayment of a loan or debt made by a Bank or Finance company. 0.1 percent of the amount of loan of debt.

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे लिखा है, (bbbb) if relating to giving authority or power to a promoter or power to a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, any immovable property, One percent of the market value of the property.

यह हम प्रमोट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज को। हमने एक तरफ तो 11 प्रतिशत सेल टू एग्रीमेंट किया उस पर लगा दी, बहुत अच्छा किया, सेल टू एग्रीमेंट करने के बाद आपने यह जो क्लाज एड कर दिया, उस क्लाज का सीधा वजन किस पर पडेगा? एक तरफ तो छूट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ छूट को विड्रा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो प्रोविजन है उसको हमारे से पास कराना चाहते हैं। बहुत अच्छा है पास कर दो, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो मतदाता है, हमारा जो नागरिक है, जो कंसट्रक्शन एक्टिविटीज में भाग लेना चाहता है, सेल टू एग्रीमेंट पर काम करेगा उसको एक प्रतिशत से देना पड़ेगा। एक प्रतिशत मार्केट वेल्यू का, मार्केट वेल्यू कितनी होगी.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर क्षमा चाहूंगा मैं। यह भी कर्म आपका किया हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी : हमारे ऐसे कर्म हैं, आपके कर्म तो अच्छे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान वित्त अधिनियम, 2000 में आपने यह किया।

डा. सी. पी. जोशी : हमने सब काम किया, आप कह दो हम बैठ जाते हैं, हमने जो काम कर दिया, आप आरोप मत लगाना, हम बैठ जाते हैं। हमने जो काम किए वही काम करने हैं आपको, फिर आप क्या बात कर रहे हो? इससे कोई मतलब नहीं है। आप इससे मुख्य मंत्रीजी का फेवर तो सीक नहीं कर सकते। आप बहुत मुशिकल से तो मंत्री बने हो फिर आगे क्या प्रमोशन लेना चाहते हो? पार्लियामेंटरी मिनिस्टर बोले हैं, काफी है इस बात के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोशीजी, एक मिनट। मैं यह कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसी कैबिनेट का मैम्बर था, उस कैबिनेट ने यह किया, सामूहिक जिम्मेदारी होती है सरकार की। सरकार एक सतत प्रक्रिया है। अब यह सरकार इसको लेकर आ गई तो जो उस कैबिनेट में बैठकर आपने काम किया, जो वहां बैठकर उसकी आलोचना आप करो तो यह कैसे संविधान की मर्यादा के अन्दर है, यह बताओ आप तो।

डा. सी. पी. जोशी : यह मर्यादा वही है तो अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंतसिंहजी आज वहां पर हम जो नियम ला रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको बेक आउट करने के लिए वह काम कर रहे हैं। जब हम सत्ता में होते हैं तो जिम्मेदारी होती है, विरोध में क्या जिम्मेदारी है? आज हम विरोध में बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी बन गई है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कल को आप नहीं रहोगे तो आप आज जो कर रहे हैं वह आपको गलत महसूस होगा कि उस समय ठीक नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप नहीं कर सकते नैतिकता के नाते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नही कर सकते, आप कह दो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कर सकते हैं, उस कैबिनेट में आप मैम्बर नहीं थे, आप कर सकते हैं, सी.पी. जोशी नहीं कर सकते।

डा. सी. पी. जोशी : वह उसका विरोध कर रहे हैं, मालूम है कि नहीं, इक्विटी का विरोध कर रहे हैं, जितनी इक्विटी हम ले रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। मंत्री के रूप में प्रपोज किया उन्होंने उस बिल को। यह मेरा अधिकार है, एम.एल.ए. की हैसियत से.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, अभी यह कहा कि यह पाप भी आपका किया हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पाप नहीं, यह कर्म भी, मैंने यह कर्म कहा है और जिस तरह यह विरोध कर रहे हैं उस तरह का आप करेंगे तो हमें मालूम पड़े। आप जैसा स्टेट्समैन कर ही नहीं सकता ।

श्री रामनारायण चौधरी : कर्म क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके जीवन में कुछ मर्यादाएं रही हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कर्म क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कर दो ना विरोध, आप यह कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : यह हमारे साथ मंत्री थे। मालूम है आपको। मेरे साथ मंत्री थे, जानकारी है, मेरे साथ भी मंत्री थे.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने भी पास किया था। इन्होंने कानून बनाकर के पेश किया, असेम्बली में आपने पास किया था। आप भी असेम्बली के मेम्बर थे, आपने पाइंट आउट किया था कि यह गलत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। आप ही बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कहां बीच में व्यवधान डाल रहा हूं। माननीय पार्लियामेन्ट्री अफेयर मिनिस्टर ने अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी थोडे ही है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह बात सुन-सुनकर ऐसा लगता है कि विपक्ष के सदस्य...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने बोल लिया...(व्यवधान) जोशीजी आपने कम्प्लीट कर लिया।

डा. सी. पी. जोशी : दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ना आप। बाडमेर से आने वाले सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से क्लाज सी में भी...

श्री अध्यक्ष : डा. साहब, वह क्या कहना चाह रहे हैं सुन लें जरा। वह क्या कहते हैं, वह सुन लें आप।

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, माननीय सदस्य बहुत ही अमूल्य सुझाव दें और कुछ समय दें और आसन के निर्देश की पालना करें तब तो कुछ बात समझ में आती हैं, नहीं तो आप हमेशा से यह भी घटा दो, वह भी बढा दो, इसमें तो समझ में आता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठे रहें और ओरों को समझने दें।

श्री तगाराम चौधरी : मैं तो यही कहता हूं कि संशोधन विधेयक को पारित कर दिया जाये।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का काम है कि बिल कैसे पास होता है। पहली बार बिल आया है। सदन में चर्चा होनी चाहिये। सदस्यों को मालूम पडे, अच्छा है, यह भी बोलें, सीखें, इसलिये हम कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हममें यह टेंडेंसी हो गयी है कि हम असेम्बली को ग्रिवेन्स प्लेटफार्म बना लें और यह लेजिस्लेचरी बिजनिस है उसको हम सैकण्डरी काम रखें। इसलिये मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमने किये, हमारी सरकार ने किये, अमेंडमेंट नहीं करना चाहते हैं, धन्यवाद। हमारे काम को ही आगे बढा रहे हैं। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम विरोध में बैठे हुए हैं तो हम कम से कम आगे आने वाले समय में तो जो नियम और कानून बनें, जिस तरह से दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं जिससे राइट टू इन्फार्मेशन आ रही है। जिस तरह से इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नेताओं को प्रोसीक्यूट किया जा रहा है। उसके आधार पर जरूरी है कि इन चीजों के बारे में प्रिवेन्टिव मेजर लें। जिससे आने वाले समय में हम पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। आप चाहें कि आप पर अंगुली उठे। आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा धर्म बन जाता है कि हम विरोध में बैठे हुए हैं तो जो चीजें आगे भविष्य में आने वाली हैं उनको कहना चाहिये।

श्री तगाराम चौधरी : कहने में क्या सार है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना धर्म निभायें, बिलकुल ठीक बात है..... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आगे अमेंडमेंट और आये हैं, सी, में for the existing Article 6, the following shall be substituted, namely- उसमें भी लिखा है, if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement or proof of deposit of title deeds. 0.1 percent. If such loan or debt is repayble not more than three months from the date of such instrument. Half the duty payable under clause (a) for the amount secured.

मैं समझता हूं कि यह जो क्लाज इन्सर्ट किया है उसके करने से भी हम जो रिलीफ देना चाहते हैं उससे उन लोगों को रिलीफ मिल रही है जो बिजनिस कर रहे हैं। जो आदमी नीडी है, जिसको मकान लेना है। जिसको यह काम करना है। उसके ऊपर हमने पैनल्टी इम्पोज कर दी है। यह कैसी व्यवस्था करना चाहते हैं। हम उस आदमी को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में अपने नियम और कानून चाहते हैं जिसने एक नियम तोडा है। एग्रीमेंट टू सैल के आधार पर सरकार की ड्यूटी का पैसा अपने घर पर रख लिया, उसको तो हम रिलीफ देना चाहते हैं और जो एक सामान्य आदमी मकान खरीदना चाहता है, वह एग्रीमेंट टू सैल के आधार पर लोन लेना चाहता है उसके ऊपर हम प्वाइंट एक परसेंट बाजार के भाव हम वैल्यू लेना चाहते हैं। जो हमारी व्यवस्था है वह सामान्य नागरिक को मकान की अवेलेंविलिटी के सम्बन्ध में या उसकी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हम यह कानून और नियम नहीं बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोगों ने मकान का यूज चेंज कर दिया है, कामर्शियल यूज कर दिया है। मकान उनका बना हुआ था रेजीडेंशियल, कामर्शियल यूज कर लिया । कामर्शियल यूज जो करते हैं उसकी जो बचत है उसकी स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रखी है? आपने कोई क्लाज बनाया है कि यदि आदमी ने अपनी जमीन को रेजीडेंशियल से कामर्शियल कर दिया तो आपके पास कोई चार्ट है, कोई इन्फार्मेशन है कि वह जमीन या मकान किसको बचेगा तो स्टाम्प ड्यूटी किसके लगायेंगे। रेजीडेंशियल में लगायेंगे या कामर्शियल में लगायेंगे। अच्छा होता कि आप उसको देखते। वह लोग जिन्होने रेजीडेंशियल को कामर्शियल में कर लिया, वह यदि अपनी प्रापर्टी को बेचें तो उनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी क्या लगती। उसके सम्बन्ध में

(डा. सी. पी. जोशी)

आप क्लाज लगाते तो आपके पास ज्यादा रेवेन्यू क्लैक्शन होता। ज्यादा लोगों का टैक्स क्लैक्शन होता। आपने गरीब आदमी के पक्ष में यह नियम और कानून बनाये हैं जो सरकार की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हमारी मानसिकता हैव्ज नोट के प्रति नहीं है। हमारी मानसिकता हैव्ज के प्रति है।

अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें जो अमेंडमेंट किये हैं वह इंडियन स्टाम्प एक्ट के आधार पर तो किये नहीं हैं लेकिन माइनर अमेंडमेंट के नाम पर जो यह अधिकार हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यह अधिकार लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इन अधिकारों को यदि हमे यूज भी करना है तो ट्रांसपरी मैनर में उसके साथ नियम बनाये जाने चाहिए कि हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। पेनल्टी को इस तरह से वेव करेंगे। तब मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास बढेगा। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं जनता के पक्ष में कर रहे हैं। नियमों में इसको लागू करना चाहतें हैं। अन्यथा दूसरी सरकार ने किया था उसी आधार पर आप करना चाहते हैं तो आप साफ कह दें कि हम इन चीजों में परिर्वतन नहीं करना चाहते (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य, बोलने दें आप उन्हें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्ही शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। और माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि नहीं सीखें, कानून बनाना नहीं सीखें। बहुत अच्छा है, जितना कानून बनाना नहीं सीखेंगे उतना हमको फायदा है कि सरकार बनाने वाले आदमी को मालूम ही नहीं है कि कानून कैसे बना है। गलत कानून बनायेंगे तो हमको फायदा होगा। आपने अच्छी ट्रेनिंग दी कि कानून बनाना नहीं सीखे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा धर्म बनता है कि हम विधायक हैं तो कानून और नियम में जो कमियां और खामियां हैं उन पर सरकार का ध्यानाकर्षण करें। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो कमियां हैं उसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्टाम्प ड्यूटी के बारे में जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उसके बारें में माननीय सदस्यं ने सुझाव दिये। मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाम्प ड्यूटी कुछ कम की है। लेकिन जमीन की कीमत किस प्रकार से निर्धारित हो इसके लिए डी.एल.सी. बैठी हुई है पर जो सब रजिस्ट्रार है वह जमीन की कीमत तय करके स्टाम्प ड्यूटी लेता है। उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है यह किसी से छिपा हुआ है क्या? या तो यह सरकार के ध्यान में नहीं है और यदि सरकार के ध्यान में है तो सरकार उसके लिए कुछ उपाय नहीं कर रही है। इसके लिये आप क्या ऐसे नियम कानून में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं जिससे कि यह भ्रष्टाचार रूक सके। जहां सब रजिस्ट्रार को रिश्वत मिल जाती है वहां उस प्रोपर्टी की कीमत को वह आंक देगा। कोई अगर नहीं दे पाता है, समझौता नहीं होता है तो उसकी वैल्यू बहुत हाई आंक दी जाती है। आपके जितने भी सब रजिस्ट्रार है या तहसीलदार हैं, जिनको रजिस्ट्री का पावर है, वहां जो रजिस्ट्री होती हैं उनकी कभी जांच करवायी कि ऐसी कोई मामला आया जब उन्होने वैल्यू कम की हो, कम वैल्यूएशन कर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की हो, क्योंकि उसने उसमें कुछ न कुछ घोटाला किया होगा। ऐसे अगर आप मामले पकडो और जो सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार जिसको यह रजिस्ट्री का पावर है, उसको दण्डित करो तो आपकी यह चोरी रूक सकती है। आप चोरी को रोकोगे नहीं और केवल बेचने वाले या खरीदने वाले पर ही यह ड्यूटी का भार डालते जाओगे तो वह आखिर कितना भार सहन करेगा और वह भी इस प्रकार से क्यों चोरी करता है। पैसे देकर के उसकी कीमत कम आंकने की कोशिश क्यों करता है क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा हो गयी है। कीमत के बराबर तक स्टाम्प ड्यूटी हो गयी है। इसका मैं एक ही कारण समझता हूं कि अगर बेचने वाला या खरीदने वाला यह प्रस्ताव कर दे कि आप यह कह रहे हो कि इसकी कीमत इतनी है, सरकार यह कह दो कि इसकी कीमत इतनी है, हम ले लेंगे। अगर वह स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए, चोरी बचाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम कर रहा है। तो आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए यह स्टाम्प ड्यूटी की इस वजह से चोरी होती है। आप अगर यह एलान कर दें इस तरह की रजिस्ट्री हो ही नहीं रही है। बहुत सारी तो ऊपर ही बेचान हो जाता है। एग्रीमेंट पर भी होती हैं, बिना एग्रीमेंट के भी होती है। बेचान हो जाता है रेकार्ड में नाम, खातेदारी में दूसरे का चल रहा है। क्योंकि कीमत के बराबर स्टाम्प ड्यूटी है। इस तरह से नाम खातेदारी में किसी का आ गया।

अब वो बेचान के जरिये अपने नाम खातेदारी करा सकता है लेकिन फिर भी वो चल रहा है क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी इतनी है वह दे नहीं पाता है इसलिये रेकार्ड में

(श्री हेमाराम चौधरी)

नाम चैंज नहीं हो पाता है। आप एक अभियान के तौर पर, जैसे हाउस टैक्स है, आप उसमें तय करते हैं कि इतनी समयावधि के अन्दर हाउस टैक्स जमा कराएंगे तो इतनी आपको छूट दे दी जाएगी तो इस तरह से एक महीने, दो महीने के लिए आप यह कर दें कि रजिस्ट्रेशन जो भी होगा उसमें हम इस प्रकार से छूट देंगे तो आप देख लेना एक -दो महीने के अन्दर फिर कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं और पूरे साल में कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें कितनी आय होती है। एकदम बाढ आ जाएगी। जिन लोगों ने आज दिन तक प्रोपर्टी का बेचान तो कर रखा है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाने की स्थिति में हैं क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है, उनके लिए आप इस तरह की कोई विशेष घोषणा कर सकें तो उससे आपको ज्यादा रेवेन्यू हो सकती है। उसमें रूल्स में आपकी गवर्नमेंट को पावर है या नहीं है, इस प्रकार का कोई सर्कुलर निकाल सकते हैं गजट में छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते हैं, पावर नहीं हैं तो पावर विधान सभा के जरिये कानून के द्वारा ले लें लेकिन मैं समझता हूं कि इससे आपको अच्छी रेवेन्यू हो सकती है। मेरा तो आपको यह सुझाव है क्योंकि जैसा अभी कह रहे थे यह तो आपके कर्म किये हुए हैं तो हमने कर्म किये आप भी वो ही कर्म करोंगे क्या? हम तो सत्ता में थे तब हमको तो सत्ता का नशा था, आपको भी आ गया क्या? आप तो सत्ता के नशे में मत आओ। (व्यवधान) होता है, यह आपका दोष नहीं है हमारा दोष नहीं है, पद पर आदमी होता है तो उसकी चाल ही बदल जाती है, उसके हाव-भाव, उसके सब तौर-तरीके बदले हुए चलते हैं। जब नीचे आता है सत्ता से तब फिर उसका हिसाब देखो तो उसके हाव-भाव अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। (व्यवधान) महावीर जी, पिछली बार मैं आपके हाव-भाव को यहां देखता था, यह तो आपकी क्या, सबकी, हमारी भी वही होनी है। हमारा भी पहले से अब में आप अन्तर देखते हो कितना अन्तर है। यह अन्तर तो आना ही है, आपमें भी आ सकता है। आप बार-बार कहते हो, इस गलतफहमी में आप भी मत रहो, आप भी सोचो। अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा, पूर्व वित्त मंत्रीजी ने सुझाव दिये उनका स्वागत करते हैं, उस पर गौर करेंगे अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है हमारी तरफ से सब सुझाव, बिलकुल बेकार सुझाव हों कोई अच्छे सुझाव देने वाला है ही नहीं। पहले हम सोचने थे आप इधर से बोलते थे, आपमें बहुत अच्छे सुझाव देने वाले थे, लेकिन हमारा सोच है कि आपका कहना नहीं मानेंगे आप चाहे अच्छी बात कहो, कहते रहो, रोओ, चाहे रोते रहो, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे। अब उस बात का तो क्या कर सकते हैं, उसका कोई दुनिया में इलाज होता ही नहीं है। मैं भी पहले

(श्री हेमाराम चौधरी)

कहता था, मैंने कहा ऐसा करो, ठीक रहेगा, नहीं किया तो नहीं किया। आपको भी कहता हूं आप करोगे ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो हमारा फायदा होगा। इसलिये आप हमारे फायदे के लिए बैठे हो या आप अपने फायदे के लिए बैठे हो। मेरा तो आपसे यही निवेदन है आप जनता के हित में कोई इधर से भी सुझाव आ जाएं तो उसको आप तुरन्त लागू कर दो जिससे आप तुरन्त फायदा उठा सको, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्वि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित)।

श्री विष्णु मोदी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक, 2004

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेण्डमैंट वापस लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वापस लेने की परमीशन होती है हाउस में। वापस लेने की ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : जवाब दीजिए। (व्यवधान) पहले प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त एवं करारोपण राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो बहुमुल्य विचार प्रस्तुत किये उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और राजस्थान राज्य में 1952 में भारत सरकार द्वारा बनाये गये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को लागू किया गया था। इस कानून में कोई संशोधन एवं परिर्वतन की आवश्यता होने पर महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुमोदन आवश्यक था। अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल व गुजरात आदि ने स्वयं के स्टाम्प एक्ट बना रखें हैं, जिसमें समय एवं जनाकाक्षाओं के अनुरूप राज्य विधान सभा स्वयं ही संशोधन कर सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी वर्ष 1998 में राजस्थान विधान सभा में राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 पारित किया गया जिसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 24.4.1999 को प्राप्त हुई किन्तु उसे लागू करने की तिथि अधिसूचित नहीं हो सकी। अत: उक्त एक्ट को लागू नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने उक्त एक्ट को दिनांक 27.5.2004 को लागू कर दिया है। वर्ष 1998 में एक्ट के प्रकाशित होने के पश्चात विभिन्न वित्त अधिनियमों के द्वारा उस समय प्रचलित पुराने स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किये गये थे। इन संशोधनों को 1998 के एक्ट में शामिल करना आवश्यक था जिससे अध्यादेश के द्वारा दिनांक 27.5.2004 से 1998 के एक्ट में शामिल किया गया। उक्त अध्यादेश के जरिये किये गये संशोधन से वर्तमान रिप्लेसमेन्ट बिल में शामिल किये गये हैं।

माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नये स्टाम्प अधिनियम लागू करने से जहां एक ओर जनता को बहुत अधिक सुविधाएं मिलेंगी वहीं दूसरी ओर इसमें कई ऐसे प्रावधान किये हैं जिससे राजस्व आय में वृद्वि होगी साथ ही इससे करापवंचन पर भी रोक लगेगी।

सदन के सम्माननीय सदस्यों ने जहां स्टाम्प शुल्क की दर 11 प्रतिशत से 8 प्रतिशत करने से प्रसन्नता जाहिर की है वहीं यह शंका जतायी है कि इससे राजस्व आय गिरेगी। मैं माननीय सदस्यों को पुन: विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्टाम्प शुल्क की दर 3 प्रतिशत घटाने से राजस्व आय में गिरावट नहीं आएगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में इस बारें में स्पष्ट किया था कि दर घटाने से राजस्व लक्ष्यों में कमी नहीं की गई है तथा लक्ष्य यथावत रखे गये हैं। राजस्व लक्ष्यों का अर्जन प्रभावी मानिटरिंग, बकाया राजस्व वसूली, करापवंचन पर अकुंश तथा डी.एल.सी. की दरों को वास्तविक दरों के आसपास तय कराकर किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क की दर घटाने से अधिक संख्या में लोग दस्तावेजों का पंजीयन कराएंगे तो अनियमित तरीके से सम्पत्ति के हस्तान्तरण की प्रवृति पर अंकुश लगेगा।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

माननीय सदस्यों ने अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने के लिए निष्पादित पावर आफ अटार्नी पर स्टाम्प शुल्क दो परसेंट करने से जनता को असुविधा होगी इसके बारे में शंका व्यक्त की है। इस सम्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्टाम्प शुल्क की अपवंचना के उद्देश्य से लोग विक्रय पत्र निष्पादित करने के स्थान पर विक्रय पत्र निष्पादित करने के स्थान पर विक्रय इकरारनामा व पावर आफ अटार्नी बनवाते हैं इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक था। पूर्व में विक्रय इकरारनामे पर तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का प्रावधान वर्ष 1999 में किया गया था। फिर भी पावर आफ अटार्नी के विकल्प के कारण कर अपवंचना पर प्रभावी अकुश नहीं लगा था। इस संदर्भ में आन्ध्रप्रदेश, पजांब, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करने के पश्चात ही पावर आफ अटार्नी पर दो परसेंट स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से जहां एक ओर कर अपवंचना पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी ओर राजस्व आय भी बढेगी।

माननीय सदस्यों के मन में तीन या तीन से अधिक भवनों के हस्तान्तरण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में दी गई रियायतों के बारे में कुछ संशय हो सकता है। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा उक्त रियायतें व्यापक जनहित में दी गई हैं। बढती हुई जनसंख्या के लिए मकानों की आवश्यकता को देखते हुए बहुमंजिले भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त रियायतें दी गई हैं इससे फलेट्स के क्रय-विक्रय का बाजार विकसित होगा ताकि आम जनता को राहत मिलेगी। उक्त रियायतों के स्टाम्प शुल्क की आय में कमी नहीं होगी क्योंकि कम दर के कारण पश्चातवर्ती हस्तांतरण अधिक होंगे तथा अनियमित हस्तान्तरण के स्थान पर विक्रय पत्रों के माध्यम से हस्तान्तरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

इससे राजस्व आय भी बढ़ेगी। अब मैं आपको माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसके बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा-9 में भी वैसा ही प्रावधान है जैसे राजस्थान वित्त एक्ट, 2004 में लिया गया है तो आपने जो बताया है उसके बारे में आपको माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सूचित कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब 11 से 8 कर दिया तो महिलाओं को भी मुख्य मंत्रीजी, साढे 5 से 4 करो न। महिलाओं ने क्या अन्याय किया है आपका. उनको भी आधी रियायत दो। आपके होते हुए उनको भी रियायत मिलनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र मीणा : एग्रीमेंट टू सेल. माननीय हरिमोहन जी शर्मा ने बताया एग्रीमेंट टू सेल पर 3 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी...

मोहम्मद माहिर आजाद : साढ़े 5 का 4 करो।

श्री वीरेन्द्र मीणा : जो लगाया है वह कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने वर्ष 1999-2000 में लगाया था न कि हमने और दूसरा अभी माहिरजी ने जो बताया (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वहीं महिलाएं ही मालिक बन जाएं।

श्री वीरेन्द्र मीणा : नहीं, महिलाएं तो वैसे ही मालिक होती हैं, आपको भी पता है। जिला स्तर पर जो डी.एल.सी. कमेटियां हैं उसके अन्दर आपने जिक्र किया है तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसके अन्दर जनप्रतिनिधि भी होता है, एम.एल.ए., एम.पी. वह सब होते हैं इसके अन्दर जिला कलक्टर के अलावा डी.एल.सी. के सदस्यों में एम.पी., एम.एल.ए. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने भी कहा है कि मैम्बर होते हैं लेकिन काम करने का अधिकार नहीं है, आप उसको बढ़ा ही सकते हो। (व्यवधान) हम तो कह रहे हैं कि इसको आप तर्कसंगत बनाओ कि वास्तविक मूल्य है उस मूल्य के आधार पर वह कीमतें निर्धारण करें।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्य, लोढ़ाजी ने एक बात रखी थी। चूंकि मैं अनुसूचित जनजाति से आता हूं तो आपने कहा कि आपने अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया? बजट के अन्दर पहली बार ट्राइबल फण्ड है 5 करोड़ से 30 करोड़ कर दिया हमारी सरकार ने। आपकी सरकार ने किया पहले यह? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे को 500 करोड मिलना चाहिए, कौन सी बडी बात कर दी? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा।

श्री जीतमल खांट : 30 करोड रूपये क्या कोई बहुत बडी बात नहीं है, 500 करोड रूपये मिलने चाहिए महाराष्ट्र पैटर्न का।

श्री संयम लोढ़ा : मैं सिर्फ यही जानकारी में लाना चाहता हूं, मंत्री जी, एक मिनट। (व्यवधान) एक प्रापर्टी अगर वह जनरल की होती तो बाजार में उसकी कास्ट ज्यादा होती और वो ही प्रापर्टी जब शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की होती है तो बाजार

(श्री संयम लोढ़ा)

में उसकी कास्ट कम होती है तो उसके अनुरूप तो कोई फैसला करो। यही तो आपसे निवेदन किया है।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्य जुबेर खान जी ने बताया था उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, समस्त सेल डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 11 परसेंट से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है।

श्री जुबेर खान : बिल में 11 परसेन्ट कहां क्या है, यह तो हमको बता दो, यह कहां लगेगी 11 परसेन्ट।

श्री वीरेन्द्र मीणा : हेमाराम जी चौधरी साहब ने बताया तो उसके सन्दर्भ में आपसे कहना चाहूंगा कि अब पावर आफ अटार्नी है।

श्री अध्यक्ष : जनमत का देना है जवाब देना है आपको।

श्री वीरेन्द्र मीणा : या परसेट स्टाम्प ड्यूटी लगाने से ऊपरी बेचान नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष : जनमत का देना है। जवाब तो केबल।

श्री वीरेन्द्र मीणा : जिससे टैक्स की चोरी रूकेगी। अन्त में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पुन: रिप्लेसमेन्ट बिल के माध्यम से किये जा रहे संशोधनों की ओर आकर्षित करते हुए यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह सभी संशोधन पूर्व में विधान सभा के माध्यम से पुराने कानून में किये गये थे उनको ही इस 1998 के एक्ट में शामिल किया जा रहा है। इसके द्वारा जनता पर किसी भी रूप में अतिरिक्त कर का भार नहीं पडा है, 1998 के बाद पिछली सरकार द्वारा किये गये इन संशोधनों को यदि नये एक्ट में शामिल नहीं किया जाता तो यह निष्प्रभावी हो जाते एवं कानूनी पेचिदगियों से अतिरिक्त राजस्व आय पर भी विपरीत प्रभाव पडता। सदन को मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक, 2004, वित्त विधेयक, 2004 एवं अन्य बजट प्रस्तावों के लागू हो जाने के राजस्व की वृद्वि होगी एवं जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

यह मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है (व्यवधान) वह नहीं है. आपको इतना बोलना ही नहीं था। प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश : विचार।

खण्ड 2 से 9 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

मंत्रीजी, पारित के लिए प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए?

श्री अध्यक्ष : किसी को बोलना है? बोलिए, प्रतिपक्ष के नेता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पेज 27-

9. Power to reduce or remit penalty or interest. The State Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may, by notifica-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

tion published in the Official Gazette, reduce or remit the penalty or interest or both imposed or chargeable under this Act.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि ग्राण्ड सन और ग्राण्ड डाटर, यह दोहिता और दोहिली पर भी लागू होती है। क्या वित्त राज्य मंत्री जी यह बताएगें कि उनके ऊपर भी यह लागू होगा। नहीं तो मेरा आपके माध्यम से उनको यह सजेस्ट करना है कि इसमें और भी जो ब्लड रिलेशन में है जैसे अंकल हैं, आंटी है, ताऊ है, नाना-नानी, मामा-मामी इनको भी सम्मिलित कियां जाना चाहिए ताकि यह एक बहुत अच्छे तरीके से एक्ट बन पाएगा। जहां तक-

9. Power to reduce or remit penalty or interest, The State Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may, by notification published in the Official Gazette reduce or remit the penalty or interest or both imposed or chargeable under this Act.

इसके अन्तर्गत इसको यदि पारदर्शी बनाना है तो अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को चाहिए कि स्टाम्प एक्ट में जो परिवर्तन ला रहे हैं इसके साथ रूल्स और रेगुलेशंस भी बनने चाहिए कि 50 हजार तक की व्याज शास्ति को माफ करने का अधिकार इस अधिकारी को है, गवर्नमेन्ट के पास कितने पावर्स हैं इन सबको रूल्स और रेगुलेशंस बनने चाहिए। अभी मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने फर्स्ट स्टेज पर जब विचार चल रहा था तो डी.एल.सी. का जिक्र किया । मुझे याद है मैं डी.एल.सी. की कई मीटिंगों में गया हूं। उन मीटिंगो में बार-बार सबसे पहले कलक्टर वहां पर यह कहते हैं कि हमको तो निर्देश है कि हमको 10 परसेन्ट था 20 परसेन्ट रेट बढ़ानी है। आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष महोदया, जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर इनकी जमीनें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से ऊंची कीमत पर एक तरह से रजिस्ट्री होती हैं। वास्तव में वे जमीनें आधी कीमतों पर बिकती नहीं है लेकिन डी.एल.सी. की रेट के कारण उनकी रेट्स इतनी ऊंची देनी पडती है कि उसकी कोई इन्तहा नहीं है।

इसी प्रकार मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि डी.एल.सी. की रेट में समय समय पर वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमको उसका आंकलन करके डी.एल.सी. में जो जन प्रतिनिधि मौजूं राय दें और आपका जो नीचे का तहसीलदार है या डी.एल.सी. है उनके माध्यम से वास्तविक रीयल प्रोपर्टी. रियल स्टेट की क्या पोजिशन है मार्केट की, उसके आधार पर यदि तय की जाए तो वो ज्यादा उचित रहेगी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा मैं इस अवसर पर यह जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने एक सारथी योजना शुरू की थी उससे ट्रांसपेरेंसी आई। तत्काल लोगों की रजिस्ट्री होने लगी, कुछ रजिस्ट्रियां तो 25-30 मिनट बाद मिलने लगी, कई 24 घण्टे बाद मिलने लगीं, कम्प्यूटराइजेशन हुआ और इसमें जो भ्रष्टाचार होता था उसके बारे में एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को आगे बढाऊंगा। एक बार एंटीकरप्शन का छापा सब रजिस्ट्रार के यहां हुआ तो बोरियों में नोट मिले। इतना करप्शन होता था। इस करप्शन को रोकने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेप लिये और सारथी योजना जो शुरू की उसके कारण तत्कालीन अधिकारियों ने और तत्कालीन सरकार ने जो काम किया वह निश्चित रूप से काबिले-तारीफ है। इसके अलावा इसमें तत्काल दस्तावेज पंजीबद्ध करके लौटाना, आधुनिक तकनीक का युक्तियुक्त पंजीयन व्यवस्था और राजस्व करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उपाय किये गये, जिसके कारण इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार रूका। मैं चाहता हूं कि इसमें आज भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो 187 पद हैं उसमें से करीब 16 पद आपके रिक्त हैं। जयपुर में तीन पद सब रजिस्ट्रार के रिक्त हैं, दो पद कोटा में रिक्त हैं और वहां पर तहसीलदार काम कर रहे हैं इसलिए जो रिक्त पद हैं सब-रजिस्ट्रार के उनको तत्काल भरा जाना चाहिये। दूसरा उपाय करना चाहिए कि आज से कई वर्ष पहले रेवेन्यु बोर्ड को यह निर्णय लेना था कि तहसीलदारों का एक पैनल तैयार किया जाए पैनल तैयार करके उस पैनल के आधार पर तहसीनदारों को सब-रजिस्ट्रार बनाने के लिए नियुक्त किया जाए। वह पैनल तैयार पडा है लेकिन उसकी क्रियान्विती रेवेन्यु बोर्ड नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं सरकार रेवेन्यु बोर्ड से बात करके उस पैनल के आधार पर सब-रजिस्ट्रार्स की नियुक्ति करे।

इसके अलावा राज्य में खासतौर से पावर आफ अटार्नी का जो मामला आया है, मैं समझता हूं कि इससे जैन्युइन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पावर आफ अटार्नी , जो लोग एक तरीके से इसका मिसयूज करते थे, विदेश रहते थे, उनके लिए तो ठीक है लेकिन बहुत जैन्युइन व्यक्ति कई बार बाहर रहते थे, विदेश में रहते थे, दिशावर रहते थे, ऐसे लोगों के लिए पावर आफ अटार्नी के ऊपर जैन्युइन लोगों के ऊपर यह टैक्स लगा है, इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 2004 में आपने अभी बडे जोर-जोर से अभी कहा कि हमने 11 प्रतिशत से स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 8 प्रतिशत कर दी। अब मैं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अर्थशास्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इसमें किसानों का कितना नुकसान हुआ। अर्थशास्त्री जी, सुनिये। हल वालों का कितना नुकसान हुआ यह सुनिये। इस सरकार ने फलैट खरीदने वालों पर 11 प्रतिशत से 8 प्रतिशत ड्यूटी कर दी। उसके बाद पांच साल में दूसरा विक्रय होगा उसमें स्टाम्प ड्यूटी घटाकर आपने 4 प्रतिशत कर दी और तीसरी बार फलैट की बिक्री होने पर स्टाम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत कर दी। आपका खेत पहली बार बिकेगा तो 8 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी, दूसरी बार बिकेगा तो 8 प्रतिशत ड्यूटी और तीसरी, चौथी बार बिकेगा तो 8 प्रतिशत ड्यूटी। यह हल वालों का नुकसान हुआ है इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपना मकान बेचेगा तो मकान बेचने में उसको 8 प्रतिशत ड्यूटी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार मकान बेचेगा उसकी स्टाम्प ड्यूटी में कोई फर्क नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल सकता हूं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिये मेरा कहना है कि रियल स्टेट...

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें मेरे को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या हो गया?

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय विपक्ष के नेता, क्या यह बतायेंगे कि पहले कांग्रेस सरकार में इस प्रकार की छूट थी क्या?

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वह चाहे जितनी बार बिक जाए तो भी उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। मेरे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कह रहा हूं केवल फलैट की खरीद और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो सारी रियल स्टेट में देना चाहिए। यह कह रहा हूं मैं। हमारे वक्त में एक जैसी थी स्टाम्प ड्यूटी। मेरा यह कहना है कि बिल्डर्स से सांठ-गांठ करके आपने यह छूट दी है। यदि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो आपको सारी रियल स्टेट को चाहे वो मकान हो, खेत हो, दुकान हो, कुछ भी हो, सबकी जितनी बार बिक्री की जाए उसमें भी ऐसी की ऐसी छूट देनी चाहिए, तब आपका यह स्टाम्प एक्ट है वह ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो एक जैसी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चीज के लिए एक जैसा टैक्स लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अध्यक्ष महोदय, ऐसे डिसीजन दिये हैं कि एक जैसी जिन्स के ऊपर एक जैसा टैक्स लगता है। आपने रीयल स्टेट के केवल फलैट वालों को तो छूट दे दी, खेत वालो की छूट क्यों नहीं दी और दूसरी चीजों को छूट क्यों नहीं दी, मकान वालों को यह छूट क्यों नहीं दी? इसलिये इसमें समानता लानी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं लायें?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे वक्त में एक जैसा टैक्स था आपको मालूम तो है नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको किसान की अब बडी समझ आई।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपके वक्त में तो फलैट भी बिना रजिस्ट्री के बिकते थे, ट्रांसफर होते थे ट्रांसफर। को-आपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ट्रांसफर होते थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है अमेंडमेंट नहीं देने पर भी थर्ड स्टेज पर हम बोल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद में भी आप आंखे बन्द करके रखो तो कोई बात नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो क्लाज तो पास हो गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है चीफ व्हिप होता है वो नेता की आंख और कान का काम करता है और आप कोई सुनने वाला होता है उसके कान में और बूंदे डालते हो।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो राज्य मंत्री जी से एक कलेरिफिकेशन चाह रह हूं कि आपने कहा कि सबके ऊपर 8 प्रतिशत ड्यूटी कर दी। तो खण्ड– आठ में यह पेज नम्बर 24 पर (डी) में लिखा हुआ है

In Article 21, for the existing clause (i) the following shall be substituted namely :

(i) If relating to immovable property. Eleven percent of the market value of the property.

तो यह बता दीजिये कि एक तरफ यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट में सारा 8 प्रतिशत कर दिया तो यह कौनसी इम्यूवेबल प्रोपर्टी है,

(श्री जुबेर खान)

अचल सम्पत्ति है जिसमें आज की तारीख में भी 11 प्रतिशत ड्यूटी एग्जिस्ट कर रही है ताकि यह जानकारी मिल सके सदन को कि कौन-कौनसी प्रोपर्टी पर आज भी 11 प्रतिशत ड्यूटी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक सुझाव और है। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा होगा स्टाम्प नकली छप गये, कई तरह की घटनाएं हो गई तो इसमें जो भी स्टाम्प ड्यूटी बनती है, यदि इसका पेमेन्ट चैक के माध्यम से अथवा ट्रेजरी में जमा हो जाए तो मैं समझता हूं कि विभाग के लिए बहुत अच्छी बात होगी और नये-नये जो तरीके लोग लेकर आते हैं, अपराधी लेकर आते हैं, नये स्टाम्प छाप लेते हैं और उनको बाजारों में बेच देते हैं तो इस प्रक्रिया को रोकने में मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री । बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता द्वारा अभी उठाये गये अचल सम्पत्ति के मामले में पावर आफ अटार्नी का बताया, अचल सम्पत्ति के मामले में स्टाम्प ड्यूटी की अपंवचना करने के लिए दो प्रकार के लेख पत्र बनाये जाते हैं, पहला विक्रय इंकरारनामा, दूसरा पावर आफ अटार्नी। विक्रय इकरारनामे के माध्यम से तीन प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ऐसे दस्तावेज से लेने का पूर्व में ही प्रावधान था। स्टाम्प ड्यूटी की कर अपवंचना को रोकने हेतु पावर आफ अटार्नी के अन्तर्गत बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत ड्यूटी लेने का प्रावधान बनाया गया है। जन साधारण को असुविधा नहीं हो इसके लिए रक्त सम्बन्धियों (ब्लड रिलेशन) को इस प्रावधान से मुक्त रखा है।

श्री जुबेर खान : 8 नम्बर खण्ड के "डी" का बता दीजिये कि वह 11 प्रतिशत कौनसा है, हमको जानकारी मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : खण्ड में कोई अमेंडमेंट नहीं था, वह तो हो गया पास। अब आप जनरल बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, यह रिप्लेसिंग बिल है। इस रिप्लेसिंग बिल के अन्दर तो 11 प्रतिशत है पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप कहो तो मैं पढ़ कर सुना दूं

In exercise of power of conferred by Section 1 of Section 9 the Rajasthan Stamp Act, 1998 the State Government being of the opinion........

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह नोटिफिकेशन के माध्यम से 11 जून. 2004 को 11 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : Yes, You are absolutely right.

श्री जुबेर खान : आज जो बिल पास कर रहे हैं इसमें आप सब्स्टीट्यूट करके 11 प्रतिशत क्यों लिख रहे हैं फिर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिप्लेसिंग बिल है इसलिए लिख रहे हैं। रिप्लेसिंग बिल है यह। जो पहले बिल है उसी का रिप्लेस किया है।

श्री जुबेर खान : इसका मतलब बिल में तो 11 प्रतिशत कर रहें, खाली छूट दे रहे हैं जो कभी भी वापस ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे रहे हैं? दीजिये।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक, 2004 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक, 2004 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2004 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.21 बजे, शुक्रवार दिनांक 30 जुलाई 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

परबरतसर के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

364. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में किस-किस पंचायत मुख्यालय का गांव दूसरी पंचायत मुख्यालय के गांव से सड़क से जुड़ा हुआ है तथा कौन-कौन सा नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों के गावों को अब सड़क से जोड़े जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कई गावों की आबादी 2000 के करीब है एवं जो ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये हैं, क्या सरकार उन गावों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र के सारे 47 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुये है मुख्यालयवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सारे पंचायत मुख्यालय पूर्व में ही सड़क से जुड़े हुये है।

(3) जी नही। अपितु करीब 2000 की आबादी के 5 गांव ऐसे है जो मेटल सड़क से जुड़े हुये हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार 500 से अधिक आबादी के समस्त बिना किसी प्रकार की सड़क से जुड़े गांवों को सन् 2007 तक डामर सड़क से जोड़ने के बाद मेटल से जुड़े इन गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है।

परिशिष्ट "अ"

परबतसर विधान सभा क्षेत्र के सड़क से जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	आबादी 2001 के अनुसार	सड़का का विवरण	
			डामर	मेटल
1	2	3	4	5
1.	बडुं	8907	डामर	—
2.	बिदियाद	7049	डामर	—
3.	पीह	5483	डामर	—
4.	हरनावां	5253	डामर	—
5.	भकरी	4500	डामर	—
6.	गुलर	4803	डामर	—
7.	कुराड़ा	4724	डामर	—
8.	जावला	4576	डामर	—
9.	जंजीला	3962	डामर	—
10.	पीलवा	3892	डामर	—
11.	भादवा	3762	डामर	—
12.	पीपलाद	3539	डामर	—
13.	रिड़	3405	डामर	—
14.	बागोट	3387	डामर	—
15.	गांगवा	3104	डामर	—
16.	बाजवास	3021	डामर	—
17.	रोहिण्डी	2503	डामर	—

1	2	3	4	5
18.	राबडियाद	2307	डामर	—
19.	मंगलाना	2291	डामर	—
20.	खोखर	2221	डामर	—
21.	बीठवालिया	2195	डामर	—
22.	किनसरिया	2177	डामर	—
23.	बंवाल	2106	डामर	—
24.	भड़सिया	2100	डामर	—
25.	कुण्डरी	2020	डामर	—
26.	ढ़ाढ़ोता	1949	डामर	—
27.	बस्सी	1918	डामर	—
28.	बरेव	1893	डामर	—
29.	टापरवाड़ा	1779	डामर	—
30.	रूणिजा	1564	डामर	मेटल
31.	चिताई	1509	डामर	—
32.	नेतियास	1477	डामर	मेटल
33.	झालरा	1318	डामर	—
34.	कालेटरा	1258	डामर	—
35.	नेनिया	1083	डामर	—
36.	इटावा बामणिया	4001	डामर	—
37.	बेसरोली	3504	डामर	—
38.	अल्तवा	2981	डामर	—
39.	बाजोली	2929	डामर	—

1	2	3	4	5
40.	इटावा लाखा	2974	डामर	—
41.	भैया कलां	2460	डामर	—
42.	गेड़ा कलां	1959	डामर	मेटल
43.	मोड़ीचारणा	1918	डामर	—
44.	हुडिया	1874	डामर	—
45.	नान्दोली मेड़तिया	1680	डामर	—
46.	खेड़ीशीला	1386	डामर	—
47.	ड़ोबड़ी कलां	1766	डामर	—
			44	3=47

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र परबतसर के डामर से नहीं जुड़े बड़े गांव

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	पंचायत समिति	आबादी 2001 के अनुसार	सड़क का विवरण
1.	गेड़ाकलां (पी.एच.क्यू.)	मकराना	1959	मेटल
2.	सिटावट	परबतसर	1920	मेटल
3.	रूणिजा (पी.एच.क्यू.)	परबतसर	1564	मेटल
4.	नेतियास (पी.एच.क्यू.)	परबतसर	1477	मेटल
5.	नाका	परबतसर	1058	मेटल

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

किशनगढ़ के ग्राम करडाला में बांध हेतु सर्वे

366. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थिति ग्राम करडाला ग्राम पंचायत कोटड़ी में कोई बांध बनाने के लिए सर्वे हुआ है? यदि हां, तो कब एवं कितने वर्षों से यह योजना विचाराधीन है? योजना की लागत एवं सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्राम सिंगला पंचायत सलेमाबाद में निर्मित बांध का नाम पूर्व में निम्बार्क बांध था जो कि परिवर्तित कर रूपनगढ़ सिंचाई परियोजना के नाम से कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस परियोजना का नाम पुन: निम्बार्क बांध करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996 में बांध की सर्वे उपरान्त 111.00 लाख रुपये का प्रशासनिक तखमीना तैयार किया गया था किन्तु लाभ लागत दृष्टि से परियोजना को उचित नहीं पाया गया। योजना की लागत एवं रिपोर्ट प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इस परियोजना का नाम निम्बार्क बांध सिंचाई परियोजना सलेमाबाद किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रपत्र "अ"

Name of work :- Construction of Hanuman Sagar Kardala Irrigation Project.

Tehsil :- Kishangarh **District:- Ajmer**

1.1 **INTRODUCTION AND HISTORY :** The proposed minor Irrigation project is situated near village Kardala of Tehsil Kishangar in Ajmer District.

The site is proposed at the conghience of local nallahs originates from local hills in between village kardala and Bhelawat and flowing in the west to east direction of village kardala of Ajmer District and finally merges in the Sambhar salt lake, through Roopa river near village Kotri. The site is approachable from Kardala village by a Kutcha road, which is well connected by a tar road from Kishangarh to Khajpura which is about 5.0 Km. from the proposed site.

There is no irrigation tank and panchayat tank in the upper part of the catchment Mansoon run off however remains un utilized and drain in the Roopa river. There is good culturable area on both sides of main nallah, out of which a very limited land is irrigated by wells. There has been a constant demand from the villages of Kardala and Kotri, to construct a dam on this nallah for providing irrigation benefits to them.

1.2 **LOCATION OF SITE :-** The site of proposed dam is about 40 Kms. From Kishangarh and about 8 Km. from village Panner in Tehsil Kishangarh of Ajmer Distrisct. The Co-ordinates of the proposed site are approximately Latitude : 26'-54'-0'' and Longitude 74'-50'-30" E(G.T. sheet No. 45J/13.)

1.3 **CATCHMENT AREA :-** The gross catchment area at the dam site comes to 10.40 Sq. Km. (4.035 Sq miles) and the same is free catchment as there is no tank intercepting this catchment. The characteristric of the catchment run off as per storage-table recommendation are "good type"

1.4 **RAIN FALL :-** An isolation line of 22" passes through the catchment area. There is no raingauge station in the catchment area of this tank. The nearest raingauge station in Ajmer District is at Kishangarh. The normal average rainfall comes to 22" as per 90% of total average rainfall and the same has been accepted for the run off calculation.

1.5 **RUN OFF :-** The actual run off of this nallah is not available, hence storage table has been used for the calculation of the normal yield.

The normal yield from the good type of catchment area for monsoon rainfall is calculated as under.

The estimated run off from good type of catchment to (after deductiong 10% winter rainfall i.e. for 20" monsoon rainfall) works out to 6.97 X 4.035-28.12 mcft. out of this available yield only 23.90 mcft. of water will be stored and nominal dead storage of 0.053 mcft. has been proposed. The extra available yield will be allowed to overflow through the designed length of waste weir during the years of normal rainfall.

1.6 **SILT** :- No observed silt data of the nalla is available for working out the life of the reservoir. According to the imperical formula given by Dr. A.N. Khosla, the rate of silt discharge assumed as 1/40 mcft per year per sq mile of free catchment area of the dam site is 4.035 sq. miles from which silt load will come into the reservoir. so that annual silt charge is expected to be 1/40 X 4.035-0.1008 mcft.

The dead storage capacity available up to the canal sluice at sill level R.L. supposed to be over when 1/4 of live storage capacity is encroached by silt.

It is expected that 1/3 of the silt will be deposited in the deed storage and 2/3 in the submergence area lying in the live storage basin. The life of the reservoir accordingly works out 23.85 X 0.25/0.1008= 59.15 years sat 60 years.

As such the reservoir after the construction, the silt rate will be reduced and the life of the reservoir will be more than 60 years.

1.7 **COMMAND AREA** :- The topography of the area is mostly flat with side slopping in the nallah. The soil of the area is fertile to suit all types of crops. The cultivators of the area are very hard working and will develop the irrigation system soon.

The canal has been proposed to take off on the right side bank of the dam embankment at R.D. 1460m at sill R.L. 99.00 m.

The length of proposed canal is about 0.70 km. The approximate C.C.A. 187.30 Heactore and the proposed I.A. is 112.40 heactore.

It is proposed to irrigate 112.40 Hect. in Rabi irrigation, considering a duty of 12 Acre per mcft.

1.8 **WATER LOGGING** :- The depth of water table in the area is about 30' to 40' and surplus water meets the nallah naturally in general drainage condition are very good and hence the possibility of water logging does not arise. As such no preventive measure against water logging are required.

1.9 **SURVEY AND INVESTIGATION** :- Detail survey and investigation were carried out for construction of sotrange dame across the nallah and proposals for construction of a dam near village kardala (longitude 74'-50'30' and latitude 26'-54'-0"00 G.T. sheet No. 45 J/13)

After detailed investigation the surplusing arrangement as designed for a maximum discharge of 3416.00 cusecs has been proposed in the nallah portion to avoid further losses to agriculture land through free fall waste weir.

Two alternative sites for the construction of the irrigation project proposed were inspected. The first site inspected and surveyed about 1.5 Km. from kardala on U/s of same nallah it was found that to construct an irrigation dam, good command is not available as well as catchment area is also very less. Looking to the above problem the site is not considered suitable for the construction of dam in the U/s of this nallah.

The second site proposed on this nallah near village Kardala. The suitability for the construction of dam at this site is based on the following point.

(i) Suitable higher levels are available on the both the flanks of the nallah

(ii) Sufficient command area in down stream would be available.

(iii) Suitable soil for construction of earthen dam is available.

(iv) In the submergence no village and Dhani and no existing property. Hence payment for the compensation will be meger.

The detailed investigation of foundation strata will be carried out when the technical estimate of project is prepared. The top width of the dam has been kept 4.0m with U/s and D/s slops as 3:1 and 2:1 respectively. Dry stone pitching 23cm depth will be provided over 10 to 12 cm quarry spauls in the nallah portion.

1.10 **FLOOD DISCHARGE** :- The anticipated maximum flood discharge has been calculated from Dicken's formula as under :

(i) Gross catchment area 4.035 sq. miles.

(ii) Intercepted catcment area Nil

(iii) Free catchment area 4.035 sq. miles

The maximum flood Disharge :

Q = C.M. 3/4

-1200 (4.035)3/4

-1200 X 2.8469

= 3416.28 cusecs or 96.83 cumecs

Say 3416 cusecs or 96.83 cumecs

It is proposed to pass this maximum flood discharge through a waste weir with a flood lift 1.00m or 3.28 ft.

Q=CL(H)3/2

L= Q = 3416

C(H) 3/2 3.33(3.28)3/2

= 3416 =172.69 ft

=19.78 or 52.63 m

Say 55m.

1.11 **LAND COMPENSATION** :- provision for payment of compensation to the land coming under dam allingment, Borrow area, Spillway channel and canal allingment is to be made at the rate suggested by the Land Acquisition officer, for which necessary provision has been kept in the Estimate under head 'B-Land'

1.12 **SOIL** :- The soil in the command area is mostly loamy with some percentage of black soil and is suitable for cultivation of all type of crops.

1.13 **BENCH MARK** :- The entire survey is based on the temporary bench marks at Balaji ka Chabutra, near well of Shri Gopal Baroth on U/s of main bund allingment at R.D. 1040 meter, as no G.T.S. bench markd is available in the vicinity. The survey has been done by the temporary bench mark-which is under the submergence area

Sd/-	**Sd/-**
Assistant Engineer	**Executive Engineer**
Irrigation Sub Dn. Kishangarh	**Irrigation Division IInd Ajmer**

GENERAL ABSTRACT OF COST

AME OF WORK:- CONSTRUCTION OF HANUMAN SAGAR KARDALA IRRIGATION PROJECT

ABSTRACT OF COST FOR DIRECT CHARGES

S. No.	Item	Amount
	Head works	
	A. Preliminary	86496.00
	B. Land	200000.00
	C. Works	1676137.00
	K. Building	25000.00
	L. Earth Work	6728467.00
	M. Plantation	11648.00
	O. Miscellaneous	237550.00
	P. Maintenance	79183.00
	Total	9044481.00
2	Main Canal and branches	
	A. Preliminary	6163.00
	B. Land	20000.00
	D. Regulators	—
	E. Falls	50000.00
	F. Cross Drainage Works	—
	G. Bridges	30000.00
	K. Building	—
	L. Earth Work (Including lining)	516339.00
	M. Plantation	—
	O. Miscellaneous	17890.00
	P. Maintenance	5963.00
	R. Communication	—
	Total	646355.00

S. No.	Item	Amount
3	Distributory and minors	9690836.00
4	Drainage and Projective works	—
5	Water courses	—
6	Special T & P	—
	I Works Total	**9690836.00**
	II. Establishment 1%	96908.00
	III. Ordinary T & P	—
	IV. Suspense	—
	V. Receipt on capital outlay	—
	Total Direct Charges	**9787744.00**
	Indirect Charges	**30000.00**
1.	Capitalisation of Abutment of land revenue	—
2.	Provision for Audit and Accounts	97877.00
	Total Indirect Charges	**97877.00**
	Total cost of Project	**17890.00**
1.	Direct Charges	9690836.00
2.	Indirect Charges	97877.00
	Total Cost	**9788713.00**
	Say Rs.	**9789000.00**
	Add Escalation Charges as per phase Programme	**1311000.00**
	Grant Total	**11099713.00**
	Say Rs.	**111.00 Lacs.**

Sd/-

Executive Engineer,

Irrigation Dn. II, Ajmer

कृषि उपज मण्डी भीनमाल द्वारा निर्मित सड़कें

367. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी भीनमाल द्वारा पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन से गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है? उक्त पर कुल कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस वर्ष कृषि उपज मण्डी भीनमाल द्वारा कुछ और गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार है? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में 16 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। इन सड़कों पर 545.91 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। योजनावार निर्मिल सड़कों एवं जोड़े गये गांवों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। मण्डी समिति के पास बचत राशि के अभाव के कारण वर्तमान में किसी भी गांव को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट-अ

गत 5 वर्षों में कृषि उपज समिति भीनमाल के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)	जुड़ने वाले गांव का नाम	निर्माण वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सम्पर्क सड़क रंगाला से बिजलिया	मण्डी निधि	6.00	9.5.2002	57.63	बिजलिया	2003-04	31.29	कार्य पूर्ण
	योग		**6.00**		**57.63**			**31.29**	
2.	एन.एच. 15 कि.मी. 273/0 मीठी बैरी रोड़ कि.मी. 21/0 से मालवाड़ा	मण्डी विकास निधि	3.00	45876-86/ 22.8.1998	18.70	मालवाड़ा	2001-02	14.09	कार्य पूर्ण
3.	सांचोर-सरवाणा रोड़ से बिछावड़ी	मण्डी विकास निधि	2.00	45876-86/ 22.8.1998	11.70	बिछावड़ी	2001-02	9.94	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	हिरापुरा-घनेरा रोड़ कि.मी. 3/0 से गांग	मण्डी विकास निधि	1.00	45876-86/ 22.8.1998	6.30	गांग	2001-02	5.16	कार्य पूर्ण
5.	सम्पर्क सड़क सेवरा-देवरा रोड़ कि.मी. 24/0 से निम्बाऊ	मण्डी विकास निधि	6.00	8284-90/ 17.11.1998	42.29 (संशोधित)	निम्बाऊ	2000-01	37.95	कार्य पूर्ण
6.	सम्पर्क सड़क एन.एच. 15 झाबरोड़ किमी. 17/0 से जोधावास	मण्डी विकास निधि	10.50	10806/ 27.12.1999	65.86	जोधावास अणखोल	2000-01	61.76	कार्य पूर्ण
7.	सम्पर्क सड़क अरवा-सूराचंद रोड़ किमी. 12/0 से सूथड़ी	मण्डी विकास निधि	4.00	10806/ 27.12.1999	58.43	सुथड़ी	1999-2000	56.71	कार्य पूर्ण
	योग		**26.50**		**203.28**			**185.61**	
8.	बागोड़ा मोरसीम रोड़ कि.मी. 16/0 से नया मोरसीम	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	2.65	9939-74/ 17.12.1999	25.50	नया मोरसीम	2001-2002	20.13	कार्य पूर्ण
9.	सम्पर्क सड़क नोखा से रंगाला	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	5.00	9939-74/ 17.12.1999	35.47	रंगाला	2001-2002	28.81	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	सम्पर्क सड़क रंगाला से सीबरावास	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	6.20	9939-74/ 17.12.1999	56.72	सोबरावास	2001-2002	53.89	कार्य पूर्ण
11.	सम्पर्क सड़क मोरसीम रोड़ से नया चेनपुरा	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	1.20	9939-74/ 17.12.1999	11.59	नया चेनपुरा	2001-2002	8.74	कार्य पूर्ण
12.	सम्पर्क सड़क नरसाणा झाबरोड़ से गावड़ी	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	6.70	9939-74/ 17.12.1999	82.44	गावड़ी	2001-2002	74.94	कार्य पूर्ण
13.	सम्पर्क सड़क नवापुरा चम्पावता	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	2.00	9939-74/ 17.12.1999	47.45	नवापुरा चम्पावत	2001-2002	37.43	कार्य पूर्ण
14.	सम्पर्क सड़क खेड़ा बोरटा	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	4.10	9939-74/ 17.12.1999	29.70	खेरा	2001-2002	23.26	कार्य पूर्ण
15.	सम्पर्क सड़क हेमागुड़ा से इटादा	आर.आई.डी. एफ. (पंचम)	7.90	9939-74/ 17.12.1999	91.57	इटादा	2001-2002	81.81	कार्य पूर्ण
	योग		**35.75**		**380.44**			**329.01**	
	महायोग		**68.25**		**641.35**			**545.91**	

बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की विवादित भूमि

368. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर, पूगल, खाजूवाला, बीकानेर, नोखा एवं छतरगढ़ में अनुसूचित जाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 "बी" व 183 "सी" में वर्ष 2000 से 2004 तक किस-किस तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के यहां कितने प्रकरण किन-किन पक्षकारों के मध्य दर्ज हुए हैं? सूची तहसीलदार व वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस प्रकरण का फैसला किस-किस के पक्ष में हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज कराए गए उक्त प्रकरणों में शीघ्रता के साथ कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गई है जबकि उक्त एक्ट के तहत त्वरित कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है व इस कारण अनुसूचित जाति के लोगों को कानून के अनुसार अपनी भूमियों का कब्जा शीघ्रता से नहीं मिला है?

(4) क्या सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर ने आज तक धारा 183 "बी" व 183 "सी" राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रकरण में कोई दिशा-निर्देश अधीनस्थ राजस्व अदालतों को जारी किए हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर पूगल, खाजूवाला, बीकानेर, नोखा एवं छतरगढ़ की तहसीलों में अनुसूचित जाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 "बी" में वर्ष 2000 से 2004 तक कुल 23 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका फैसला हो चुका है। धारा 183 "सी" के तहत 3 प्रकरणों में शास्ती आरोपित कर वसूली की गई। तहसीलवार एवं वर्षवार सूची संलग्न (परिशिष्ट-1) पर है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उक्त 23 प्रकरणों का फैसला हो चुका है, जिनमें से 15 अनुसूचित जाति के पक्ष में, 7 गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में निर्णित हुए हैं तथा 1 प्रकरण निरस्त हुआ है। सूची संलग्न (परिशिष्ट-1) पर है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। दिशा निर्देशों की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-2 पर हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि

369. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार व विश्व बैंक ने उक्त कार्यक्रमों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया था? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (भारत सरकार एवं राज्य सरकार का राज्यांश क्रमश: 75:25 प्रतिशत है) के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट एवं व्यय निम्नानुसार है :-

(शिक्षा मंत्री)

Phase-I   (Rs. In crore)

S.No.	Year	AWP&B	Exp.
1.	2001-2002	118.82	73.40
2.	2002-2003	108.92	67.58
3.	2003-2004	143.60	109.18

Phase-II

S.No.	Year	AWP&B	Exp.
1.	2001-2002	49.33	10.03
2.	2002-2003	106.18	67.55
3.	2003-2004	113.31	77.89

Sarva Shiksha Abhiyan

S.No.	Year	AWP&B	Exp.
1.	2001-2002	7.54(SSA)	0.00
		47.85(EGS)	20.48
2.	2002-2003	174.3448	36.29
3.	2003-2004	430.36	220.28

(2) भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण की धीमी प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनके कारणों से भारत सरकार को अवगत करवा दिया गया था, जिनमें प्रमुख कारण पिछले 4-5 वर्षों से लगातार राज्य में पड़ रहे अकाल, नवीन नियुक्तियों पर रोक के कारण अध्यापकों की बड़ी संख्या में रिक्त पद होना, कार्यरत अध्यापकों को अन्य प्रशासनिक कार्यक्रमों यथा जनगणना, पल्स पोलियो, चुनावों इत्यादि में नियुक्त करना, जिससे प्रशिक्षणों में उपस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। परियोजना में राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लाक/संकुल स्तर पर कई पदों का रिक्त होना, भारत सरकार स्तर से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होना, वर्ष 2003-04 में विधान सभा एवं लोक सभा चुनावों के कारण

(शिक्षा मंत्री)

आचार संहिता लागू होना आदि रहे हैं। इन कारणों के पश्चात भी प्रभावी परिवीक्षण द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त की हैं, जिस पर भारत सरकार के आतरिक रिव्यू मिशन (3, 4 जून, 2004) ने परियोजना की क्रियान्विति प्रगति को सन्तोषजनक श्रेणी में मानने की अभिशंसा की है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

जाबदीनगर (नावां) ग्राम में नमक उत्पादन हेतु भू-खण्ड आबंटन.

370. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जाबदीनगर, तहसील नावां, जिला नागौर के पुराना खसरा नम्बर 3 में स्टेट एन्टरप्राइजेज द्वारा नमक उत्पादन के लिये भूमि आरक्षित की हुई थी जिस पर उन्होंने नमक उत्पादन कार्य नहीं किया तथा सरकार को भूमि वापस समर्पित कर दी, जिसे सरकार द्वारा खुला क्षेत्र घोषित कर दिया गया? यदि हां, तो यह कितनी भूमि थी तथा खुला क्षेत्र घोषित होने का गजट में कब प्रकाशन किया गया? गजट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस खुले क्षेत्र में भूमि आबंटन के लिये सरकार द्वारा सर्वे करवा कर भू-आबंटन हेतु नक्शा तैयार करवाया गया तथा प्लाटों का सीमांकन व पत्थर गढ़ी करवाकर डिमार्केशन करवाया गया था? यदि हां, तो वहां कितने प्लाट बनाये गये तथा उनमें से किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई? सम्पूर्ण रकबे के नक्शे की प्रति व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस खसरे के पास अन्य सरकारी भूमि भी उपलब्ध है? यदि हां, तो उसके पुराने व वर्तमान खसरा नम्बर क्या हैं तथा उसका क्षेत्रफल कितना है और मौके पर वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्णित सरकारी भूमि पर किसी ने अतिक्रमण बोरिंग करवाया है? यदि हां, तो ऐसे कितने बोरिंगों से किन-किन लोगों द्वारा अतिक्रमण कब से किया हुआ है?

(5) क्या उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन के

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

सम्बन्ध में इस क्षेत्र के नमक निरीक्षक ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो कब-कब व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार वर्णित भूमि में से जितने प्लाटों का आबंटन करने के लिये नक्शा तैयार किया उतनी ही भूमि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यह आबंटन प्रक्रिया पूरी की जावेगी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पुराने खसरा नम्बर 3 ग्राम जाबदीनगर, तहसील नावां रकबा 1500 बीघा भूमि को खुला लवण क्षेत्र घोषित करने की विज्ञप्ति दिनांक 16.7.1991 को जारी की गई जिसका राजपत्र में प्रकाशन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को खुला लवण क्षेत्र घोषित करने की विज्ञप्ति दिनांक 20.3.2004 को जारी करते हुए इसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.6.2004 को किया गया (राजपत्र प्रकाशन की प्रति संलग्न है)

(2) जी हां। आलोच्य क्षेत्र में रीको लि. से सर्वे करवाकर भूमि का नक्शा बनाया गया उसमें 62 भूखण्ड नक्शे के अनुरूप बनाये गये। वर्ष 1991 में राज्य सरकार ने निम्न व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटन कर कब्जा सम्भलवाया गया :-

क्र.सं.	नाम	भूखण्ड संख्या	रकबा
1.	श्री ज्ञानचन्द्र जैन	18, 19, 20	30 एकड़
2.	श्री सुरेश कुमार जैन	28, 29, 30	30 एकड़
3.	श्री कमल कुमार जैन	21, 22, 27	30 एकड़
4.	श्री प्रकाश चन्द जैन	31, 41, 42	30 एकड़
5.	श्री श्रीपाल जैन	43, 44, 45	30 एकड़

नक्शे की प्रति संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

परन्तु निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना नहीं होने के कारण दिनांक 12.9.1991 को राज्य सरकार द्वारा इनके आबंटनों को निरस्त किया गया। इस आदेश के विपरीत आबंटियों से माननीय उच्च न्यायालय से लम्बी कानूनी प्रक्रिया के उपरान्त राज्य सरकार के निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे है जो आज तक प्रभावी हैं। रीको लि. द्वारा जो नक्शा बनाया गया था उसकी प्रति संलग्न है। परन्तु मौके पर ग्रामवासियों द्वारा सीमांकन व पत्थर गढ़ी को नष्ट कर दिये जाने के कारण जिला कलक्टर, नागौर को वर्ष 1997-98 में रुपये 2.00 लाख की राशि सीमांकन एवं पत्थर गढ़ी के लिये उपलब्ध करवायी गई, जिसके प्रति पत्थर गढ़ी अभी तक नहीं हुई है।

(3) जी हां। तहसीलदार, नावां से प्राप्त सूचना के अनुसार पुराना खसरा नं. 3 के पास अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1 व 4 तथा नये खसरा नम्बर 1 रकबा 41.44 हैक्टेयर खसरा नम्बर 237 रकबा 31.30 हैक्टेयर है। खसरा नम्बर 1 की भूमि रिक्त है तथा खसरा नम्बर 237 में 17 व्यक्तियों द्वारा 6.40 हैक्टेयर भूमि पर बोरिंग कर अतिक्रमण कर रखा है शेष भूमि रिक्त है।

(4) खण्ड संख्या 3 में वर्णित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 237 पर तहसीलदार, नावां के अनुसार 17 व्यक्तियों ने 6.40 हैक्टेयर भूमि पर बोरिंग कर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के सम्बन्ध में विवाद वर्ष 2000 से न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अतिक्रमणियों की सूची संलग्न है।

(5) उक्त वर्णित सरकारी भूमि उद्योग विभाग की सम्पत्ति नहीं है। अत: लवण निरीक्षक इस भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के लिये सक्षम नहीं है।

(6) खण्ड संख्या 2 में वर्णित खुला लवण क्षेत्र के संशोधित नक्शे एवं पत्थर गढ़ी कार्य के लिये जिला कलक्टर, नागौर को रुपये 2.00 लाख वर्ष 1997-98 में उपलब्ध करा दिये गये हैं। किन्तु अभी तक अविवादित भूमि का नक्शा बनकर सीमांकन एवं पत्थर गढ़ी नहीं हो पाई है। यह नक्शा बनकर सीमांकन एवं पत्थर गढ़ी होने पर इस क्षेत्र के अविवादित भूखण्डों पर नियमानुसार आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

तहसीलदार नावां से प्राप्त पुराना ख. नं. 3 के पास की ख. नं. 237 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों की सूची

क्र. सं.		ख. नं.	क्षेत्रफल	वर्ग मी.
1.	श्री विजयकुमार पुत्र श्री चेताराम जाट सा. जाबदीनगर	237	3050	वर्ग.मी.
2.	दुर्गा देंवी पत्नी श्री ऊंकारदत्त सोनी हाल नावां	237	4050	—"—
3.	श्री सोहन सिंह पुत्र जालमसिंह राजपूत सा. खानपुर	237	3050	—"—
4.	श्री शिवपाल सिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत सा. नावां	237	4050	—"—
5.	सन्तोष देवी पत्नी पवन कुमार अग्रवाल सा. नावां	237	4050	—"—
6.	विष्णुदत्त पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण सा. नावां	237	4050	—"—
7.	श्री बलवीर सिंह व नरपत सिंह राजपूत सा. नावां	237	4050	—"—
8.	श्री नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल अग्रवाल डीडवाना	237	4050	—"—
9.	राधेश्याम पुत्र जीवणमल अग्रवाल लोसल	237	4050	—"—
10.	श्रीनिवास शर्मा पुत्र पृथ्वीराज शर्मा सा. नावां	237	4050	—"—
11.	श्री अनिल कुमार पुत्र रामावतार बारानी सा. सांभर	237	4050	—"—
12.	श्री शांतीलाल चावडा पुत्र राधाकिशन चावडा सा. नावां	237	4050	—"—
13.	जुगल किशोर पुत्र रामबिलास मोदी सा. नावां	237	4050	—"—
14.	गोपाल लाल पुत्र रामनिवास जाट सा. जाबदीनगर	237	4050	—"—
15.	दुलेसिंह पुत्र डालसिंह राजपूत सा. हाल नावां	237	4050	—"—
16.	आनन्द लाल पुत्र बजरंग लाल जांगिड हाल नावां	237	4050	—"—
17.	प्रभु सिंह पुत्र हिम्मत सिंह राजपूत सा. दीपपुरा	237	3050	—"—

फलासिया में नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

371. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया में नाबार्ड योजना के तहत सड़कें स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या ये सड़कें पूर्ण हो गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलासिया में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत आर.यू.पी. प्रथम एवं द्वितीय योजना में कुल 13 सड़कें स्वीकृत की गई जिसमें से सभी सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में नाबार्ड योजना आर.यू.पी. प्रथम/द्वितीय के तहत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण
1	2	3	4	5
(1) आर.यू.पी. प्रथम (नाबार्ड योजना के तहत)				
1.	झाड़ोल ओगणा सड़क किमी. 0/0 से 19/0	19.00	38.00	कार्य पूर्ण
2.	झाड़ोल गोगुन्दा सड़क किमी. 0/0, 7/0, 12/0 से 13/0	8.00	16.00	कार्य पूर्ण
3.	सम्पर्क सड़क कन्धारिया किमी. 0/0 से 14/0	14.00	28.00	कार्य पूर्ण
4.	सम्पर्क सड़क ओगना पानरवा किमी. 9/0 से 19/0	10.00	20.00	कार्य पूर्ण
5.	कोटड़ा जूड़ा सुलाव सड़क किमी. 2/0 से 6/0 व 13/0 से 18/0	9.00	18.00	कार्य पूर्ण
	योग :-	60.00	120.00	

1	2	3	4	5
(2) आर.यू.पी. द्वितीय (नाबार्ड योजना के तहत)				
1.	पालीयां खेड़ा मादड़ी बाबलवाड़ा सड़क किमी. 2/0 से 14/0	12.00	32.00	कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क आमलियां किमी. 0/0 से 5/0	5.00	10.00	कार्य पूर्ण
3.	सम्पर्क सड़क जैतावाड़ा किमी. 0/0 से 2/0	2.00	4.00	कार्य पूर्ण
4.	सम्पर्क सड़क निचली सिगरी किमी. 0/0 से 2/0	2.00	4.00	कार्य पूर्ण
5.	झाड़ोल पिपला ओगणा रोड़ किमी. 0/0 से 5/0	5.00	10.00	कार्य पूर्ण
6.	झाड़ोल गोगुन्दा सड़क किमी. 7/0 से 12/0	5.00	11.25	कार्य पूर्ण
7.	देवला मेरपुर-पीपलिया सड़क किमी. 0/0 से 1/0, 4/0 से 7/0, 8/0 से 10/0, 11/0 से 12/0	7.00	14.00	कार्य पूर्ण
8.	कोटड़ा खेड़ब्रम्हा वाया मामेर किमी. 8/0 से 14/0, 22/0 से 26/0	10.00	20.00	कार्य पूर्ण
	योग	**48.00**	**105.25**	
	महायोग	**108.00**	**225.25**	

राजकीय चिकित्सालय, नदबई में आवश्यक सुविधाएं

372. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों के जीर्ण-शीर्ण व पुराने हो चुके भवनों के नवीनीकरण, मरम्मत व विस्तार करने तथा सभी आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के राजकीय चिकित्सालय का भवन काफी पुराना, जीर्ण-शीर्ण तथा चिकित्सकों के बैठने हेतु व मरीजों की संख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सालय का नया भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है व महंगी दरों पर निजी जांच केन्द्रों पर जांच करानी पड़ती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन कब तक लगा दी जाएगी और यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक/वरिष्ठ चिकित्सक/सर्जन/स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि के कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में उक्त में से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद अब कब तक भर दिए जाएंगे? पदवार व नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सा/संस्थानों में जहां पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी गठित है वहां भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत आदि की निगरानी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा संस्थान के द्वारा भी रख-रखाव एवं मरम्मत आदि का ध्यान रखा जाता है। प्रभारी अधिकारी के द्वारा ही चिकित्सा संस्थान के भवन में टूट-फूट, रंग-रोगन, मरम्मत एवं विस्तार आदि कार्यों की आवश्यकता होने पर निर्माणकारी एजेन्सियों से तकमीना तैयार करवाकर प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को उचित माध्यम से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं।

150 एवं इससे अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में एक्सरे, सोनोग्राफी, ई.सी.जी. तथा प्रयोगशाला से सम्बन्धित जांचें जैसे खून, मलमूत्र आदि की सुविधायें तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे, ई.सी.जी. एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामान्य जांचें तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला से सम्बन्धित प्राथमिक जांचें उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई का भवन पर्याप्त जगह में बना हुआ है। आपरेशन थियेटर नव-निर्मित है। वार्डस् नये बने हुये हैं। लेबर/डिलेवरी रूम पुराने बने हुये हैं जो कि सही स्थिति में है। पुराना भर्ती वार्ड सही स्थिति में है। कुछ समय पूर्व भवन में आवर्तन/परिवर्तन आदि के कार्य हुये हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नदबई का भवन पर्याप्त है। टूट-फूट, मरम्मत आदि के कार्य जो आवश्यक होंगे उनको ठीक करवाने का विचार किया जा सकेगा।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई के भवन में रिनोवेशन/एडीशन व आल्ट्रेशन के कार्यों के लिए वर्ष 2007-08 में 37.00 लाख रुपये प्रस्तावित किये हुये हैं।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई में एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का मय पदवार एवं नामवार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	चिकित्सक का नाम
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	—	डा. आर.पी. गुप्ता
कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	—	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	—	डा. सुखराम शर्मा कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) पद विरूद्ध पदस्थापित
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	—	डा. पूरन आजाद
चिकित्सा अधिकारी	1	—	1	—

कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ब्यावर में भोमादेह बांध से पेयजल आपूर्ति

373. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर क्षेत्र के भोमादेह बांध में वर्षों से 29 मिलियन घन फुट पानी भरा रहता है?

(2) क्या इस बांध के पानी का उपयोग ग्रामीण पेयजल के लिए किया जा सकता है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्य योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई एवं इस व्यवस्था पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार भोमादेह बांध के अधूरे कार्य को पूर्ण कर स्थायी पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति कब तक हो जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। भोमादेह बांध की वर्तमान स्थिति में कुल भराव क्षमता 29 मिलियन घनफुट है। चूंकि बांध के पानी का सिंचाई अथवा अन्य सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। अत: औसत वर्षा होने पर मानसून पश्चात् बांध भर जाता है। बांध के दोनों ओर एबेटमेन्ट फिसर रोक (FISSURE ROCK) होने के कारण रिसाव तथा साधारण भराव तल के रिसाव से अगले मानसून के पूर्व यह बांध सिंचाई अथवा अन्य सीधा उपयोग नहीं करने के बावजूद काफी खाली हो जाता है।

(2) जी हां। आवश्यकता पड़ने पर।

(3) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) परीक्षण उपरान्त कार्यवाही तदनुसार होगी।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का विवरण	व्यय की गई राशि रुपये लाखों में
1	2	3	4
1.	1999-2000	1. शहरी योजना ब्यावर हेतु नलकूप/खुला कुआ चालू करना, 45 नये हैण्ड पम्प लगाना एवं 11 निजी कुओं को किराए पर लेने का कार्य	29.52
		2. ग्रामीण क्षेत्र में 37 नये हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य	11.84
		3. शहरी क्षेत्र ब्यावर में 6 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य	1.98
		4. शहरी योजना ब्यावर में पाइप लाइन कार्य	1.58
		वर्ष (1999-2000) योग	**44.92**
2.	2000-2001	1. ग्रामीण क्षेत्र में 37 नये हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य	11.10
		2. शहरी जल योजना ब्यावर में पाइप लाइन कार्य	4.58
		वर्ष (2000-2001) योग	**15.68**
3.	2001-2002	1. ग्रामीण क्षेत्र में 15 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य	5.70
		2. ग्रामीण क्षेत्र योजना काबरा में कुआ किराए पर लेने का कार्य	1.62
		3. ग्राम टाटगढ़ एवं काबरा में नलकूप फलशिंग का कार्य	0.14
		4. ग्रामीण योजनाओं पर पम्प सेट बदलने का कार्य	1.02
		5. ग्रामीण जल योजना जवाजा में पाइप लाइन	0.39
		6. शहरी योजना ब्यावर में पाइप लाइन कार्य	[illegible]

1	2	3	4
		7. जल योजना बून्दी मालदेव में भू-तल एवं पाइप लाइन कार्य	2.88
		8. जल योजना बडा खेडा में पाइप लाइन कार्य	0.84
		9. जल योजना बन्जारी में भू-तल जलाशय एवं पाइप लाइन कार्य	1.07
		10. जल योजना नया गांव जवाजा में पाइप लाइन कार्य	3.97
		11. शहरी क्षेत्र में पेयजल परिवहन कार्य	0.73
		12. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन कार्य	0.88
		वर्ष (2001-2002) योग	**23.45**
4.	2002-2003	1. ग्रामीण क्षेत्र में 30 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य	9.00
		2. शहरी क्षेत्र ब्यावर में 12 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य	3.60
		3. ग्रामीण जल योजना काबरा एवं जवाजा में नये ट्यूबवैल खुदवाकर चालू करने का कार्य	5.52
		4. शहरी योजना ब्यावर में पाइप लाइन कार्य	10.23
		5. ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज पम्प सेट लगाने का कार्य	2.52
		6. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन कार्य	4.09
		7. जल योजना बून्दी मालदेव में भू-जल जलाशय, विद्युत कनेक्शन एवं पाइप लाइन कार्य	1.38
		8. ग्राम जल योजना बडा खेडा में पाइप लाइन कार्य	0.17
		9. जल योजना बन्जारी में भू-तल जलाशय एवं पाइप लाइन कार्य	4.30

1	2	3	4
		10. जल योजना नया गांव जवाजा में पाइप लाइन कार्य	0.16
		वर्ष (2002-2003) योग	**40.97**
5.	2003-2004	1. ग्रामीण क्षेत्र में 72 नये हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य	25.20
		2. शहरी क्षेत्र में 23 नये हैण्ड पम्पों का निर्माण, पाईप लाईन, पेयजल परिवहन कार्य	31.12
		3. ग्रामीण क्षेत्र में कुओं में होरिजेन्टल बोरिंग कार्य	1.29
		4. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन कार्य	7.20
		5. जल योजना जवाजा में नलकूप फलशिंग का कार्य एवं विद्युत कनेक्शन	0.90
		6. ग्रामीण क्षेत्र में इण्डिया मार्क III से हैण्ड पम्पों को इण्डिया मार्क II में बदलने का कार्य	1.29
		7. ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी हैण्ड पम्पों को हाईड्रोफ्रेक्चरिंग कार्य	1.25
		8. ब्यावर शहर में पाइप लाइन कार्य	8.20
		9. ग्राम शिवनाथपुरा, जवाजा व बराखन में पाइप लाइन कार्य	0.64
		वर्ष (2003-2004) योग	**77.09**
		महायोग (1999-2000, 2003-2004)	**202.11**

कृषि उपज मण्डियों का आय के आधार पर वर्गीकरण

374. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य की कृषि उपज मण्डियां विभिन्न श्रेणियों में विभक्त हैं? यदि हां, तो श्रेणीकरण का आधार बताते हुए मण्डियों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त श्रेणीकरण को सही मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्तमान (आय-व्यय) परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इनका पुन: श्रेणीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी समितियों का श्रेणीकरण मण्डी शुल्क से होने वाली वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है। श्रेणीवार सूची संलग्न (परिशिष्ट "अ") के अनुसार है।

(2) जी हां।

(3) चुनाव घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

कृषि उपज मण्डी समितियों की वार्षिक आय के आधार पर श्रेणीवार सूची

विशिष्ट श्रेणी :-वे मण्डी समितियां जिनकी मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक हो

1. कोटा
2. जयपुर (अनाज)
3. जोधपुर (अनाज)
4. जयपुर (फल-सब्जी)
5. श्रीगंगानगर (अनाज)
6. हनुमानगढ़
7. बारां
8. बीकानेर (अनाज)
9. अलवर
10. बूंदी
11. सुमेरपुर
12. नागौर
13. रामगंजमण्डी
14. मेड़तासिटी
15. घड़साना

"अ" श्रेणी :-वे मण्डी समितियां जिनकी मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे अधिक एवं 2 करोड़ रुपये से कम हो

1. लालसोट
2. गंगापुरसिटी
3. चौमूं
4. खेड़ली
5. खैरथल
6. भरतपुर
7. श्रीविजयनगर
8. पीलीबंगा
9. अनूपगढ़
10. रायसिंहनगर
11. सवाईमाधोपुर
12. पदमपुर
13. उदयपुर
14. श्रीमाधोपुर
15. भीलवाड़ा
16. बीकानेर (फल-सब्जी, ऊन)
17. निवाई
18. ब्यावर
19. खाजूवाला
20. जोधपुर (फल-सब्जी)

"अ" श्रेणी :-वे मण्डी समितियां जिनकी मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे अधिक एवं 2 करोड़ रुपये से कम हो

21. बाड़मेर
22. केकड़ी
23. सांगरिया
24. विजयनगर
25. रावला
26. दौसा
27. टोंक
28. सादुलशहर
29. नोखा
30. श्रीकरणपुर
31. सीकर

"ब" श्रेणी :-वे मण्डी समितियां जिनकी मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 40 लाख या इससे अधिक एवं 1 करोड़ रुपये से कम हो

1. महुवा मण्डावर
2. कुचामन सिटी
3. सूरतगढ़
4. प्रतापगढ़
5. मालपुरा
6. लूणकरणसर
7. फतेहनगर
8. अजमेर (अनाज)
9. सोजतरोड़
10. हिण्डौन
11. नोहर
12. निम्बाहेड़ा
13. इटावा
14. देवली
15. छबड़ा
16. गजसिंहपुर
17. रावतसर
18. नदबई
19. किशनगढ़-रेनवाल
20. केसरीसिंहपुर
21. भीनमाल
22. पाली
23. गोलूवाला
24. बिलाड़ा
25. चाकसू
26. श्रीगंगानगर (फल-सब्जी)
27. मदनगंज-किशनगढ़
28. अटरू

29.	बयाना	36.	नवलगढ़
30.	सुजानगढ़	37.	डीग
31.	डीडवाना	38.	रानी
32.	डेगाना	39.	बांदीकुई
33.	जैतसर	40.	झालरापाटन
34.	अजमेर (फल-सब्जी)	41.	भवानीमण्डी
35.	जैतारण	42.	कोटपूतली

"स" श्रेणी :-वे मण्डी समितियां जिनकी मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 15 लाख या इससे अधिक एवं 40 लाख रुपये से कम हो

1.	बालोतरा	16.	रतनगढ़
2.	झुन्झनूं	17.	बेगूं
3.	धौलपुर	18.	खानपुर
4.	केशोरायपाटन	19.	चित्तौड़गढ़
5.	जैसलमेर	20.	सादुलपुर
6.	इकलेरा	21.	नगर
7.	बांसवाड़ा	22.	सरदारशहर
8.	जालौर	23.	राजसमन्द
9.	सुमेरगंज	24.	आबूरोड़
10.	श्रीडूंगरगढ़	25.	कामां
11.	नीमकाथाना	26.	रिडमलसर
12.	बड़ी सादड़ी	27.	सूरजगढ़
13.	चिड़ावा	28.	फतेहपुर
14.	पीपाड़सिटी	29.	उनियारा
15.	माण्डलगढ़	30.	कपासन

"द" श्रेणी :-वे मण्डी समितियां जिनकी मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 15 लाख रुपये से कम हो

1. भादरा
2. चूरू
3. गंगापुर
4. डूंगरपुर
5. सांचोर

जैसलमेर उपनिवेशन क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं

375. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर क्षेत्र की जमीनों का विशेष अलाटमेन्ट आबादी भूमि के लिये किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जगह पर व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर बसाये गये ग्रामों में पीने के पानी शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधायें सरकार द्वारा उपलब्ध करवा दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कैनाल पर बसे हुये ग्रामीणों को मूल भूत सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर क्षेत्र की जमीनों का विशेष अलाटमेन्ट आबादी भूमि के लिये नहीं किया गया है। विशेष अलाटमेन्ट के तहत कृषि हेतु भूमि का आबंटन किया जाता है। आबादी हेतु विशेष अलाटमेन्ट नहीं किया जाता है। आबादी हेतु लगभग 4 चकों में पृथक से भूमि आरक्षित की जाती है, जो सिंचित क्षेत्र, विकास प्लान प्राप्त होते हैं, उन्हीं में आबादी भूमि उसी समय आरक्षित की जाती है। सूची संलग्न है।

(2) उक्त संलग्न सूची में बताये गये ग्रामों में से जिन ग्रामों में पीने के पानी, शिक्षा, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधायें जो उपलब्ध करा दी गई हैं, उनका अंकन

(उपनिवेशन मंत्री)

सूची में कर दिया गया है। सुविधायें, चक आबादी में काश्तकारों के बस जाने के उपरान्त भी सामान्यत: उपलब्ध कराई जाती हैं। पूर्व में ये सुविधायें सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। अब ये सुविधायें सम्बन्धित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग एवं विद्युत विभाग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(3) जी हां। जैसा कि खण्ड 2 में अंकित किया गया है, सम्बन्धित विभाग के मापदण्ड के अनुरूप एवं बजट की उपलब्धता के अन्तर्गत यह सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, बारां का स्थानान्तरण प्रकरण

376. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां के जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यालय में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004 तक कितनी-कितनी राशि के भुगतान किस-किस कार्य हेतु किए गए हैं?

(2) क्या बारां जिले में कार्यरत जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी स्थानान्तरणाधीन है एवं इनकी साक्षरता कार्यालय/विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो किस आदेश एवं दिनांक से? विवरण आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें। क्या जिस अधिकारी की डेढ वर्ष पूर्व प्रतिनियुक्ति समाप्त हो चुकी है, उसे विभाग द्वारा बिना आदेश के रोककर कार्य कराया जाने को सरकार उचित मानती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(3) क्या जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी के उपरोक्त स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति समाप्ति के आदेश के उपरान्त इन्हें इनके पद से तत्कालीन कार्यवाहक जिलाधीश द्वारा कार्य मुक्त किया जा चुका था? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें एवं जिला साक्षरता एवं सतत

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

शिक्षा अधिकारी के पद से कार्यमुक्ति के बाद यह अधिकारी किन आदेशों से वापस कार्य करने लगा है, की प्रति भी सदन की मेज पर रखें एवं यह आदेश किस स्तर के अधिकारी द्वारा किस स्तर के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जारी किया गया?

(4) क्या विभाग इस बात से पूर्णतया सन्तुष्ट है कि जिला साक्षरता अधिकारी के स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद उन्हें रोककर उनसे कराए गए राजकीय कार्यों एवं वित्तीय लेनदेन, निविदाओं, समान प्राप्ति एवं वितरण तथा क्वालिटी में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है या गबन नहीं हुआ है? यदि हां, तो इस अवधि के अंकेक्षण विभाग द्वारा की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें एवं यदि लेखा जांच नहीं हुई तो क्या विभाग स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग से विशेष जांच दल भेज कर उक्त अवधि के लेखों का परीक्षण कराने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक?

(5) साक्षरता निदेशालय अब उक्त स्थानान्तरणाधीन एवं पैतृक विभाग को भेजे गए साक्षरता अधिकारी बारां को किस दिनांक तक अपने पैतृक विभाग में भिजवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा, अधिकारी बारां के कार्यालय का दिनांक 1.1.2003 से 30.6.2004 तक के मदवार खर्चे का ब्यौरा परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बारां को निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प-5(1)क-10/2002/19132-37 दिनांक 21.2.2003 द्वारा पदंस्थापन की प्रतीक्षा में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेशों की प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

जी नहीं।

(3) जी हां। तत्कालीन जिलाधीश बारां द्वारा अपने आदेश क्रमांक : 836-40 दिनांक 21.2.2003 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था, परन्तु उसके उपरान्त जिला कलक्टर बारां के संशोधित आदेश क्रमांक : 907-09 दिनांक 4.3.2003 द्वारा पूर्व में

(शिक्षा मंत्री)

जारी आदेशों में संशोधन करते हुए जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बारां को प्रशासनिक कारणों व जनहित के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया था क्योंकि श्री मीणा के पास आई.सी.डी.एस. का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण शाहाबाद क्षेत्र में अकाल राहत कार्य देख रहे थे, जिला बारां में शिक्षा विभाग के पद रिक्त होने के कारण श्री मीणा के पास इन पदों का अतिरिक्त कार्यभार भी था इस कारण श्री मीणा को कार्यमुक्त नहीं किया गया था। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "3" एवं "4" पर संलग्न है।

(4) राजकीय कार्यो एवं वित्तीय लेन-देन निविदाओं, समान प्राप्ति एवं वितरण तथा क्वालिटी में किसी प्रकार की अनियमितता या गबन की सूचना आज दिनांक तक इस विभाग के द्वारा लेखा जांच नहीं की गई है। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजकीय कार्यालय है। अत: विभाग स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग से उक्त अवधि के लेखों का विशेष परीक्षण करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। क्योंकि नियमित अंकेक्षण द्वारा सभी मुद्दों की जांच हो जाती है।

(5) जिला कलक्टर बारां द्वारा श्री मीणा को दिनांक 28.7.2004 को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

परिशिष्ट-1

जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, बारां के अनुसार मदवार खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है

व्यय विवरण कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बारां

मंद	01.01.2003 से 31.3.2003 तक	01.4.2003 से 31.3.2004 तक	01.4.2004 से 30.6.2004 तक
संवेतन	1,16,942	5,78,283	1,29,081
यात्रा व्यय	3,868	4,064	4,079
चिकित्सा व्यय	119	4,992	4,794
कार्यालय व्यय	5,556	14,913	—
कुल योग	**1,26,485**	**6,02252**	**1,37,891**
असाक्षर महिला शिविर		**64,590**	**64,590**

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

निदेशालय, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, गोपनीय मार्ग, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा./संख्या/ए-6/राम भरोसी मीणा/02/38 दिनांक 20.2.2003 की पालना में श्री आर.सी.मीणा, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बारां को आदेशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपना कार्यभार श्री मधु सोरम, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) शिक्षा द्वारा को सौंप कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में निदेशक (मा. शिक्षा) राज. बीकानेर को अपनी उपस्थिति में।

ह./-

(ए.सी. शर्मा)

निदेशक

परिशिष्ट-3

कार्यालय जिला कलक्टर बारां (राजस्थान)

क्रमांक **दिनांक 21.2.2003**

आदेश

निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.5(1)क-10/2002/9132-32 दिनांक 21.2.2003 की पालना में श्री आर.बी. मीणा जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी बारां की आज दिनांक 21.2.2003 की दोपहर बाद कार्यमुक्त किया जाता है, श्री मीणा अपना कार्यभार श्री मधु सोरल जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) बारां को सम्भलाकर अपनी उपस्थिति निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को देवें।

ह./-

जिला कलक्टर

बारां

परिशिष्ट-4

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक **दिनांक :**

आदेश

निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान-जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(1)10/2002/9132-37 दिनांक 21.2.2003 की अनुपालना में प्रसारित आदेश क्रमांक स्थापना/03/535-40 दिनांक 21.2.2003 के सन्दर्भ में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आर. बी. मीणा को आदेशिक किया जाता है कि उनके द्वारा पारित समस्त कार्यभारों की हस्तान्तरण उपरान्त ही कार्यमुक्त होवें।

ह./-

जिला कलक्टर,

बारां

दूदू के सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय

377. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय व एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को प्रथम प्राथमिकता से डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितने पंचायत मुख्यालय व राजस्व गांव ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जोड़े गए हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अरवेपुरा, झरना, मौखमपुरा, छापरवाड़ा पंचायत मुख्यालय या वर्ष 1991 की आबादी एक हजार से ज्यादा होने के बावजूद भी इन गांवों को डामरीकृत सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जबकि विभाग की नीति के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के तहत एक हजार की आबादी के गांव को भी डामरीकृत सड़क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पूर्व में अरवेपुरा, झरना, मौखमपुरा, छापरवाड़ा को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी कर दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति निरस्त क्यों कर दी गयी तथा अब कब तक इन गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनसंख्या की वरीयता के क्रम में किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुडे गांवों को जिसमें 1000 व अधिक जनसंख्या (आधार वर्ष 2001) के गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने की प्रथम प्राथमिकता है। पंचायत मुख्यालयों को जनसंख्या की वरीयता के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान सभा क्षेत्र दूदू में कुल 56 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से किसी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़ा हुआ कोई पंचायत मुख्यालय नहीं है एवं कुल 219 राजस्व गांव है जिनमें से 103 राजस्व गांव किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुये नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अखैपुरा, झरना, मोखमपुरा,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

छापरवाड़ा मेटल सड़क पर होने के कारण प्रस्तावित नहीं है। इस योजना में किसी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुये 500 से अधिक की जनसंख्या के गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के पश्चात् ही मेटल सड़क से जुड़े हुये गांवों को प्रस्तावित किया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

सिकन्दरा (दौसा) में ट्रोमा अस्पताल की स्वीकृति

378. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क दुर्घटनाओं में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ट्रोमा अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इन अस्पतालों को अब तक प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार सिकन्दरा चौराहे पर ट्रोमा अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 6 अस्पतालों में ट्रोमा यूनिट की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिनको स्थापित किये जाने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 में सिकन्दरा चौराहे पर ट्रोमा यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लूणी में पेयजल आपूर्ति

379. श्री रामसिंह विश्नोई (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी के गांवों में पीने योग्य मीठा व पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गावों को मीठा व

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में पेयजल हेतु टेंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है? यदि हां, तो दिनांक 30 जून, 2004 तक इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सहीं है कि जो पानी टैंकरों से वितरित किया जा रहा है उनमें पालतू जानवर (पशुधन) की संख्या को भी सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। लूणी विधान सभा क्षेत्र में कुल 155 आबाद ग्राम हैं। वर्तमान में 142 गांवों में मीठा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसकी पेयजल आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्त्रोत का विवरण	ग्रामों की संख्या (वर्तमान जल सेवा स्तर अनुसार)			खारे पानी के गांव	कुल योग
	50% से अधिक	50% से कम व 25% से अधिक	25% से कम		
कुडी हौद से नहरी जल सप्लाई	77	22	26	0	125
स्थानीय स्त्रोत से सप्लाई	06	11	0	13	30
योग	**83**	**33**	**26**	**13**	**155**

खारे पानी एवं कम जल सेवा स्तर वाले ग्रामों में तत्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन किया जा रहा है।

समस्याग्रस्त ग्राम में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए सम्भावित विकल्पों हेतु विभाग प्रयासरत है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। पेयजल परिवहन पर 30 जून, 2004 तक लगभग 30.33 लाख रु. का कार्य किया गया है।

(3) मांग के अनुरूप जिला प्रशासन की सहमति से आवश्यकतानुसार गांव में निर्मित कैटल वाटर ट्रफ (सी.डब्ल्यू.टी.) को भी भरा जाकर पशुधन हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है।

खेड़ली एवं खैरथल कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित अपूर्ण सड़कें

380. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित कृषि उपज मण्डी समिति अलवर के अथवा खेडली एवं खैरथल सम्पर्क सड़कें उस स्थान तक नहीं बन पाई जिस स्थान तक वह स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो ऐसी अपूर्ण सम्पर्क सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार इन अपूर्ण सम्पर्क सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और अब उक्त अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मण्डी की आर्थिक स्थिति, कार्यों की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किया जाता है।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	नाम मण्डी समिति	स्वीकृत सम्पर्क सड़क का नाम
1.	अलवर	1. चांदोली से पडीसल
		2. पाटा कलसावडा से पाटन मेवान वाया बलरामपुर आधिका
		3. ऊटवाल से सोतका
		4. तिलवाड़ा से इन्द्रपुरा
		5. बीजवा से अलावडा
		6. लोहरवाडी से साहडोली
		7. जुगरावर से सैथली
2.	खैरथल	1. मुंडियाखेड़ा से सियाखो
		2. भौकर से नशोपुर
		3. लाखा का नांगल से इसाकाबाद
3.	खैरली	1. कलवाडी से गुजर का नगला

बाड़मेर जिले के सीमा क्षेत्र की भूमि पर काबिज कृषकों की भूमि का नियमन

381. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की पाक सीमा से 10 किलो मीटर की परिधि में कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन अथवा नियमन पर रोक लगी हुई है?

(2) उक्त 10 किलो मीटर की सीमा में ऐसे कितने भूमिहीन कृषक हैं जिनका राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त है एवं उन्हें अतिक्रमी मानकर प्रति वर्ष दण्डित किया जा रहा है? इनमें कितने अतिक्रमी शरणार्थी हैं?

(3) क्या सरकार ऐसे शरणार्थियों के कब्जे के नियमन हेतु इस रोक में छूट देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त 10 कि.मी. की सीमा में कुल 801 भूमिहीन कृषक हैं, जिनका राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त है एवं उन्हें अतिक्रमी मानकर धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर जुर्माना आरोपित किया जाता है। इनमें से 190 अतिक्रमी शरणार्थी हैं।

(3) प्रस्ताव विचाराधीन है।

निजी चिकित्सा कालेजों में प्रबन्धन कोटे की सीटें

382. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के चिकित्सा डेन्टल व नर्सिंग कालेजों में निजी क्षेत्र में प्रबन्धन कोटे की सीट 15 से 50 प्रतिशत करने का निर्णय कब व किस आधार पर लिया गया? उक्त निर्णय के क्रियान्वयन के लिए क्या मानदण्ड बनाए गए?

(2) उक्त प्रबन्धन कोटे की सीटों की प्रवेश परीक्षा किस संस्थान से करवाना तय किया एवं उसके क्या कारण थे? परीक्षा के संचालन के सम्बन्ध में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त समिति की बैठकें कब-कब हुई और इसमें क्या कार्रवाई हुई? बैठक के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 30 मई, 2004 को प्राइवेट मेडिकल कालेज फेडरेशन की ओर से परीक्षा किस आधार पर करवाई जा रही थी और निरस्त क्यों की गई?

(4) फेडरेशन की ओर से दिनांक 24 मई को सदर थाना जयपुर शहर में दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति एवं फेडरेशन के संचालकों के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। उक्त मामलों की जांच किसकी प्रार्थना पर बदली गई? प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के टी.एम.ए.पई. बनाम कर्नाटक सरकार

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नामक याचिका में दिनांक 31.10.2002 को पारित निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार के दिनांक 14.5.2003 के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने पत्र संख्या प.6(5)एमई/ग्रुप-1/2003 दिनांक 16.8.2003 से निजी मेडिकल/डेन्टल कालेजों की कुल प्रवेश क्षमता को भरने के लिए चार श्रेणियां ए, बी, सी एवं डी निर्धारित की थी। इनमें से 50 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार द्वारा व 50 प्रतिशत सीटें संस्थाओं के प्रबन्धकों द्वारा इन दिशा-निर्देशों अनुसार भरी जानी थी। इसके अनुसार वर्ष 2004-2005 हेतु भी 50 प्रतिशत सीटें प्रबन्धकीय कोटे की निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के चिकित्सा/डेन्टल व नर्सिंग कालेजों के प्रबन्धकीय कोटे की सीटों को भरने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम कर्नाटक सरकार नामक याचिका संख्या 350/93 में पारित निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की है।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में मेडिकल/डेन्टल कालेजों के प्रबन्धन कोटा की निर्धारित सीटों हेतु प्रवेश परीक्षा फेडरेशन आफ प्राइवेट मेडिकल/डेन्टल कालेजेज आफ राजस्थान, जयपुर द्वारा करवाया जाना निर्धारित किया गया था। प्रवेश परीक्षा का संचालन फैडरेशन का उत्तरदायित्व था व पर्यवेक्षण हेतु उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जगत सिंह की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन दिनांक 29.10.2003 को किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। समिति की बैठक दिनांक 3.6.2004 को सम्पन्न हुई थी। समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-2 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों के द्वारा फेडरेशन के गठन के अभाव में प्रबन्धकीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोन्सलिंग के आधार पर भरी गई हैं।

(3) फेडरेशन आफ प्राइवेट मेडिकल/डेन्टल कालेजेज आफ राजस्थान, जयपुर की दिनांक 30.5.2004 को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.8.2003 को पारित निर्णय की अनुपालना में आयोजित करवाई जा रही थी। इस प्रवेश परीक्षा के आयोजित होने के पूर्व ही निजी मेडिकल/दन्त कालेजों के प्रबन्धकों द्वारा छात्रों को प्रवेश दिये जाने के आश्वासनों सम्बन्धी सी.डी. प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जयपुर से दिनांक 27.5.2004 को प्राप्त हुई। इस पर ध्यान कर पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) जगत सिंह की अनुमति से परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) फेडरेशन की ओर से सदर थाना, जयपुर में दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. संख्या 139/04 दिनांक 24.5.2004 की प्रति परिशिष्ट-3 के रूप में तथा संचालकों के खिलाफ थाना अशोक नगर, जयपुर में दर्ज हुई एफ.आई.आर. संख्या 153/04 दिनांक 4.6.2004 की प्रति परिशिष्ट-4 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त दोनों मुकदमों का अनुसंधान राज्य सरकार के आदेश से पुलिस अपराध शाखा सी.आई.डी. (सी.बी.) को सुपुर्द किया गया है। यह प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 जुलाई, 2004)

राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

25. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में राजस्व न्यायालयों में कितने मामले दिनांक 1 जून, 2004 तक लम्बित हैं?

(2) उक्त मामलों में 3 वर्ष 10 वर्ष एवं 20 वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लम्बित हैं?

(3) राजस्व मामलों का समय पर निपटारा हो, इसके लिये क्या सरकार कोई समयावधि निर्धारित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्व न्यायालयों में 1 जून. 2004 को कुल 2,41,915 मामले लम्बित हैं।

(2) उक्त मामलों में 3 वर्ष से अधिक लम्बित मामले :-	64,242
10 वर्ष से अधिक लम्बित	10,014
20 वर्ष से अधिक लम्बित	637

(3) किसी भी राजस्व मामले में केवल न्यायालय के चाहने से ही प्रकरण का

(राजस्व मंत्री)

निपटारा नहीं हो सकता. पक्षकारों का सहयोग भी आवश्यक होता है। अत: समयावधि प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है। अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित प्रकरणों में अधिनियम ही समयावधि का उल्लेख किया गया है। चारागाह व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में समयावधि अधिनियम में ही निश्चित कर दी गई है, फिर भी राजस्व मामलों का समय पर निपटारा हो, इस हेतु राज्य स्तर एवं मण्डल स्तर से अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिये जाते रहे हैं।

सांगोद (कोटा) तहसील की क्षतिग्रस्त रपटों पर पुल निर्माण

383. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की सांगोद तहसील में काली सिंध नदी पर ग्राम धूलेट व ग्राम गुडला में रियासतकालीन रपटों के क्षतिग्रस्त होने तथा वर्षा ऋतु में पानी आ जाने के कारण आवागमन प्रभावित होता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रपटों पर पानी होने से सांगोद से अन्ता (जिला बारां) व खानपुर (जिला झालावाड़) का मार्ग बन्द हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रपटों के स्थान पर नवीन पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सांगोद के समीप परवन नदी पर बनी रपट भी वर्षा ऋतु में डूब जाती है व महीनों तक इस मार्ग पर यातायात बन्द रहता है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त रपटों के स्थान पर नवीन पुलिया बनाया जाना राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। वर्षा ऋतु में रपट पर पानी आने से यातायात अनेक बार अवरूद्ध हो जाता है।

निम्बाहेड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

384. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानदण्ड क्या हैं?

(2) निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं अन्य संवर्ग में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र की अब तक वंचित स्थानों पर अत्यन्त आवश्यकता है?

(4) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में ऐसे स्थानों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 1 लाख तक की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मानदण्ड है।

(2) विधान सभा निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं अन्य संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती अवधि परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, बी.एच.एस., मलेरिया निरीक्षक, सैक्टर सुपरवाईजर एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति के हैं, जो कि

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरे जाने सम्भव हो सकेंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया जारी है। नर्स श्रेणी द्वितीय के पद भरने पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन हटने पर तथा सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्वीकृति प्राप्त होने पर भरे जाना सम्भव होगा। कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद को निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा तथा संगणक के रिक्त पदों को निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जाना सम्भव होगा।

(3) भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार विधान सभा क्षेत्र निंम्बाहेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं।

(4) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक संस्थायें खुली हुई हैं।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	क्र. सं.	संस्था का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, निम्बाहेड़ा	6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मडलाचारण
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, छोटी सादडी	7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनोता
		8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारूण्डा
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा	9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बोरी
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोदा	10.	उच्चीकृत उप केन्द्र, बांगरेडामामादेव
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केली	11.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, गादोला

क्र. सं.	संस्था का नाम	क्र. सं.	संस्था का नाम
12.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, बडोलीमाधोसिंह	32.	उपकेन्द्र, बांगरेडाघाटा
13.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, केसुन्दा	33.	उपकेन्द्र, सरसी
14.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, चांदोली	34.	उपकेन्द्र, जलिया
15.	उपकेन्द्र, बाड़ी	35.	उपकेन्द्र, करथाना
16.	उपकेन्द्र, रानीखेड़ा	36.	उपकेन्द्र, जावदा
17.	उपकेन्द्र, चरलिया ब्राह्मण	37.	उपकेन्द्र, लसडावन
18.	उपकेन्द्र, कोटडीकलां	38.	उपकेन्द्र, कारूण्डा
19.	उपकेन्द्र, मरजीवी	39.	उपकेन्द्र, फलवा
20.	उपकेन्द्र, खेडाजदीद	40.	उपकेन्द्र, धोरिया
21.	उपकेन्द्र, अरनियाजोशी	41.	उपकेन्द्र, भगवानपुरा
22.	उपकेन्द्र, उखलिया	42.	उपकेन्द्र, मिनाणा
23.	उपकेन्द्र, टाई	43.	उपकेन्द्र, गुडाखेडा
24.	उपकेन्द्र, मांगरोल	44.	उपकेन्द्र, नारायणी
25.	उपकेन्द्र, फाचरअहिरान	45.	उपकेन्द्र, सूबी
26.	उपकेन्द्र, सरखण्डा	46.	उपकेन्द्र, बसेडा
27.	उपकेन्द्र, चरलियाभवलिया	47.	उपकेन्द्र, गोमाना
28.	उपकेन्द्र, मेलाना	48.	उपकेन्द्र, अम्बावली
29.	उपकेन्द्र, श्रीपुरा	49.	उपकेन्द्र, स्वरूपगंज
30.	उपकेन्द्र, निम्बोदा	50.	उपकेन्द्र, बरखेडा
31.	उपकेन्द्र, बडवली	51.	उपकेन्द्र, गणेशपुरा

क्र. सं.	संस्था का नाम	क्र. सं.	संस्था का नाम
52.	उपकेन्द्र, सियाखेड़ी	57.	उपकेन्द्र, पीपलवाड़ी
53.	उपकेन्द्र, पीलीखेड़ा	58.	उपकेन्द्र, जलोदाजागीर
54.	उपकेन्द्र, धोलापानी	59.	उपकेन्द्र, बंबोराजागीर
55.	उपकेन्द्र, साठोली	60.	उपकेन्द्र, करजू
56.	उपकेन्द्र, सेमरस्थली	61.	उपकेन्द्र, गांगरोल

परिशिष्ट "ब"

सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की अवधि
1	2.	3	4	5
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, निम्बाहेड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र)	1	1/2002
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	11/2002
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	11/2003
		सहायक रेडियोग्राफर	1	9/1996
		वरिष्ठ लिपिक	1	12/2003
		वाहन चालक	1	11/2000
		दन्त तकनीशियन	1	पद सृजन से
		वी.एच.एस.	1	11/2000
		सगणक	1	11/1999

1	2	3	4	5
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, छोटीसादड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	6/2003
		चिकित्सा अधिकारी	1	6/2004
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	7/2000
		कनिष्ठ लेखाकार	1	8/2001
		वरिष्ठ लिपिक	1	10/1998
		वाहन चालक	2	6/2003
		बी.एच.एस.	1	11/2000
		संगणक	1	11/2000
		मलेरिया निरीक्षक	1	8/2000
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	7/2003
		मलेरिया निरीक्षक	1	7/2004
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	6/2003
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोदा	सैक्टर सुपरवाईजर (मेल)	1	2/1990
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केली	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	9/2001
		सैक्टर सुपरवाईजर	1	10/2001
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	6/2003
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडलाचारण	सैक्टर सुपरवाईजर	1	9/1990
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनोता	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	5/2003

1	2	3	4	5
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारूण्डा	चिकित्सा अधिकारी	1	6/2004
		सैक्टर सुपरवाईजर	1	6/1999
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	4/2003
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाबोरी	सैक्टर सुपरवाईजर	1	11/1995
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	12/2002
10.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, बागरेडामामादेव	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	8/2001

सहाड़ा की अपूर्ण पेयजल योजनाएं

385. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के समर कन्टीन्जेन्सी योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से पेयजल के कार्य स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए और कौन-कौन से कार्य क्यों अपूर्ण रहे? सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में समर कन्टीजेन्सी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य व उनकी वर्तमान स्थिति की विगत परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सूची मय वर्तमान स्थिति व कारण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। माह अगस्त, 2004 तक मात्र 1 नलकूप चालू करना शेष है। इस पर विद्युत सम्बन्ध होना शेष है। इस बाबत डी.बी. रिट 2726 में माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिनांक 8.7.2004 में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नलकूप पर विद्युत आपूर्ति करने सम्बन्धित कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में समर कंटिंजेंसी के तहत स्वीकृत एवं क्रियान्वित कार्यों की सूची

हैण्ड पम्प

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वर्तमान प्रगति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	सहाड़ा	सोनियाना, चमार बस्ती पुराना रास्ता	कार्य पूर्ण	
2.	सहाड़ा	सोनियाना, धोली मगरी भील बस्ती	कार्य पूर्ण	
3.	सहाड़ा	चीरखेडा, गाडरी बस्ती	कार्य पूर्ण	
4.	सहाड़ा	आरनिया, तालाब के पीछे, हनुमान मन्दिर के पास	कार्य पूर्ण	
5.	सहाड़ा	भरक, बन्जारा बस्ती, गुडा भैरूजी	कार्य पूर्ण	
6.	सहाड़ा	सालेरा, बन्जारा बस्ती रोडा का खेडा	कार्य पूर्ण	
7.	सहाड़ा	उदलियास, भील बस्ती, बद्री भील के सामने	कार्य पूर्ण	
8.	सहाड़ा	सांगास भूणा जी बावजी	कार्य पूर्ण	
9.	सहाड़ा	लाकोला, नया खेडा, नई बस्ती	कार्य पूर्ण	
10.	सहाड़ा	रामपुरिया एसी. एस.टी. बस्ती	कार्य पूर्ण	
11.	सहाड़ा	लक्ष्मीपुरा, कुम्हार मोहल्ला	कार्य पूर्ण	
12.	सहाड़ा	आलोली माधोपुरा	कार्य पूर्ण	
13.	सहाड़ा	महेन्द्रगढ़ ढाणी नारायण रेवाडी के पास	कार्य पूर्ण	
14.	सहाड़ा	गठिला, प्राथमिक विद्यालय के पास	कार्य पूर्ण	
15.	सहाड़ा	मठुनिया, बस स्टेण्ड	कार्य पूर्ण	
16.	सहाड़ा	धागडास, भील खेडा बैरवा बस्ती	कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5
17.	सहाड़ा	सतुढाणियां काला दूढा रास्ते पर	कार्य पूर्ण	
18.	सहाड़ा	सुरावास मनोहर दर्जी के पास	कार्य पूर्ण	
19.	सहाड़ा	कोसीथल अरनुठा के पास	कार्य पूर्ण	
20.	सहाड़ा	गुडाखेडा, भरत पंचायत बागरिया बस्ती	कार्य पूर्ण	
21.	रायपुर	लाकाहोली, बलाई बस्ती	कार्य पूर्ण	
22.	रायपुर	धूलखेड़ा, पंचायत बागोलिया, लालू कुमावत के मकान के पास, धूलखेडा रास्ते पर	कार्य पूर्ण	
23.	रायपुर	बोराणाखेड़ा कुमावतों वाला	कार्य पूर्ण	
24.	रायपुर	आमा खेड़ा, जाटों चमारों की बस्ती	कार्य पूर्ण	
25.	रायपुर	छोटी बाडिया, नादंशा पंचायत, भैरू जी की बस्ती	कार्य पूर्ण	
26.	रायपुर	झडोल, उदलपुरा चौराया	कार्य पूर्ण	
27.	रायपुर	जोगरास, फूट का देवरा	कार्य पूर्ण	
28.	रायपुर	मण्डी, एस.टी. बस्ती	कार्य पूर्ण	
29.	रायपुर	सरोडी, खाखरमाला पंचायत देवरे के पास	कार्य पूर्ण	
30.	रायपुर	बोरियापुरा, भैरूखेडा	कार्य पूर्ण	
31.	रायपुर	चारोट बस स्टेण्ड के पास	कार्य पूर्ण	
32.	रायपुर	बकानी, बैरवा बस्ती	कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5
नलकूप				
1.	सहाडा	कोशीथल	कार्य पूर्ण	
2.	सहाडा	नादंशा	कार्य प्रगति पर	विद्युत कनेक्शन व पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है।
3.	रायपुर	बागोलिया तालाब के पास	कार्य पूर्ण	
4.	रायपुर	नाथडियास, गांव के बाहर	कार्य पूर्ण	
5.	रायपुर	गलियावडी, स्कूल के पास	कार्य पूर्ण	
डीसीबी				
1.	सहाडा	चीरखेडा	कार्य पूर्ण	
2.	सहाडा	अडसीपुरा	कार्य पूर्ण	
3.	सहाडा	ढेलाना	कार्य पूर्ण	
4.	सहाडा	सालेरा कुआ नं. 1	कार्य पूर्ण	
5.	सहाडा	सालेरा कुआ नं. 2	कार्य पूर्ण	
6.	सहाडा	कोशीथल	कार्य पूर्ण	
7.	रायपुर	बोराणा	कार्य पूर्ण	

जल परिवहन

क्रमांक	गांव का नाम	दिनांक जब से जल परिवहन चल रहा है	परिवहन की औसत मात्रा के एलडी में
1	2	3	4
1.	अरनोटा	6.5.2004	5
2.	कोशीथल	6.5.2004	3
3.	आटावाडा	2.5.2004	5
4.	उम्मेदपुरा	2.5.2004	5
5.	नीमखेड़ा	4.6.2004	5
6.	अरनिया जागीर	3.6.2004	5
7.	पालेरा	5.5.2004	5
8.	सूरजसिंह खेड़ा	5.5.2004	5
9.	ढेकला	6.5.2004	5
10.	चावडिया	9.4.2004	5
11.	भूतेला	24.4.2004	5
12.	मदुनिया	9.4.2004	10
13.	उल्लई	9.4.2004	20
14.	रूपारेल	9.4.2004	5
15.	सालेरा	13.4.2004	20
16.	विजयपुरा	5.5.2004	5
17.	खिजूरिया	30.4.2004	5
18.	छापरी (राजपूतों की)	13.4.2004	15
19.	नेगडिया का खेडा	13.4.2004	15

1	2	3	4
20.	फुकिया	13.4.2004	5
21.	अर्जुनपुरा	3.5.2004	5
22.	गोवालिया	13.4.2004	15
23.	रूपपुरा	30.4.2004	5
24.	कालाखेडा	13.4.2004	10
25.	खाखंला	5.5.2004	20
26.	गुमानपुरा	11.5.2004	5
27.	सिरोहीखेड़ा	21.4.2004	5
28.	सहाडा	24.4.2004	5
29.	कांगनी	28.5.2004	5
30.	हरीपुरा	9.4.2004	5
31.	डेलाना	2.5.2004	5
32.	कालीमगरी का खेडा	25.4.2004	5
33.	नान्दशा	4.5.2004	10
34.	भूमपुरा	14.4.2004	5
35.	चीरखेडा	16.5.2004	10
36.	अडसीपुरा	12.5.2004	15
37.	आमली	23.4.2004	10
38.	महेन्द्रगढ़	4.6.2004	5
39.	माकडिया	13.4.2004	15
40.	भुणास	8.5.2004	10
41.	सतढुढिया	17.5.2004	5

1	2	3	4
42.	सूरजपुरा	23.4.2004	5
43.	गणेशपुरा जागीर	9.4.2004	10
44.	नाथजी का खेडा	9.4.2004	5
45.	गायत्री नगर	9.4.2004	5
46.	बघेरा	13.4.2004	15
47.	गुड्डा	23.4.2004	5
48.	सांगास	20.5.2004	5
49.	गणेशपुरा	1.5.2004	5
50.	टपरिया खेडी	1.5.2004	15
51.	माझावास	1.5.2004	15
52.	मण्डपिया (उम्मेदपुरा)	14.4.2004	5
53.	सुरावास	2.5.2004	10
54.	सरगांव	21.5.2004	5
55.	तिरोली	23.4.2004	5
56.	भरक	3.5.2004	15
57.	अलोली	14.4.2004	10
58.	वीकराई	27.4.2004	10
59.	लाखोला (नया खेडा)	24.4.2004	5
60.	लखमडियास	1.5.2004	5
61.	गठीला खेडा	8.5.2004	5
62.	साकरिया	17.5.2004	5
63.	मेघरास	23.4.2004	10

1	2	3	4
64.	उच्चकिया	23.4.2004	5
65.	जवरकिया	28.4.2004	10
66.	सोनीयाना	1.5.2004	15
67.	सोनीयाना (रामा खेडा)	15.4.2004	5
68.	चतरसिंह का खेडा	14.4.2004	5
69.	रूपा का खेडा	11.5.2004	5
70.	थोरिया खेडा	6.4.2004	5
71.	बाडी	1.6.2004	10
72.	पीथलपुरा	1.6.2004	5
73.	थला (नगपुरा)	25.4.2004	3
74.	थला (गडरी खेडा)	25.4.2004	5
75.	सुरास	3.4.2004	5
76.	सुरास का खेडा	3.4.2004	5
77.	धूलखेडा	3.4.2004	10
78.	बोराणा	13.4.2004	20
79.	बोराणा (कुमावतों का खेडा)	13.4.2004	5
80.	बोराणा (गुजरिया का खेडा)	13.4.2004	5
81.	लडकी	1.5.2004	5
82.	मियाला	1.6.2004	5
83.	सिरोडी	9.6.2004	5

1	2	3	4
84.	बागड	7.4.2004	5
85.	करोल	7.4.2004	5
86.	मण्डोल	1.5.2004	5
87.	ठिकानी	1.5.2004	5
88.	रायपुर	28.4.2004	5
89.	रायपुर (सूरजपुरा)	28.4.2004	5
90.	रायपुर (मालीखेडा)	28.4.2004	5
91.	संगरेव (नया खेड़ा)	11.4.2004	5
92.	मोखमपुरा	25.4.2004	15
93.	नाथडियास	5.4.2004	10
94.	नाथडियास (मोटरों का खेड़ा)	5.4.2004	5
95.	पनोतिया	19.4.2004	5
96.	आसपुर	26.4.2004	5
97.	जोगरास	5.4.2004	15
98.	शिवनाथपुरा	5.4.2004	5
99.	दूल्हेपुरा	27.4.2004	5
100.	तोलास	28.4.2004	15
101.	बोरियापुरा	8.5.2004	10
102.	रेवाडा	3.5.2004	5
103.	रेवाडा (तोलास)	1.5.2004	5
104.	नाहरी	27.4.2004	5
105.	नाहरी (गाडरी खेड़ा)	22.4.2004	5

1	2	3	4
106.	तेजिया खेड़ी	12.4.2004	5
107.	अम्बा का खेड़ा	25.4.2004	5
108.	खूंडिया	28.4.2004	10
109.	परवती	1.6.2004	5
110.	केमुनिया	9.4.2004	5
111.	पचातों का खेड़ा	5.5.2004	10
112.	पालरा	28.4.2004	10
113.	पालरा (भील खेड़ा)	14.4.2004	3
114.	नान्दूड़ा	8.4.2004	10
115.	खाखरमाला (कोलीखेड़ा)	8.4.2004	5
116.	आसूणा	8.4.2004	5
117.	टूगच का खेड़ा	8.4.2004	5
118.	मोखून्दा (तेलीखेड़ा)	22.4.2004	5
119.	ठीकरिया	27.4.2004	5
120.	मासिंगपुरा	27.4.2004	10
121.	डागंडी	27.4.2004	5
122.	लाडिया खेड़ा	8.4.2004	5
123.	चारोट	27.4.2004	10
124.	गलवा (चावण्डखेडा)	8.4.2004	5
125.	खेमाना	7.4.2004	10
126.	खेमाना (गोविन्दपुरा)	7.4.2004	5
127.	गलियावडी	8.4.2004	15

1	2	3	4
128.	नान्दशा जागीर	1.5.2004	10
129.	बाडिया खुर्द	1.5.2004	10
130.	राणास	1.5.2004	10

कृषि उपज मण्डी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु

386. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही रखी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विपणन बोर्ड जो मण्डी समितियों के अंशदान से चलते हैं उन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दी गई है? यदि हां तो क्या सरकार इस भेदभाव को मिटाकर कृषि उपज मण्डी के कर्मचारियों की आयु भी 60 वर्ष करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही है। उक्त प्रावधान राजस्थान कृषि उपज विपणी (कृषि मण्डी समिति कर्मचारी) नियम 1975 के नियम 8(ग) के प्रावधानानुसार रखी गई है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष कर दी गई है।

कृषि उपज मण्डी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है, जिन पर गुणावगुण के आधार पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

विशाला आगोर (बाड़मेर) ग्राम में बांकल माता मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जा

387. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री तगाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेजुओं की बस्ती ग्राम-पंचायत विशाला आगोर जिला बाड़मेर में खसरा नं. 685/1/5 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि आती है और क्या वहां वन विभाग द्वारा नियमानुसार चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में खसरा नं. 685/1/5 के अन्तर्गत एक कई वर्षों पुराना बांकल माता का मन्दिर स्थित है जिस पर वन विभाग ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि सरकारी रिकार्ड के अनुसार बांकल माता का मन्दिर खसरा नं. 685 के अन्तर्गत बताया जाता है?

(3) क्या सरकार उक्त मन्दिर को विभाग के अवैध कब्जे से मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

जी नहीं। वन विभाग द्वारा खसरा नं. 685/1/5 में चारदीवारी का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। यह सही है कि बांकल माता का मन्दिर ग्राम सेजुओं की ढाणी के खसरा नं. 685 में बना हुआ है।

(3) वर्तमान में मन्दिर पर वन विभाग का कोई अवैध कब्जा नहीं है।

गोगुन्दा के भवन विहीन विद्यालय

388. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन अथवा केवल दो ही कमरे निर्मित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राथमिक विद्यालय उपलावास एवं काडा के विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय झालरा, सिबखड़ी पंचायत समिति कोटडा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या? सरकार द्वारा उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के भवन विहीन प्राथमिक विद्यालयों में भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा का कोई भी प्राथमिक विद्यालय, भवन विहीन नहीं है। दो कमरों वाले प्राथमिक विद्यालयों का नाम परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 01 के अनुसार।

परिशिष्ट-क

दो कमरों वाले प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	नाम प्राथमिक विद्यालय	उपलब्ध कमरे	वि.वि.
1	2	3	4
1.	राप्रावि माधवपुरा	02	
2.	राप्रावि केशवपुरा	02	
3.	राप्रावि गणेशजी का गुडा	02	
4.	राप्रावि बूझ	02	
5.	राप्रावि वेर की भागत	02	
6.	राप्रावि कमोल (बा.)	02	
7.	राप्रावि उभरना	02	
8.	राप्रावि पाबा	02	
9.	राप्रावि वेंलूका खेत	02	
10.	राप्रावि वासना	02	
11.	राप्रावि पालछ	02	
12.	राप्रावि मोगियों का थाना	02	

1	2	3	4
13.	राप्रावि हथनियावल	02	
14.	राप्रावि बागडा	02	
15.	राप्रावि खरवडों का गुडा	02	
16.	राप्रावि गोदों का गुडा	02	
17.	राप्रावि ओडों का गुडा	02	
18.	राप्रावि करडाऊ	02	
19.	राप्रावि भारोडी	02	
20.	राप्रावि मलारियाकला	02	
21.	राप्रावि उण्डीथल	02	
22.	राप्रावि भेवडिया	02	

डूंगरगढ़ में पेचवर्क कार्य

389. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में वर्ष 2002-03 व 2003-04 में कौन-कौनसी सड़कों पर पेचवर्क का कार्य किन-किन ठेकेदारों द्वारा करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिना पेचवर्क कार्य किये कुछ ठेकेदारों को भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन सड़कों का व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सड़कों का पेचवर्क कार्य अब भी बकाया है? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों का बकाया पेचवर्क कार्य पूरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में वर्ष 2002-03 व 2003-04 में सड़कों का पेच का कार्य करवाया गया है उनकी सूची वर्षवार व ठेकेदार वार परिशिष्ट "अ", "ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(3) जी हां। सड़कों का पेचवर्क कार्य बकाया है। उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता के अनुसार मानसून पश्चात पेचवर्क का कार्य कराया जाएगा।

परिशिष्ट "अ"

मैसर्स महिया ब्रादर्स द्वारा करवाये गये पेच रिपेयर कार्य का विवरण

वर्ष 2002-2003

क्र.स.	सड़क का नाम
1.	सेरुणा से सूडसर
2.	सेरुणा से पूनरासर
3.	सांवतसर से राजेड़
4.	बाना से उपनी
5.	उपनी से कल्याणसर
6.	कल्याणसर से बापेउ
7.	सालासर से पुन्दलसर
8.	दिल्ली से बीकानेर सड़क
9.	धिरदेसर से पाटनदेसर
10.	एन.एच. 11 से बेनीसर
11.	एन.एच. 11 से बिग्गा गांव
12.	बिग्गा गांव से बिग्गा रेल्वे स्टेशन
13.	कितासर से धिरदेसर चौटयान

परिशिष्ट "ब"

मैसर्स रमणलाल पारीक बीकानेर द्वारा करवाये गये पेच रिपेयर कार्य का सड़कवार विवरण 2003-2004

क्र.सं.	सड़क का नाम वर्ष 2003-2004
1.	एन.एच. 11 से बिग्गा गांव कि.मी. 0/0 से 1/0
2.	बिग्गा गांव से बिग्गा रेल्वे स्टेशन 0/0 से 2/0
3.	धरमास से इन्द्रपालसर किमी. 0/0 से 2/0
4.	ए.आर. से धनेठ किमी. 0/0 से 9/0
5.	बाडेला से बरजांगसर किमी. 0/0 से 2/0
6.	बरजांगसर से कुनवालसर किमी. 0/0 से 3/500
7.	बाना से ठपनी किमी. 0/0 से 7/0
8.	ठपनी से कल्याणसर किमी. 0/0 से 9/0
9.	कल्याणसर नया से बपेठ किमी. 0/0 से 9/0
10.	सालासर से पुन्दलसर किमी. 0/0 से 4/0
11.	लखासर से दुलचासर 2/0 से 11/0
12.	सेरुणा से सूड़सर किमी. 0/0 से 11/0
13.	सांवतसर से राजेड्र किमी. 0/0 से 20/0
14.	सैरुणा से पूनरासर किमी. 0/0 से 15/0
15.	गुसांईसर से डेलवान किमी. 0/0 से 4/0
16.	ठुकरियासर से लिखेमादेसर किमी. 0/0 से 3/0
17.	कितासर से धीरदेसर
18.	सेरुणा से पुन्दलसर

परिशिष्ट "स"

मैसर्स एम.एन. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी श्री डूंगरगढ़ द्वारा करवाये गये पेच रिपेयर कार्य का विवरण 2003-2004

क्र.सं.	सड़क का नाम वर्ष 2003-2004
1.	बीकानेर– दिल्ली सड़क

परिशिष्ट "द"

मैसर्स सूर्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर द्वारा निम्नलिखित तीन सड़कों पर पेच कार्य करवाये गये

क्र.सं.	सड़क का नाम वर्ष 2003-2004
1.	नोखा – सीकर सड़क 2003-2004
2.	सडू - कल्याणसर सड़क 2003-2004
3.	सडू - नोडिया सड़क 2003– 2004

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 15 जुलाई, 2004)

कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी अधिकार के लम्बित प्रकरण

124. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 15 ए.ए.ए. के तहत राज्य में अनेक प्रकरण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? विभाग ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित काश्तकार के परिवार का आंकलन कब से करता है तथा कालान्तर में कमाण्ड हुई भूमि की सीलिंग सीमा निर्धारण का क्या आधार है?

(2) क्या सरकार भूमि कमाण्ड होने के दिन से काश्तकार के परिवार की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

स्थिति को आधार मानकर फैसला करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन मामलों के विचाराधीन रहने के मुख्य कारण अपने धारण की भूमि के बारे में साक्ष्य, सबूत, शपथ-पत्र नहीं देना तथा दावों आदि के लम्बित होने से विचाराधीन रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15-एएए की धारा 2(क) से संशोधित कर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में व भू-प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान लिखित अभिलेख में अंकित गैर खातेदारों को ही खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित नियम का कानूनी परीक्षण किया जा रहा है, व इस बिन्दु पर महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय ली जा रही है।

(2) उक्तानुसार इस बिन्दु का कानूनी परीक्षण किया जा रहा है व इस बिन्दु पर महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार से राय ली जा रही है।

वर्ष 2003-04 में क्रय किए गए "ममता किट"

390. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में आई.पी.डी. योजना के तहत खरीदे गए ममता किट ऐसी कम्पनी से खरीदे गए जिसके पास ममता किट तैयार करने का अनुज्ञा पत्र नहीं था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किट घटिया किस्म के हैं जिसमें ब्लेड किसी एक कम्पनी का और रैपर किसी और कम्पनी का है ? यदि हां, तो क्यों?

(3) ऐसे किट खरीदने के आदेश किन अधिकारियों ने दिए व कौन-कौन अधिकारी इसमें लिप्त हैं ? सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है।

(2) जिलों से ममता किट एवं ब्लेड के सैम्पल मंगवाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही बाद जांच परिणामों के संदर्भ में प्राथमिक तौर पर दोषी पाये जाने पर की जायेगी।

राज्य में प्रधानाध्यापकों के पद पूर्ति की नीति

391. श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष कितने पदों को पदोन्नति से भरा गया तथा कितने पदों को सीधी भर्ती/राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के 160 पद रिक्त हैं।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष भरे गये पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

परिशिष्ट- "क"

वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष भरे गये प्रधानाध्यापक (मा.वि.) पद

वर्ष	सीधी भर्ती से			पदोन्नति से			महायोग
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	
90-91	-	-	-	411	60	471	471
91-92	203	27	230	223	52	275	505
92-93	66	01	67	250	22	272	339
93-94	633	90	723	339	41	380	1103
94-95	395	63	458	376	33	411	869
95-96	-	-	-	623	89	712	712
96-97	350	87	437	676	159	835	1272
97-98	-	-	-	496	87	583	583
98-99	109	47	156	317	-	317	473
99-2के	262	111	373	315	61	376	749
2के-01	-	-	-	21	19	40	40
01-02	-	-	-	516	99	615	615

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में अमलगमेटेड फण्ड से सैनिक विधवाओं हेतु छात्रावास

555. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सैनिकों के कल्याण के लिये कोई अमलगमेटेड फण्ड बना हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(2) इस अमलगमेटेड फण्ड में किस-किस वर्ष में कितना-कितना पैसा जमा हुआ और उसका कहां-कहां उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फण्ड से राशि व्यय करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो फिर विद्याधर नगर में जो सैनिक विधवाओं के लिये छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है उस पर बिना स्वीकृति के 70 लाख रुपये कैसे व्यय किये गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे और कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के लिए 1970 से अमलगमेटेड फण्ड का गठन किया हुआ है।

(2) अमलगमेटेड फण्ड का गत तीन वर्षों का आय व्यय का विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जब किसी प्रकार की अनियमितता हुई ही नहीं तो दण्डित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

SHINIK KALYAN VIBHAG
AMALGAMATED FUND FOR THE BENEFIT OF EX-SERVICEMEN, JAIPUR
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED : 31.3.2004

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
1	2	3	4	5	6
2394815.00	To Financial Aid & Grant to Widows & Exservicemen	2655500	3688864.00	By lag Day Collection	3415199.75
578754.00	Repair of SVGs	132095			
***10200.00	Audit Fees	5220			
29114.00	"Telephone Exp.	36498	9129386.13	"Interest on FDRs & Units (Receipts basis)	4834674.79
7200.00	"Medical Aid	8000			
32000.00	"Marriage Aid	56000			
28200.00	Immediate Relief	2800	125646.83	"SB Interest from various SVGs	68129.23
162931.00	Furnishing Exp.	130413			

1	2	3	4	5	6
500.00	"Loker Rent	500			
3000.00	"Information Centre Exp.	800	6413.00	"Misc. Income	509
2460048.00	"Salaries & Allow	2450625			
1131157.00	"Office Exp.	1122671			
900.00	"Cashier Allowance	900	1537356.00	"Rent Received from various SVG	1837017
92000.00	"Vocational Training Exp.	165000			
254500.00	"Scholarship & Stipends	429500			
	"Bank Commission	2709	580000.00	"Incentive received from Post Office	440000
	"Special Relief to War Widows	45000			
	" Redemption of Units	1896300			

1	2	3	4	5	6
7882346.96	"Excess of Income over expenditure over expenditure During the year	1958908.77		"Amount received from JDA on Acquisition of Land SVG II Jaipur	503910.00
15067665.96		11099439.77	15067665.96		11099439.77
For two year					

SAINIK KALYAN VIBHAG
AMALGAMATED FUND FOR THE BENEFIT OF EX-SERVICMEN, JAIPUR
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED : 31.3.2004

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
2394815.00	To Financial Aid & Grant Widows & Ex-servicemen	2655500	3688864.00	By lag day Collection	3415199.75
578754.00	Repair of SVGs	132095			
***10200.00	Audit Fees	5220			
29114.00	Telephone Exp.	36498	9129386	Interest on FDRs & Units (Receipts basis)	4834674.79
7200.00	Medical Aid	8000			
32000.00	Marriage Aid	56000			
28200.00	Immediate Relif	2800	125646.83	SB Interest from various SVGs	68129.23
162931.00	Furnishing Exp	130413			
500.00	Locker Rent Information Centre	500			
3000.00	Exp.	800	6413.00	Misc.Income	509

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
2460048.00	Salaries & Allow	2450625			
1131157.00	Office Exp.	1122671			
900.00	Cashier Allowance	900	1537356.00	Rent Received from various SVG	1837017
	Vocational Training				
92000.00	Exp.	165000			
254500.00	Scholarship & Stipends	429500			
	Bank Commission	2709	580000.00	Incentive received from Post Office	440000
	Special Relief to War Widows	45000			
	Redemption of Units	1896300			
7882346.96	Excess of income Over expenditure			Amount received from JDA on Acquisition of land SVG II Jaipur	503910
	During the year	1958908.77		Amount received from JDA on Acquisition of land SVG II Jaipur	503910
15067665.96		11099439.77	15067665.96		11099439.77

SAINIK KALYAN VIBHAG
AMALGAMATED FUND FOR THE BENEFIT OF EX-SERVICMEN, JAIPUR
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED : 31.3.2003

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
21,42,600.00	To Financial Aid & Grant Widows & Ex-servicemen	23,94,815.00	30,66,906.00	By lag day Collection	3415199.75
4,45,193.00	Flag Day Contribution made	132095	57,73,579.43	Interest on FDRs & Units (Receipts basis)	
2,05,490.00	Repair	5,78,754.00			
3,100.00	Audit fees	10,200.00	76,847.00	SB Interest from various SVGs	4834674.79
17,914.00	Telephone Ex-penses	29,114.00			
15,000.00	Medical Aid	7,200.00	11,376.00	Misc.Income	
80,000.00	Marriage Aid	32,000.00		SB Interest from various SVGs	68129.23
14,908.00	Rally Expenses	NIL	12,95,513.00	Rent Received from various SVG	
36,185.00	Immediate Relief	28,200.00			
102,238.00	Funishing Expenses	1,62,931.00	10,23,000.00	Grant in Aid Reed from CM Office for construction of Sainik V. Garh. Jpr	NIL
463.00	Locker Rent	500.00			
20,327.00	Information centre Exp.	3,000.00			
20,00,022.00	Salaries & Allow	24,60,048.00	1,75,000.00	Refund of amount consulted of Rajasthan State Serviceman league for building	NIL

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
10,34,672.00	Office Expenses	11,31,157.00			
919.00	Cashier Allowance	900.00			NIL
4,800.00	Scholarship to Mentally Disabled Children	NIL	1,05,000.00	Incentiveted Post Office	5,80,000.00
1,44,600	Vocational Training Exp.	92,000.00			
2,52,535.00	Scholarship & Stipends	2,54.500.00			
19,61,756.00	Excess of Income over expenditure during the year	78,82,346.00			
1527222.03	TOTAL	1,50,67,665.96	1,50,67,665.96	TOTAL	1,50,67,665.96

SAINIK KALYAN VIBHAG
AMALGAMATED FUND FOR THE BENEFIT OF EX-SERVICMEN, JAIPUR
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED : 31.3.2003

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
9,78,750.00	To Financial Aid & Grant Widows & Ex-servicemen	15,74,584.00	18,32,248.00	By lag day Collection	3415199.75
	Flag Day Cont. to KSKB	2,20,000.00	83,83,334.27	Interest Reed on FDR & SB are with Bank & Public	
29,000.00	Flag Day Expenses	8,110.00		Sector understanding	
48,931.00	Repair of S.V.G.	80,571.00		Deposite (Actual)	
3,100.00	Audit fees	—	2800.00	Misc.	4834674.79
8,886.00	Telephone Expenses	17,116.00	1,45,424.00	Interest from various Sainik V. Grah	
19,662.00	Medical Aid	7,000.00		Bank Comission	
25,000.00	Marriage Aid	50,000.00	NIL	Bank Comission	68129.23
3,09,544.00	Rally Expenses	—	8,44,442.00	Rent Received from various S.V.G.	
4,200.00	Immediate Relief	2,100.00			
1.45,022.00	Funishing Expenses	20,500.00	NIL	Govt. of India for construction of S.V.G at Ganganagar	NIL
10,927.00	Miscellaneoue	22,838.00			
275.00	Locker Rent	275.00			
80.00	Bank Commission Exp. Of various S.V.Gs	19,52,631.00			NIL

Figures for the previous year	Expenditure	Figures for the current year	Figures for the previous year	Income	Figures for the current year
16,70,033.00	Salaries & Allow	19,52,031.00	2,10,000.00	State Govt. for purchased of Solar water heating	NIL
8,34,350.00	Office Expenses	8,32,086.00			
Nil	Cashier Allowance	883.00			5,80,000.00
2,400.00	Scholarship to Mentally Disabled Children	3600.00			
3,907.00	Censue Expenses	NIL			
85,093.00	Vocational Training Exp.	48,800.00			
14,402.00	Republic Day Exp.	NIL	5,500.00	Scholarship & Stipends various from various S.V. Grah.	NIL
1,07,200.00	Scholarship & Stipends	70,364.00			
70,32,283.00	Excess of Income over expenditure during the year	87,02,444.28			
1,13,33,749.00	TOTAL	1,16,35,821.28	1,13,33,749.40	TOTAL	1,16,35,821.28

कठूमर के ग्राम गोविन्दपुरा में सैक्टर रिफार्म योजनान्तर्गत आबंटित राशि

556. श्री रमेश खींची (कठुमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत कितनी राशि का आबंटन किस वर्ष में किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांव गोविन्दपुरा में लोगों द्वारा दिये गये जनसहयोग के बाद स्कीम स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम गोविन्दपुरा स्कीम की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है तथा उसका चैक द्वारा भुगतान भी किया गया था फिर चैक क्यों वापिस हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत आबंटित राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्राप्त राशि का विवरण	राशि प्राप्त करने का दिनांक	कुल प्राप्त राशि
1.	राजीव गांधी पेयजल मिशन से परियोजना की प्रथम किस्त	25.10.2000	11.22 करोड़
2.	राजीव गांधी पेयजल मिशन से परियोजना की द्वितीय किस्त	21.8.2003	11.22 करोड़
3.	जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सीकर से प्राप्त राशि	10.3.2004	0.75 करोड़
		कुल प्राप्त राशि	**23.19 करोड़**

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। स्वीकृति दिनांक 24.12.2003 को जारी हुई।

(3) जी हां। स्वीकृति उपरान्त योजना की प्रथम किस्त का चैक जारी किया गया था परन्तु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा शेष 5 प्रतिशत श्रमिक मद में कार्य करने का शपथ पत्र व अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त समिति को जारी चैक निरस्त कर दिया गया। सम्बन्धित ग्राम समिति द्वारा अब तक भी शपथ पत्र व अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

हैण्ड पम्पस में लगाये जा रहे पाइप

557. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हैण्ड पम्पस में 5 इन्च के पाइप लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से तथा किन आदेशों के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इससे पूर्व हैण्ड पम्पस में कितने इन्च के पाइप लगाये जाते थे तथा उससे विभाग को क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही थी?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) चार इन्च के पाइप के स्थान पर पांच इन्च के पाइप हैण्ड पम्पस में लगाने से अब तक सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह तकनीकी बिन्दु है एवं साइट कन्डीशन्स के अनुसार निर्णय लिया जाता है। ड्रिलिंग क्षेत्र द्वारा वर्ष 1980-81 से डी.टी.एच. कार्यों में 5 इन्च के पाइप उपयोग में लिये जा रहे हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) डी.टी.एच. प्रक्रिया से खुदने वाले हैण्ड पम्प में प्रारम्भ में 5" के पाइप प्रयोग किए जा रहे थे। रोटेरी प्रक्रिया से खुदने वाले हैण्ड पम्प में प्रारम्भ के वर्षों में 4" के पाइप प्रयोग किए गए। उस समय तुलनात्मक रूप से जल स्तर ऊपर था व बोर की गहराई भी 60 मीटर से अधिक नहीं थी। जल स्तर नीचे जाने के कारण व बोर की अधिक गहराई की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए साइट की आवश्यकता के अनुसार 5" पाइप का भी प्रयोग किया गया।

(3) जी नहीं। हैण्ड पम्प का कार्य तकनीकी अधिकारियों की देख-रेख में सम्पादित किया जाता रहा है। अत: अलग से विशेषज्ञों की समिति के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(4) राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा। प्रश्न के भाग 2 में वर्णित कारणों से भी यह स्पष्ट है। इस प्रकार कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) प्रश्न के भाग 4 के उत्तर के अनुसार आवश्यकता नहीं है।

डेगाना की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

558. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में उक्त योजनान्तर्गत कई कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से और कहां-कहां पर? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में उक्त कार्यक्रम में स्वीकृत 8 योजनाओं में से 6 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो गये हैं। 2 योजनाओं पर भूतल जलाशयों का निर्माण माह जुलाई, 2004 में पूर्ण हुआ है जिन्हें पाइप लाइन डालकर चालू करना शेष है। पाइप आपूर्ति प्रक्रिया में हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" में समाहित है।

(3) जी हां। डी.आर.डी.ए. से शेष राशि प्राप्त होने के बाद उक्त कार्य 2 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी शहर के मांगली नदी एनिकट से पेयजल आपूर्ति

559. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी शहर में पेयजल व्यवस्था हेतु मांगली नदी पर योजना का उदघाटन एवं शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो कब एवं यह योजना कितनी लागत की थी?

(2) मांगली नदी पेयजल -योजना के द्वितीय चरण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसके अन्तर्गत मांगली नदी से बूंदी शहर तक डाली गई पाईप लाइन से नियमित कितना पानी दिया जाना प्रस्तावित था?

(3) क्या यह सही है कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत बिछाई गई पाइप लाइन से नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) बूंदी शहर को इस समय कितने दिनों पश्चात् कितना पानी दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस योजना के लिये मांगली नदी पर एनीकट बनाने की स्वीकृति जारी कर एनीकट के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि सरकार ने चम्बल की नहर से उक्त एनिकट को पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसकी क्या लागत है और उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मांगली नदी से बूंदी की पेयजल परियोजना का शिलान्यास फरवरी, 1986 में किया गया था एवं योजना की लागत रुपये 56.00 लाख थी। इस योजना पर कोई औपचारिक उदघाटन नहीं हुआ।

(2) बूंदी शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना अनुमानित लागत रु. 429.75 लाख हेतु स्वीकृत हुई थी। इस योजना में मांगली नदी से बूंदी शहर तक बिछाई गई पाइप लाइन से 2740 किलोलीटर पानी प्रतिदिन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित था।

(3) जी नहीं।

(4) बूंदी शहर में जोन बांटकर एकांतरे जल वितरण किया जाता है। वर्तमान में वितरित जल का विवरण निम्न प्रकार है-

मांगली नदी से	5000 किलो लीटर प्रतिदिन
वर्तमान आबादी	92000 लगभग
सेवा स्तर	54 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
अतिरिक्त चालू हैण्डपम्प	140 नम्बर

(5) जी हां। मांगली नदी पर एनीकट निर्माण हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है किन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का कारण निविदा में सक्षम संवेदकों का भाग नहीं लेना था।

(6) जी हां। उक्त एनीकट को चम्बल की बायीं मुख्य नहर से भरने हेतु एक योजना का प्रारम्भिक प्रारूप विभाग द्वारा तैयार किया गया है। जिसके अनुसार लागत लगभग 614 लाख रुपये है। योजना वर्तमान में तकनीकी जांच के स्तर पर है। योजना तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर प्राथमिकता व धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति बाबत कार्यवाही सम्भव हो पावेगी।

मेघवालों की ढाणी (जैतारण) में ट्यूबवैल

560. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द राम चौहान)

क्या यह सही है कि सरकार मेघवालों की ढाणी जैतारण भादला में ट्यूबवैल लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। यह ढाणी भारत सरकार के निर्देशित कार्यक्रम 1996-97 के सर्वेक्षण के अन्तर्गत चिन्हित की गई ढाणी में सम्मिलित नहीं है।

मावली (उदयपुर) हेतु स्वच्छ पेयजल योजना

561. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भारत सरकार की "सबको स्वच्छ पेयजल" योजना जिसमें जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 1000 तक की आबादी में पीने के पानी के लिये नल योजना से जोड़ने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मावली जिला उदयपुर की कितनी योजना सरकार के पास स्वीकृति के लिये लम्बित हैं, लम्बित योजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जावेगा? विचाराधीन योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मावली जिला उदयपुर की कोई योजना राजस्थान वाटर सप्लाई व सीवरेज मैनेजमेन्ट बोर्ड के स्तर पर स्वीकृति निर्णय हेतु लम्बित नहीं है।

नाथड़ा फुलेता (बूंदी) ग्राम के नाकारा हैण्डपम्प

562. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नाथड़ा ग्राम पंचायत फुलेता, जिला बूंदी में पेयजल हेतु 2 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं तथा दोनों हैण्ड पम्प गहरे नहीं होने से सूखे हुए हैं? यदि हां, तो हैण्ड पम्प की गहराई तथा हैण्डपम्प खुदाई के लिये किये गये भुगतान और अधिकारियों द्वारा भरी गई एम.बी. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों को गहरा करवाकर अथवा अन्य तात्कालिक व्यवस्था करके ग्रामवासियों को पेयजल सुलभ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम नाथडा ग्राम पंचायत फुलेता, नैनवा जिला बूंदी में 7 हैण्ड पम्प विभाग द्वारा स्थापित किये गये। जिनमें से 3 हैण्ड पम्प चालू हैं। शेष में से 2 हैण्ड पम्प सूखे एक सीजनल एवं एक नकारा है। सूखे हुये हैण्ड पम्पों की गहराई निम्न प्रकार है :-

1.	बैरवा बस्ती (चमार बस्ती)	60 मीटर
2.	प्राथमिक पाठशाला	75 मीटर

माप पुस्तिका व भुगतान पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) ग्राम में मानक के अनुरूप पर्याप्त हैण्ड पम्प चालू हैं। माह मई-जून में पानी की बढ़ी हुई मांग की तात्कालिक पूर्ति हेतु टैंकरों से भी पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

(प्रति का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी की पेयजल योजनाएं

563. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की कुल कितनी पेयजल योजनाएं बन्द हैं?

(2) क्या सरकार इन्हें चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कौन-कौन से गांव एवं ढ़ाणी में कितने-कितने टैंकर पेयजल आपूर्ति में लगे हैं?

(4) वर्तमान में कौन-कौन से गांव टैंकर पेयजल सुविधा से वंचित हैं?

(5) सरकार अब इन गांवों में कब तक टैंकर से पेयजल व्यवस्था करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील बस्सी के सन्दर्भ में 5 पम्प व टैंक (ग्राम पंचायत द्वारा संधारित) योजनाएं बन्द हैं। इन योजनाओं पर मानक के अनुसार पर्याप्त हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील चाकसू के सन्दर्भ में कोई योजना बन्द नहीं है। क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं (ग्राम पंचायत द्वारा संधारित) के अन्तिम छोर के 8 गांवों में कम पेयजल उत्पादन के कारण पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन गांवों में भी हैण्ड पम्प चालू अवस्था में उपलब्ध हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पेयजल समस्या से प्रभावित ग्राम एवं ढाणियों में पेयजल परिवहन वर्तमान में चालू है।

(5) उपरोक्तानुसार।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बाली की बन्द पेयजल योजनाएं

564. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली की कुछ पेयजल योजनाएं आंशिक या पूर्ण रूप से बन्द हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाएं कब से एवं क्यों बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन योजनाओं को पुन: आरम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के 85 गांवों में से 2 गांवों (सोकड़ा व लालपुरा) की पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से चालू हैं। विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

प्रपत्र -"अ"

1. सोकड़ा

ग्राम सोकड़ा की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 725 है। ग्राम को वर्ष 1981 में परम्परागत जल स्त्रोत योजना के तहत लाभान्वित किया गया था। योजना ग्राम पंचायत द्वारा संघारित की जारी थी वर्ष 2001 में स्त्रोत में उत्पादन कम होने से कन्टीजेन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 नलकूप का निर्माण करवाया गया जो असफल रहा वर्ष 2002 में स्त्रोत से आवक नगण्य हो जाने से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 30.9.2002 से 20.7.2003 तक स्थानीय निजी कुआं किराये पर लेकर व्यवस्था की गई वर्ष 2002 में कन्टीजेन्सी कार्यक्रम के तहत 2 हैण्ड पम्प का निर्माण करवाया गया। कुल 4 हैण्ड पम्प वर्तमान में चालू हैं। जो विभागीय मापदण्डों के अनुसार 2001 की आबादी 725 के लिए पर्याप्त है एक हैण्ड पम्प में पानी की मात्रा अधिक होने से ग्रामवासियों द्वारा जन सहयोग से सिंगल फेज सबमर्सीबल पम्पसेट लगाकर चालू किया गया जो वर्तमान में कार्य कर रहा है और पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

कार्यशील हैण्ड पम्प

1. भागली रोड 2. राजपूतों की पोल 3. आंगनबाड़ी के पास 4. दुकान के पास

वर्ष 2003-04 में कन्टीजेन्सी योजना सोकडा-चाकलाई. रानी को स्वीकृति 479 जी.एफ.सी. दिनांक 2.7.2003 द्वारा रुपये 9.88 लाख जारी की गई। योजना हेतु

नलकूप ग्राम बोया में प्रस्तावित किया गया परन्तु बोया के ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण वैधन नहीं करवाया जा सका। प्रयास किए जा रहे हैं।

2. लालपुरा

लालपुरा ग्राम की 2001 के अनुसार जनसंख्या 704 है। ग्राम को वर्ष 1982 में हैण्ड पम्प योजना के तहत लाभान्वित किया गया था एवं 2 हैण्ड पम्पों का निर्माण करवाया था। समय-समय पर कन्टींजेन्सी योजना के तहत खुदवाये गये हैण्ड पम्पों सहित वर्तमान में कुल 5 हैण्ड पम्प चल रहे हैं। ए.आर.पी. के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में विस्तार योजना लालपुरा, चिमनपुरा, चामुण्डेरी स्त्रोत को लेकर बनाई गई थी। स्वीकृत करवाकर पाइप लाइन डाली गई एवं भूतल जलाशय का निर्माण करवाया गया परन्तु लगातार अकाल के कारण चामुण्डेरी ग्राम के जल स्रोत में पानी की कमी हो गई इस कारण केवल चिमनपुरा ग्राम को ही इन जल स्रोतों से पेयजल सप्लाई किया गया। आपातकालीन योजना के तहत माह दिसम्बर, 2002 में लालपुरा ग्राम में एक ट्यूब वैल खुदवाया गया जो कि असफल रहा। माह फरवरी, 2003 में एक ट्यूब वैल में हाइड्रोफ्रैक्चरिंग करवाई गई लेकिन वो भी असफल रही अतः इसे अन्य स्त्रोत/ योजना से लाभान्वित करने हेतु योजना प्रस्तावित की जा रही है। वर्तमान में लालपुरा में कुल 5 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं जो कि निम्न स्थानों पर हैं एवं विभागीय मापदण्डों के अनुसार 2001 की आबादी 704 हेतु पर्याप्त है।

कार्यशील हैण्ड पम्प रेबारी बास, स्कूल के पास, एनीकट वाला 1, एनीकट वाला 2, वरकण माता मन्दिर।

तारानगर एवं राजगढ़ (चूरू) तहसील की शिक्षण संस्थाओं में पेयजल कनेक्शन

565. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिन शिक्षण संस्थाओं से पानी की लाइन 200 मीटर के दायरे में है तथा पी.एम.सी. से जुड़े हुए नहीं है उन विद्यालयों में आपणी योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क पानी कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है?

(2) यदि हां, तो जिला चूरू की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में किन-किन शिक्षण संस्थाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

चौमूं के नाकारा हैण्ड पम्पस

566. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में विगत 5 वर्षों में पेयजल समस्या समाधान हेतु कितने हैण्ड पम्प लगाये गए तथा कितने ट्यूब वैल खोदे गए?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिन हैण्ड पम्पों में पानी सूख चुका है उन्हीं स्थानों पर नया हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वित्तीय वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-2004 में निर्मित किये गये हैण्ड पम्प एवं नलकूपों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	निर्मित	
	हैण्ड पम्प	नलकूप
1999-2000	36	04
2000-2001	109	16
2001-2002	53	06
2002-2003	113	20
2003-2004	94	22
कुल	405	68

(2) जी हां। स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र की 46 हैण्ड पम्प योजनाओं में मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त हैण्ड पम्प हैं। इस प्रकार वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वर्तमान पेयजल समस्या हेतु निर्माणाधीन योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत माह/वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	कार्यों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	संवर्धन जल योजना चौमूं-फेज प्रथम	फरवरी, 2004	69.97	तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया में।
2.	ग्रीष्म संवर्धन योजना वर्ष 2004 में चौमूं विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत नलकूप व पाइप लाइन (2 शहर व 6 ग्रामीण)	फरवरी व जून, 2004	34.50	अ-2 नलकूप चौमूं शहर के चालू ब– 3 ग्रामीण क्षेत्र के नलकूप चालू। स-1 नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण। विद्युत सम्बन्ध बाकी। द-2 नलकूप का कार्यभार ड्रिलिंग खण्ड को आबंटित है। कार्य अभी होना है।
3.	ग्रीष्म संवर्धन योजना वर्ष 2004 में चौमूं विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प (46 नग)	फरवरी व जून, 2004	23.00	अ-15 हैण्ड पम्प चालू। ब– 15 हैण्ड पम्प का वेधन कार्य पूर्ण। स-शेष 16 नलकूपों का निर्माण कार्य बाकी।
4.	प्रधानमंत्री घोषणा के तहत विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्वीकृत हैण्ड पम्प (29 नग)	फरवरी, 2004	14.50	अ-27 हैण्ड पम्प निर्माण उपरान्त चालू कर दिये गये हैं। ब-शेष 2 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
5.	प्रधानमंत्री घोषणा के तहत जन सहयोग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्वीकृत हैण्ड पम्प (21 नग)	फरवरी. 2004	10.50	अ-20 हैण्ड पम्प निर्माण उपरान्त चालू कर दिये गये हैं। ब-शेष 1 हैण्ड पम्प का निर्माण स्थान में विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका है।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं वर्तमान में पेयजल समस्या के समाधान हेतु सेक्टर रिफोर्म/ स्वजलधारा में निर्माणाधीन योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत माह/वर्ष	स्वीकृत राशि लाखों में	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	चीथवाड़ी	6/2002	9.10	2 नलकूपों का निर्माण कर दिया गया है जिसमें से 1 नलकूप चालू।
2.	जैतपुरा	9/2002	7.17	नलकूपों का निर्माण हो चुका है।
3.	लोहरवाड़ा	8/2003	8.97	नलकूप एवं हैण्ड पम्प लग चुके हैं।
4.	नृसिंहपुरा	9/2002	11.04	नलकूप एवं पाइप लाइन डालकर लाभान्वित कर दिया गया है। उच्च जलाशय का कार्य बाकी है।
5.	तिगरिया	7/2002	9.98	नलकूप खोदा जा चुका है। भूतल जलाशय कार्य बाकी है।
6.	बरवाड़ा	8/2003	10.74	नलकूपों का निर्माण कर दिया गया है।
7.	अमरपुरा	1/2004	4.00	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
8.	बागा का बास	1/2004	3.50	नलकूप खोदे जा चुके हैं।

1	2	3	4	5
9.	बलेखण्ड	1/2004	4.00	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
10.	चारणवास	1/2004	4.00	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
11.	छोटागुढा	1/2004	3.50	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
12.	गुडलिया	1/2004	7.00	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
13.	खन्नीपुरा	1/2004	3.50	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
14.	मालेरा	1/2004	3.50	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
15.	मण्डा भिन्डा	1/2004	7.00	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
16.	नांगल गोविन्द	1/2004	3.50	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
17.	विजयसिंहपुरा	1/2004	7.00	नलकूप खोदे जा चुके हैं।
18.	आलीसर	2/2004	8.00	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
19.	आष्टीकलां	2/2004	13.70	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
20.	चिमनपुरा	2/2004	4.00	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
21.	डहरा	2/2004	4.50	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
22.	देवपुरा	2/2004	4.00	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
23.	डोला का बास	2/2004	3.70	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
24.	गुआरडी	2/2004	4.00	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
25.	जयसिंहपुरा	2/2004	4.00	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
26.	कालू का बास	2/2004	4.10	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
27.	कानपुरा	2/2004	7.00	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
28.	दम्भा का बास	2/2004	3.60	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
29.	कुशलपुरा	2/2004	4.50	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
30.	नांगलभरडा	2/2004	3.70	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।

1	2	3	4	5
31.	रायसिंह का बास	2/2004	5.30	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।
32.	समरपुरा	2/2004	3.80	तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी।

इसके अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में सैक्टर रिफार्म/स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत 10 योजनाएं पूर्ण कर ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी को संधारण हेतु हस्तान्तरित कर दी गई है।

खेतड़ी के अपूर्ण हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल

567. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में गत पांच वर्षों में कितने हैण्ड पम्प एवं ट्यूबवैल किस-किस स्थान पर स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ हैण्ड पम्प एवं ट्यूबवैल बन्द हो चुके हैं या कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची मय स्थान सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने एवं बन्द हैण्ड पम्पों एवं ट्यूबवैलों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में गत 5 वर्षों में स्वीकृत हैण्ड पम्प व नलकूपों की विगत निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हैण्डपम्प	नलकूप
1999-2000	41	4
2000-2001	189	6
2001-2002	59	4
2002-2003	91	47
2003-2004	136	14
योग	**516**	**75**

स्थानवार सूची (परिशिष्ट "अ") पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) हैण्ड पम्प (स्वीकृत 516) की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

स्वीकृत वर्ष	ड्रिलिंग के समय सूखे/ कोलेप्स असफल	वर्तमान में कार्य करवाना	जल स्तर नीचे जाने से बन्द	शेष	वर्तमान में चालू
1999-2000	0	0	0		41
2000-2001	0	10	19		160
2001-2002	2	4	0		53
2002-2003	0	1	1 (रास्ता उपलब्ध नहीं)		89
2003-2004	3	0	13		120
योग	**5**	**15**	**33**		**463**

नलकूप (स्वीकृत 75) की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

स्वीकृति वर्ष	ड्रिलिंग में असफल	वर्तमान में कार्य प्रगति	जल स्तर में नीचे जाने से बन्द	वर्तमान में चालू
1999-2000	1	1	0	2
2000-2001	0	0	0	6
2001-2002	0	1	1 (ड्रिलिंग हो गई कमीशनींग शेष)	2
2002-2003	1	1	1	44
2003-2004	0	0	4 (ड्रिलिंग हो गई कमीशनींग शेष)	10
योग	**2**	**3**	**6**	**64**

स्थानवार सूची (परिशिष्ट "ब") पर संलग्न है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। लक्ष्य निम्न प्रकार है :-

<u>हैण्ड पम्प</u>-33 हैण्ड पम्प बोल्डर एरिया में बनने शेष हैं। इनको इसी वर्ष में बनवाना लक्षित है।

नलकूप-

3 नलकूप– 3/2005 तक (संजंयनगर)

3 नलकूप– विद्युत सम्बन्ध होने के बाद एक माह में।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सराड़ा के फ्लोराइडयुक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

568. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराडा के गांवों में फ्लोरोसिस का प्रभाव है? यदि हां, तो किस-किस में कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के कुल 171 गांव में से 103 गांव के भूजल में फ्लोराइड मात्रा मानक (1.5 पी.पी.एम.) से अधिक है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। फ्लोरोसिस के बाबत विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) 4 गांवों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। इस समस्या के निदान हेतु कार्य चरणबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है। प्रथम चरण में निम्न प्रकार योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है-

-जावद-अदवास योजना		-7 गांव

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

-सोमकमला बांध से प्रस्तावित -25 गांव

-डाया बांध से प्रस्तावित -23 गांव

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वच्छ परियोजना द्वारा क्षेत्र के 7 गांवों (केजड़, सेमारी, गतोडा, करणपूरिया, सुरखण्ड खेडा, लालपुरिया व लुहारिया) को जन चेतना जगाने बाबत कार्यक्रम में चयन किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के गांवों में पेयजल व्यवस्था का विवरण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	फ्लोराइड की मात्रा (पीपीएम)	स्वीकृत/प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
1.	सराडा	गातोड	46	2458	2.4	जयसमन्द से वीरपुरा योजना से लाभान्वित वर्ष 2001-2002 में
2.	सराडा	कन्तोडा	43	1356	2.2	जयसमन्द से वीरपुरा योजना से लाभान्वित वर्ष 2001-2002 में
3.	सराडा	करोडिया	39	584	2	शहरी योजना सलूम्बर से लाभान्वित
4.	सराडा	रेंटगुडिया	40	421	2	शहरी योजना सलूम्बर से लाभान्वित
5.	सराडा	सेमाल	36	1193	2.4	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत
6.	सराडा	भारिया	25	520	2.2	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत
7.	सराडा	जावद	26	3214	2.2	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
8.	सराडा	जूनी झर	28	749	2.2	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत
9.	सराडा	नईश्वर	29	1149	2.2	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत
10.	सराडा	अदवास	24	3799	2	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत
11.	सराडा	मगरावाली थोरी	35	788	2	जावद-अदवास योजना में स्वीकृत
12.	सराडा	रठोडा	151	1494	5.4	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
13.	सराडा	लुहारिया	153	314	5.4	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
14.	सराडा	सगतपुर	152	701	4.7	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
15.	सराडा	बडावली	134	2178	4.2	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
16.	सराडा	ढाणी सेपुर	103	1034	3.8	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
17.	सराडा	भीमपुर	130	439	3.7	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
18.	सराडा	गुडियावाडा	136	313	3.7	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
19.	सराडा	चन्दोडा	137	679	3.7	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
20.	सराडा	कूराडिया	126	372	3.5	सोमकमला बांध से प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
21.	सराडा	इंटाली	155	2640	3.5	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
22.	सराडा	जाम्बूडा	150	1254	3.2	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
23.	सराडा	जोधपूरिया	138	434	2.9	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
24.	सराडा	सेमारी	128	4801	2.8	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
25.	सराडा	नीमडी	131	686	2.6	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
26.	सराडा	जालमपुरा	118	122	2.4	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
27.	सराडा	जगतपूरा	127	117	2.3	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
28.	सराडा	सीपुर	104	658	2.2	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
29.	सराडा	गोपालपूरिया	106	358	2.2	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
30.	सराडा	नीचला गुढा	133	285	2.2	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
31.	सराडा	उपला गुढा	132	148	1.9	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
32.	सराडा	जूनपूरिया	107	158	1.8	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
33.	सराडा	यामपुरा-सेमारी	129	615	1.8	सोमकमला बांध से प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
35.	सराडा	दर्जनपूरा	139	368	1.8	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
35.	सराडा	नारायणपूरिया	117	292	1.6	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
36.	सराडा	मालर	122	231	1.6	सोमकमला बांध से प्रस्तावित
37.	सराडा	कच्छोटा	96	318	6.2	डाया बांध से प्रस्तावित
38.	सराडा	सर्सिधा	54	1596	6	डाया बांध से प्रस्तावित
39.	सराडा	बणा	79	645	6	डाया बांध से प्रस्तावित
40.	सराडा	चावण्ड	80	4206	5.5	डाया बांध से प्रस्तावित
41.	सराडा	केजड	78	2494	5	डाया बांध से प्रस्तावित
42.	सराडा	बाणा खुर्द	98	975	4.5	डाया बांध से प्रस्तावित
43.	सराडा	थाणा	64	328	4.2	डाया बांध से प्रस्तावित
44.	सराडा	डायली	62	1148	4	डाया बांध से प्रस्तावित
45.	सराडा	ढाकरडा	97	1033	4	डाया बांध से प्रस्तावित
46.	सराडा	बेजपुरा	69	498	3.7	डाया बांध से प्रस्तावित
47.	सराडा	उदयपुरिया जागीर	71	488	3	डाया बांध से प्रस्तावित
48.	सराडा	सगतडा	77	1847	3	डाया बांध से प्रस्तावित
49.	सराडा	कातनवाडा	81	935	3	डाया बांध से प्रस्तावित
50.	सराडा	उदयपुरिया खालसा	70	254	2.9	डाया बांध से प्रस्तावित
51.	सराडा	सुरखण्ड खेडा	109	2264	2.6	डाया बांध से प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6	7
52.	सराडा	माल सेपुर	112	1492	2.6	डाया बांध से प्रस्तावित
53.	सराडा	छाणी	83	382	2.5	डाया बांध से प्रस्तावित
54.	सराडा	बेहुती	72	592	2.4	डाया बांध से प्रस्तावित
55.	सराडा	नावडा	100	1138	2.4	डाया बांध से प्रस्तावित
56.	सराडा	नीमच	95	400	2.3	डाया बांध से प्रस्तावित
57.	सराडा	लालपूरा-धाणा	63	455	2.2	डाया बांध से प्रस्तावित
58.	सराडा	निम्बोदा	92	349	2.2	डाया बांध से प्रस्तावित
59.	सराडा	सराडा	94	3169	2.2	डाया बांध से प्रस्तावित
60.	सराडा	महूडी	49	408	6	
61.	सराडा	सल्लाडा	73	4170	6	
62.	सराडा	महुवाडा	14	1272	4	
63.	सराडा	नाल अलंकार	84	1169	4	
64.	सराडा	परसाद	85	3767	4	
65.	सराडा	खड	149	642	3.2	
66.	सराडा	नठारा	55	4885	3	
67.	सराडा	ओडा-रठोडा	154	578	2.8	
68.	सराडा	अम्बाला	61	600	2.7	
69.	सराडा	माण्डवा	82	730	2.7	
70.	सराडा	बूटवास ...	45	807	2.6	
71.	सराडा	खरबर चक	89	3415	2.6	
72.	सराडा	बलुआ	113	3793	2.6	
73.	सराडा	वली	142	467	2.6	

1	2	3	4	5	6	7
74.	सराडा	झाडोल	67	4836	2.5	
75.	सराडा	कूण्डा	144	1805	2.3	
76.	सराडा	धावडिया	16	675	2.2	
77.	सराडा	खेरकी	60	976	2.2	
78.	सराडा	खेरवा	135	265	2.2	
79.	सराडा	टोकर	146	5566	2.2	
80.	सराडा	डाकन बावडी	91	171	2.1	
81.	सराडा	करनपूरिया	124	439	2.1	
82.	सराडा	नला	एनआर वी	1345	2.1	
83.	सराडा	पाडला	11	2391	2	
84.	सराडा	गामडी	47	932	2	
85.	सराडा	पाल सराडा	111	2187	2	
86.	सराडा	सरकडी	115	3902	2	
87.	सराडा	खरड	120	937	2	
88.	सराडा	बोरी	140	99	2	
89.	सराडा	शक्तावतों का गुडा	147	1826	2	
90.	सराडा	भोराई	148	2957	2	
91.	सराडा	अम्बारा	116	370	1.9	
92.	सराडा	डेलवास	57	1448	1.8	
93.	सराडा	पडतालिया	101	71	1.8	
94.	सराडा	मल्लाडा	105	1055	1.8	

1	2	3	4	5	6	7
95.	सराडा	कोलर	110	460	1.8	
96.	सराडा	सैंथल	119	386	1.8	
97.	सराडा	गींगचीखेड़ा	18	198	1.7	
98.	सराडा	देवपुरा	13	2975	1.6	
99.	सराडा	जरीयाना	19	354	1.6	
100.	सराडा	खोडी महुडी	59	1030	1.6	
101.	सराडा	मून्डला	65	450	1.6	
102.	सराडा	धनकावाड़ा	114	4252	1.6	
103.	सराडा	घोडासर	145	1993	1.6	

सूजरगढ़ के गांवों हेतु पेयजल आपूर्ति

569. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम सिंघाना, ढाणी भालोठचूडीना, कांकडा, खानपुर महराना, सागा, कलाखरी, डूमोली खुर्द आदि गांवों में भूजल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण पानी की भारी किल्लत है? यदि हां, तो उक्त वर्णित गांवों में पीने के पानी के लिये सरकार क्या व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भूजल स्तर नीचे जाने के कारण समस्या आनी सम्भावित थी। विभाग द्वारा की गई व्यवस्था, वर्तमान स्थिति व निर्माणाधीन कार्यों की प्रश्न में वर्णित 9 गांवों के सन्दर्भ में विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार	सर्विस लेवल (एलपीसीडी)	हैण्डपम्प		परिवहन द्वारा पेयजल (के.एल.डी.)	वर्तमान में निर्माणाधीन कार्य	टिप्पणी
						कुल	चालू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिंघाना	143	13636	पाइप्ड	34	32	30	—	मुरादपुर में 8 नलकूप निर्मित। राइजिंगमैन 7 कि.मी. में से 6 कि.मी. डाल दी गई। अब ग्रामवासियों द्वारा विवाद जिसको सुलझाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ढाणी भालोठ	101	1615	जनता जल योजना	24	1	1	—	—	भूजल वैज्ञानिक से नये स्त्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।
3.	चूड़ीना	104	1701	जनता जल योजना	32	0	0	8	1 नलकूप तैयार। विद्युत कनेक्शन लेकर 15.8.2004 तक चालू करना लक्षित	—
4.	खान्दवा	86	2279	पाइप्ड	67	0	0	—	—	वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।
5.	खानपुर	76	1462	जनता जल योजना	29	1	1	—	—	भूजल वैज्ञानिक से नए स्त्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।
6.	मेहराणा	77	1226	जनता जल योजना	35	1	1	—	—	भूजल वैज्ञानिक से नए स्त्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	सागा	45	1774	जनता जल योजना	9	0	0	16	एक नलकूप स्वीकृत प्राथमिकता पर बनाना लक्षित।	—
8.	कलाखरी	46	1735	जनता जल योजना	45	2	2	—	—	वर्तमान परिप्रेक्ष में समस्या नहीं है।
9.	इमोलीखुर्द	112	3728	जनता जल योजना	10	25	15	16	1 नलकूप तैयार 1 विद्युत कनेक्शन लेकर 15.8.2004 तक चालू करना लक्षित।	—

दूदू के नाकारा हैण्डपम्प व ट्यूबवैल

570. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिसम्बर, 1998 से 1 दिसम्बर, 2003 तक जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र दूदू में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कार्यवार व ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की सरकार की कोई कार्य योजना नही हैं? यदि हां, तो अब तक कार्य योजना क्यों नहीं बनायी गयी और अब कब तक बना दी जायेगी?

(3) उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्ष में कितने हैण्डपम्प व ट्यूबवैल परितक्त्य घोषित किये गये है? उनके बदले में अब तक कितने हैण्डपम्प व ट्यूबवैल कहां-कहां पर लगाये जा चुके है तथा कितनों की स्वीकृति शेष है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कितने हैण्डपम्प व ट्यूबवैल विधान सभा क्षेत्र दूदू में नाकारा हैं जिन्हें अब बन्द घोषित किया जाना हैं? इनको कब तक बन्द घोषित कर इनके स्थान पर नये ट्यूबवैल लगाने का सरकार कब तक विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में दिसम्बर, 1998 से 1 दिसम्बर, 2003 तक विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि का कार्यवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कोई भी ट्यूबवैल परित्यक्त घोषित नहीं किया गया। 385 हैण्डपम्प गत 5 वर्षों में परित्यक्त घोषित किये गये है। परित्यक्त घोषित हैण्डपम्पों के स्थान पर 83 नये हैण्डपम्प लगाये जा चुके है। शेष 302 परित्यक्त हैण्डपम्पों में से 251 हैण्डपम्पों के स्थान पर मापदण्ड के अनुसार इनकी

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आवश्यकता नहीं है। शेष 51 परित्यक्त हैण्डपम्प के स्थान पर प्राथमिकता. लागू मापदण्ड व धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति व क्रियान्वयन सम्भव होगा। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में 24 हैण्डपम्प नकारा है जिन्हें अब परित्यक्त घोषित किया जाना है। इनको परित्यक्त घोषित करने की प्रक्रिया (यथा सर्वे रिपोर्ट, चैकिंग कार्य) चालू है। इन 24 नकारा हैण्डपम्पों में से 22 हैण्डपम्पों के स्थान पर मापदण्ड के अनुसार आवश्यकता नहीं है। शेष 2 नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर प्राथमिकता, लागू मानदण्ड व धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति व क्रियान्वयन सम्भव होगा। सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में नहरी/राजस्व पटवारियों का पदस्थापन

571. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में श्री गंगानगर/हनुमानगढ़ जिलों में कितने नहरी/राजस्व पटवारियों/जिलेदारों का स्थानान्तरण अन्य जिले में कब-कब व कहां-कहां किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में नहरी पटवारियों/जिलेदारों के पद समाप्त किये गये थे, यदि हां, तो क्यों? सरकार समाप्त किये गये पदों पर पुन: पदस्थापन की स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में गत पांच वर्षों में नहरी/राजस्व पटवारियों एवं जिलेदारों के स्थानान्तरण इस प्रकार किये गये हैं :-

जिला श्रीगंगानगर से गत पांच वर्षों में कुल 37 राजस्व पटवारियों के स्थानान्तरण अन्य जिले में किये गये, विवरण निम्नानुसार है

(राजस्व मंत्री)

वर्ष	स्थानान्तरित पटवारियों की संख्या	जिला जिसमें स्थानान्तरित किया गया
1999	2	जैसलमेर-2
2000	12	हनुमानगढ़-5 बीकानेर-4 चूरू-2 दौसा-1
2001	11	हनुमानगढ़-4 बीकानेर-1 चूरू-3 अलवर-1 टोंक-1 सवाईमाधोपुर-1
2002	3	नागौर-1 बीकानेर-1 चूरू-1
2003	5	बीकानेर-1 चूरू-1 जैसलमेर-1 सीकर-2
2004	—	—

इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल, अजमेर ने उनके पत्रांक राम/भू.अ./ई-3/99-पार्ट/5735 दिनांक 19.7.2003 के द्वारा जिलों के चार पटवारियों का स्थानान्तरण अन्य जिलों में किया गया।

जिला हनुमानगढ़ से गत पांच वर्षों में कुल 15 राजस्व पटवारियों के स्थानान्तरण अन्य जिलों में किये गये, विवरण निम्नानुसार है :-

(राजस्व मंत्री)

वर्ष	स्थानान्तरित पटवारियों की संख्या	जिला जिसमें स्थानान्तरित किया गया
2002	7	श्रीगंगानगर-4 चूरू-1 बीकानेर-1 जैसलमेर-1
2003	8	झुन्झुनूं-4 बीकानेर-3 जयपुर-1 सीकर-2

सिंचाई पटवारियों/जिलेदारों के सिंचाई विभाग से सरप्लस होने के बाद समावेलयन :-

राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(9)साप्र/3/01 दिनांक 13.2.2002 की पालना में विभिन्न जिलों से सिंचाई पटवारियों/जिलेदारों को भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जिले का नाम	जिला जिसमें पटवारियों को स्थानान्तरित किया गया	जिला जिसमें जिलेदारों को स्थानान्तरित किया गया
गंगानगर	चूरू 63 पाली 49 जैसलमेर 28 बाडमेर9	बीकानेर 3 चूरू 0 झुन्झुनूं 0
	योग:-149	**योग:-3**
हनुमानगढ़	झुन्झुनूं 26 सीकर 29 जोधपुर 73 बाड़मेर 60	बीकानेर-13 जयपुर-1 सीकर-3
	योग: 188	**योग : 17**

(राजस्व मंत्री)

(2) यद्यपि सिंचाई विभाग ने नहरी पटवारी के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं थे, बल्कि सिंचाई पटवारी के नाम से पद स्वीकृत थे। सिंचाई विभाग के आदेश क्रमांक प.1(10)सिंचाई/99 दिनांक 26.9.2001 के द्वारा 1.10.2001 से सिंचाई पटवारियों के 1,315 व जिलेदार के 68 पद सिंचाई विभाग द्वारा समाप्त किये गये थे।

सिंचाई शुल्क व राजस्व वसूली दोनों कार्य एक ही पटवारी द्वारा सम्पादित किये जाये जिससे राजकोष में मितव्ययता के साथ-साथ कार्य अधिक सुचारू रूप से व सुगमता से हो सकेगा, को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सिंचाई पटवारी एवं जिलेदारों के पद सिंचाई विभाग द्वारा समाप्त किये जाकर राजस्व विभाग में इन पदों को समावेलयन किया गया। लगभग 640 सिंचाई पटवारियों को राजस्व विभाग से वापिस लिया जाकर भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों की सुविधा हेतु सड़क निर्माण

572. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार इस वर्ष सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्तकारों की सुविधा हेतु सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कहां-कहां होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में 50 प्रतिशत पैसा भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का हिस्सा होता है? क्या सरकार इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जल संसाधन विभाग भारत सरकार के नये निर्देशों में सड़क निर्माण कार्यों को सिंचित क्षेत्र विकास में सम्मिलित नहीं किया है।

(2) जी नहीं। अभी कोई योजना ही नहीं है।

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र निवाई (टोंक) में आवश्यक सुविधाएं

573. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निवाई (टोंक) स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सकों, वरिष्ठ चिकित्सक व विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इन पर कौन-कौन चिकित्सक कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्र पर स्त्री रोग विशेषज्ञ व दन्त चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो ये पद कब तक स्वीकृत कर दिये जाएंगे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में नेत्र विशेषज्ञ का पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो इस पद पर स्वीकृति के उपरान्त कौन-कौन चिकित्सक कितनी-कितनी अवधि के लिए कार्यरत रहे और वर्तमान में यह पद कब से रिक्त है? अब इस पद को सरकार कब तक भरने का विचार रखती हैं?

(4) उक्त चिकित्सालय में मरीजों को क्या-क्या जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उनके लिए कौन-कौन से उपकरण लगे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त उपकरणों में कौन-कौन से उपकरण कब से खराब हैं? इन्हें अब तक ठीक नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे और अब कब तक ठीक करा दिये जायेंगे?

(6) क्या यह सही है कि निवाई के उक्त सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु आपरेशन थियेटर व भवन की व्यवस्था नगरपालिका/जनसहयोग से की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सा केन्द्र को रेफरल अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, निवाई (टोंक) में चिकित्सकों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व विशेषज्ञ के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) पी.पी. सेंटर भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का पद समाप्त कर दिया गया है। दन्त चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के रिक्त पद पर डा. सिद्देश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी एम.एस. (नेत्र रोग) को दिनांक 11.7.2004 को पदस्थापन किया जा चुका है।

(4) सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, निवाई में मरीजों को एक्सरे, ई.सी.जी. व लैब सम्बन्धी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध है। इन सुविधाओं के लिए एक्सरे मशीन, ई.सी.जी. मशीन व माइक्रोस्कोप तथा अन्य जांच सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध है।

(5) सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, निवाई में उपलब्ध समस्त उपकरण सही हालत में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(6) जी हां। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, निवाई में 30 शैय्याएं स्वीकृत है। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र का दूसरा नाम ही रेफरल अस्पताल होता है। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, निवाई के लिए रिनोवेशन, आल्ट्रेशन व मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए राशि रुपये 38.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र निवाई (टोंक) में चिकित्सों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व विशेषज्ञ के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम		अस्पताल का नाम	विशेषज्ञता	स्वीकृत	चिकित्सक का नाम	चिकित्सक का पदनाम	कब से कार्यरत है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		कनिष्ठ विशेषज्ञ	मेडिसिन	1	के.सी. गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	31.01.1999
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		कनिष्ठ विशेषज्ञ	नेत्र रोग	1	सिद्देश गर्ग	चिकित्सा अधिकारी	11.07.2004
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		कनिष्ठ विशेषज्ञ	सर्जरी	1	देवेन्द्र स्वर्णकार	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	27.03.1996
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी		1	हमीद हुसैन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	27.03.1996
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		चिकित्सा अधिकारी		2	दुलीचन्द जोनवाल	चिकित्सा अधिकारी	09.07.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		चिकित्सा अधिकारी			कृष्णकान्त विजय	चिकित्सा अधिकारी	18.07.2003
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	चिकित्सा अधिकारी	एफ	1	अशोक प्रकाश यादव	चिकित्सा अधिकारी	6.11.2002
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	पी.पी. सेन्टर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	गायनी		किशनलाल मीणा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	22.2.2003
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	पी.पी. सेन्टर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	पैथोलोजी		पद समाप्त		11.7.2004

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौंली (सवाईमाधोपुर) के भवन मरम्मत की जांच

574. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौंली (सवाईमाधोपुर) के भवन की मरम्मत एवं विकास हेतु आई.पी.डी. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रुपये 3,69,000/- में से दो लाख रुपये से अधिक राशि का गोलमाल किये जाने की जांच हेतु लिखा गया था?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उसके आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौंली पर ई.ओ.सी. सेवाओं के सुदृढ़िकरण हेतु रिपेयर रिनोवेशन कार्य के लिए रुपये 3,69,000/- स्वीकृत किये थे। आई.पी.डी. परियोजना से पंचायत समिति बौंली को यह राशि निम्न प्रकार हस्तान्तरित की गई थी :-

1. दिनांक 25.11.2000 को रु. 1.00 लाख।
2. दिनांक 18.12.2000 को रु. 2.26 लाख।
3. दिनांक 30.12.2000 को रु. 0.43 लाख।

उक्त राशि में से पंचायत समिति बौंली द्वारा रुपये 3,38,570/- का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया जिसे दिनांक 31.12.2002 को आई.पी.डी. के लेखों में समायोजित कर लिया गया। शेष राशि प्रभारी, आई.पी.डी.. सवाईमाधोपुर को 7.7.2002 को प्राप्त हो चुकी है। रुपये 3,69,000/- में से 2,00,000/- से अधिक राशि का गोलमाल किये जाने की ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है. तथा इस मामले में कोई जांच जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां नहीं चल रही है।

(2) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई गई और न ही अपेक्षित है।

सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा नेत्र प्रत्यारोपण

575. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2004 से आज तक नेत्र बैंक के माध्यम से कितनी आंखें दानदाताओं, द्वारा नेत्र विभाग सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्राप्त हुई? सूची मय दानदाता के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) दानदाताओं से प्राप्त उक्त नेत्र किन-किन व्यक्तियों को कब-कब आपरेशन के जरिये प्रत्यारोपित की गई? इनमें से कितने मरीजों को दृष्टि लाभ प्राप्त हुआ और कितनों को दृष्टि लाभ प्राप्त नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नेत्र प्रत्यारोपित करने से पूर्व नेत्र की किस-किस प्रकार की जांच की जाती है क्या नेत्र प्रत्यारोपित से पूर्व ई.आर.जी. और टीश्यू मैचिंग जैसी जांच भी की जाती है? यदि हां, तो पिछले 6 माह में किन-किन मरीजों की कौन-कौन सी जांच की गई? उक्त सभी मरीजों की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से आज तक नेत्र बैंक के माध्यम से 58 दानदाताओं द्वारा 114 आंखें नेत्र विभाग, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्राप्त हुई। दानदाताओं की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जनवरी, 2004 से आज तक 59 व्यक्तियों के नेत्र प्रत्यारोपित किये गये। यह प्रत्यारोपण आापरेशन, आंखदान करने के 24 घंटे के अन्दर कर दिया जाता है। आपरेशन के उपरान्त सभी मरीजों को दृष्टि लाभ हुआ, वैसे पूर्ण दृष्टि लाभ की वस्तुस्थिति का पता आपरेशन से छह से नौ माह के बाद आंका जा सकता है। आई बैंक एसोसिएशन आफ इण्डिया (I.B.A.I., India) एवं ओरगन ट्रांसप्लांट एक्ट के नार्म्स के तहत प्राप्तकर्ता मरीज का नाम गोपनीय रखा जाता है।

(3) नेत्र प्रत्यारोपण से पूर्व मरीज की सामान्य जांचों के अतिरिक्त एड्स के लिए HIV, पीलिया के लिए Hbs Ag, सिफलिस के लिये VDRL की जांच भी कराई जाती है। प्राप्त आंख की गुणवत्ता जांचने के लिये Slitlamp Mircroscopic के द्वारा जांच की जाती है। प्राप्तकर्ता मरीज के नेत्र की पूणर्त जांच की जाती है, जिसमें Slitlamp, Funds की जांच तथा सोनोग्राफी एवं काले पानी की जांच की जाती है। सामान्यतया ई.आर.जी. एवं टिश्यू मैचिंग की उपयोगिता नहीं होने के कारण उक्त दोनों जांचें नहीं की जाती है। सभी मरीजों की जांच रिपोर्ट उनके बी.एच.टी. के साथ संलग्न है, जो कि मेडिकल रेकार्ड आफिस में जमा रहते है। गोपनीयता की दृष्टि से उन्हें सदन की मेज पर रखा जाना उचित नहीं है।

परिशिष्ट-1

जनवरी, 2004 से आज तक सवाई मानसिंह चिकित्सालय के नेत्र विभाग में नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नेत्रदाता का नाम	उम्र	पता
1	2	3	4
1.	मनोज	10	जयपुर
2.	बोदूराम	40	जयपुर
3.	रामस्वरूप गुप्ता	58	विद्युत नगर, जयपुर
4.	किशोर कुमार वर्मा	49	3063, कल्याणजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर
5.	जसवन्त मल	65	एम-24, आनासागर लिंक रोड, अजमेर
6.	सावित्री देवी	64	6-ख-16, जवाहर नगर, जयपुर
7.	कैलाशचन्द खण्डेलवाल	76	2-झ-1, जवाहर नगर, जयपुर
8.	सूबे सिंह	45	फोलादपुर, तहसील-बहरोड़, अलवर
9.	शकुन्तला देवी	70	138, हरीमार्ग, सिविल लाइन, जयपुर
10.	बनवारी लाल	50	ग्राम-नन्द, जिला-झुन्झूनूं
11.	भगवती देवी	66	366, आकड़ों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर
12.	अरूण गोधा	51	देवी पथ, तख्तेशाही रोड़, जयपुर
13.	अनिल भण्डारी	75	ए-17, सैन कालोनी, शाह नर्सिंग होम के पीछे, बनीपार्क, जयपुर
14.	धनफूली देवी	90	बाला पब्लिक स्कूल के पीछे, गलता गेट, जयपुर
15.	अरूण कुमार शर्मा	18	15, स्टेट बैंक कालोनी, टोंक फाटक, जयपुर
16.	जी.पी. परिहार	76	एच-52, बनीपार्क, जयपुर
17.	रामनारायण	85	108, शिवपुरी कालोनी, जयपुर
18.	किरण गोयल	48	75, अम्बा नगर, नौ दुकान, झोटवाड़ा, जयपुर

1	2	3	4
19.	संगीता	20	21/186, किरणपथ, मानसरोवर, जयपुर
20.	रामलाल	42	सांगानेर, जयपुर
21.	सतीशचन्द्र	65	सिरसी हाउस, ब्रह्मपुरी, जयपुर
22.	आर.पी. शर्मा	65	17-क-4, ज्योति नगर, जयपुर
23.	मुकुटबिहारी लाल भार्गव	79	184, रामगंज बाजार, जयपुर
24.	मंजु	30	एफ-217, मिथिला पथ, श्यामनगर, जयपुर
25.	सुशीला	45	जयपुर
26.	चन्द्रकांत दोषी	50	सी-175, निर्माण नगर, जयपुर
27.	रामेश्वर	53	निवाना, जयपुर
28.	गोविन्दराम शर्मा	80	लोहरवाडा, वाया-कांवट, सीकर
29.	रामेश्वरी	75	जयपुर
30.	मंजु	27	जयपुर
31.	श्रीमती रामप्यारी	70	ई-5, गांधीनगर, जयपुर
32.	बाबूलाल कुमावत	36	बडी डूंगरी, तह. सांभर, जयपुर
33.	यासीन खां	9	सूरवाल, सवाईमाधोपुर
34.	निरंजनलाल सैनी	30	1-बी-61, शिवशक्ति कालोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर
35.	श्रीमती दर्शनादेवी मेहता	27	71/190, भैरव पथ, अग्रवाल फार्म, जयपुर
36.	मिश्रीमल जैन	80	303, लक्ष्मी विहार, माधोसिंह सर्किल के पास, बनीपार्क, जयपुर
37.	विजय कुमार मीणा	24	1, श्री रामविहार कालोनी, सरस्वती नगर, जयपुर
38.	महेश खण्डेलवाल	40	189, हिम्मत नगर, टोंक रोड़, जयपुर
39.	मानक चंद मेहता	62	446 ए-तलवंडी, कोटा

1	2	3	4
41.	जयसिंह कसवा	45	ग्रा. ढाणी बहल. भिवानी. हरियाणा
42.	कृष्णा कंवर	13	भूपालसागर, चित्तौड़गढ़
43.	श्रीमती कांता	32	68, कैलाशपुरी, रामगढ़ मोड़, जयपुर
44.	मेघा सक्सेना	25	88, ऊषा कालोनी, मालवीय नगर, जयपुर
45.	लक्ष्मी देवी पारख	65	ए-16, मूर्तिकला कालोनी, जयपुर
46.	त्रिलोक सिंह	55	ग्रा. जेवलिया, डीडवाना, नागौर
47.	मिस शीतल	18	आगरा रोड़, पुरोहितजी का बाग,
48.	सविता चौधरी	20	19, चौधरी कालोनी, एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर, जयपुर
49.	मधुकर राम	50	नव्या अपार्टमेंट, अजमेर रोड, जयपुर
50.	अनामिका चतुर्वेदी	32	नव्या अपार्टमेंट, अजमेर रोड, जयपुर
51.	पंकज सौनी	2	ग्रा. किशनमानपुरा, बधाल, चौमूं
52.	रमेशचंद गुप्ता	48	आदर्श कालोनी, किशनगढ़ बास, अलवर
53.	महेन्द्र बर्डिया	44	1059, भट्ट स्ट्रीट, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर
54.	प्रेम	55	ग्रा. सावलपुरा, खाटूश्यामजी, सीकर
55.	नरेश कुमार	30	113/139, रामतीर्थ मार्ग, अग्रवाल फार्म, जयपुर
56.	विधि बज	52	677, बिचून हाउस. किशनपोल. जयपुर
57.	जसवंत सिंह	55	माथुर कालोनी. सीकर
58.	हीरालाल सिंह	25	हयातपुरा. तह. डीग. भरतपुर

राजकीय अजीतसरिता नेत्र चिकित्सालय रतनगढ़ (चूरू) में चिकित्सकों के रिक्त पद

576. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में राजकीय अजीतसरिया नेत्र चिकित्सालय, रतनगढ़ (चूरू) संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में कोई चिकित्सक/कम्पाउण्डर/नर्स कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में एक कर्मचारी निर्धारित समयावधि में ताला खोलता/बन्द करता है?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 से पूर्व इस चिकित्सालय का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता था? क्या ट्रस्ट की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इसे राज्य सरकार के सुपुर्द किया गया?

(5) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में सृजित पदों पर अब पदस्थापन करके इसको ठीक प्रकार से संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय का प्रबन्धन वापस ट्रस्ट को सम्भालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो इसमें सुधार हेतु क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989 में मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ के द्वारा अजीतसरिया नेत्र चिकित्सालय रतनगढ़ को अधिग्रहण किया गया था।

(2) राजकीय अजीतसरिया नेत्र चिकित्सालय रतनगढ़ में अलग से स्टाफ के पद स्वीकृत नहीं है और सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़ के स्वीकृत पदों में से एक नर्स श्रेणी द्वितीय एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई हुई है।

(3) चिकित्सालय की ड्यूटी समय में नर्स श्रेणी द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा कार्य किया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी हां। पूर्व में इस चिकित्सालय का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता था।

(5) जी नहीं। सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़ में अलग से नेत्र इकाई कार्य कर रही है और नेत्र वार्ड के लिए 20 शैय्याएं स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में अजीतसरिया चिकित्सालय को प्रारम्भ किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(6) जी नहीं। राज्य योजनांन्तर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के बाहर से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों का पंजीयन

577. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान फार्मेसी कान्सिल जयपुर द्वारा दिनांक 1 जून, 2002 को कुछ फार्मासिस्ट बनाये गये थे? यदि हां, तो क्रमांक 16840 से 16852 के फार्मासिस्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें अधिकांश फार्मासिस्ट प्रदेश के बाहर से डिप्लोमा (मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़) करके आये थे एवं उनके पास अनुभव शून्य था?

(3) क्या इस प्रकार प्रदेश में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना नियमों के अनुसार था? यदि नहीं, तो सरकार फार्मासिस्ट प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से डिप्लोमा करके आने वाले फार्मासिस्टों की सत्यता का सत्यापन सम्बन्धित संस्था से करवा लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। क्रमांक 16840 से 16852 के रजिस्ट्रर्ड फार्मासिस्टों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) यह सही है कि उक्त में से 8 फार्मेसिस्ट अन्य राज्यों में पंजीकृत थे किन्तु मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ से कोई नहीं था।

(3) राजस्थान फार्मेसी कान्सिल ने उक्त सभी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) में दिये गये सेक्शन 32(2) 6 के प्रावधानों के तहत किये थे।

(4) उक्त संदर्भित फार्मासिस्टों में से एक भी व्यक्ति ने मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से डिप्लोमा नहीं किया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक 16840 से 16852 तक के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सूची

रजिस्ट्रेशन नं.	नाम/जन्म तिथि/पिता का नाम	निवास का पता	एडमिशन की तारीख/सेक्शन	शैक्षणिक योग्यता डिग्री/डिप्लोमा
1	2	3	4	5
16840	त्रिपाठी सिंह 23.12.1974 एम.पी. सिंह	पत्नी श्री जसवंत सिंह, अम्बुजा सीमेन्ट, राज. लिमिटेड राबियावास-306709 पाली	30.5.2002 32 (2)	डी. फार्मा (ट्रांसफर) 2000
16841	मानसिंह मीणा 10.3.1975 रतन लाल मीणा	मीना कालोनी, उदय मोड, गंगापुर सिटी-322201, सवाई माधोपुर	30.5.2002 32 (2)	बी. फार्मा 2001
16842	प्रफुल आचार्य 15.1.1963 रमेश भाई आचार्य	ए-10, अनिता कालोनी, बजाज नगर, जयपुर-302015 जयपुर	30.5.2002 32 (2)	रजि. फार्मासिस्ट (ट्रांसफर) 2002
16843	ललित कुमार जैन 10.12.1970 अभय कुमार जैन	मीना मन्दिर के पास ग्राम, पोस्ट आफिस इटावा, कोटा	31.5.2002 32 (2)	रजि. फार्मासिस्ट (ट्रांसफर) 2002

1	2	3	4	5
16844	भरत कुमार नागर 6.6.1972 मोहन लाल नागर	द्वारा नागर मेडिकल स्टोर, आर्य समाज रोड, कोटा-324006 कोटा	31.5.2002 32 (2)	डी. फार्मा 2002
16845	पंकज त्रिवेदी 11.11.1975 आत्मा राम त्रिवेदी	1/डी, शिव पार्क, एम.बी. कामर्स कालेज के पास, हस्तीमाता मन्दिर रोड, उदयपुर-313002 उदयपुर	31.5.2002 32 (2)	रजि. फार्मासिस्ट (ट्रांसफर) 2000
16846	समीर कुमार गुप्ता 10.7.1974 भगवान दास गुप्ता	द्वारा त्रिलोक मेडिकल स्टोर, कनवास कोटा	31.5.2002 32 (2)	डी. फार्मा 2002
16847	खुशनुद खान पठान 25.6.1976 हुसैन जमाल खान	द्वारा मौलाना अब्दुल जब्बार, मेन मार्केट के पास, सिमलवाडा-314403 डूंगरपुर	31.5.2002 32 (2)	डी. फार्मा (ट्रांसफर) 2001
16848	रायसुदीन 1.12.1975 ईस्लामुद्दीन	170/4, फुटा कोट, आमेर कुण्डा-303101 जयपुर	1.6.2002 32 (2)	डी फार्मा 1994
16849	कविराज मीणा 5.7.1978 धर्मराज मीणा	ग्राम बासनी, तहसील-हिण्डोली-323001 बूंदी	1.6.2002 32 (2)	डी. फार्मासिस्ट 2001

1	2	3	4	5
16850	सरोज सोनी 2.7.1966 रामेश्वर सोनी	द्वारा श्री मोहन लाल सोनी, ग्राम बडीबास, पोस्ट सुजानगढ़-331507 चूरू	1.6.2002 32 (2)	रजि. फार्मासिस्ट (ट्रांसफर) 2001
16851	राजेन्द्र प्रसाद कुम्हार 6.3.1971 बिशन लाल कुम्हार	गेन्टा रोड, महावीर नगर ग्राम ईटावा कोटा	1.6.2002 32 (2)	रजि. फार्मासिस्ट (ट्रांसफर) 2002
16852	परमेश्वर लाल 13.7.1975 कुशला राम	ग्राम पूरनछोटी, पोस्ट पूरन बडी बाय सांवली-332021 सीकर	3.6.2002 32 (2)	डी. फार्मा 2001

महर्षि रमण राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय जयपुर के चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

578. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महर्षि रमण राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय के चिकित्सकों के विरूद्ध अनियमितताओं सम्बन्धित शिकायतें मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा मंत्री को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सक के विरूद्ध एवं किस प्रकार की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन शिकायतों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? वांछित कार्यवाही अब कब तक कर ली जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के पत्रांक प.1 (38) चिस्वा/2/75 दिनांक 14.5.2004 के द्वारा माननीया मुख्य मंत्री महोदया के कार्यालय के माध्यम से डा. बी.एस. बाबेल वरिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) के विरूद्ध अनियमितताएं, दलालियों एवं मरीजों से आपरेशन के लिए पैसे वसूलने बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायत की जांच, संयुक्त निदेशक (जोन) जयपुर को करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 706-07 दिनांक 3.7.2004 के द्वारा निर्देश दिये जा चुके है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही अविलम्ब की जावेगी।

शिव के सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पद

579. श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र शिव में कितने सामुदायिक चिकित्सालय/उपकेन्द्र स्वीकृत हैं? उनमें कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां. तो कब तक व नहीं. तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र शिव के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र. 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, एवं 69 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के कुल 194 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 27 पद रिक्त हैं।

जी हां। पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

बांसवाड़ा जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण

580. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में ऐसी कितनी पुरानी सड़कें हैं जिनका सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में मोहनपुरा/पाटन/शेटड़ा/बढ़ीसरवा/रामगढ़/लोहारिया/कलींजरा/भीलकुंआ सड़कें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं?

(3) क्या सरकार इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 98 सड़कें 478.50 किलोमीटर लम्बाई की पुरानी सड़कें है जिनका सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण नहीं किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) मोखमपुरा/पाटन/बड़ी सरवा/भीलकुंआ/कलिंजरा ग्रामीण सड़कों एवं रामगढ़/शेटड़ा/लोहारिया मुख्य जिला सड़क-43 का सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वितीय संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

बांसवाड़ा जिले की पुरानी सड़कों की सूची जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा संका

क्र.सं.	सड़क/प्रोजेक्ट का नाम	ब्लाक	विधान सभा का नाम	गत नवीनीकरण का वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
1.	छींछ चौराहे से गांगड़तलाई सड़क कि.मी. 21/0 से 30/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1991-92	9.00
2.	चौरड़ी चौराहे से छाजा सड़क कि.मी. 0/0 से	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1992-93	11.50
3.	आनन्दपुरी मोनाडुगर सड़क कि.मी. 0/0 से 15/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1989-90	15.00
4.	आनन्दपुरी कोबा सड़क कि.मी. 0/0 से 18/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1990-91	18.00
5.	आनन्दपुरी ढोकर सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1995-96	5.00
6.	सम्पर्क सड़क करदा कि.मी. 0/0 से 2/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1995-96	2.00
7.	सम्पर्क सड़क ओबला कि.मी. 0/0 से 1/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1996-97	1.00
8.	आनन्दपुरी से आमलिया सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1992-93	3.00

1	2	3	4	5	6
9.	सम्पर्क सड़क नाहरपुरा कि.मी. 0/0 से 1/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1989-90	1.00
10.	नाहरपुरा से संग्रामपुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1989-90	3.00
11.	सम्पर्क सड़क बरलिया कि.मी. 0/0 से 1/0	आनन्दपुरी	बागीदौरा	1994-95	1.00
12.	बड़ोदिया से नौगामा सड़क कि.मी. 0/0 से 3/500ए4/0 से 5/500ए 6/00 से 7/500-8/00 से 10/00	बागीदौरा	दानपुर	1982-83	8.50
13.	नौगामा से बोड़ीगामा सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0-1/800 से 5/0	बागीदौरा	दानपुर	1985-86	4.20
14.	आनन्दपुरी से मोना डुंगर सड़क कि.मी. 17/0 से 24/0ए 34/0 से 35/0	बागीदौरा	बागीदौरा	1975-76	8.00
15.	छींछ चौराहे से गांगड़तलाई कि.मी. 0/0 से 4/0ए 8/0 से 9/0-15/0 से 21/0	बागीदौरा	बागीदौरा	1986-87 1975-76	11.00
16.	झेर से गांगड़तलाई कि.मी. 2/0 से 6/0	बागीदौरा	बागीदौरा	1992-93	4.00
17.	कुशलगढ़ से भोयनघाटी सड़क कि.मी. 0/0 से 7/0	बागीदौरा	दानपुर	1994-95	7.00
18.	हमरीपुरा से घोटियाआम्बा सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0	बागीदौरा	दानपुर	1982-83	2.00
19.	बड़ोदिया से करजी सड़क कि.मी. 1/0 से 4/0	बागीदौरा	दानपुर	1982-83	3.00
20.	सलोपाट से खुटा गलिया सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	बागीदौरा	बागीदौरा	1993-94	4.00

1	2	3	4	5	6
21.	गामदा कुशलगढ़ सड़क कि.मी. 5/0 से 6/0-11/0 से 19/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1988-89	9.00
22.	टिकरिया से करजी वाया सीयापुर सालिया सड़क कि.मी. 8/0 से 12/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1986-87	4.00
23.	सम्पर्क सड़क सुल्वानिया कि.मी. 1/0 से 3/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1979-80	2.00
24.	कुंदला खुर्द से बाजना (एम.पी.सीमा तक) सड़क कि.मी. 0/0 से 9/0-15/0 से 17/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1982-83 & 1989-90	11.00
25.	छोटी बदरैल से बड़ी बदरैल कि.मी. 0/0 से 3/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1988-89	3.00
26.	बदरैल से बड़लिया वाया रतनपुरा कालिया कि.मी. 0/0 से 3/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1988-89	3.00
27.	विरपुर से पलासवानी वाया बोरिया सड़क कि.मी. 0/0 से 6/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1994-95	6.00
28.	सम्पर्क सड़क झुपेल कि.मी. 0/0 से 3/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1995-96	3.00
29.	सम्पर्क सड़क देवगढ़ कि.मी. 0/0 से 1/500	बांसवाड़ा	दानपुर	1993-94	1.50
30.	लाधा से जानामैरी सड़क कि.मी. 0/0 से 2/500	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1988-89	2.50
31.	सालिया डूंगरी से मकोद सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1993-94	3.00
32.	सम्पर्क सड़क से खेमातलाई कि.मी. 0/0 से 3/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1992-93	3.00
33.	सम्पर्क सड़क ऊपला घन्टाला से नीचला घन्टाला कि.मी. 0/0 से 2/0	बांसवाड़ा	दानपुर	1987-88	2.00

1	2	3	4	5	6
34.	तेजपुर से चिडियावासा वाया झांतला कि.मी. 0/0 से 1/500	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1990-91	1.50
35.	सम्पर्क सड़क सेवना कि.मी. 0/0 से 2/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1992-93	2.00
36.	बांसवाड़ा से माहिडेम सड़क कि.मी. 0/0 से 14/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1999-00	14.00
37.	तलवाड़ा से बोरवट वाया त्रीपुरा सुन्दरी कि.मी. 11/0 से 14/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1988-89	3.00
38.	तलवाड़ा से भीमकुण्ड वाया काली का माता कि.मी. 0/0 से 3/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1987-88	3.00
39.	शिवपुरा से टामटीया कि.मी. 2/0 से 7/0	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1986-87	5.00
40.	गढी आजना आनन्दपुरी सड़क	गढ़ी	बागीदौरा	1975-76	1.00
41.	आजना से रातडिया पाडा वाया टोरना सड़क	गढ़ी	बागीदौरा	1975-76	2.50
42.	आजना से सरानपुर वाया कुशलपुर सड़क	गढ़ी	बागीदौरा	1985-86	7.00
43.	सरैड़ी से लोहारिया वाया आसोड़ा सड़क	गढ़ी	बागीदौरा	1985-86	9.00
44.	सम्पर्क सड़क मलाना	गढ़ी	बागीदौरा	1985-86	1.00
45.	सुजाजी का गढा से कोटरा बड़ा सड़क	गढ़ी	बांसवाड़ा	1985-86	3.00
46.	परतापुर से आमजा वाया मादलदा सड़क	गढ़ी	बांसवाड़ा	1992-93	2.00

1	2	3	4	5	6
47.	सम्पर्क सड़क चौपासन	गढ़ी	बांसवाड़ा	1992-93	1.00
48.	वजवाना से नया तालाब	गढ़ी	बांसवाड़ा	1985-86	2.00
49.	सम्पर्क सड़क सकारिया	गढ़ी	बांसवाड़ा	1985-86	1.30
50.	सम्पर्क सड़क केसरपुरा	गढ़ी	बांसवाड़ा	1992-93	3.00
51.	सम्पर्क सड़क छोटी सरड़ी	गढ़ी	बांसवाड़ा	1992-93	2.00
52.	सम्पर्क सड़क बेड़वा	गढ़ी	बांसवाड़ा	1993-94	2.00
53.	सम्पर्क सड़क वकतपुरा	गढ़ी	बांसवाड़ा	1993-94	1.00
54.	सम्पर्क सड़क खेरन का पाडला	गढ़ी	बांसवाड़ा	1993-94	3.00
55.	सुन्दरी से कुहाला सड़क	गढ़ी	बांसवाड़ा	1993-94	6.00
56.	गनोड़ा से नरवाली वाया मोटागांव सड़क कि.मी. 1/0 से 4/0ए 6/0 से 25/0	घाटोल	घाटोल	1990-91	22.00
57.	सम्पर्क सड़क अमरथुन कि.मी. 0/0 से 6/00	घाटोल	घाटोल	1991-92	6.00
58.	सम्पर्क सड़क चरड़ा कि.मी. 1/0 से 4/0	घाटोल	घाटोल	1995-96	3.00
59.	घाटोल से गनौड़ा सड़क कि.मी. 7/10, 11, 12, 16-17	घाटोल	घाटोल	1998-99	6.00

1	2	3	4	5	6
60.	लोहारिया टांडा सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0 एवं 4/0 से 7/0	घाटोल	घाटोल	1980-91	5.00
61.	सम्पर्क सड़क दुदका कि.मी. 0/0 से 7/00	घाटोल	घाटोल	1991-92	7.00
62.	सम्पर्क सड़क बडलिया कि.मी. 0/0 से 1/0	घाटोल	घाटोल	1989-90	1.00
63.	खमेरा नरवाली सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0ए 11/0 से 14/0	घाटोल	घाटोल	1987-88	5.00
64.	सम्पर्क सड़क जगपुरा कि.मी. 7/0 से 9/0	घाटोल	घाटोल	1989-90	2.00
65.	मोरड़ी उदपुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0	घाटोल	घाटोल	1990-91	5.00
66.	घाटोल बड़ी पडाल कि.मी. 0/0 से 3/0	घाटोल	घाटोल	1989-90	3.00
67.	सम्पर्क सड़क बडाना कि.मी. 0/0 से 2/0	घाटोल	घाटोल	1991-92	2.00
68.	डुंगरिया मुडासैल कि.मी. 0/0 से 4/500, 8/500 से 13/500	घाटोल	घाटोल	1995-96	9.50
69.	घाटोल नेगरेड कि.मी. 1/0 से 4/0	घाटोल	घाटोल	1995-96	3.00
70.	सम्पर्क सड़क भोयर कि.मी. 0/0 से 4/0	घाटोल	घाटोल	1991-92	4.00
71.	सम्पर्क सड़क काजी का गड़ा कि.मी. 0/0 से 2/0	घाटोल	घाटोल	1991-92	2.00
72.	सम्पर्क सड़क कुवानिया कि.मी. 1/0 से 4/0	घाटोल	घाटोल	1989-90	3.00

1	2	3	4	5	6
73.	सम्पर्क सड़क छोटी पडाल कि.मी. 0/0 से 2/0	घाटोल	घाटोल	1995-96	2.00
74.	लिंक सड़क एस.एच.-4 घाटोल सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0	घाटोल	घाटोल	1989-90	2.00
75.	सम्पर्क सड़क रूजिया कि.मी. 0/0 से 2/0	घाटोल	घाटोल	1989-90	2.00
76.	कुशलगढ़ गामदा सड़क कि.मी. 2/0 से 10/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1992-93	8.00
77.	कुशलगढ़ बाजना सड़क कि.मी. 3/0 से 17/0-2/0 से 3/0-27/0 से 30/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1990-91	9.00
78.	कुशलगढ़ भोयन सड़क कि.मी. 5/0 से 9/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1988-89	14.00
79.	सम्पर्क सड़क वसूनी कलिन्जरा सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1990-91	6.50
80.	सम्पर्क सड़क बस्सी कि.मी. 0/0 से 5/500	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1984-85	5.50
81.	खताली महुडी मोखमपुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 6/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1992-93	6.00
82.	कुशलगढ़ बीजपुरा (बाइपास) सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1992-93	2.00
83.	पाटन बड़ी सर्वा सड़क कि.मी. 0/0 से 8/0	कुशलगढ़	कुशलगढ़	1991-92	8.00
84.	पीपलखुंट दानपुर वाया घोड़ी तेजपुर	पीपलखुंट	घाटोल	1986-87	11.00
85.	सम्पर्क सड़क कोटरा	पीपलखुंट	दानपुर	1995-96	3.00

1	2	3	4	5	6
86.	सम्पर्क सड़क खाजुरी	पीपलखुंट	दानपुर	1996-97	5.00
87.	सम्पर्क सड़क कोईवाव वाया झांपुरा	पीपलखुंट	दानपुर	1996-97	3.00
88.	केलामैला पीपलखुंट वाया मोरवानिया	पीपलखुंट	घाटोल	1995-96	2.00
89.	सम्पर्क सड़क नादिया	पीपलखुंट	दानपुर	1996-97	5.00
90.	भीलकुआं कुशलगढ़ सड़क कि.मी. 4/0 से 7/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1992-93	3.00
91.	महौड़ी टांडी कलां सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1991-92	4.00
92.	सम्पर्क सड़क हिम्मतगढ़ कि.मी. 0/0 से 1/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1991-92	1.00
93.	सम्पर्क सड़क अन्देश्वर कि.मी. 0/0 से 2/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1991-92	2.00
94.	सम्पर्क सड़क मगराड़ा कि.मी. 0/0 से 2/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1991-92	2.00
95.	सम्पर्क सड़क राठधनराज कि.मी. 0/0 से 1/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1990-91	1.00
96.	सज्जनगढ़ ताम्बेसरा सड़क कि.मी. 0/0 से 6/500	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1990-91	6.50
97.	सम्पर्क सड़क खुंटाजीवा सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1991-92	4.00
98.	रामगढ़/शेटड़ा/ लोहारिया मुख्य जिला सड़क-43 लम्बाई 23 किलोमीटर	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	1991-92	23.00
				Total :-	**478.50**

मावली के ग्राम रठाना से वांगरा सड़क का डामरीकरण

581. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम रठाना से वांगरा की खेड़ी होते हुए पिपरोली तक की कच्ची सड़क अकाल सहायता के तहत बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या इस रठाना से पिपरोली सड़क को डामरीकृत करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में रठाना (आबादी 1280) से पिपरोली (आबादी 1066) तक डामर सड़क निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि दोनों ग्राम रठाना तथा ग्राम पिपरोली पूर्व में ही डामर सड़कों से जुड़े हुये है तथा वांगरा की खेड़ी राजस्व ग्राम नहीं है।

नवलगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कें

582. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना में अब तक कितनी सड़कें कहां और कब स्वीकृत करके किस फर्म को कब तक बनाने की कार्यावधि रखी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी सड़कें निर्धारित समय पर पूरी की गई हैं?

(3) उक्त क्षेत्र में अब तक कौनसी सड़कें प्रधानमंत्री योजना में एवं अन्य योजना में बनाने हेतु प्रस्तावित है एवं कब तक कहां-कहां स्वीकृत करने का सरकार विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत (डामरीकरण) करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक तीन सड़कें स्वीकृत हुई है जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अप्रोच सड़क बलरिया बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृति है। विश्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात् इस कार्य को आरम्भ किया जावेगा।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के अनुबन्ध के अनुसार उक्त सड़कों की मरम्मत सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों के द्वारा प्रथम चरण की सड़कों की तीन वर्ष तक एवं तृतीय चरण की सड़क का पांच साल तक की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	चरण	सड़का का नाम	स्वीकृति तिथि	आवंटित फर्म	दिनांक	कार्यावधि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रथम चरण	अप्रोच सड़क ढाणी ढ़ांका	6.12.2001	मै. लक्ष्मी बिल्डर्स एवं डवलपर्स ठेकेदार अरड़ावता	15.12.2001	25.12.2001 से 30.11.2002	15.12.2002
2.	द्वितीय चरण	अप्रोच सड़क बारवां	6.12.2001	मै. रवि कल्स. क. झुंझुनूं	1.1.2002	28.12.2001 से 30.9.2002	24.1.2003

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	तृतीय चरण	नवलगढ़ गोल्याणा सड़क किमी. 8 से खोजास	28.3.2003	मै. एस.पी.सी. इन्फ्रा. प्रा.लि.	22.5.2002	1.6.2003 से 30.4.2004	30.4.2004

फतेहपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

583. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर की तहसील फतेहपुर के ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जो अभी तक सड़कों से जुड़े नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के शहरी क्षेत्र में बनाई गई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर की तहसील फतेहपुर के सभी 35 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए है। 28 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से तथा 7 ग्राम पंचायत मुख्यालय डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों से जुड़े हुए है।

(2) जी हां। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई 3.0 कि.मी. लम्बाई में सड़क नगरपालिका फतेहपुर द्वारा पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं करने के कारण क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों की मरम्मत राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

सिरोही जिले की सड़कों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण

584. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण बाइपास से सम्बन्धित क्या-क्या प्रस्ताव सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित है? प्रत्येक का विवरण मय टिप्पणी सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही आबूरोड के मध्य बारीघाटा पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? बारीघाटा क्षेत्र पर सड़क चौड़ा करने का क्या प्रस्ताव है? इस सम्बन्ध में सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोही क्षेत्र द्वारा तैयार रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही-माकरोडा ईसरा सड़क प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत करें। प्रस्ताव किस स्तर पर कब से विचाराधीन है? सिरोही-कृष्णगंज से सरूपगंज सड़क को चौड़ा करने अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग बदलने का प्रस्ताव किस स्तर पर कब से विचाराधीन है?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव कि.मी. 185/0 से 195/0 एवं कि.मी. 210/0 से 220/0 (20 कि.मी.) अनुमानित लागत 10.81 करोड़ रुपये के मुख्य अभियंता (एनएच), सानिवि, जयपुर द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम कोरीडोर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के कि.मी. 246/0 से 306/363 एवं रा.रा. मार्ग 76 के कि.मी. 0/0 से 22/0 तक का मार्ग चार लेन में चौड़ा करने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है।

(2) सिरोही-आबू रोड के मध्य बारीघाटा पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दो वैकल्पिक मार्गों का चयन कर रिपोर्ट मुख्य अभियंता (एनएच), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित कर दी गई है, जिसमें दो वैकल्पिक मार्ग दिये हैं:-

1. सिरोही-माकरोडा-ईसरा-सरूपगंज (35 कि.मी.)

2. सिरोही-कृष्णगंज-ईसरा-सरूपगंज (43 कि.मी.)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बारीघाटा क्षेत्र पर सड़क चौड़ा करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

सहायक अभियंता द्वारा तैयार रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सिरोही-माकरोडा-ईसरा सड़क का प्रस्ताव (वैकल्पिक मार्ग संख्या 1) मुख्य अभियंता (एनएच), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 18.7.2004 को प्रेषित कर दिया गया है।

सिरोही-कृष्णगंज से सरूपगंज सड़क (वैकल्पिक मार्ग संख्या 2) को चौडा करने का प्रस्ताव भी मुख्य अभियंता (एनएच), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 18.7.2004 को प्रेषित कर दिया गया है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

फागी की मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण

585. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फागी में एक दूसरे गांवों को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों के मध्य? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भोजपुरा से माधोराजपुरा वाया दतुली तक अधूरी सड़क को पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सड़क नीति के तहत 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो तहसील फागी में कौन-कौन से क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र फागी में कितनी ग्रेवल एवं डब्ल्यू.बी.एम. रोड है? क्या

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

सरकार उन सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। क्योंकि भोजपुरा एवं माधोराजपुरा दोनों डामर सड़कों पर स्थित है।

(3) जी नहीं। तहसील फागी में 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के 28 गांव डामर सड़क से एवं 4 गांव डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़े हुए है जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे ग्राम जिनकी अनुमानित आबादी 500 से अधिक है, और किसी प्रकार की सड़कों से नहीं जुड़े है वर्ष 2007 तक जोड़ने का प्रावधान है, उसके बाद डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़े गांवों को प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र फागी में 82.800 कि.मी. ग्रेवल एवं 37.500 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. रोड है। उक्त सड़कों पर डामरीकरण किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट "अ"

तहसील फागी में 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों की सूची जो डामर से जुडे हैं

क्रम संख्या	गांव का नाम	आबादी	विवरण
1	2	3	4
1.	फागी	9095	डामर से जुडा हुआ है।
2.	चौरू	5056	—उपरोक्त—
3.	रेनवाल मांजी	4995	—उपरोक्त—
4.	माधोराजपुरा	4136	—उपरोक्त—
5.	निमेडा	3220	—उपरोक्त—
6.	चकवाडा	3118	—उपरोक्त—
7.	चित्तौडा	2378	—उपरोक्त—
8.	थप्पला	2322	—उपरोक्त—
9.	चांदमा कलां	2233	—उपरोक्त—
10.	मैन्दवास	2155	—उपरोक्त—
11.	बीची	2079	—उपरोक्त—
12.	लदाना	1836	—उपरोक्त—
13.	डिडावता	1790	—उपरोक्त—
14.	लसाडिया	1743	—उपरोक्त—
15.	नरेडा	1617	—उपरोक्त—
16.	थला	1615	—उपरोक्त—
17.	लरसूलिया	1516	—उपरोक्त—
18.	कुंडली	1488	—उपरोक्त—
19.	मोहब्बतपुरा	1429	—उपरोक्त—

1	2	3	4
20.	मण्डावरा	1384	—उपरोक्त—
21.	मण्डावरी	1279	—उपरोक्त—
22.	पहाडिया	1236	—उपरोक्त—
23.	गोहन्दी	1217	—उपरोक्त—
24.	सुल्तानियां	1172	—उपरोक्त—
25.	भोजपुरा	1157	—उपरोक्त—
26.	थ्बसालू	1081	—उपरोक्त—
27.	घटियाली	1019	—उपरोक्त—
28.	गोपालपुरा	1009	—उपरोक्त—
29.	सेदरिया	1412	—उपरोक्त—
30.	बासडी जोगियान	1377	डब्ल्यू.बी.एम. से जुडा है।
31.	गोपाल नगर	1306	—उपरोक्त—
32.	झोडिन्दा भोजपुरा	1278	—उपरोक्त—

सांचौर में सड़क निर्माण

586. श्री जीवराम चौधरी (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सांचोर में कौन-कौनसी नई सड़कें बनाने व कितने किलोमीटर व कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत करने का निर्णय किया गया है? क्या ग्राम पथमेड़ा, गौशाला जो संसार की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है की 5 किलोमीटर सड़क बनाने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सांचौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के अन्तर्गत 71.40 किलोमीटर एवं मिसिंग लिंक योजना में 15.00 किलोमीटर नई सड़कों की स्वीकृति है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

इस वित्तीय वर्ष 2004-05 सड़क मरम्मत कार्यक्रम में 48 सड़क कार्यों पर पेच रिपेयर द्वारा मरम्मत कार्य स्वीकृत है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

जी हां। संसार में स्थित विभिन्न गौशालाओं में से इस क्षेत्र में पथमेड़ा गौशाला सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। जिसको जोड़ने हेतु 5 किलोमीटर डामर सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। जिसका निर्माण कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वितीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सांचौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत नयी सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़का का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	गोमी से रतोडा	3.80
2.	गांधव बाकासर से जालबेरी	5.35
3.	टाम्पी से के.आर. बांध कुआं	8.00
4.	अचलपुर से सुथाना	5.65
5.	सांचोर सरवाना रोड से अमरापुरी	2.50
6.	बावरला से विष्णुनगर	3.20
7.	बिछावाडी से प्रजापति नगर	4.30
8.	हेमागुडा ईटादा से धरनावास	4.00
9.	झाब नरसाण से आम्बा का गोलिया	5.00
10.	नेशनल हाइवे-15 से चारणीम	3.30

1	2	3
11.	भादरणा से कोला खारियों की ढ़ाणी	3.30
12.	हरियाली से मालियों का गोलिया	7.30
13.	नेशनल हाइवे-15 से कमालपुरा	1.10
14.	सेवाडा झाव सड़क से धनेरिया	1.00
15.	सरनाऊ से पाली देवडान	2.00
16.	सांकड से वासन देवड़ा	5.00
17.	उपामली हिण्डवाल	6.60
	योग	**71.40**

विधान सभा क्षेत्र सांचौर में मिसिंग लिंक योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	**सड़का का नाम**	**लम्बाई (कि.मी.)**
1.	करड़ा से झाब सड़क	4.80
2.	हरियाली से खेडा वाया चौरा	4.20
3.	हेमागुडा से ईटादा	1.00
4.	लियादरा से झेरोल वाया लोमरोडों की ढाणी	5.00
	योग	**15.00**

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र सांचौर में सड़क मरम्मत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	**सड़क का नाम**
1	**2**
1.	सांचौर बाकासर से भवातडा
2.	गांधव केरिया हालीवाव
3.	आमली डावल डेडवा

1	2
5.	सीसावा से दूठवा
6.	जानवी सूंथडी खेजडीयाली
7.	डूंगरी टांपी दूठवा
8.	सांचोर सरवाना
9.	सम्पर्क सड़क झोटडा
10.	मौहरम चौक से हायर सैकण्डरी स्कूल
11.	सम्पर्क सड़क सिद्धेश्वर मन्दिर
12.	आरवा भीमगुडा सूराचन्द्र सूंथडी
13.	चीतलवाना से रतनपुर
14.	कीलवा से डीभाल
15.	गरडाली गोलासन सीलू
16.	दांतीया से वांक
17.	सीलू से अचलपुर
18.	सम्पर्क सड़क बीरावा
19.	लालपुर भडवल छजारा
20.	सम्पर्क सड़क सिसावा
21.	सम्पर्क सड़क कोड
22.	सम्पर्क सड़क काछेला
23.	सांचोर से हवाई पट्टी
24.	सम्पर्क सड़क डड्डूंसन
25.	सांचोर रानीवाडा मण्डार रोड
26.	भीनमान सांचोर वाया करडा

1	2
27.	सांकड गुन्दाउ खरा झेरोल लियादरा रोड
28.	डेडवा हरियाली चौहरा
29.	बावलिया पुर धान्ता
30.	करडा झाब
31.	एन.एच. 15 से झाब
32.	मीठी बेरी से परावा मालवाडा करावडी
33.	नरसाना से झाब
34.	सम्पर्क सड़क रनोदर
35.	सम्पर्क सड़क हेमागुडा ईटादा
36.	देवडा से निम्बाउ
37.	सांकड लाछीवाड, गोलिया
38.	अरनाय चौहरा लियादरा
39.	सम्पर्क सड़क विरोल
40.	पलादर से पांचला
41.	चौहरा से भादरना
42.	सम्पर्क सड़क प्रतापपुरा
43.	सम्पर्क सड़क दाता कांटोल
44.	खेडा से जलातरा
45.	सांकड सुरावा गुजरात सीमा तक
46.	सुरावा से दुगावा
47.	खारा से मीर पुरा
48.	सम्पर्क सड़क आंकोली खिरोडी

राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक के भवन निर्माण में संवेदक का बकाया भुगतान प्रकरण

587. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक के पत्र क्रमांक 6158 दिनांक 17 दिसम्बर, 1998 के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक के प्रशासनिक भवन का निर्माण करने हेतु ठेकेदार को आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक के पत्र क्रमांक 6158 के आदेश के विपरीत सहायक अभियंता, खण्ड प्रथम टोंक द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि का कार्य ठेकेदार से करवाया गया था और अधिशासी अभियंता टोंक द्वारा कार्य आदेश से अधिक राशि का निर्माण कार्य करवाने पर सहायक अभियंता खण्ड प्रथम टोंक को दोषी माना गया था? यदि हां, तो उस सहायक अभियंता के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृति से अधिक कार्य करवाने से संवेदक के रनिंग बिल भुगतान में भी अविलम्ब हुआ है? यदि हां, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्य 15 अगस्त, 1999 को पूर्ण हो गया था? यदि हां, तो उसका फाइनल बिल का भुगतान कब किया गया? यदि नहीं, तो अब तक फाइनल बिल का भुगतान क्यों नहीं किया गया तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है साथ ही इस बिल एवं कटौती की गई 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? भुगतान में विलम्ब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 तक कितनी-कितनी राशि किन किन कार्यों के लिए प्राप्त हुई? इन राशियों के विरूद्ध किन-किन कार्यों पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? अब तक किए गए उक्त कार्यों का पूर्ण भुगतान किया गया अथवा नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(6) क्या यह सही है कि संवेदक का बिल फाइनल करते समय दर काटी गई तथा भुगतान में विलम्ब किया गया? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार पर विभाग पेनल्टी लगाने का विचार रखता है? यदि हां, तो क्यों? क्या ठेकेदार का अन्तिम बिल भुगतान के विलम्ब के लिए ब्याज देने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो ब्याज का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कार्य एवं कार्य स्थल की आवश्यकता को देखते हुये ठेकेदार से स्वीकृत राशि से अधिक कार्य करवाया गया था, इसके लिये किसी को भी दोषी नहीं माना गया था केवल अधिक कार्य कराने के कारणों का स्पष्टीकरण सहायक अभियंता से चाहा गया था, व उचित स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर संवेदक के बिल का भुगतान कर दिया गया था।

(3) जी हां। जिला विकास अभिकरण, टोंक द्वारा स्वीकृत राशि 7.45 लाख के विरूद्ध कम राशि जमा कराये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ। अत: इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(4) जी हां। फाइनल बिल पास किया जा चुका है। डिपोजिट राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। कटौती की दस प्रतिशत राशि का भुगतान भी अन्तिम बिल की राशि के साथ कर दिया जायेगा। तत्कालीन जिला विकास अभिकरण एवं अब जिला परिषद द्वारा डिपोजिट की राशि समय पर जमा नहीं कराने के कारण विलम्ब हुआ। अत: भुगतान में विलम्ब के लिये विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(5) राजकीय महाविद्यालय टोंक में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जो स्वीकृतियां प्राप्त हुई उनके विरूद्ध किये गये कार्यों का विवरण एवं भुगतान की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-2 पर वर्णित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(6) जी हां। संवेदक के फाइनल बिल में 8 आइटमों की दरें काटी गई है। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 पर कारण सहित दर्शाया गया है। फाइनल बिल के भुगतान में विलम्ब का कारण बिन्दु संख्या 4 में समाहित है।

(7) संवेदक द्वारा समयावधि प्रकरण में कार्य में विलम्ब के लिये दर्शाये गये कारणों को दृष्टिगत रखते हुये मैरिट के आधार पर 1/2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित की जाकर समयावधि प्रकरण स्वीकृत कर दिया गया है। ब्याज देने का अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-1

Office of the Executive Engineer P.W.D. Div. Tonk Letter of Acceptance of Tender

No./Untied/ Dated 18.9.1998

To.

Shri Ratan Lal Chaudhary

Vazeerpura

P.W.D. Contrector, TONK.

Sub.-Your tender at 30.7.1998 Negotioten dt. 2.9.1998 for the work Const. of Adm. Block in Govt. Girls College, Tonk

Dear Sir,

Your tender Dated 30.7.1998 Negotiation 2.9.1998 for the work mentioned above has been accepted on be half of the Governor of Rajasthan at Parth 38.90% above the Schedule Gamountting to Rs 6,68,033/- in words six idas fifty Eight Thousand Thirty Three only)

You are requested to attead this office to complete formal agreement within 15 days receipt of this letter.

You are directed to contact the Assistant Engineer and start the work at once and complete the surae within a period of 3 months the date of starting and completion of the work shall be reckoned as follows.

(a) Stipulated date of commeoncement 1.10.1998

(b) Stipulated date of completion 31.12.1998

This letter of acceptance together with tender submitted by you combodying all the couditions therin constitutes the contract agreement between you and the Governor of the State Rajasthan for the aforesaid work.

The number allotted to you agreement is 94 of 1998-99 the receipt of the letter may please be knowledged.

Note-...

Encl-Shedule of Quantities.

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1. (अ)	राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक के प्रशासनिक भवन का निर्माण	2821-31 26.3.98	7.00		कार्य पूर्ण, अन्तिम बिल पारित कर दिया गया है अन्तिम बिल का भुगतान शेष है।
(ब)	राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में अधूरे कार्य का निर्माण	955-74 26.9.98	0.45		
		कुल राशि	**7.45**	**808853.00**	
2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में बरामदा पोर्च, शोचालय का निर्माण	355-62 16.10.99	5.00	529419.00	493600.00 रु. का भुगतान कर दिया है व 35819.00 रु. का अन्तिम बिल भुगतान शेष है।
3.	राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में कामन रूम, कैन्टीन एवं पानी की टंकी का निर्माण कार्य	2818 9.11.2001	2.00	150224.00	कार्य पूर्ण, भुगतान कर दिया गया है
4.	राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में कमरे निर्माण हेतु	1698-1713 10.1.2001	5.00	47921.00	कार्य पूर्ण, भुगतान कर दिया गया है।

परिशिष्ट-3

क्र.सं.	आइटम	जी शिड्यूल के अनुसार	संवेदक को दी गई दर	दर काटने का कारण
1	2	3	4	5
1.	नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य	21/- प्रति घन मीटर	18/- प्रति घन मीटर	नींव में फिलिंग में वापस नहीं भरने के कारण
2.	दरवाजे व खिडकियों में पत्थर की चौखट लगाने का कार्य	60.50 प्रति मीटर	50/- प्रति मीटर	पत्थर की चौखट के बजाय सीमेंट की मौजाईक चौखट लगाने के कारण
3.	एसबेस्टेस सीमेन्ट के वर्षा के पाइप 100 एम.एम. डाया	65/- प्रति मीटर	50/- प्रति मीटर	100 एम.एम. डाया के बजाय 75 एम.एम. डाया के पाईप लगाने के कारण
4.	सेटरिंग एवं शटरिंग का कार्य प्लाइवुड या स्टील शीट लगाना छत का कार्य	70/- प्रति वर्ग मीटर	27.50 प्रति वर्ग मीटर	प्लाई या स्टील शटरिंग छत में करने के बजाय डी.पी.सी. के कार्य हेतु लकडी की शटरिंग लगाई गई
5.	पालिश ब्ल्यू कोटा स्टोन फर्श लगाने का कार्य 901 से 2000 वर्ग एम. एम. साइज एवं 25 एम. एम. मोटाई	365/- प्रति वर्ग मीटर	360/- प्रति वर्ग मीटर	पत्थर की घिसाई व जोड सही नहीं होने के कारण एवं सही पालिश नहीं होने के कारण

1	2	3	4	5
6.	पालिश ब्ल्यू कोटा स्टोन फर्श लगाने का कार्य 901 से 2000 वर्ग एम. एम. साइज एवं 20 एम. एम. मोटाई	270/- प्रति वर्ग मीटर	265/- प्रति वर्ग मीटर	पत्थर की घिसाई व जोड़ सही नहीं होने के कारण एवं सही पालिश नहीं होने के कारण
7.	वास बेसिन लगाने का कार्य साइज 510X400 एम.एम.	910/- प्रति नग	850/- प्रति नग	छोटा साइज का लगाने एवं सही मेक का नहीं लगाने के कारण
8.	फलश कॉक/फ्लश वाल्व लगाने कार्य 25 एम.एम. डाया	275/- प्रति नग	150/- प्रति नग	फ्लश कॉक 25 एम.एम. डाया के बजाय 15 एम.एम. डाया का लगाने के कारण

राजगढ़ (चूरू) तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

588. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील राजगढ़, जिला चूरू में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत है तथा उनमें से कितने पद किस-किस विद्यालय में रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़, जिला चूरू में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों हेतु आयोग को अर्थनाएें प्रेषित की जा चुकी हैं। विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु डी.पी.सी. के आयोजन की कार्यवाही प्रस्तावित है। वरिष्ठ अध्यापकों की सीधी भर्ती से भरे जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा के विद्यालयों में रिक्त पद

589. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं? इनमें किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय उनमें स्वीकृत व रिक्त पदों की सूचना, कब से रिक्त हैं सहित परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

वरिष्ठ अध्यापकों को सीधी भर्ती से भरे जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

परिशिष्ट-क

नाथद्वारा में उ.प्रा.वि. के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद		रिक्त पद		कब से रिक्त है	
		II	III	II	III	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राउप्रावि बलीचा	1	05	—	—	—	—
2.	—"—बाण्डीनाल	1	05	—	—	—	—
3.	—"—बरवालिया	1	04	—	—	—	—
4.	—"—बिलोता	1	06	—	02	—	1/03, 1/02
5.	—"—भैंसाकमेड़	1	07	—	03	—	7/01
6.	—"—चिकलवास	1	05	—	01	—	12/01 से
7.	—"—छोटाभाणुजा	1	07	—	03	—	10/01, 10/02
8.	—"—दड़वल	1	05	—	01	—	7/01 से
9.	—"—देपुर	1	06	—	02	—	10/3, 2/03
10.	—"—डिंगेला	—	—	—	—	—	—
11.	—"—फतहपुर	1	07	1	01	7/01	9/01
12.	—"—घोड़च	1	08	—	03	—	7/01, 8/01
13.	—"—गुड़ला	1	06	—	02	—	1/03, 11/03
14.	—"—झालों की मदार	1	08	—	03	—	1/03, 9/02, 7/01
15.	राउप्रावि गुडली	1	—	—	—	—	—
16.	—"—जीवाखेड़ा	1	05	—	01	—	3/02
17.	—"—कालीवास	1	05	—	01	—	10/02 से

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	—"—काबा	1	06	—	02	—	03/04, 7/01
19.	—"—कराई	1	06	—	02	—	07/02, 4/02
20.	—"—केसुली	1	06	—	03	—	1/03, 7/02
21.	—"—कोटड़ी ढाणा	1	05	—	01	—	7/01
22.	—"—कुंठवा	1	07	—	03	—	07/01
23.	—"—खेड़लिया	—	—	—	—	—	—
24.	—"—खमनोर	—	—	—	—	—	—
25.	—"—कुमारियाखेड़ा	—	—	—	—	—	—
26.	—"—करोली ढाणी	—	—	—	—	—	—
27.	—"—काग मदारड़ा	—	—	—	—	—	—
28.	—"—लालमादड़ी	1	07	1	04	2/04	1/3, 1/2, 7/01, 2/03
29.	—"—लालेरोंकागुड़ा	—	—	—	—	—	—
30	—"—मचीन्द	1	08	—	03	—	7/01
31.	—"—मादरेचोंकागुड़ा	1	05	—	—	—	—
32.	—"—मण्डियाणा	1	06	—	02	—	1/03
33.	—"—मोकेला	—	—	—	—	—	—
34.	—"—मोखाड़ा	—	—	—	—	—	—
35.	—"—मोगाना	1	06	—	02	—	1/03, 7/01
36.	—"—मलीदा	1	4	—	—	—	
37.	—"—नेगडिया	1	6	—	2	—	1/03
38.	—"—नीचलीओडन	1	7	—	2	—	1/03, 7/01
39.	—"—राबचा	1	5	—	—	—	—
40.	—"—रठुंजना	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	—"—संगरूण	1	5	—	1	—	7/02
42.	—"—सरसुनिया	1	—	—	—	—	—
43.	—"—सेमाकागुडा	1	—	—	—	—	—
44.	—"—सोडावास	1	5	—	1	—	11/01
45.	—"—सरवडियों की भा	1	—	—	—	—	—
46.	—"—सोगड़ी भागल	—	—	—	—	—	—
47.	-"-शिवसिंह का गुडा	—	—	—	—	—	—
48.	तक़डिया का गुडा	1	5	1	—	01/03	—
49.	राउप्रावि टांटोल	1	7	—	—	—	1/03, 10/02
50.	—"—उनवास	1	6	—	2	—	1/3, 2/03
51.	—"—उसरवास	—	6	—	2	—	2/02, 7/01
52.	—"—उठारड़ा	1	6	—	3	—	8/01, 19/02
53.	—"—उषाण	1	—	—	3	—	—
54.	—"—डाबियों का गुडा	1	—	—	—	—	—
55.	—"—उलपुरामंगरा	1	—	—	—	—	—
56.	—"—नेनपुरिया	—	—	—	—	—	—
57.	—"—खेड़ी	—	—	—	—	—	—
58.	—"—माल का गुडा	—	—	—	—	—	—
59.	—"—माण्डक का गुडा	1	—	—	1	2000	—
60.	—"—सियाओं की भागल	1	—	—	—	—	—
61.	—"—मोड़वा	1	—	—	—	2-3 से	—
62.	—"—खेड़ाणा	1	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	—"—एकपनियों की भा.	1	—	—	—	—	—
64.	—"—मझेरा	1	—	—	—	—	—
65.	—"—गुंजोल	1	—	—	—	—	—
66.	—"—कियावास	1	—	—	—	—	—
67.	—"—केसरपुरा	1	—	1	—	02-03	—
68.	—"—सतलेवा	1	—	1	—	—	—
69.	—"—नेता का गुड़ा	—	5	—	1	—	—
70.	—"—बा. गांवगुड़ा	—	8	—	3	—	9/02
71.	—"—बा. गुंजोल	—	—	—	—	—	12/02, 1/03
72.	राबाउप्रावि सेमा	1	4	—	2	—	19/01, 10/02
73.	—"—उपलीओडन	—	—	—	—	—	—
74.	राबाउप्रावि, नाथद्वारा	—	2	27	1	9	1/2000, 10/01, 10/02, 10/03, 7/01
75.	—"—तेलियों का तालाब	1	06	1	01	—	12/01, 7/01, 03/02, 5/04
76.	—"—नाथूवास	—	05	—	03	—	10/02
77.	राउप्रावि भलावतों का खेड़ा	1	05	—	02	—	11/01
78.	—"—फौज नाथद्वारा	1	10	—	03	—	01/12
79.	—"—नाथूवास	1	06	—	—	—	10/2
80.	—"—सिहाड़ (नाथ)	1	10	—	01	—	7/2003
81.	—"—जाटखिड़ की नाथ	—	04	—	01	—	—
82.	राउप्रावि. तुलां	1	07	—	02	—	—
83.	—"—मारूवास	1	—	—	—	—	03/04. 7/01

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	—"—बा. लोसिंग	1	02	—	—	—	
85.	—"—पीपड़	1	02	—	01	—	
86.	—"—नेतावतों की भागल					—	—
87.	—"—कालोड़ा	1	—	—	02	—	7/2008 से
88.	—"—कडियां	01	—	—	02	—	3/2003 से
89.	—"—डूलावतों का गुडा	01	—	—	01	—	7/2003 से

जिला शिक्षा अधिकारियों के पद हेतु पात्रता

590. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा? यदि हां, तो इस पद हेतु किस-किस संवर्ग के शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को पात्र माना गया है?

उत्तर

जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के सीधी भर्ती के पदों हेतु योग्यता का निर्धारण इस प्रकार किया हुआ है:-

Second class post graduate with Second class degree or diploma in education of University established by law in India & 5 Years experience of having worked on the post of principal and/or Vice-principal of Senior Secondary School and/or Head master of Secondary School and/or on any other post equalent to any of the post.

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी का बकाया भुगतान प्रकरण

591. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन (घूघरी) वितरण का कार्यक्रम चल रहा है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घूघरी वितरण के लिये दिया जाने वाला गेहूं सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी जयपुर को घूघरी वितरण कार्य के लिये गेहूं दिया गया हैं? यदि हां, तो कितना? उस गेहूं का किस-किस दिन उपयोग किया गया और छात्रों की उपस्थिति कितनी रही? प्रतिदिन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालय में घूघरी पकाने के लिये किस-किस को अब तक रखा गया और उसे मजदूरी के रूप में कितना-कितना भुगतान किया गया? प्रतिमाह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि घूघरी पकाने वाली को मजदूरी का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई व जांच रिपोर्ट में क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार घूघरी पकाने वाली महिला की बकाया मजदूरी भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। घूघरी वितरण का कार्यक्रम जयपुर शहर की 670 विद्यालयों में चल रहा है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जयपुर शहर के विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई घूघरी का विद्यालयवार विवरण/मात्रा संलग्न परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी, जयपुर को घूघरी वितरण कार्यक्रम के लिये दिये गये। गेहूं का वर्ष 2002, 2003 एवं जून, 2004 त का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है।

(4) घूघरी पकाने में जुलाई, 2002 से नवम्बर, 2002 तक श्रीमती अनिता साहू को एवं दिसम्बर, 2002 से जून, 2004 तक श्री मोहन लाल शर्मा को रखा गया। मजदूरी के रूप में इन्हें किये गये भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं।

(6) घूघरी पकाने वाली महिला के पेटे किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोमेश्वरपुरी, जयपुर में गठित विकास समिति

592. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में विकास समिति बनाने का प्रावधान है? यदि हां, तो आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर के सभी विद्यालयों में विकास समितियां बनी हुई हैं?

(3) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोमेश्वरपुरी, जयपुर में विकास समिति बनी हुई है? यदि हां, तो कब बनी और उसके चुनाव कब कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालय की विकास समिति में कितने सदस्य हैं और उसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष व सदस्यों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विकास समिति के सदस्य वही बन सकते हैं जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं? यदि हां, तो क्या विकास समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति" गठित करने के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं इसके अनुसरण में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश एवं नियमों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर शहर के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समितियां बनी हुई है।

(3) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोमेश्वरपुरी, जयपुर में पूर्व (1.7.1998) से ही विकास समिति बनी चली आ रही हैं, जिसका पुनर्गठन दिनांक 28.7.2004 को किया गया, अब इस समिति का नाम विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति में परिवर्तित कर दिया गया हैं।

(4) इस समिति में सदस्यों की संख्या वर्तमान में दस हैं। अध्यक्ष श्रीमती डोरीश कौशिक प्रधानाध्यापिका है। विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के सदस्य विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक के अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जनप्रतिनिधि, वार्ड प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् एवं सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी बन सकते हैं। श्री ज्ञानी नारायण सिंह समिति के सदस्य के बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास (अलवर) के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक

593. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किशनगढ़ बास पंचायत समिति अलवर के प्राथमिक विद्यालयों में दस वर्षों से अधिक समय तक एक ही विद्यालय में कितने अध्यापक पदस्थापित हैं और अब तक इनकी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में दस वर्षों से अधिक

(श्री अरुण सिंह)

समय से एक स्थान पर पदस्थापित अध्यापकों का तबादला करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) प्राथमिक विद्यालयों में एक स्थान पर दस वर्षों से अधिक कितने अध्यापक पदस्थापित रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार जिला अलवर के राजस्व गांवों के प्राथमिक विद्यालयों को आठवीं तक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? अब तक कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किथूर (अलवर) को क्रमोन्नत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक सरकार उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति किशनगढ़बास (अलवर) के प्राथमिक विद्यालयों में 30 अध्यापक 10 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं। जिनमें से एक अध्यापक श्री राम चौधरी, रा.उ.प्रा.वि. कांकरा की शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) वर्तमान में स्थानान्तरित नीति बनाया जाना प्रस्तावित हैं। स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(3) जिला अलवर के प्राथमिक विद्यालयों में एक ही विद्यालय में 457 अध्यापक 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

(4) राज्य सरकार निर्धारित मानदण्डान्तर्गत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नत करती है। वर्ष 2003-04 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 1277 तथा 2004-05 में अब तक 134 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किए गए हैं।

(5) किथूर (अलवर) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, बल्कि किथूर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदण्ड को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण का

(शिक्षा मंत्री)

समग्र आकलन करने के पश्चात् ही विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है। अन्य प्राप्त प्रस्तावों के साथ-साथ उक्त विद्यालय के प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्ड के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जहाजपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

594. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कुल कितने उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय है? बालक एवं बालिकावार तथा ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत/सृजित है, एवं इनमें कितने पद रिक्त है? विद्यालयवार गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार रिक्त पदों को भरकर समुचित शिक्षण व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान प्राथमिक विद्यालय बोराणी एवं गणेशपुरा (कोटड़ी) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो कब एवं क्रमोन्नत होने के बाद अब तक कितने पद स्वीकृत कर भरे गये है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इस विद्यालय में कब तक पद सृजित/स्वीकृत कर भरने का विचार रखती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालक एवं बालिका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "क" पर एवं माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय बालक एवं बालिका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के रिक्त पदों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों

(शिक्षा मंत्री)

की पूर्ति हेतु अर्थनाएं राज. लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। व्याख्याताओं/ प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों/वरिष्ठ अध्यापकों हेतु विभागीय चयन समिति का आयोजन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माध्यमिक शिक्षा के पदों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषय के 1407 पदों की अर्थनायें राज. लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है तथा व्याख्याताओं एवं व. अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पद नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटने पर भरे जा सकेंगे।

(3) जी हां। 1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोराणी एवं गणेशपुरा (कोटडी) को वर्ष 1999-2000 में क्रमोन्नत किया गया है तथा 1 द्वितीय श्रेणी एवं 05 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद उक्त दोनों विद्यालयों में स्वीकृत हैं स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रत्येक विद्यालय में 04 अध्यापक तृतीय श्रेणी के कार्यरत है। व. अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रारम्भिक शिक्षा के रिक्त पदों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्थनाएं राज. लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले का बन्द डाइट केन्द्र

595. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले के लिए पृथक् से "डाइट" केन्द्र 1997 में खोला गया था तथा बाद में बजट के अभाव में यह केन्द्र बन्द कर दिया गया?

(2) क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले का "डाइट" केन्द्र वापस चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि चुनावढ़, श्री गंगानगर स्थित "डाइट" हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों का 8वीं बोर्ड परीक्षा व एस.टी.सी. केन्द्र चलाने का कार्य कर रही है? यदि हां. तो कब से?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में नवीन डाइट प्रारम्भ करने की स्वीकृति का प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर डाईट प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(3) जी हां। डाइट, चुनावढ़ (श्रीगंगानगर) द्वारा जिला श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों की 8वीं बोर्ड परीक्षा तथा एस.टी.सी. प्रशिक्षण का कार्य वर्ष 1997-98 से किया जा रहा है।

राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर की कक्षाओं का पारी परिवर्तन

596. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दो पारी विद्यालयों में कक्षाओं के समय परिवर्तन के लिये निर्णय लिये जाने के लिये कौन अधिकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधी नगर, जयपुर में वर्षों से कक्षा 9 व 10 पहली पारी में चलती रही हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्तमान शिक्षा सत्र में इसको परिवर्तन कर द्वितीय पारी में कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) एक पारी तथा दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय परिवर्तन हेतु सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सक्षम है।

(2) जी हां। प्रधानाचार्य, रा.बा.उ.मा.वि., गांधी नगर, जयपुर के द्वारा छात्राओं के प्रवेश कार्य को मध्यनजर रखते हुए आदेश दिनांक 2.7.2004 से विद्यालय की कक्षा 9 व 10 की कक्षायें अस्थायी रूप से (केवल 2.7.2004 से 31.7.2004 तक) दोपहर 12.30 से सायं 6.00 बजे तक संचालित किए जाने के आदेश प्रसारित किए हैं। प्राचार्य

(शिक्षा मंत्री)

के आदेशानुसार यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थायी हैं. तथा छात्राओं के प्रवेश कार्य हेतु की गई है। 1 अगस्त, 2004 से पूर्व की भांति कक्षायें लगाई जानी प्रस्तावित है।

राजकीय गुरु नानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर में पदस्थापित अध्यापक

597. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय गुरु नानक भवन संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त पदों पर कौन-कौन पदस्थापित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामान्य व्याख्याता के पद के विरूद्ध चित्रकला व्याख्याता को पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वेतन बिल में सामान्य व्याख्याता के पद को चित्रकला व्याख्याता का पद दर्शाकर वेतन आहरित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विद्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याताओं के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां. तो प्राप्त शिकायतों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय गुरु नानक भवन संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर में अध्यापकों के स्वीकृत पदों एवं इनके विरूद्ध कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार से हैं :-

(शिक्षा मंत्री)

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापित अध्यापका का नाम
व्याख्याता	01	श्रीमती रजनी शर्मा
व्याख्याता (शा. शि.)	01	रिक्त
अध्यापक II	03	1. श्रीमती रोनिका 2. श्रीमती मनप्रीत कौर 3. श्रीमती चन्द्रकान्ता
अध्यापक III	01	1. श्रीमती तरूण पांचाल

(2) विद्यालयों/संस्थाओं में संचालित विषय अनुसार व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किये जाते हैं। कक्षा 11 एवं 12 में विषय विशेष का अध्यापन करवाया जाता हैं। अत: विषय विशेष के व्याख्याता नियुक्त किये जाते हैं। सामान्य व्याख्याता के नाम से कोई विषय नहीं होते हैं। अत: सामान्य व्याख्याता विषय पद नाम से व्याख्याताओं का पदस्थापन नहीं किया जाता हैं। राजकीय गुरु नानक भवन संस्थान हाबी सेन्टर हैं। यहां पर बालिकाओं को साहित्यिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, कलात्मक एवं चित्रकला गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता हैं। अत: व्याख्याता के पद पर व्याख्याता (चित्रकला) का पदस्थापन किया गया है।

(3) जी नहीं। वेतन विपत्र में स्वीकृत पद नाम के अनुसार ही वेतन आहरण किया जा रहा हैं। इस हेतु किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैं।

(4) जी नहीं।

निवाई के न्यायालयों में रिक्त पद

598. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कौन-कौन से न्यायालय कार्यरत हैं और वर्तमान में इनमें कितने मुकद में लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्यायालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में निम्न 2(दो) न्यायालय कार्यरत हैं :-

(1) सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, निवाई।

(2) सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, निवाई।

उक्त न्यायालयों में वर्तमान में दिनांक 31.5.2004 तक लम्बित प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण हेतु परिशिष्ट "ए" संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्थित दोनों न्यायालयों में स्वीकृत पदों का विवरण हेतु परिशिष्ट "बी" संलग्न है तथा उक्त दोनों न्यायालयों में किसी भी संवर्ग का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

परिशिष्ट "ए"

विधान सभा क्षेत्र निवाई स्थित न्यायालयों में वर्तमान में दिनांक 31.5.2004 तक लम्बित प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	किस्म मुकदमा	सि.न्या. (व.ख.) एवं ए.सी.जे.एम. न्याया.	सि.न्या. (क.ख.) एवं न्या. म. न्या.	कुल लम्बित प्रकरण
1	2	3	4	5
1.	वारण्ट केसेज	362	232	594
2.	सम्मन केसेज	619	283	902
3.	फौज मुतफर्रिक	71	109	180
4.	इस्तगासा	30	—	30
5.	एफ.आर.	19	7	26
6.	दीवानी दावे	82	205	287
7.	दीवानी मुतफर्रिक	50	115	165

1	2	3	4	5
8.	इजराय	12	9	21
9.	डी.आर.ए.	8	—	8
क्र.सं. 1 से 9 कुल लम्बित प्रकरण		**1253**	**960**	**2213**

परिशिष्ट "बी"

विधान सभा क्षेत्र निवाई स्थित न्यायालयों में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	श्रेणीवार पद	सि.न्या. (क.ख.) एवं ए.सी.जे.एम. न्याया. निवाई में स्वीकृत पद संख्या	सि.न्या. (क.ख.) एवं न्या. मजि. न्याया. निवाई में स्वीकृत पद संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	1	1
2.	आशुलिपिक	1	1
3.	रीडर	1	1
4.	कनिष्ठ लिपिक	4	
5.	च. श्रे. कर्मचारी	2	9

गंगरार के बांधों की मरम्मत

599. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ओड़वाडिया बांध साड़ास को एक मीटर ऊंचा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ओड़वाडिया बांध, साड़ास व सोमी सरोवर बांध की अपूर्ण कच्ची नहर को पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(3) क्या सरकार बस्सी (बांध) डैम की क्षतिग्रस्त नहरों को पुन: नई बनाने एवं जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बीसलपुर बांध परियोजना के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित होने के कारण बांध की क्षमता बढ़ाना उपयुक्त नहीं है।

(2) जी नहीं। नहरों को पक्का करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में इन नहरों की डिजाईन क्षमता की लगभग 80 प्रतिशत सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) बस्सी बांध की क्षतिग्रस्त नहरों को पुन: नई बनाने एवं जीर्णोद्धार करने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। उपादेय एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

काली सिंध व परवन नदी पर बांध निर्माण

600. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में होने वाली कुल वर्षा का कितने प्रतिशत पानी का संग्रहण किया जाता है तथा कितना प्रतिशत पानी व्यर्थ बहकर राज्य के बाहर चला जाता है?

(2) क्या यह सही है कि चम्बल बेसिन का अधिकांश पानी संग्रहण के अभाव में व्यर्थ बह जाता है? यदि हां, तो व्यर्थ बहते पानी को रोकने की कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनाएं किन-किन नदियों पर प्रस्तावित हैं?

(3) जिला झालावाड़ में काली सिंध व परवन नदी पर प्रस्तावित मध्यम सिंचाई योजना का कार्य कब तक आरम्भ करवा दिया जावेगा तथा इनके निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय होगी?

उत्तर

(1) प्रदेश के समस्त जिलों में होने वाली औसत वर्षा का 57 प्रतिशत पानी का

(सिंचाई मंत्री)

संग्रहण किया जाता है तथा शेष 43 प्रतिशत जल वाष्पीकरण, भू-जल भरण एवं प्रदेश के बाहर चला जाता है।

(2) जी हां। बहते आंशिक पानी को रोकने हेतु 3 वृहद, 8 मध्यम एवं 182 लघु सिंचाई योजनाएं/एनिकट प्रस्तावित/चिन्हित हैं। प्रस्तावित/चिन्हित योजनाओं की सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(3) जिला झालावाड़ में

1. परवन नदी पर एक मध्यम सिंचाई परियोजना "मनोहर थाना" के निकट प्रस्तातिव है जिसकी अनुमानित लागत 93 करोड़ है। केन्द्रीय

प्रपत्र "अ"

चम्बल नदी के बहते पानी को रोकने हेतु प्रस्तावित/चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण मय नदियों के नामों सहित सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नदी का नाम जिस पर परियोजना प्रस्तावित है
1.	काली सिंध	काली सिंध
2.	परवन	परवन
3.	बनास	बनास नदी
मध्यम सिंचाई परियोजना		
1.	तकली	तकली
2.	पिपलाद	पिपलाद
3.	गागरीन	गागरीन
4.	मनोहरथाना	परवन
5.	अंधेरी	अंधेरी
6.	ल्हासी	ल्हासी
7.	हथियादह	हथियादह
8.	राजगढ़	आरू

लघु सिंचाई परियोजनाएं/एनीकट

1.	182 परियोजनाएं	चम्बल बेसीन

जल आयोग से स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के बाद किया जायेगा।

2. कालीसिंध नदी पर कोई मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

नर्मदा नहर लिफ्ट योजना से लाभान्वित क्षेत्र

601. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नर्मदा नहर की लिफ्ट योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी कब तक स्वीकृति हो जायेगी एवं कब तक निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा?

(2) इस योजना से जालोर व बाड़मेर जिले का कितना क्षेत्रफल लाभान्वित होगा?

उत्तर

(1) जी हां। नर्मदा नहर की लिफ्ट योजना वर्ष 2005-06 में स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(2) नर्मदा नहर की लिफ्ट योजना से जालौर व बाड़मेर जिले का क्रमश: 0.41 लाख हैक्टेयर एवं 0.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

जैसलमेर जिले में सेवण घास हेतु क्षेत्र का आरक्षण

602. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में सेवण घास अत्यधिक मात्रा में पैदा होती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितने क्षेत्र में?

(श्री सांगसिंह भाटी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र का पशुपालना उद्योग उक्त घास के उत्पादन पर ही निर्भर है?

(3) क्या उक्त घास के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कोई क्षेत्र आरक्षित किया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कौन-कौनसा?

(4) क्या सरकार अब उक्त घास के उत्पादक क्षेत्र को आरक्षित घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में जिला जैसलमेर के लोंगेवाला, शाहगढ़-घोटारू क्षेत्र, तनोट-किशनगढ़ क्षेत्र, कुछड़ी हाबुर खुईवाला क्षेत्र, धनसा-म्यानसार (सोढण) क्षेत्र, फतेहगढ़ तहसील क्षेत्र, अजासर ताडना भादरिया व रेंज क्षेत्र में अनुमानत: 3.50 लाख हैक्टर असिंचित भूमि में सेवण घास पैदा होती है।

(2) जी हां। अधिकांशत: सेवण घास पर ही इस जिले में पशुपालन निर्भर है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। क्योंकि उक्त क्षेत्र में खनन एवं सैनिक गतिविधियां भी चलती रहती हैं तथा काश्त भी होती है। वन विभाग को पूर्व में ही 3295 हैक्टर भूमि चारागाह विकास हेतु आरक्षित कर आबंटित है।

सरस घी व मक्खन की पैकिंग हेतु निविदा

603.**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आर.सी.डी.एफ., जयपुर द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए सरस घी व मक्खन की पैकिंग सामग्री बनवाने हेतु मैसर्स निशा एन्टरप्राइजेज को ठेका दिया गया था? क्या उक्त फर्म की दरें अधिक थी व न्यूनतम दर वाले निविदादाता की उपेक्षा की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेके में मैसर्स निशा एन्टरप्राइजेज की दर 1 लीटर के लिये 1.24 रुपये व 1/2 लीटर के लिये 1.02 प्रति डिब्बा थी? क्या उक्त दर वर्ष भर के लिए थी और दो माह पश्चात् आर.सी.डी.एफ. ने दरें बढ़ाकर 1.40 रुपये व 1.07 रुपये प्रति डिब्बा कर दी, जबकि ठेके की शर्तों में ऐसा प्रावधान नहीं था? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त फर्म की दरें अधिक नहीं थी एवं न्यूनतम दर वाले निविदादाता की उपेक्षा नहीं की गई।

(2) जी नहीं। अपितु उक्त ठेके में मैसर्स निशा एन्टरप्राईजेज की दर 1 लीटर के लिए रुपये 1.21 व 1/2 लीटर के लिए दर रुपये 0.97 प्रति डिब्बा थी।

जी हां। उक्त दरें वर्ष भर के लिए थीं, निविदा की शर्त संख्या 2.5 (4) अनुसार एक्साईज ड्यूटी 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो जाने के कारण उक्त दरों में आनुपातिक बढ़ोतरी करते हुए उक्त दरें 1 लीटर के लिए रुपये 1.28 प्रति कार्टन एवं 1/2 लीटर के लिए रुपये 1.03 प्रति कार्टन दिनांक 16.7.2002 से प्रभावी हो गई है। अगर निविदा/ठेके में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो जांच पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

604. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों/व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप योग्यता न रखते हुये भी क्या सहायक प्रोफेसरों/व्याख्याताओं को तदर्थ नियुक्तियां दी गई, यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इनको हटाने का विचार रखती है?

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

(3) क्या सरकार उच्च शिक्षा. विशेषकर विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को विशेष भर्ती द्वारा भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याताओं के आरक्षित वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है :-

वर्ग	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1. अनु. जाति	1027	546
2. अनु. जनजाति	744	448
3. ओ.बी.सी.	1292	377
कुल	**3063**	**1371**

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में वर्ष 1995 तक स्थानीय चयन समिति गठित कर 158 व्यक्ति चयन कर अस्थायी रूप से रखे गये जो अभी भी कार्यरत है। वर्ष 1995 के बाद 130 व्यक्तियों को कालांश के आधार पर या अन्य किसी प्रकार से कार्य करने के उपरान्त मा. न्यायालय के आदेश से निरन्तर रखा गया है। अस्थायी/तदर्थ रूप से रखे गये व्याख्याताओं के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) विश्वविद्यालयों में आरक्षित रिक्त पदों पर विशेष भर्ती की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जयपुर जिले के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

605. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(2) जयपुर जिले में नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय पिछले पांच वर्ष में कहां-कहां खोले गये और इस वर्ष कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में जयपुर जिले में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय कहां-कहां स्वीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चिकित्सालय/औषधालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने हेतु मानदण्ड निम्न प्रकार है:-

1. यथासम्भव भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 2000 होना।
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना।

इस सम्बन्ध में राज्यादेश की प्रति परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गत पांच वर्षों में जयपुर जिले में कोई नवीन आयुर्वेद औषधालय आरम्भ नहीं किये गये हैं।

इस वर्ष में नवीन औषधालयों का चयन विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में जयपुर जिले में कुल 291 आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं. इनकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(4) उक्त औषधालय/चिकित्सालयों में स्वीकृत आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स-कम्पाउण्डर व परिचारकों के पदस्थापन तथा रिक्त पदों का विवरण, परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रखें।

(सूची विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

606. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कहां-कहां पर राजकीय होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय केन्द्र स्थापित हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त औषधालय एवं केन्द्रों में कितने-कितने वैद्य/डाक्टर एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त औषधालयों/केन्द्रों में नियमानुसार कितने-कितने वैद्य एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए? सूची औषधालयवार एवं केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में 173 आयुर्वेदिक एवं 6 होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय संचालित है। इनकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त औषधालय/चिकित्सालयों में पदस्थापित चिकित्सक, नर्स-कम्पाउण्डर व परिचारकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त औषधालय/चिकित्सालयों में चिकित्सक, नर्स-कम्पाउण्डर व परिचारकों के स्वीकृत पदों का विवरण भी परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला अलवर में संचालित आयुर्वेद व होम्यापैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची तथा इनमें स्वीकृत व कार्यरत चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डरों व परिचारकों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	तहसील	नाम औषधालय	पद्धति	स्वीकृत पदों की संख्या			कार्यरत कार्मिकों की संख्या			विशेष विवरण
				चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बहरोड	जागूवास	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
2.	बहरोड	बूढवास	आयुर्वेद	1	1	1	1	0	1	
3.	बहरोड	गूंती	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
4.	बहरोड	पहाडी	आयुर्वेद	1	1	1	पदरिक्त	0	1	
5.	बहरोड	रिवाली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
6.	बहरोड	जखराना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
7.	बहरोड	बसई	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	बहरोड	खोहर	आयुर्वेद	1	0	1	1	1	1	
9.	बहरोड	महाराजावास	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
10.	बहरोड	नांगल खेडिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
11.	बहरोड	मण्डाला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
12.	बहरोड	हमीदपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
13.	बहरोड	तसीम	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
14.	बहरोड	रामसिंहपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
15.	बहरोड	दूढाडिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
16.	बहरोड	खातनखेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
17.	बहरोड	परतापुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
18.	बहरोड	शाहजहापुर	आयुर्वेद	1	2	1	1	2	1	
19.	बहरोड	दोसोद	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
20.	बहरोड	कोलीला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	बहरोड	इमरोली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
22.	बहरोड	हुडियाकला	आयुर्वेद	1	1	1	1	0	0	
23.	बहरोड	कुतिना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
24.	बहरोड	गिगलाना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
25.	बहरोड	जोनायचा कला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
26.	बहरोड	खुदरोट	आयुर्वेद	1	1	1	1	0	0	
27.	बहरोड	रोडवाल	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
28.	बहरोड	नारेडाखुर्द	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
29.	बानसूर	हमीरपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
30.	बानसूर	हरसोरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
31.	बानसूर	महन्नपुर	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
32.	बानसूर	खेडा श्यामपुरा	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
33.	बानसूर	चतरपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	बानसूर	बाबरिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
35.	बानसूर	कोठिया	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
36.	बानसूर	गूंता	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
37.	बानसूर	खोहरी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
38.	बानसूर	कराना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
39.	बानसूर	हाजीपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
40.	बानसूर	होलावास	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
41.	बानसूर	बबेडी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
42.	बानसूर	भूपखेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
43.	बानसूर	छिड (जयसिंहपुरा)	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
44.	बानसूर	नरदका का वास	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
45.	बानसूर	रसनाली	होम्यो	1	1	1	1	1	पदरिक्त	
46.	बानसूर	मोठूका फतेहपुर	होम्यो	1	1	1	1	1	पदरिक्त	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	कठूमर	कठूमर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
48.	कोटकासिम	फातियावाद	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
49.	कोटकासिम	पुर	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
50.	कोटकासिम	हरसोली	आयुर्वेद	1	2	1	1	2	1	
51.	कोटकासिम	रायपुर जाटान	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
52.	कोटकासिम	जोडिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
53.	कोटकासिम	इकरोटिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
54.	कोटकासिम	खानपुरअहिरान	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
55.	मुण्डावर	मुडियाखेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	0	
56.	मुण्डावर	पेहेल	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	पदरिक्त	
57.	मुण्डावर	बेहरोजा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
58.	मुण्डावर	पदमाडा खुर्द	आयुर्वेद	1	0	1	0	1	1	
59.	मुण्डावर	करनीकोट	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	मुण्डावर	अजरका	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
61.	मुण्डावर	भानोत	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
62.	मुण्डावर	सरायकला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
63.	मुण्डावर	बाबद	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
64.	मुण्डावर	ततारपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
65.	मुण्डावर	हटूण्डी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
66.	मुण्डावर	उलाहेडी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
67.	मुण्डावर	बासनी	आयुर्वेद	1	1	0	1	0	1	
68.	मुण्डावर	नांगलउदिया	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	1	
69.	मुण्डावर	मेनपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
70.	किशनगढ़	अ श्रेणी खेरथल	आयुर्वेद	2	5	3	3	5	3	
71.	किशनगढ़	हरमाईलपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
72.	किशनगढ़	राताखुर्द	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	किशनगढ़	जाटका	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
74.	किशनगढ़	मूसाखेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
75.	किशनगढ़	मांछरोली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
76.	किशनगढ़	सैथली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
77.	थानागाजी	बडागांव	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
78.	थानागाजी	आगर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
79.	थानागाजी	अजबपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
80.	थानागाजी	भागडोली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
81.	थानागाजी	झीरी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
82.	थानागाजी	बामनवास	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
83.	थानागाजी	किशोरी	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
84.	थानागाजी	खरकेडी कलां	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
85.	थानागाजी	द्वारापुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	थानागाजी	मालुताना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
87.	थानागाजी	गढबसई	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
88.	थानागाजी	बसईजोगियान	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
89.	थानागाजी	दुहार चौगान	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
90.	थानागाजी	सिलीबावडी	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
91.	थानागाजी	कालेड	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
92.	थानागाजी	सूरतगढ़	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
93.	थानागाजी	नारायणपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
94.	तिजारा	तिजारा	आयुर्वेद	1	2	1	1	2	1	
95.	तिजारा	गोतोली	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
96.	तिजारा	शाहबाद	आयुर्वेद	1	2	1	1	2	1	
97.	तिजारा	इसरोदा	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
98.	तिजारा	जीवाणा	आयुर्वेद	1	2	1	1	2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	तिजारा	मण्ढा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
100.	तिजारा	निम्बाहेडी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
101.	तिजारा	सरेटा	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
102.	तिजारा	चांवडी कलां	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
103.	तिजारा	सिलारपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
104.	तिजारा	गोठडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
105.	तिजारा	लुहादेरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
106.	तिजारा	खिदरपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
107.	रामगढ़	नौगावा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
108.	रामगढ़	अलावाडा	आयुर्वेद	1	1	1	पद रिक्त	1	1	
109.	रामगढ़	बाम्बोली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
110.	रामगढ़	खोडा करमाली	आयुर्वेद	1	1	0	पद रिक्त	1	0	
111.	रामगढ़	बहाला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	रामगढ़	मुबारिकपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
113.	रामगढ़	देसूला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
114.	रामगढ़	चोरीटीपहाड	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
115.	राजगढ़	गोला का बास	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
116.	राजगढ़	बल देवगढ़	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
117.	राजगढ़	धेवर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
118.	राजगढ़	तालाब	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
119.	राजगढ़	खोह दरीबा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
120.	राजगढ़	धमरेड	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
121.	राजगढ़	मोतीवाडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
122.	राजगढ़	देवती	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
123.	राजगढ़	पल्वा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
124.	राजगढ़	ढिंगावडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	राजगढ़	बिगोता	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
126.	राजगढ़	सकट	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
127.	राजगढ़	राजपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
128.	राजगढ़	भजेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
129.	राजगढ़	माचाडी	आयुर्वेद	1	2	1	1	2	1	
130.	राजगढ़	डोरोली	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
131.	राजगढ़	पाटण	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
132.	राजगढ़	पिनाण	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
133.	राजगढ़	गढ (बिणजारी)	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
134.	राजगढ़	किलपुर खेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
135.	राजगढ़	बरेर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
136.	राजगढ़	बहडको कला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
137.	राजगढ़	रेणी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	राजगढ़	गढी सवाईराम	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
139.	राजगढ़	मोरेडकला	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
140.	राजगढ़	थाना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
141.	अलवर	अ श्रेणी अलवर	आयुर्वेद	3	14	7	3	14	6	परिचालक का एक पद रिक्त
142.	अलवर	जवाबपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
143.	अलवर	चांदोली	आयुर्वेद	1	1	1	0	1	1	चिकित्सक पद पर एक ओर पद कार्यरत है।
144.	अलवर	शाहपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
145.	अलवर	अकबरपुर	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
146.	अलवर	मालाखेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
147.	अलवर	हल्दीना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
148.	अलवर	बडेर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
149.	अलवर	भंडोडी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
150.	अलवर	केरवावाल	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	अलवर	निठारी	आयुर्वेद							
152.	अलवर	बालेटा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
153.	अलवर	पृथ्वीपुरा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
154.	अलवर	बरखेडा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
155.	अलवर	गायत्री मन्दिर	होम्यो	1	1	1	1	1	1	
156.	अलवर	आदर्श कालोनी	होम्यो	1	1	1	1	1	1	
157.	लक्ष्मणगढ़	बडोदागांव	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
158.	लक्ष्मणगढ़	मोजपुर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
159.	लक्ष्मणगढ़	खोहरा मलावली	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
160.	लक्ष्मणगढ़	जावली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
161.	लक्ष्मणगढ़	मण्डूडा	आयुर्वेद	1	0	1	1	0	1	
162.	लक्ष्मणगढ़	टोडानगर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
163.	लक्ष्मणगढ़	दीनार	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	लक्ष्मणगढ़	खुडियाना	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
165.	लक्ष्मणगढ़	टोडा लीली	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
166.	लक्ष्मणगढ़	नसवारी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
167.	लक्ष्मणगढ़	तिलवाड	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
168.	कठूमर	बिचगांवा	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
169.	कठूमर	सोखरी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
170.	कठूमर	दातियां	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
171.	कठूमर	भनोखर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
172.	कठूमर	बडोदाकान	आयुर्वेद	1	2	1	1	1	1	
173.	कठूमर	नाटोज	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
174.	कठूमर	तिगरिया	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
175.	कठूमर	टिटपुरी	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
176.	कठूमर	रामनगर	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	कठूमर	खेडलीरेल	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	
178.	कठूमर	खौह	आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	
179.	कठूमर	मसारी	आयुर्वेद	1	1	0	1	1	0	

कनिष्ठ विपणन अधिकारियों के रिक्त पद

607. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ विपणन अधिकारी के कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर नियुक्ति में विभागीय कर्मचारियों का कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो कितना और इसे भरने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कनिष्ट विपणन अधिकारियों के 113 पद सृजित हैं तथा उक्त पदों में से वर्तमान में 57 पद रिक्त हैं।

(2) वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। विभागीय कर्मचारियों हेतु 25% कोटा निर्धारित है। भर्ती हेतु स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार विभागीय कोटा भी भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-359 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

सिंचाई विभाग में प्रगतिरत/प्रस्तावित/चिन्हित योजनाएं

क्रम संख्या	सिंचाई परियोजना	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	प्रस्तावित/ चिन्हित कार्यों की संख्या
1.	वृहद परियोजना	4	3
2.	मध्यम परियोजना	7	8
3.	लघु सिंचाई परियोजना	140	182
4.	टूट बांधों एवं नहरों के कार्य	—	255
5.	क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों के कार्य	—	499
6.	एनीकट, गांवई तालाब व खड़ीन इत्यादि के कार्य	—	6215

प्रपत्र "ब"

पानी को रोकने हेतु पक्के एनीकट बनाने का विवरण

क्र. सं.	जिला	एनीकटों की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	2	3	4
1.	जालौर	73	344.28
2.	बाड़मेर	39	154.02
3.	नागौर	114	884.00
4.	जोधपुर	74	461.59
5.	पाली	40	196.55
6.	सिरोही	73	345.71
7.	बांसवाड़ा	87	700.25

1	2	3	4
8.	डूंगरपुर	60	405.56
9.	चित्तौड़गढ़	267	1500.56
10.	भीलवाड़ा	152	761.13
11.	उदयपुर	239	1336.34
12.	राजसमन्द	134	809.03
13.	बूंदी	33	279.00
14.	झालावाड़	60	474.27
15.	बांरा	147	1258.50
16.	जयपुर	72	275.96
17.	सीकर	27	201.00
18.	अलवर	68	267.98
19.	टोंक	99	718.73
20.	सवाई माधोपुर	47	391.75
21.	अजमेर	81	381.08
22.	करौली	28	199.00
23.	धोलपुर	23	143.66
	योग :-	**2037**	**12489.95**

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-365 का विवरण)

वर्ष 2001-02 1	प्राप्तियां 2	व्यय 3	शेष 4	बचत के कारण 5
भारत सरकार से जिला अन्धता नियंत्रण समिति	185.00	185.00	Nil	-जिला नेत्र शल्य चिकित्सा इकाईयों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर बचत रही।
आयोजन भिन्न	141.70 (आर.ई.)	132.76	7.94	-प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त ऐलोकेशन के आधार पर है, किन्तु व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर है। जिससे बचत रही।
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	855.55 (आर.ई.)	507.78	347.77	-आयोजन भिन्न में बचत संवेतन मद में रही है जो वास्तविक व्यय के आधार पर है।

वर्ष 2001-02	प्राप्तियां	व्यय	शेष	बचत के कारण
भारत सरकार से जिला अन्धता नियंत्रण समिति	108.00	108.00	Nil	-जिला नेत्र शल्य चिकित्सा इकाईयों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर बचत रही।

1	2	3	4	5
भारत सरकार से राज्य अन्धता नियंत्रण समिति	80.00	Nil	80.00 (अगले वर्ष 2003-04 में लिया गया)	-प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त ऐलोकेशन के आधार पर है, किन्तु व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर है। जिससे बचत रही।
आयोजना भिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	126.70 (आर.ई.) 62.63 (आर.ई.)	126.06 114.15	0.64 -51.52	-आयोजन भिन्न में बचत संवेतन मद में रही है जो वास्तविक व्यय के आधार पर है।
वर्ष 2001-02	**प्राप्तियां**	**व्यय**	**शेष**	**बचत के कारण**
शेष राशि राज्य अन्धता नियंत्रण समिति	—	80.00	Nil	-बचत वास्तविक व्यय के आधार पर है।
भारत सरकार से राज्य अन्धता नियंत्रण समिति	100.00	100.00	Nil	
आयोजना भिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	147.30 (आर.ई.) 421.94	144.31 352.69	2.99 69.25	-आयोजन भिन्न में बचत संवेतन मद में रही है जो वास्तविक व्यय के आधार पर है।

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-110 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न संख्या 69/चिकित्सा/ता./द्वारा डा. चन्द्रशेखर बैद, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा के प्रश्न के भाग-2 का विवरण

अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफिक मशीन को रखने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंक चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा अपनी-अपनी सलाहकार समिति की अभिशंषा के आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। प्रदेश में अभी तक 960 अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफिक मशीनों का पंजीकरण किया गया है। समुचित प्राधिकारियों द्वारा अपने सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ सम्बन्धित संस्था का निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण पर संस्था के अधिनियम के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया जाने पर संस्था के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं। समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत दो अपंजीकृत संस्था (1) ज्योति अस्पताल, जयपुर (2) श्री पार्श्वनाथ जैन मेडिकल, ब्यावर (अजमेर) की मशीन को सील एवं सीज किया गया एवं भरतपुर जिले में (1) गीता डायग्नोस्टिक सेन्टर, भरतपुर तथा (2) निशा डायग्नोस्टिक सेन्टर, भरतपुर के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत रिकार्ड का संधारण सही तरीके से नहीं करने के कारण पंजीकरण रद्द किया गया। अब उक्त चारों संस्थाओं का अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कर दिया गया है। जयपुर जिले में ओ.के. डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर द्वारा अधिनियम के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा उक्त संस्था का अधिनियम के अन्तर्गत किया गया पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

सदस्य सूची

गुरूवार, 29 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
अनुपस्थिति अनुमति	
श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ सदस्य विधान सभा को वर्तमान सत्रान्त की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति	36
विधेयक का पारण	
-राजस्थान वित्त विधेयक, 2004	123
सूचना	
-श्री रणवीर सिंह गुढ़ा सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना	157
स्थगन प्रस्ताव	
श्री अमराराम धोद एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में -अपहरण की घटनाएं बढ़ने एवं उन पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में	36
श्री मांगीलाल गरासिया एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से गोगुन्दा में -दिनांक 16.7.2004 को एक ड्राइवर के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में	37
श्री संयम लोढ़ा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा -दंगों से सम्बन्धित मुकदमों को वापस लेने में कथित भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में	36
श्री हरिमोहन शर्मा एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से सहकारी -संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया को टालते हुए जनप्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	36
श्री हेमाराज मीणा एवं एक अन्य सदस्यों की ओर से बारां जिले में -गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में	36

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत -समिति नवलगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा समिति के सदस्य को कथित जातिसूचक गालियां देने के सम्बन्ध में।	36
श्री अमराराम (धोद)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	16
राजस्व	
-राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण	235
श्री अरूण सिंह (डीग)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-किशनगढ़ बास (अलवर) के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक	356
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
विधि एवं न्याय	
-गंगरार के बांधों की मरम्मत	364
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार	26
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-मात्री कुडिया बांध (गंगरार) के डेडस्टोरेज पानी को आरक्षित किये जाने बाबत	70
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-महर्षि रमण राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय जयपुर के चिकित्सकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें	319

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-कृषि उपज मण्डी भीनमाल द्वारा निर्मित सड़कें	198
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	15
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-निम्बाहेडा में चिकित्सकों के रिक्त पद	237
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	133
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	158
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बस्सी की पेयजल योजनाएं	278
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-फागी में नवीन महाविद्यालय	23
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद	369

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बैराज (दूदू) ग्राम पंचायत की अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंच के विरूद्ध और बेबुनियाद आक्षेप	90
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राजकीय चिकित्सालय नदबई में आवश्यक सुविधा	210
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-हैण्ड पम्पस में लगाये जा रहे पाइप	273
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-सहाड़ा की अपूर्ण पेयजल योजनाएं	242
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक के भवन निर्माण में संवेदक का बकाया भुगतान प्रकरण	341
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु	252
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-खारची विधान सभा क्षेत्र की 12 पंचायतों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने विषयक	66

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-नर्मदा नहर लिफ्ट योजना से लाभान्वित क्षेत्र	367
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बाड़मेर जिले के सीमा क्षेत्र की भूमि पर काबिज कृषकों की भूमि का नियमन	232
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में नहरी/राजस्व पटवारियों का पदस्थापन	300
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उपनिवेशन	
-जैसलमेर उपनिवेशन क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं	221
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-अणगौर ग्राम के सिरोही के भीमाराम मेघवाल की असामयिक मौत के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही	62
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-मेघवालों की ढाणी (जैतारण) में ट्यूबवैल	276
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की विवादित भूमि	202

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-फागी में नवीन महाविद्यालय	21
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-तारानगर एवं राजगढ़ (चूरू) तहसील की शिक्षण संस्थाओं में पेयजल कनेक्शन	281
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-अन्धता निवारण कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि	28
-निजी डाइग्नोस्टिक केन्द्रों द्वारा की जा रही जांचों की गुणवत्ता	32
श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेंगू), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार	24
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-शिव के सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पद	319
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बांसवाड़ा जिले के रिक्त अध्यापकों के पदों को भरे जाने विषयक	67

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जीतराम (मालपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार	24
श्री जीवराम चौधरी (सांचौर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सांचौर में सड़क निर्माण	336
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-अलवर जिले के होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद	372
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-खेडली एवं खैरथल कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित अपूर्ण सड़कें	231
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	151
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-विशाला आगोर (बाड़मेर) ग्राम में बांकल माता मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जा	252
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-खेतड़ी के अपूर्ण हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल	286

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-अन्धता निवारण कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि	28
-निजी डाइग्नोस्टिक केन्द्रों द्वारा की जा रही जांचों की गुणवत्ता	33
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-ब्यावर में भोमादोह बांध से पेयजल आपूर्ति	213
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजगढ़ (चूरू) तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद	347
श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी जयपुर में गठित विकास समिति	355
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-जयपुर जिले के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद	370
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-डूंगरपुर पंचायत समिति की शालाओं के अधूरे कमरों का निर्माण	60
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बाली की बन्द पेयजल योजनाएं	280

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	9
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-नवलगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कें	329
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान वित्त विधेयक, 2004	98
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्रदेश के बाहर से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों का पंजीयन	314
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	8
श्री प्रमोद जैन 'भाया'(बारां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी बारां का स्थानान्तरण प्रकरण	222
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बांसवाड़ा जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण	320

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-फलासिया में नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें 209

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-मानसीवाकल योजना के 50 प्रतिशत पानी को झांड़ोल को दिये जाने की मांग 82

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-दूदू के नाकारा हैण्डपम्प व ट्यूबवैल 299

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-दूदू के सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय 228

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-बैराज (दूदू) ग्राम पंचायत की अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंच के विरूद्ध और बेबुनियाद आक्षेप 87

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर में पीने के पानी की समस्या 71

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष

विधेयक पर विचार

-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक. 2004 179

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-जिला शिक्षा अधिकारियों के पद हेतु पात्रता 353

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बैराज (दूदू) ग्राम पंचायत की अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंच के विरूद्ध और बेबुनियाद आक्षेप	93
विधेयक का पारण	
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	185
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	128
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचित क्षेत्र विकास	
-सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों की सुविधा हेतु सड़क निर्माण	303
श्री भंवरू खान (फतेहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-फतेहपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें	331
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-काली सिंध व परवन नदी पर बांध निर्माण	365
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	13
सार्वजनिक निर्माण	
-सांगोद (कोटा) तहसील की क्षतिग्रस्त रपटों पर पुल निर्माण	236

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-किशनगढ़ के ग्राम करडाला में बांध हेतु सर्वे	191
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-डूंगरगढ़ में पेचवर्क कार्य	255
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	174
श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राज्य में प्रधानाध्यापकों के पद पूर्ति की नीति	260
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-गोगुन्दा के भवन विहीन विद्यालय	253
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सैनिक कल्याण बोर्ड	
-जयपुर में अमलगमेटेड फण्ड से सैनिक विधवाओं हेतु छात्रावास	262
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-भेदाड़ी मीणा ग्राम (दौसा) में स्वीकृत एनीकट	1

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनांव	14
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर की कक्षाओं का पारी परिवर्तन	360
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डियों का आय के आधार पर वर्गीकरण	217
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	14
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-निजी डाइग्नोस्टिक केन्द्रों द्वारा की जा रही जांचों की गुणवत्ता	35
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-धार्मिक पर्वों पर शराब की दुकानें खोलने का निर्णय	79
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	140
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	153
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-सराड़ा के फ्लोराइडयुक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति	288

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-वर्ष 2003-04 में क्रय किये गये ममता किट	259
श्री रमेश खींची (कठूमर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-कठूमर के ग्राम गोविन्दपुरा में सैक्टर रिफार्म योजनान्तर्गत आबंटित राशि	272
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-सरस घी व मक्खन की पैकिंग हेतु निविदा	368
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-परबतसर के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय	186
श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राजकीय अजीतसरिया नेत्र चिकित्सालय रतनगढ़ (चूरू) में चिकित्सकों के रिक्त पद	313
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-धार्मिक पर्वों पर शराब की दुकानें खोलने का निर्णय	75
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि विधेयक, 2004	95

नाम पृष्ठ संख्या

श्री रामकिशोर मीणा (सीकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-राजकीय गुरु नानक संस्थान, आदर्श नगर जयपुर में पदस्थापित अध्यापक 361

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-सीकन्दरा (दौसा) में ट्रोमा अस्पताल की स्वीकृति 229

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-कनिष्ठ विपणन अधिकारियों के रिक्त पद 388

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-नाथड़ा फुलेता (बूंदी) ग्राम के नाकारा हैण्डपम्प 276

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-निजी डाइग्नोस्टिक केन्द्रों द्वारा की जा रही जांचों की गुणवत्ता 34

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-चौमूं के नाकारा हैण्ड पम्पस 282

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव 15

नाम	पृष्ठ संख्या
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-लूणी में पेयजल आपूर्ति	229
सिंचाई	
-भेदाड़ी मीणा ग्राम (दौसा) में स्वीकृत एनीकट	6
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर द्वारा नेत्र प्रत्यारोपण	309
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-डेगाना की स्वीकृत पेयजल योजनाएं	274
श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-फागी की मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण	333
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-फागी में नवीन महाविद्यालय	20
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान वित्त विधेयक, 2004	119
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान वित्त विधेयक, 2004	95
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी अधिकार के लम्बित प्रकरण	258

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-छतरगढ़ तहसील के भूदाली गांवों में भूमि आबंटन की समस्या बाबत	85
श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	185
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	124
-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	144
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	175
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	151
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-मावली (उदयपुर) हेतु स्वच्छ पेयजल योजना	277
सार्वजनिक निर्माण	
-मावली के ग्राम रठाना से बांगरा सड़क का डामरीकरण	329
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जहाजपुर के विद्यालयों में रिक्त पद	358
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी का बकाया भुगतान प्रकरण	354
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सिरोही जिले की सड़कों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण	331

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार 24

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-निजी चिकित्सा कालेजों में प्रबन्धन कोटे की सीटें 233

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-अणगौर ग्राम के सिरोही के भीमाराम मेघवाल की असामयिक मौत के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही 61

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-धार्मिक पर्वों पर शराब की दुकानें खोलने का निर्णय 72

विधेयक पर विचार

-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 143

-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 156

श्री सभापति

विधेयक का पारण

-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 151

श्री समर्थ लाल (राजगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-भेदाड़ी मीणा ग्राम (दौसा) में स्वीकृत एनीकट 6

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-जैसलमेर जिले में सेवण घास हेतु क्षेत्र का आरक्षण 367

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-भेदाड़ी मीणा ग्राम (दौसा) में स्वीकृत एनीकट 1

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	17
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-रायपुर तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय	63
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-नाथद्वारा के विद्यालयों में रिक्त पद	348
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	125
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	162
श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-सूरजगढ़ के गांवों हेतु पेयजल आपूर्ति	295
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-कोटपूतली जनाना अस्पताल में गायनाकोलोजिस्ट का पदस्थापन विषयक	68
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	160
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-हनुमानगढ़ जिले का बन्द डाइट केन्द्र	359

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जे	64
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बूंदी शहर के मांगली नदी एनिकट से पेयजल आपूर्ति	275
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव	7
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	155
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-जाबदी नगर (नावां) ग्राम में नमक उत्पादन हेतु भू-खण्ड आबंटन	205
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नावां विधान सभा क्षेत्र की पेयजल की समस्या के निवारण बाबत	69
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र निवाई (टोंक) में आवश्यक सुविधाएं	304
विधि एवं न्याय	
-निवाई के न्यायालयों में रिक्त पद	362

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि	203
श्री हीरालाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौंली (सवाई माधोपुर) के भवन मरम्मत की जांच	308
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-भेदाड़ी मीणा ग्राम (दौसा) में स्वीकृत एनीकट	5
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-शिक्षा कर्मियों को वरिष्ठता का लाभ एवं तृतीय वेतन श्रृंखला दिलाने बाबत	65
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान वित्त विधेयक, 2004	102
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	172